दसवीं लोक सभा, खंड 11, अंक 32

गुरुवार, 9 अप्रैल, 1992
20 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

67
16/8/93

(खंड 11 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 9अप्रैल, 1992/20 चैत्र, 1914(शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
16	नीचे से 9	"चौधरीय" के स्थान पर "चौधरी" पढ़िये ।
38	नीचे से 2 तथा 4	"को" के स्थान पर "की" पढ़िये ।
51	नीचे से 5	"6731" के स्थान पर "6713" पढ़िये ।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 11, तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 32, गुरुवार, 9 अप्रैल, 1992/20 चैत्र, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 613 से 617	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	24—132
तारांकित प्रश्न संख्या : 618 से 627 और 629 से 632	24—36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6687 से 6692, 6694 से 6721, 6723 से 6740, 6742, 6744 से 6769, 6771 से 6780, 6782 से 6793 और 6795 से 6823	36—115
सभा पटल पर रखे गए पत्र	132—135
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	135
दूसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
याचिका समिति	135
दूसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
नियम 377 के अधीन मामले	136—141
(एक) महाराष्ट्र में चिमूर क्षेत्र स्थित कोयला खानों से कोयला निकाले जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	136
(दो) मध्य प्रदेश में जगदलपुर को दल्ली-राजहरा रेल लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता	
श्री मानकूराम सोढ़ी	136
(तीन) मानखुर्द-बेलापुर रेल परियोजना, मुम्बई के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु खुले बाजार से ऋण लेकर संसाधन जुटाने सम्बन्धी महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राम कापसे	137

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

	विषय	पृष्ठ
(चार)	उत्तर प्रदेश और बिहार की 'राजभर' जाति को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम बदन	137
(पांच)	आन्ध्र प्रदेश में 'मछुआरों' और 'धोबियों' को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री जी० एम० सी० बालयोगी	137
(छः)	कामाख्या नगर, कालियाहाट, नुदूरपुडा, नारायणपुर होकर जाने वाली ढेंकानाल-क्योंझर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री के० पी० सिंह देव	138
(सात)	गुजरात के किसानों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत देय राशि का शीघ्र भुगतान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्रेश पटेल	139
(आठ)	राजापुर, महाराष्ट्र के मछुआरों के हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुधीर सावन्त	139
(नौ)	असम में धनसिरि नदी पर रेल पुल के साथ एक पैदल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रबीन डेका	140
(दस)	राजस्थान राज्य में पर्यटन के विकास के लिए राजस्थान सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री गिरधारी लाल भार्गव	140
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93		141—219
ग्रामीण विकास मंत्रालय		
खाद्य मंत्रालय		
कृषि मंत्रालय		
नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
	श्री बीर सिंह महतो	141
	श्री के० सी० लेंका	143
	श्री चंद्रेश पटेल	155

विषय	पृष्ठ
श्री सूर्य नारायण यादव	157
प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु	161
श्री तरुण गोगोई	165
श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल	172
श्री ई० अहमद	180
श्री सुनील दत्त	182
श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी	186
श्री अमल दत्त	190
श्री सी० के० कुप्पुस्वामी	193
श्री हरि केवल प्रसाद	195
श्री दत्ता मेघे	197
श्री राम नगीना मिश्र	199
कुमारी फ्रिडा तोपनो	202
श्री बलराम जाखड़	204

लोक सभा

गुरुवार, 9 अप्रैल, 1992/20 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम तो न्यायज्योति पर बैठे हुए हैं और सदन में भी नहीं आ रहे हैं और हम एक चीज के लिए सिर्फ सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आए हैं। यहां पर होम मिनिस्टर, शंकरानंद जी, और श्री केसरी जी भी बैठे हैं। सरकार ने यह बहुत अच्छा काम किया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म शताब्दी वर्ष पर, 14 अप्रैल को पब्लिक होली-डे की घोषणा की है लेकिन हम सरकार से सिर्फ यह आग्रह करने के लिए आए हैं कि पब्लिक सैक्टर में, पब्लिक अंडरटेकिंग वगैरह में छुट्टी की घोषणा नहीं हुई है और यू०पी०एस०सी० की परीक्षा भी उस दिन रहेगी, तो फिर यह मीनिंगलेस हो जाता है कि जब आपने पब्लिक होली-डे किया है तो सबके लिए पब्लिक होली-डे होना चाहिए।

हम सरकार से आग्रह करेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म-शताब्दी वर्ष पर आप सब सैक्टर में पूरे का पूरा, कम्पलीट छुट्टी की घोषणा कीजिए। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे और हम समझते हैं कि सारा सदन इस राय से सहमत है और इसमें कोई दो विचार नहीं है। (व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : जो नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत हम पब्लिक सैक्टर, पब्लिक अंडरटेकिंग को भी कवर करने की कोशिश करेंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सूखे से प्रभावित राज्यों को राहत

*613. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री वी० कृष्णा राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कौन-कौन से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सूखे से प्रभावित हैं;

(ख) सूखे से प्रभावित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में फसलों और पशुधन की कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ग) ऐसे प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की है और अब तक वास्तव में उन्हें कितनी-कितनी धनराशि दी गयी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान राज्यों के कुछ भागों में सूखे की स्थितियां होने के बारे में वहां की राज्य सरकारों ने सूचना दी है।

2. इन सूचनाओं के अनुसार, कर्नाटक में 8.12 लाख हैक्टेयर (रबी), मध्य प्रदेश में 25.00 लाख हैक्टेयर (50% से अधिक), महाराष्ट्र में 58.60 लाख हैक्टेयर (50 प्रतिशत से अधिक) तथा राजस्थान में 77.99 लाख हैक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है। गुजरात सरकार ने खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 10.42 लाख मीटरी टन, खरीफ तिलहनों में 11.71 लाख मीटरी टन तथा कपास में 7.37 लाख मीटरी टन की अनुमानित हानि होने की सूचना दी है। पशुधन संबंधी कोई हानि होने की सूचना नहीं है।

3. कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने राहत उपायों के लिए क्रमशः 50.00 करोड़, 650.00 करोड़, 220.00 करोड़ तथा 789.41 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं।

4. राहत कार्य के लिए धन व्यवस्था करने की वर्तमान योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदायें आने पर आपदा राहत कोष की धनराशि का प्रयोग करते हुए राहत उपाय करने होते हैं। केन्द्रीय सरकार को केवल ऐसी विरल गम्भीरता वाली आपदाओं के मामले में अतिरिक्त सहायता देने की जरूरत पड़ती है जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उपाय करना आवश्यक हो। सूखे की स्थितियां पैदा होने पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिये उक्त राज्य सरकारों के अनुरोधों पर राहत के लिए धन व्यवस्था करने की मौजूदा योजना के परिप्रेक्ष्य में तथा सूखे की स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया। स्थिति का जायजा लेने के लिए गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्यों में केन्द्रीय दल भेजने का निर्णय लिया गया है। एक केन्द्रीय दल इस समय मध्य प्रदेश में है तथा गुजरात के लिए दल शीघ्र ही रवाना हो जाएगा। इन राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता, यदि कोई हुई, की रकम का निर्णय केन्द्रीय दल की रिपोर्ट मिलने पर किया जाएगा। यह निर्णय भी लिया गया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों को कोई अतिरिक्त सहायता देने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, राजस्थान के सूखे की स्थिति का हम सबको सामना करना है। फिर भी मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि यह जानते हुए भी कि इस समय राजस्थान में स्थिति बहुत खराब है, जनवरी, 1991 में राजस्थान को 1 लाख टन प्रति माह गेहूं आवंटन क्यों किया गया; नवम्बर 1991 में इसे 67 हजार टन और इस समय 75 हजार टन प्रति माह क्यों किया गया है ? यह दिल्ली के 10 किलोग्राम प्रति माह प्रति व्यक्ति की तुलना में 1.7 किलोग्राम

प्रति माह प्रति व्यक्ति खपत है। क्या सरकार मौजूदा सूखे की स्थिति को देखते हुए इस आवंटन को तत्काल कम से कम दिल्ली के बराबर करेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : महोदय, क्या आप माननीय सदस्य से अनुरोध करेंगे कि वह इस प्रश्न को खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रेषित करें। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : यह तो बेतुका है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट के लिए बोलने की इजाजत दें। देखिए, माननीय बलराम जी मानते हैं और उनको समझाने की जरूरत नहीं है कि पश्चिमी राजस्थान में बरसात नहीं हुई और चावल खाने वाला यह प्रदेश है नहीं, बरसात नहीं हुई तो बाजरा नहीं उगा और जो गेहूं आप देते हो वह कम कर दिया। आप दिल्ली को गेहूं देते हो 10 किलो और हमको दे रहे हो राजस्थान में एक किलो और माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है तो आप कहते हो कि खाद्य मंत्रालय से पूछो। (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, जो मिनिस्ट्री इससे कंसर्न करती है वह ज्यादा अच्छे तरीके से जवाब दे सकती है। (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : आप बुरे तरीके से ही जवाब दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : जिस मिनिस्ट्री का इससे ताल्लुक है वे करें, वे करते हैं, मैं नहीं करता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मुझे अफसोस है। यह तो बहुत बेतुका है। (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : मैं यह करने के लिए हमेशा तैयार हूं। मैं अपने कर्तव्य से कतई पीछे नहीं हट रहा हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

मैं नहीं चाहूंगा हम जितना प्रक्योरमेंट करते हैं ... (व्यवधान) जिस मिनिस्ट्री से संबंधित है वे करेंगे और मैं अगर उस मिनिस्ट्री में दखलअन्दाज करूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा। (व्यवधान)

श्री राम नाईक : आप मरहम-पट्टी तो लगा सकते हैं, सद्भावना तो व्यक्त कर सकते हैं।

श्री बलराम जाखड़ : मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, हमदर्दी है, लेकिन मैं गलत काम कैसे करूंगा ? मैं कैसे कहूं कि मैं उनका काम करूंगा ?

श्री जसवंत सिंह : आपने गेहूं काट कर गलत काम किया है। (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : आपको पता है कि किस तरह से मिनिस्ट्रीज का काम चलता है। मेरे मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछें तो मैं एक मिनट में जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप मेरे मंत्रालय से मुताल्लिक पूछिए, मैं फटाफट जवाब दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके आप लोग बात करिए, बैठ जाइए। माननीय सदस्या को प्रश्न करने दीजिए।

[अनुवाद]

वह इससे निपटने में पूर्णतया समर्थ हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, इस प्रकार मत कीजिए। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। उन्हें इससे निपटने दें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मैं मंत्री महोदय से केवल यह जानना चाहती हूं कि क्या इसका यह मतलब है कि वह इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्णतया इन्कार कर रहे हैं। प्रश्न राजस्थान में सूखा राहत से संबंधित है और मैंने उनसे कहा था कि वह ध्यान में रखते हुए कि वह भी राजस्थान से हैं और वह राजस्थान में सूखे की स्थिति की गम्भीरता को जानते हैं, तो क्या वह वास्तव में यह मानते हैं कि राजस्थान को दिए जाने वाले गेहूं के कोटे में कमी करना उचित था जबकि वहां पर बाजरे की फसल पूर्णतया विफल रही है और हम चावल खाने वाले नहीं हैं। वह कहते हैं कि उनका मंत्रालय इस पर कार्यवाही करने में समर्थ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा। आप जानती हैं कि दुर्भाग्य से यह प्रश्न दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग कृषि मंत्रालय और दूसरा भाग खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से संबंधित है। संभवतः मंत्री महोदय के पास राज्य को खाद्य सप्लाई पर आपके प्रश्न के उत्तर हेतु पर्याप्त जानकारी नहीं है। जहां तक आपके प्रश्न में कृषि से संबंधित भाग है, वह उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं।

[हिन्दी]

ऐसा नहीं चलेगा, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए।

[अनुवाद]

उन्हें बोलने दें। भाग (ग) खाद्य और नागरिक आपूर्ति से संबंधित है और भाग (क) तथा (ख) कृषि से संबंधित है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आप बैठ जाइए, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, जहां तक ड्राउट रिलीफ की बात है, उसके लिए मेरे पास सारी जानकारी तैयार है, लेकिन एलोकेशन फूड एण्ड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री करती है,

चावल, गेहूं, चीनी आदि जो भी दिया जाता है, उसके बारे में अगर मैं जवाब दूंगा तो यह अनाधिकार चेष्टा होगी। आप ड्राउट रिलीफ से मुत्तलिक प्रश्न पूछिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं जवाब दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग अपनी-अपनी जगह पर बैठ जाइए, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आप माननीय सदस्या को प्रश्न पूछने दीजिए, आप चाहें तो सप्लीमेंट्री पूछ लीजिए। इस तरह से बार-बार उठने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के दो भाग हैं। यदि आपके पास नागरिक आपूर्ति की जानकारी भी है तो हम इसकी प्रशंसा करेंगे, यदि आप इसे बताएं। यदि आपके पास यह जानकारी नहीं है तो मैं इस पर जोर नहीं दूंगा।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, यह जानकारी मेरे पास होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : सरकार संयुक्त रूप से सभा और लोगों के प्रति उत्तरदायी है।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, यह ठीक है लेकिन मैं तो वही जानकारी दे सकता हू जो मेरे क्षेत्राधिकार में है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास यह जानकारी नहीं है तो हम इस पर जोर नहीं देंगे।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे पास दूसरे मंत्रालय की जानकारी है। उस मंत्रालय को अपना कार्य देखना चाहिए और मुझे अपना कार्य देखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी, आप प्रश्न कीजिए। अब आप जान गए हैं कि इसमें यह आसान नहीं है और कितनी पेचीदगी है। आप कृषि से संबंधित भाग पूछ सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, वह कहते हैं कि भाग (ग) उनके मंत्रालय से संबंधित नहीं है। लेकिन उन्होंने भाग (ग) का भी उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप अपनी सीमा से परे जा रहे हैं। यह आप और मेरे बीच प्रश्न-उत्तर का सत्र नहीं है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं केवल यही स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या भाग (ग) वास्तव में उनसे संबंधित है क्योंकि उन्होंने भाग (ग) का उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह जानकारी एकत्र की होगी और फिर उत्तर दिया होगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्होंने उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : निर्मल कान्त जी, अब बहुत हो गया है। मैं सदस्यों की मदद करने का प्रयास कर रहा हूं और आप इस मुद्दे को जटिल बना रहे हैं। आप ऐसा ना करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं ऐसा नहीं कर रहा।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपनी पटुता का उपयोग करके प्रश्न करना चाहते हैं तो मैं आपके अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति दूंगा। आप जानबूझ कर ही ऐसा करते हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं कभी भी ऐसा नहीं करता··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह अच्छा नहीं था। फिर भी आप प्रश्न कीजिए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, इस मामले में यह एकदम स्पष्ट है कि मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर देने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए मैं इस मुद्दे पर जोर नहीं दूंगी। मुझे यह देखकर घृणा होती है कि सरकार सूखा राहत जैसे किसी मुद्दे को इस मंत्रालय और उस मंत्रालय में विभाजित करेगी और एक सामूहिक उत्तर देने से इन्कार करेगी जो कि वे कर सकते थे। फिर भी हमारे लिए राजस्थान में यह दुर्भाग्यपूर्ण है और यही कारण है कि श्री जाखड़ का संबंध जिस सरकार से है उसके तहत हम 40 वर्षों से पीड़ित हैं।

चालू वर्ष में भी नौवें वित्त आयोग की तरफ राजस्थान सरकार के लिए कुछ आवंटन किया जा रहा है और मैं समझती हूं कि वे बहुत ही कम करके यह विचार कर रहे हैं कि हम पिछले 36 वर्षों में से 26 वर्ष की अवधि तक सूखे की स्थिति में रहे हैं। 124 करोड़ रुपये बहुत कम राशि है। 1988-89 में ही सरकार ने 900 करोड़ रुपये व्यय किए। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि क्या वह चाहते हैं कि राज्य के लिए सूखा राहत को और अधिक वास्तविक स्तर तक तुरन्त बढ़ा कर इस कमी को ठीक करें और दूसरे, क्या सरकार इन अत्यंत असाधारण परिस्थितियों के होते हुए राजस्थान को विशेष दर्जा देने पर विचार कर रही है ?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में निर्णय मेरे विभाग को नहीं लेना है क्योंकि वह तो वित्त आयोग···

अध्यक्ष महोदय : आप इसे आपूर्ति मंत्रालय के माध्यम से भेजें, वे इस पर गौर करेंगे।

श्री बलराम जाखड़ : इसके लिए वित्त आयोग गठित किया गया है और उन्होंने आपदा राहत के पूरे मुद्दे का अध्ययन किया है और राज्यों से पूर्ण विचार-विमर्श करके यह निर्णय लिया गया था कि एक निश्चित भाग का तीन-चौथाई केन्द्र सरकार और एक-चौथाई राज्य द्वारा प्रत्येक वर्ष तिमाही आवंटन के रूप में दिया जायेगा और यह राशि 84 करोड़ रुपये थी। यह निर्णय सभी सम्बद्ध पक्षों द्वारा पूर्ण विचार करके लिया गया था और 10 वर्षों का औसत लिया गया था और इसी कारण राजस्थान को 124 करोड़ रुपये मिले और मेरे पास आकड़े दर्शाते हैं कि इस वर्ष राजस्थान को लगभग 200 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके साथ पिछले वर्ष खर्च नहीं हुई राशि भी और इस वर्ष के लिए 124 करोड़ रुपये मिले हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : इससे प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय सुखी हैं कि पिछले वर्ष सूखा नहीं पड़ा और इसलिए 200 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए।

अध्यक्ष महोदय : आपको दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : मैं यह सूची उपलब्ध करा सकता हूं, इसे राज्य सरकार ने दिया है, मेरे पास यही है, मैं इसे आपको भी दे सकता हूं। इस बारे में कोई समस्या नहीं है लेकिन इस बारे में एक और वित्त आयोग द्वारा निर्णय लिया जाना है कि कितना दिया जाए और कितना नहीं (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैंने बड़ा सटीक प्रश्न किया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह आपका पहला अनुपूरक प्रश्न है या दूसरा ?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं उनसे यह पूरक प्रश्न पूछ रही हूं। (व्यवधान) महोदय, मैं मंत्री महोदय से केवल यह पूछ रही हूं कि चूंकि राजस्थान इस समय सूखे की चपेट में है अतः क्या उनका मंत्रालय इस बात की सिफारिश करेगा कि वह हमारी इस समस्या का समाधान करें जिसका हम इस समय सामना कर रहे हैं ? महोदय, यदि वह मुझे उन निर्देश पदों के बारे में जानकारी दें जिनके तहत उनके मंत्रालय का संचालन किया जाता है तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन हर बार वह उठते हैं और कहते हैं यह मुझसे संबद्ध नहीं है, यह वित्त आयोग से संबद्ध है, यह तो खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय से संबद्ध है। यदि आप मुझे केवल यह बता सकें कि निदेश पद क्या है तो मैं तदनुसार उनसे प्रश्न पूछूंगी।

अध्यक्ष महोदय : आपको भी यह जानना चाहिए कि कौन-सा मंत्रालय सूखे से निपटता है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : सूखे की चपेट में ...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें भी जानना चाहिये, आपको उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मुझे आश्चर्य है कि क्या वह निपटना चाहते हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह वह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप राजस्थान के मामले को संबद्ध मंत्रालय के पास आगे बढ़ायेंगे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, भीषण आपदा का सवाल भी आता है, और इसका हमेशा हल निकल जाता है तथा इसके लिए कई बार एक दल सूखे से हुई क्षति का पता लगाने के लिए भेजा जाता है और यदि वह क्षेत्र भीषण आपदा के अंतर्गत आता है तो उसके लिए अलग से आवंटन किया जा सकता है। लेकिन अभी यह निर्णय नहीं लिया गया है। हम एक दल भेज सकते हैं। हमने एक दल गुजरात भेजा है और एक अन्य राज्य में। उनकी रिपोर्ट आयेगी और हम राजस्थान में भी ऐसा ही दल भेजेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : ...मध्य प्रदेश और कर्नाटक को एक-एक दल भेजिए।

श्री बलराम जाखड़ : यह केवल बाद में राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय किया जा सकता है और यह इस पर भी निर्भर है कि उस सूखे की भीषणता कितनी है।

अध्यक्ष महोदय : अब दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए। उन्होंने उत्तर देते हुए कहा है कि वह एक दल राजस्थान भेजेंगे और यदि वहां कुछ और की आवश्यकता है तो इसे भी पता लगाने की कोशिश करेंगे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, इसे स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि मुझे वास्तव में इसका स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने एक अन्य प्रश्न पूछा था जिसका यह अभी तक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। राजस्थान को विशेष दर्जे के संबंध में और उसकी विशेष परिस्थितियों पर विचार करते हुए क्या आप सरकार से यह सिफारिश करेंगे कि इसे विशेष दर्जा दिया जाये शायद आप राजस्थान के हैं और यह विचार शायद बहुत अच्छा है। यहां जिस आपदा का हम प्रत्येक वर्ष सामना करते हैं उसे देखते हुए और फसल न होने के कारण जिसका कि हमें प्रत्येक वर्ष सामना करना पड़ता है क्या आप राजस्थान को विशेष दर्जा देंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : हमने हमेशा ऐसा ही किया है। 1987 और 1988 में हमने राजस्थान को 800 करोड़ रुपये दिये थे। परन्तु यहां यह एक विशेष मामला था और यदि एक दल वहां जाकर तथ्यों का पता लगाये तथा सिफारिश करे कि वहां भीषण सूखा है तो मैं इसे मंत्रिमंडल में रख सकता हूं और फिर इसे किया जा सकता है। मैं किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं दबा हूं। सारा भारत मेरा है और मैं इससे संबद्ध हूं।

[हिन्दी]

श्री अबूब खां : जनाबे सदरे मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि मंत्री राजस्थान से आते हैं और वे राजस्थान से पूरी अच्छी तरह से वाकिफ हैं·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है. अब आप पूछ सकते हैं।

श्री अबूब खां : जनाबे सदरे मोहतरम्, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि मंत्री भी राजस्थान से आते हैं और मेरे से पहले पूछने वाली हमारी राजस्थान की सदस्या ने अभी कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाया था। मेरा आपसे आग्रह है कि राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति है और 80 प्रतिशत हिस्सा अकाल की चपेट में है और राजस्थान का पशुधन चारे की कमी की वजह से बिलख रहा है। राजस्थान की जो मौजूदा सरकार है, वह किसी भी जिले में कोई कार्यवाही चालू नहीं कर पाई है।·····(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राजस्थान के पशुधन के लिए वह चारा संबंधी कोई सहायता देने का अधिकार देती है या नहीं। अकाल राहत चालू करने के लिए जो 134 करोड़ रुपया दिया है, उसमें दूसरा विशेष जांच दल भेजकर धनराशि बढ़ाने की योजना बना रहे हैं या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले जवाब दे दिया है।

श्री बलराम जाखड़ : जनाबे सदरे मोहतरम्। मैं सिर्फ इतना ही जवाब देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जहां तक फरमाया है उस हिसाब से राजस्थान के पास इस वक्त तक 202 करोड़

रुपया पहले का है और 124 करोड़ रुपया इस साल का है। अगर इस साल और जरूरत पड़ी तो मैं एक किश्त और भी उनको रिलीज कर सकता हूं। उसके लिए जरूरी है कि राज्य सरकार को कुछ कलम उठाना चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से अभी मेरे पास कोई प्रतिवेदन नहीं आया है।

[अनुवाद]

श्री मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री के वक्तव्य से यह लगता है कि जैसे बिहार द्वारा केन्द्र सरकार को राहत और केन्द्रीय सहायता के लिए कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई लेकिन यह सच है कि बिहार के अधिकांश भाग सूखे से बुरी तरह से प्रभावित हैं और बिहार राज्य को बहुत घाटा हो रहा है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यदि राज्य सरकार द्वारा अब कोई रिपोर्ट पेश की जाती है तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा कोई कदम उठाये जायेंगे और माननीय मन्त्री द्वारा इस संबंध में वहां के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता जारी की जायेगी। बिहार का दक्षिणी भाग सूखे से बुरी तरह प्रभावित है। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार राज्य में सूखे से हुई हानियों के संबंध में कोई मूल्यांकन और सर्वेक्षण कराने का विचार कर रही है।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, यह एक काल्पनिक प्रश्न है और भविष्य में क्या होगा, मैं पूर्वानुमान नहीं लगा सकता हूं।

गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए गैस

*614. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवालास :

श्री दिलीप भाई संघानी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए गैस की दैनिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या इन संयंत्रों को इनकी आवश्यकता के अनुरूप गैस की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उनकी आवश्यकता को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुम्भ कुमार) : (क) से (घ) गुजरात के गैस आधारित विद्युत केन्द्रों के लिए गैस की कुल वचनबद्धता है :

	(एम एम एस सी एम डी)
1. जी. ई. बी., धुवरन	0.42
2. जी. ई. बी., उतारन	0.70
3. ए. ई. सी., बतवा	0.40
4. जी. आई. पी. सी. ओ.	0.70
5. एन. टी. पी. सी., कवास	2.25
6. एन. टी. पी. सी., गंधार	1.50
7. जी. ई. बी., गंधार	1.50

इनमें से कुछ परियोजनाएं अभी स्थापित की जानी हैं। इस समय लगभग 1.6 एम०एम०एस०सी० एम० डी० गैस की आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान सकल जरूरत को पूरा करने में एक अड़चन गैस की वर्तमान उपलब्धता है।

गैस की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कुओं के वेधन, पाइपलाइनों का बिछाना आदि के काम में शीघ्रता कर रहा है ताकि वचनबद्धता के अनुसार जरूरत पूरी की जा सके।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी को मालूम ही है कि आज और कल हम 'कृषि' पर ही चर्चा कर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। आप न केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं बल्कि आप 10 या 15 मिनट का भाषण भी दे सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, यह क्या मजाक चल रहा है। ऐसा समझ रहे हैं जो चाहे करते रहें। मैंने आपको बता दिया कृषि मंत्रालय की मांगों पर डिसकस कर सकते हैं। ऐसे ठीक नहीं है।

श्री दत्ता मेघे : जवाब में लिखा है कि महाराष्ट्र के अन्दर कोई उत्पादन नहीं होता है।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा की कार्यवाही में विघ्न न डालें।

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : मुझे यह कहते हुए खेद है कि माननीय मंत्री ने वचनबद्धता वाले आंकड़े दिए हैं। मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि गुजरात में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए गैस की आवश्यकता कितनी है न कि कितना देने की वचनबद्धता है। वचनबद्धता तो वर्ष में 7.45 की थी और आबंटित मात्रा 1.6 है। मैं गुजरात के गैस विद्युत केन्द्रों की आवश्यकता के बारे में जानना चाहूंगी और फिर मैं अपना पूरक प्रश्न पूछूंगी। यह मेरा विशेष प्रश्न है। मैं इसके लिए एक विशेष उत्तर चाहती हूं। मैं स्पष्ट संख्या जानना चाहती हूं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : अधिकांशतया आवश्यकताओं के अनुरूप ही वचनबद्धतायें हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो अब मैं पढ़ूंगा कि वास्तव में कितना सप्लाई किया गया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप जानती हैं कि आपको इस तरह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए ? आप बाद में पूरक प्रश्न पूछ सकती हैं।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं मिलियन घन मीटर प्रतिदिन को नहीं ले रहा हूं क्योंकि यह इसमें शामिल है। ए०ई०सी० आलवा विद्युत केन्द्र की आवश्यकता 0.4 है और पूर्ति 0.3 की जाती है।

जी० ई० बी० उत्तारण की आवश्यकता 0.7 है। आपूर्ति 0.25 है।

जी० ई० बी० धुवरन को 0.50 की पूर्ण आपूर्ति की जाती है। जी० आई० पी० सी० ओ० की आवश्यकता 0.70 है, इसे 0.60 आपूर्ति की जाती है।

एन० टी० पी० सी० गन्धार और जी० ई० बी० गंधार शुरू की जाने वाली परियोजनायें हैं। इनकी प्रत्येक की आवश्यकता में 1.5 है और हमने प्रत्येक के लिए 1.5 की वचनबद्धता की है।

एन० टी० पी० सी० कवास भविष्य की परियोजना है—इस विद्युत संयंत्र को कितनी गैस की आपूर्ति की जाय यह बात अभी विचाराधीन है।

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : मुझे यह उत्तर नहीं मिला है कि आवश्यकता कितनी है। फिर भी, मैं अपना पूरक प्रश्न पूछूंगी। एन० टी० पी० सी० के 1500 करोड़ रुपये के गैस आधारित विद्युत परियोजना को भी शामिल किया गया है जहां वचनबद्धता तो 2.25 है जबकि आवश्यकता कहीं अधिक है। कैसे और कब सरकार इस अन्तर को पूरा कर पायेगी?

श्री एस० कृष्ण कुमार : एन० टी० पी० सी० कवास को गैस की आपूर्ति का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। निर्णय अभी लम्बित है क्योंकि इसमें गैस की उपलब्धता संबंधी कतिपय मुद्दे शामिल हैं। (व्यवधान)

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : अब मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछती हूं। (व्यवधान) मैं कुछ नहीं कर सकती हूं क्योंकि मुझे अपने प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं मिल रहा है। पहले पूरक प्रश्न का मुझे ठीक उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : यह आपका तीसरा पूरक प्रश्न है।

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : जी हां, लेकिन ये वे स्पष्टीकरण नहीं हैं जो मैंने मांगे थे। मैं वचनबद्धता भी पढ़ सकती हूं। मेरे पास वचनबद्धतायें हैं। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है, जिन परियोजनाओं को गैस की आवश्यकता है उन्हें किसी न किसी तकनीकी कारण से गैस नहीं दी जाती है। जैसे कि आप जानते हैं गैस उपलब्ध है लेकिन सप्लाई नहीं की जा रही है। क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकती हूं कि हजीरा से उत्तारण जो कि केवल 6 कि० मी० की दूरी है, पाइप लाइन न होने का क्या कारण है? क्या कोई योजना है जिसके अन्तर्गत यह किया जायेगा और कब तक पाइप लाइन डाली जायेगी? यही मेरा विशिष्ट प्रश्न है और मैं इसका विशिष्ट उत्तर चाहती हूं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं माननीय सदस्य को एक बार फिर यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मांग उतनी ही है जितनी क्षमता है। उन्होंने क्षमता के आधार पर आवश्यकता पूछी है। इसलिए मैंने इस प्रश्न का विशेष रूप से उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें इसे लिखित में भी भेज दें।

श्री एस० कृष्ण कुमार : जहां तक युट्रान का संबंध है, इस समय छोड़ी गई गैस की मात्रा 0.70 है और 0.25 पहले छोड़ी गई थी तथा जून, 1988 में 0.45 के लिए आश्वासन दिया गया था। ये सभी आंकड़े मिलियन घन मीटर प्रतिदिन हैं जिन्हें मैं छोड़ रहा हूं। इस अतिरिक्त गैस की पूर्ति हेतु जून, 1988 में कहा गया था। 0.45 अतिरिक्त गैस की सप्लाई के लिए 37.5 किलो-मीटर तक 16 इंच की पाइपलाइन अंकलेश्वर से युट्रान तक बिछाने की जरूरत है जिसे 7.5 करोड़ रुपये की लागत से दिसम्बर 1993 तक पूरा किया जा सकता है। यह स्थिति है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप भाई संघानी : अध्यक्ष जी, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि गैस पर आधारित विद्युत केन्द्रों को गैस देने के लिये ताप्ती हाई से केन्द्रीय सरकार ने वायदा किया और इसके लिए सरकार का पीपावाव में भूमि बिन्दु स्थापना करने का निर्णय भी था। तो सरकार इसके बारे में क्या कर रही है, क्या कदम उठाये हैं और कब काम शुरू करने वाली है। लास्ट वीक में चीफ मिनिस्टर की ओर से एक राज्य सरकार का प्रतिनिधिमण्डल पी०एम० से मिला था, उन्होंने क्या मांग की थी ? उतरान विद्युत केन्द्र तैयार हो गया है लेकिन उसको गैस नहीं दी जा रही है। इस विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया गया है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो इसके लिए केन्द्रीय सरकार कितने समय में गैस की मंजूरी देगी ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य पीपावेज का उल्लेख कर रहे हैं। सौराष्ट्र तट पर पीपावेव में स्थित विद्युत ग्रह के लिए गैस की सप्लाई के प्रश्न और इस बारे में आवश्यक कार्यवाही पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री छोटूभाई नागीन : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गुजरात में जहां गैस की उपलब्धि है और जो गैस निकल रही है, आज हम कई सालों से देख रहे हैं कि करोड़ों रुपयों की गैस जलाई जा रही है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। तो क्या इस गैस को गुजरात में विद्युत केन्द्रों का उपयोग करने के लिए भारत सरकार ने सोचा है ? क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना बनाई है, अगर बनाई है तो इस बारे में बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि गुजरात में उत्पादित सारी गैस गुजरात में ही इस्तेमाल होती है। गुजरात में गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे पास अनेक योजनाएं हैं। यह कार्यक्रम आठवीं योजना के दौरान चालू रहेगा। मेरे पास यहां पर आंकड़े हैं कि आठवीं योजना के अन्त में गुजरात में कितना उत्पादन होगा। आठवीं योजना के अन्त में 9.2 मिलिटन घनमीटर प्रतिदिन उत्पादन होगा।

जहां तक गैस जलाने से सम्बन्धित प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, यह सच है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण इस देश में उत्पादित गैस का लगभग 20 प्रतिशत भाग जलाया

जा रहा है। 1994 तक पूरे देश में गैस जलाने की मात्रा को शून्य पर लाने के लिए हमने एक अत्यंत व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है और विश्व बैंक की मदद से 7,200 करोड़ रुपये की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गुजरात राज्य में पहले ही दो विद्युत आधारित संयंत्र बेकार पड़े हुए हैं, गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है। उसके बावजूद नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन ने 1200 करोड़ रुपए का ठेका एक विदेशी कंपनी को देकर गांधार में एक नया प्रोजैक्ट शुरू करने की बात की है। जो बाकी गैस की आपूर्ति की स्थिति है, गांधार कारखाना 1993 में बनकर तैयार हो जाएगा, गैस आप 1994 में देंगे जबकि आपके दो गैस आधारित कारखाने बंद पड़े हैं तो 1200 करोड़ रुपए की पूंजी लगाने की क्या आवश्यकता थी और रात दिन एक करके तीन दिन में जो ठेका पूरा किया गया है, उसके बारे में आप जानकारी देंगे ? यह 1200 करोड़ रुपए के घोटाले की बात है। यह ठेका रातों-रात दिया गया 4 दिन के अन्दर एक विदेशी कंपनी को, यह सामान्य बात नहीं है। माननीय मंत्री जी सदन के सामने वस्तुस्थिति रखें।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : गुजरात में गैस की क्षमता के विकास हेतु अनेक योजनायें हैं। यह तो जारी रहने वाली प्रक्रिया है और ताप्ती गैस क्षेत्र के विकसित होने पर तो गुजरात में गैस उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होगी। गांधार-II परियोजना को भी सरकार की मंजूरी मिलनी है। यदि आप गुजरात में गैस के विकास की प्रक्रिया के बारे में पूछ रहे हैं तो यह एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है और हम इस पर जोर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं आया है। मैंने कहा कि क्या आवश्यकता है जब दो प्रोजेक्ट आइडल पड़े हुए हैं, तो उसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं और गैस आप दे नहीं पायेंगे, यह ठीक है लेकिन उसको आप गैस कब देंगे ? यह मामला 1200 करोड़ रुपए के घोटाले का है। चार दिन में आपके अधिकारियों ने सब ठेके दे डाले। इस ठेके में देशी कम्पनियों को अनदेखा किया है। गैस की आपूर्ति के बारे में आप बतायें।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं माननीय सदस्य की इस चिन्ता को मानता हूं, जो उन्होंने अभी-अभी दो विद्युत गृहों को गैस की सप्लाई पर दर्शाई है। सरकार का सदैव ही प्रयास रहेगा कि विद्युत उत्पादन के लिए जो निवेश किया गया है चाहे वह गुजरात में हो या किसी अन्य स्थान पर हो, उसके लिए उपयोग होने वाला माल मिलता रहे। हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रयास करेंगे कि ये विद्युत गृह गैस की कमी से प्रभावित न हों।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को 1.5 मिलियन घन मीटर गैस प्रतिदिन सप्लाई करने के संबंध में निर्णय गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमन्त्री और मेरी विस्तृत बातचीत के बाद लिया गया

था । यह निर्णय गुप्त रूप से, किसी व्यक्ति के कारण नहीं लिया गया। यह निर्णय एकदम विधिवत् लिया गया और राष्ट्रीय तथा विद्युत निगम को 1.5 मिलियन घन मीटर गैस प्रतिदिन देने का वचन दिया गया । माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिए कि इस देश में विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया में कोई घोलेबाजी नहीं हुई है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आधे घण्टे में दो प्रश्न ही हुए हैं ।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : पांच साल से गुजरात के साथ अन्याय हो रहा है।। वहां एक आंदोलन जैसा होने जा रहा है । (व्यवधान) ...बहुत अन्याय हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए । यह बात सही नहीं है । मैं बार-बार देख रहा हूं कि आप एक प्रश्न पर सभी उठकर जवाब दे रहे हैं और यह ठीक नहीं है । ऐसा नहीं होना चाहिए । जिन्होंने दूसरे प्रश्न दिए हैं उनके भी प्रश्न आने चाहिए । 35 मिनट में आप दो प्रश्न ही कर सके हैं ।

तेल भण्डारों की खोज

*615. प्रो० राम कापसे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और पश्चिम बंगाल में तेल के प्रचुर भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां खोज-कार्य शुरू करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन तेल भंडारों की खोज हेतु कार्य कब तक शुरू कर लिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) गुजरात और पश्चिम बंगाल में तेल और गैस के लिए अन्वेषण में कोई देरी नहीं हुई है। गुजरात में 1956 से प्रारम्भ तेल के लिए अन्वेषण से 1-1-1991 की स्थिति के अनुसार तेल के 768.55 मि० मी० टन के भूवैज्ञानिक भंडारों का पता लगाया गया है जिसमें से 254.57 मि० मी० टन तेल वसूली योग्य है । पश्चिम बंगाल में तेल के लिए अन्वेषण वर्ष 1949 में प्रारम्भ किया गया था और 41 अन्वेषण कुओं की खुदाई की गई है और 3 कुओं की खुदाई की जा रही है । अभी तक किसी तेल भंडार का पता नहीं चला है । दोनों राज्यों में अन्वेषण कार्य जारी है ।

प्रो० राम कापसे : हम तेल आयात पर अत्यधिक निर्भर हैं । देश को 50 लाख टन तेल की आवश्यकता है जिसमें से केवल 30 लाख टन तेल का देश में उत्पादन होता है और शेष तेल के लिए आयात पर निर्भर हैं । इसके लिए अत्यधिक विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं । क्या यह सच है कि ऐसे दावे किए गए हैं कि पश्चिम बंगाल और गुजरात के बेसिन में तेल के प्रचुर भंडार हैं जिनकी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग उपेक्षा कर रहा है ?

क्या यह भी सच है कि बंगाल की खाड़ी के अपतट से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर की लम्बाई में कार्बोनेट चट्टानों को तेल उत्पादन की संभावना के उद्देश्य से चुना गया है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, माननीय सदस्य के ये आंकड़े ठीक है लेकिन यह लाख में नहीं बल्कि मिलियन टन में है। हमारे देश में विभिन्न तलछटी बेसिनों में तेल की खोज और उत्पादन का एक कार्यक्रम है। कुछ बेसिन में तो यह बहुत है; बेसिन की विभिन्न श्रेणियां हैं। पश्चिम बंगाल दूसरी श्रेणी में आता है। खोज कार्य चल रहा है। पश्चिम बंगाल में 41 कुएं खोदे गए लेकिन उनमें अभी तक हाइड्रोकार्बन की कोई मात्रा नहीं पाई गई है।

इसी प्रकार बाम्बे हाई के निकट गुजरात में खोज कार्य की सर्वाधिक गतिविधियां चल रही हैं।

माननीय सदस्य कुछ वैज्ञानिकों के इस दावे का उल्लेख कर रहे हैं कि गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में तेल के विशाल भंडार हैं और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इन भंडारों को विकसित करने में पर्याप्त रुचि नहीं ले रहा। पहले ही पश्चिम बंगाल में 600 करोड़ तथा गुजरात में 3500 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। इस वैज्ञानिक द्वारा किए गए दावे सही नहीं पाए गए हैं और ये बहुत अस्पष्ट हैं। हम तेल के उत्पादन के लिए वैज्ञानिक आधार और तरीके के मुताबिक चलते हैं अर्थात् पहले सर्वेक्षण होता है फिर अन्वेषण एवं खोज कार्य, और फिर खुदाई करके उत्पादन किया जाता है। यह कार्य वैज्ञानिक आधार पर किया जा रहा है। गुजरात या पश्चिम बंगाल में किसी संभावित क्षेत्र की उपेक्षा का प्रश्न ही नहीं है।

प्रो० राम कापसे : हाल में तेल खोज कार्य के लिए 72 क्षेत्रों के लिए विश्वव्यापी निविदाएं जारी की गई थीं। पश्चिम बंगाल और गुजरात से इस विश्वव्यापी निविदा में शामिल किए गए क्षेत्र कौन से हैं ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, 72 खण्ड — 33 तट पर और 39 तट दूर अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए दिए गए हैं और अन्तिम बोली इस महीने के मध्य तक होने की आशा है। बंगाल के तट पर दो खंड हैं एक नादिया और हुगली जिलों में है तथा दूसरा मिदनापुर और हावड़ा जिलों में है। बंगाल के तट से दूर क्षेत्र में तीन खण्ड समुद्र में हैं लेकिन इनके नाम नहीं हैं केवल तकनीकी नाम हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि आपने दूसरे किस राज्य का उल्लेख किया था ?

प्रो० राम कापसे : यह गुजरात के बारे में है। यदि आप महाराष्ट्र पर कुछ कहना चाहते हैं तो इसका भी स्वागत है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : गुजरात कच्छ तट पर तीन खण्ड हैं जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए रखा गया है। इनके नाम उपलब्ध नहीं हैं। हमने प्रत्येक खण्ड के लिए तकनीकी संकेत दिए हैं।

श्री प्रफुल पटेल : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में हम मुख्य रूप से तेल आयात पर सर्वाधिक विदेशी मुद्रा व्यय कर रहे हैं। इस समय हमारे पास बाम्बे हाई क्षेत्र, गुजरात तथा इनके आसपास क्षेत्रों में कुछ बहुत अच्छे भंडार हैं। फिर भी हम देखते हैं कि इन कुओं से प्राप्त कच्चा तेल हमारे तेल शोधन कारखानों के लिए उपयुक्त नहीं है। अनेक लोगों को यह भी पता चला है कि इस कच्चे तेल का

अधिकांश भाग विदेशों को निर्यात किया जा रहा है और इसके एवज में हमारे तेल शोधक कारखानों के लिए उपयुक्त कच्चा तेल आयात किया जा रहा है। इसलिए अगर यह सच है तो माननीय मंत्री हमें बताएं कि क्या यहां के तेल शोधक कारखानों में परिवर्तन किए जाएंगे ताकि हमारे अपने तेल के कुओं से प्राप्त कच्चा तेल यहीं पर साफ हो जाए ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, इस समय प्रति वर्ष, लगभग 30 मिलियन टन कच्चा तेल जो देश में उत्पादित किया जा रहा है उसे हमारे तेल शोधक कारखानों में पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। केवल शेष तेल का ही आयात किया जा रहा है। निःसन्देह उत्पाद के मिश्रण और प्रौद्योगिकी के आधार पर कुछ प्रकार के तेल शोधक कारखानों के लिए विशेष प्रकार के कच्चे तेल की जरूरत पड़ती है। इसका आयात तथा भविष्य के तेल शोधक कारखानों की तकनीकी योजना में ध्यान रखा जाता है।

श्री तरित बरण तोपदार : हमारी घरेलू और औद्योगिक खपत में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने तक कितने डालर की प्राकृतिक गैस व्यर्थ जाएगी ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 48 मिलियन घन मीटर प्रति दिन है। इसे बढ़ाकर 8वीं योजना के अन्त तक 80 से 90 मिलियन घन मीटर तक करने का प्रस्ताव है। इस समय लगभग 1 1 मिलियन घन मीटर गैस व्यर्थ जलाई जा रही है। 10 मिलियन बुनियादी ढांचा न होने के कारण जलाई जा रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम गैस जलाने को कम करने की एक वृहत परियोजना सहित अनेक विकास कार्यक्रम शुरू करके 1994-95 के वित्तीय वर्ष के अन्त तक गैस जलाने की मात्रा शून्य पर लाने की आशा करते हैं।

श्री तरित बरण तोपदार : इससे कितने डालर का नुकसान हो रहा है ?

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

*616. श्री राम टहल चौधरी :
श्री चाइल जान अंजलोच :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर करने संबंधी, राज्य-वार, कितने आवेदन पत्र इस समय लम्बित पड़े हैं;

(ख) इनके लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम लाल राही) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन 1980 के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तारीख 31-3-1982 थी। निर्धारित तारीख तक प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों पर विचार किया गया तथा उनका निपटान किया गया। तथापि, निर्धारित तारीख के बाद भी नए आवेदन-पत्र प्राप्त होने जारी हैं। ये "विलम्ब से प्राप्त" आवेदन-पत्र हैं तथा जब तक इनके साथ भोगी गई यातनाओं के समर्थन में सरकारी रिकार्ड से दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न न किए गए हों, उन्हें सीधे अस्वीकृत कर दिया जा सकता है। 1-4-1992 को विलम्ब से प्राप्त हुए 9,387 आवेदन-पत्र लम्बित हैं। इनकी राज्यवार स्थिति के बारे में एक अनुबंध संलग्न है।

अपूर्ण सूचना, भोगी गई यातना के बारे में सरकारी रिकार्ड से दस्तावेजी साक्ष्य का प्रस्तुत न किया जाना, राज्य सरकारों की सिफारिशों का प्राप्त न होना, इन आवेदन-पत्रों के लम्बित पड़े रहने के मुख्य कारण हैं।

आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

अनुबंध

1 अप्रैल, 1992 को लम्बित आवेदनों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	लम्बित
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	5426
2.	असम	51
3.	बिहार	796
4.	गुजरात	105
5.	गोवा	14
6.	हरियाणा	52
7.	हिमाचल प्रदेश	43
8.	जम्मू और कश्मीर	—
9.	कर्नाटक	1639
10.	केरल	65
11.	मध्य प्रदेश	77
12.	महाराष्ट्र	764
13.	मणिपुर	—
14.	मेघालय	—
15.	मिजोरम	—
16.	नागालैण्ड	—
17.	उड़ीसा	52
18.	पंजाब	36
19.	राजस्थान	30
20.	तमिलनाडु	99

1	2	3
21.	त्रिपुरा	11
22.	उत्तर प्रदेश	57
23.	पश्चिम बंगाल	23
24.	चण्डीगढ़	9
25.	दिल्ली	27
26.	पांडिचेरी	11
27.	आई०एन०ए०	—
28.	अरुणाचल प्रदेश	—
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—
	जोड़	9387

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के उत्तर में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन 1980 के अधीन 31-3-82 तक आवेदन पत्र देना था और उसमें उन्होंने जवाब दिया है कि सभी को हमने कर दिया है। 1982 के बाद से उन्होंने बताया है कि 1992 तक 9,387 आवेदन पत्र अभी लम्बित हैं। इसमें पहले बहुत से पेंशनधारियों को देने में गड़बड़ी हुई है। जितने आवेदन पत्र अभी लम्बित हैं उनको काफी परेशान किया जाता है, इसलिए ईमानदारी से सारे आवेदन पत्रों को, चाहे राज्य सरकार के यहां लम्बित हों या उनके आवेदन पत्र में कोई कमी हो, समय निर्धारण करके और विशेष अभियान चलाकर सरकार लम्बित आवेदन पत्रों का निपटारा कब तक करना चाहती है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री राम लाल राही : जो लम्बित आवेदन पत्र हैं उन पर शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही है परन्तु आवश्यक सबूत न होने के कारण राज्य सरकारों से रिपोर्ट मंगानी पड़ती है और राज्य सरकारों से रिपोर्ट आने में ही विलंब होता है। हमारे यहां कोई विलंब नहीं हो रहा है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहूंगा, आवेदन पत्रों को शीघ्रता से निपटाने के लिए कई बार विशेष अभियान चलाए गए हैं। अब जो आवेदन पत्र हैं वे ज्यादा संख्या में नहीं हैं, सौ हजार कुछ हैं। इसलिए इसके लिए कोई विशेष अभियान चलाने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी से इनको दिखवा रहे हैं और सबूत आने पर उनका जल्दी निपटारा हो जाएगा।

श्री राम टहल चौधरी : मंत्री जी को कुछ समय तो बताना चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न है, जिस पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है उनकी विधवाओं को पेंशन देने का प्रावधान है या नहीं और यदि है तो कितने लोगों को अभी तक दिया जा चुका है? ऐसी कितनी विधवाओं के आवेदन पत्र सरकार के पास लम्बित हैं? उनको देने पर सरकार विचार कर रही है या नहीं?

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष महोदय, जिन स्वतंत्रता सेनानियों का देहावसान हो गया है उनके परिवार से संबंधित विधवाएं जितने आवेदन पत्र दे रही हैं, सबको स्वीकार किया जा रहा है। इस वक्त 699 आवेदन पत्र हमारे पास लम्बित पड़े हैं जिनकी रिपोर्ट मांगी गई है। ज्यों-ज्यों रिपोर्ट आ जाती है, हम उन पर निर्णय करते जाते हैं।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : वास्तव में, विलम्ब का एक कारण यह है कि विधवाओं के सभी आवेदन पत्र दिल्ली आते हैं। इसीलिए हम मंजूरी के लिए आवेदन दिल्ली में मंगवाने के स्थान पर समाहर्ताओं को शक्तियां प्रत्योजित करने का विचार कर रहे हैं।

श्री थाइल जॉन अंजलोज : केरल में अनेक संघर्ष हुए थे जो स्वतंत्रता संग्राम का ही एक हिस्सा थे। उनमें से एक केरल में हुआ पुन्नापरा—वायालार संघर्ष है जिसमें दमन करने वाले शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दी थी। राज्य सरकार ने अनेक बार अनुरोध किया है कि जिन व्यक्तियों ने पुन्नापरा—वायालार संघर्ष में हिस्सा लिया था उन्हें भी स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन दी जाए। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मुद्दे पर विचार करेगी और उन व्यक्तियों को पेंशन देगी जिन्होंने उस संघर्ष में भाग लिया था।

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक इस श्रेणी का संबंध है इसे अभी तक स्वतंत्रता संघर्ष नहीं माना गया है इसीलिए किसी प्रकार की पेंशन को मंजूरी देना कठिन होगा।

[हिन्दी]

श्री राम लखन सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्य स्तर पर जो दिक्कतें आती हैं, वहां देर होती है। क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि राज्य स्तर से कितनी एप्लीकेशन्स बिहार से मंजूर होकर आई हैं और उसमें से कितनो पेंडिंग रह गई ? स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को तुरन्त पेंशन मिलनी चाहिए। पहले यह नियम था कि एफिडैविट दाखिल करने के बाद राज्य स्तर पर ही उन्हें पेंशन मिल जाती थी, लेकिन अब तबदीली कर दी गई है जिसके कारण विधवाओं को यहां दौड़ना पड़ता है। उसमें उनका हजारों-हजार रुपया लग जाता है। मैंने मंत्री महोदय को कल भी लिखा है कि कृपा करके विधवाओं को न बुलाइये और उनको वहीं उसी स्तर पर, जब एफिडैविट दाखिल किया हो तो, पेंशन दीजिए। आखिर, वहां देने में क्या एतराज है ?

श्री राम लाल राही : केवल बिहार ही नहीं, किसी भी राज्य की विधवाओं को यहां बुलाने का न कोई इस तरीके का निर्देश है और न ही प्रावीजन है। विधवाओं के आवेदन-पत्र जब आते हैं तो आवश्यक सबूत होने पर उसे सैंक्शन कर दिया जाता है। अगर कोई कमी होती है तो उसके लिए रिपोर्ट मांगी जाती है (**व्यवधान**)...

श्री राम लखन सिंह यादव : राज्य स्तर पर ही कलेक्टर के यहां उनको पेंशन मिल जानी चाहिए। जैसा कि पहले नियम था... (**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : चर्चा मत कीजिए। इन्हें सवाल का जवाब देने दीजिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अभी उत्तर दे दिया है कि डिमैंटरलाइज कर रहे हैं।

श्री राम लाल राही : मैं जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि बिहार के मामले में अभी तक 796 केस हमारे पास विचाराधीन हैं। इसमें विधवाओं का भी शामिल है।

[अनुवाद]

महिलाओं पर अत्याचार

*617. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
डा० लाल बहादुर राजल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इन अत्याचारों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने अन्य क्या कदम उठाये/उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) महिलाओं पर होने वाले अपराधों की रोकथाम करने और उनका पता लगाने के लिए कारगर उपाय करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं। पुलिस और जिला तथा पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर कार्रवाई करने के बारे में भी अनुदेश जारी किए गए।

(घ) महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय :

1. दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को, इसके उपबंधों को और कड़ा तथा प्रभावशाली बनाने के लिए वर्ष 1984 और 1986 में संशोधन किया गया है। अधिनियम में और संशोधन करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

2. विवाहित महिलाओं पर अत्याचार के मामलों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए आपराधिक कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन किया गया है।

3. दहेज के कारण होने वाली मौतों से संबंधित मामलों की पुलिस उप-अधीक्षक के रैंक से कम रैंक के अधिकारी द्वारा जांच-पड़ताल न किए जाने के स्थायी अनुदेश जारी किए गए हैं। यह जरूरी है कि शव-परीक्षा दो डाक्टरों के एक दल द्वारा की जाए तथा बिना शव-परीक्षा के शव का निपटान न किया जाए।

4. महिलाओं से संबंधित विद्यमान कानून की कमियों को दूर करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा उपाय किए गए हैं। महिलाओं से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है तथा महिलाओं के उत्थान संबंधी कार्यों में लगे हुए संगठनों को सहायता दी जा रही है।

5. महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कराने के लिए सरकार तथा महिलाओं के स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। दहेज जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ इलेक्ट्रानिक मीडिया कार्यक्रमों के माध्यम से जन सम्पर्क अभियान आयोजित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में सरकार के जो आंकड़े हैं, वे पूरी कहानी नहीं कहते हैं। दुर्भाग्य से इस देश में लोक-लाज के डर से इस तरह के अत्याचारों की पूरी रिपोर्ट नहीं लिखायी जाती है। वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि कुछ कदम उठाये गए हैं, नये कानून बने हैं, पुराने कानूनों में संशोधन किया गया है, महिला आयोग का गठन किया गया है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि ये अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं ? क्या इसका कारण यह है कि कार्यान्वयन नहीं हो रहा उन कानूनों का, जो कानून महिलाओं की मदद के लिए बनाए गए हैं। क्या यह सच है कि अभी भी अगर औरतों को गिरफ्तार करना हो तो पुलिस के लिए महिला पुलिस को ले जाना जरूरी नहीं है ? क्या यह सच है कि पुलिस इस निर्देश का पालन नहीं करती है कि अगर रात में किसी औरत की गिरफ्तारी की जरूरत है तो उसे रात में गिरफ्तार नहीं किया जायेगा, उसे सबेरे गिरफ्तार किया जाएगा, रात में उसे पुलिस की हवालात में नहीं रखा जाएगा। क्या गृह मंत्री जी को मालूम है कि इन हिदायतों का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है और अगर पुलिस खुद महिलाओं की रक्षा में योगदान नहीं देगी और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगी तो वह पुलिस अन्य नागरिकों को, जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, किस तरह से काबू में ला सकती है, रास्ते पर ला सकती है ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार बढ़ रहे हैं। पिछले एक दशक में इसमें 104% वृद्धि हुई है। अतः मुख्य बात यह सोचने की है कि महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाना है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि महिलाओं को किस प्रकार और समर्थ बनाया जा सकता है तथा कैसे

उनकी स्थिति सुधारी जा सकती है। मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और यह विषय राज्य का विषय है और राज्य ही इस पर निगरानी रखता है। हमने उन्हें अनुदेश दे रखे हैं।

इसके अलावा महिला और बाल कल्याण विभाग ने भी कुछ कानून बनाए हैं। दहेज निषेध अधिनियम और स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। महिला और बाल कल्याण विभाग ने मुझे ऐसा ही बताया है। सती होना, महिलाओं को अशोभनीय तरीके से चित्रित करना, नारी देह के ऐसे प्रदर्शन को रोकना, जिससे सार्वजनिक नैतिकता भ्रष्ट हो सकती है, इन सभी बातों की भी समीक्षा की जा रही है। अतः इस संबंध में पूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। मैं प्रश्नकर्ता के इस मत से सहमत हूं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को कम किया जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की बात कही है। लेकिन इसकी रचना इस प्रकार की है कि यह सत्ताधारी दल का आयोग लगता है जिसमें केवल एक ही सदस्य सी० पी० आई० (एम०) का है तथा अन्य सभी सदस्य या तो कांग्रेस के हैं अथवा वे सदस्य हैं जिनका कांग्रेस के प्रति झुकाव है। यह राष्ट्रीय आयोग है। क्या माननीय गृह मंत्री इसे वास्तव में राष्ट्रीय आयोग बनाएंगे ? क्या इस आयोग में सभी विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा ?

श्री एम० एम० जैकब : वास्तव में, इस समय तो मुझे मालूम नहीं कि इसके सदस्यों की राजनीतिक संबद्धताएं क्या हैं (व्यवधान) लेकिन इस बारे में मैं जांच करूंगा। (व्यवधान) साथ ही, एक बात बिल्कुल निश्चित है कि वे सभी महिलाएं हैं। (व्यवधान)

मेरा माननीय सदस्य से कहना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य कार्य क्षेत्र स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलता है। इस देश में विभिन्न राजनीतिक दलों और गैर-राजनीतिक दलों द्वारा चलाए जा रहे अनेक स्वयंसेवी संगठन हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग इन स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से अपना कार्य कर रहा है। अतः माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त आशंका का निवारण स्वयंसेवी संगठनों की मौजूदगी से ही हो जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ० लाल बहादुर राकेश : अध्यक्ष महोदय, यह तो सही है कि महिलाओं के ऊपर पुरुषों के द्वारा ज्यादा अत्याचार होते हैं लेकिन यह भी सही है कि महिलाओं के ऊपर महिलाओं द्वारा भी अत्याचार होते हैं। मेरे सामने कई महिलाएं आईं और उन्होंने अपनी व्यथा कथा मेरे सामने रखी। उसमें जो बड़े-बड़े शहरों में महिला स्वयंसेवी संगठन चल रहे हैं, उनके माध्यम से बहुत से अत्याचार होते हैं। जो पीड़ित महिलाएं उन संगठनों में आती हैं और अपनी व्यथा कहती हैं, उनकी व्यथा को सुनने के उपरान्त उन संगठनों की महिलाओं द्वारा उन महिलाओं को तरह-तरह से मजबूर किया जाता है, यथा उस संगठन का मैम्बर बनने के लिए अगर वह मजबूरी दिखाती है तो उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनको भड़काया जाता है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस तरह के तथाकथित संगठनों के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने का सरकार कोई विचार करती है।

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, यदि माननीय सदस्य किसी घटना विशेष का उल्लेख करें तो मैं उस पर कार्यवाही कर सकता हूं, अन्यथा मैं कोई कार्यवाही नहीं कर सकता।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। अनेक अधिनियम पारित किए जाने हैं अथवा उनमें संशोधन किया जाना है। लेकिन फिर भी हम इन अधिनियमो का क्रियान्वयन देखते है तब आम राय यही होती है कि अत्याचार दिन-प्रतिदिन बढ रहे हैं। मेरे विचार से प्रश्न के पहले भाग का उत्तर भी 'जी हां' है। अत: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि इस देश में, विशेष रूप से केरल में, महिलाओं पर अत्याचार की प्रतिशतता कितनी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आंकड़े नहीं मांगें। मैं नहीं जानता कि उनके पास आंकड़े उपलब्ध हैं या नहीं।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या इस देश में महिला अपराधियों की संख्या भी बढ़ रही है या नहीं।

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, जितने कुल संज्ञेय अपराधों की तुलना में महिलाओं के प्रति अत्याचार के अपराधों की संख्या इस समय केवल 1% है। इसमें 0.77% से 1% तक की वृद्धि हुई है। केरल के बारे में भी मेरे पास आंकड़े हैं। केरल में महिलाओं पर अत्याचार के मामले 1.8% हैं।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : मैंने यह पूछा है कि क्या महिला अपराधियो की संख्या भी बढ़ रही है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों की संख्या बढ़ रही है या नहीं।

श्री एम० एम० जैकब : महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार और महिलाओं द्वारा अपराध, दोनों ही बढ़ रहे हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मेरा प्रश्न विशेष रूप से गृह मंत्रालय से सम्बन्धित है। महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराध में महिलाओं तथा विशेष रूप से लड़कियों का व्यापार किया जाना है। यह बात सार्वजनिक रूप से सामने तब से आने लगी है जब गत वर्ष हैदराबाद की अमीना नामक लड़की को ले जाया जा रहा था। उस समय हममें से कुछ सदस्यों ने गृह मंत्रालय से कहा था कि वह राज्यों के साथ परामर्श करे कुछ उपाय करे ताकि महिलाओं और बच्चों का व्यापार करने वाले अन्तर्राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय गिरोहों को समाप्त किया जा सके। मैं मन्त्री जी को अपनी वह अपील याद करवानी चाहती हूं और मैं उनसे यह पूछना चाहती हूं कि क्या वह लड़कियों और महिलाओं के व्यापार में शामिल इन गिरोहों का पर्दाफाश करने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके कुछ कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं और क्या इन गिरोहों को समाप्त करने के लिए अपराधियों को पकड़ने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे।

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, महिला और बाल विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। अमीना का मामला उसके अन्तर्गत आता है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या वह इस सम्बन्ध में विशेष उपाय करने पर विचार करेंगे।

श्री एम० एम० जैकब : माननीय सदस्या ने जो दूसरा मुद्दा उठाया है उसके बारे में गृह मन्त्रालय को जानकारी है। हम कड़े कदम उठा रहे हैं और हमने राज्य सरकारों के साथ भी संपर्क किया हुआ है। हम और अधिक प्रभावी कदम उठाएंगे।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मेरा यह निवेदन है कि यह अभ्यावेदन मुझे प्राप्त हुआ था और यह हमने आंध्र प्रदेश सरकार को भेज दिया है और मैं इस बारे में माननीय सदस्या से पूर्णत: सहमत हूं। हमें ऐसे उपाय खोजने हैं जिनसे महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार करने वाली एजेंसियों का पर्दाफाश किया जा सके।

श्रीमती बिल कुमारी भण्डारी : महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री कुमारी ममता बैनर्जी के उन प्रयासों की प्रशंसा करती हूं जिनके द्वारा उन्होंने विधिक शक्तियों अर्थात् पुलिस बस, जो महिलाओं के प्रति अत्याचारों के मामलों पर कार्यवाही करता है, को संवेदनशील बना दिया है। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या यह संभव नहीं है कि इस विधिक तन्त्र की उदासीनता के कारण महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामले बढ़े हैं। यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के लिए वे कौन से उपाय कर रहे हैं।

श्री एम० एम० जैकब : जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, यह विषय राज्य का विषय है। हम केवल इसकी निगरानी करते हैं तथा साथ ही विभिन्न राज्यों को अनुदेश देते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यह विधिक तन्त्र पूर्णत: प्रभावहीन है। लेकिन ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें सुदृढ़ किया जाना है। इसी-लिए मैंने कहा है कि कुछ कानूनों की समीक्षा की जा रही है और कुछ में संशोधन किया जा रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

तुर्की के भूकम्प पीड़ितों को सहायता

*618. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :
श्रीमती बिल कुमारी भण्डारी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने तुर्की में हाल ही में आए भूकम्प से पीड़ित लोगों को सहायता देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कैसी, कितनी तथा कितने मूल्य की सहायता दी जाएगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने तुर्की में हाल ही में आए भूकम्प पीड़ितों के लिए 75 लाख रुपए की राहत सामग्री देने का निर्णय किया है। इस सामग्री में दवाईयां और कम्बल शामिल होंगे।

बीजों का आयात

*619. **श्री मोहन सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यक्तियों/संगठनों द्वारा खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत सूचीबद्ध विभिन्न किस्मों के बीजों के आयात के लिए सरकार द्वारा क्या नियम तथा मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) क्या व्यक्तियों/संगठनों द्वारा आयात किए जाने हेतु विभिन्न बीजों की न्यूनतम/अधिकतम मात्रा निर्धारित की गई है; और

(ग) इन बीजों का आयात किन-किन देशों से किया जा सकता है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) 31 मार्च, 1992 को नई आयात तथा निर्यात नीति की घोषणा की गई जो 1 अप्रैल, 1992 से मार्च 1997 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध है। इस नीति के संबंध में बीजों के आयात के लिए दो प्रावधान हैं, अर्थात्

(1) (i) सब्जियों, फूलों और पौधों के बीज, कन्दमूल तथा फूलों के बल्ब

(ii) फूलों की कलम, पौध, बडऊड आदि

(2) पौध, बीज तथा अन्य पौध सामग्री।

2. क्रम सं० (1) में उल्लिखित बीजों का मुक्त रूप से आयात किया जाता है। क्रम सं (2) में उल्लिखित बीजों का आयात कृषि और सहकारिता विभाग की सिफारिश पर जारी किए जाने वाले विशिष्ट आयात लाइसेंस पर किया जाता है, जो पी०क्यू०एफ०एस० विनियमों के अधीन होता है।

(ख) परीक्षण के प्रयोजन के लिये आयातित बीजों की कुछ मात्रा का निर्धारण कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दे दिया गया है।

(ग) उन देशों के संबंध में, जिनसे आयात की अनुमति नहीं है, कुछ संगरोध संबंधी प्रतिबन्ध समय-समय पर लगाए जाते हैं। निषेधित देशों की वर्तमान सूची संलग्न विवरण-II में है।

विवरण-I

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संवर्धन परीक्षणों तथा साथ ही साथ पात्र आयातकों द्वारा सस्य विज्ञानीय परीक्षणों के लिए आयात हेतु अनुज्ञेय बीज की अधिकतम मात्रा

क्रमांक	फसल का नाम	आयात के लिए अनुज्ञेय मात्रा जिसे संवर्धन परीक्षणों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को उपलब्ध कराया जाता है। (कि०ग्रा० में)	आयातक द्वारा साथ ही साथ सस्य विज्ञानीय परीक्षणों के लिए अनुज्ञेय मात्रा (कि०ग्रा० में)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संवर्धन परीक्षणों तथा आयातक द्वारा सस्यविज्ञानीय परीक्षणों के लिए अनुज्ञेय बीज की कुल मात्रा (कि०ग्रा० में)
1	2	3	4	5
1.	बाजरा	2.0	3.0	5.0
2.	ज्वार	4.0	6.0	10.0
3.	मक्का	10.0	10.0	20.0
4.	छोटे कदन्न	4.0	6.0	10.0
5.	चना	30.0	70.0	100.0
6.	मटर	30.0	70.0	100.0
7.	अरहर	6.0	14.0	20.0
8.	मूंगबीन	6.0	14.0	20.0
9.	उड़दबीन	6.0	14.0	20.0
10.	लोबिया	10.0	20.0	30.0
11.	मसूर	10.0	20.0	30.0
12.	राजमा/फिल्डबीन	30.0	20.0	50.0
13.	तोरिया-सरसों	2.0	3.0	5.0
14.	तिल	2.0	3.0	5.0
15.	अलसी	10.0	15.0	25.0
16.	सूरजमुखी	4.0	6.0	10.0
17.	कुसुम	4.0	6.0	10.0
18.	सोयाबीन	20.0	55.0	75.0
19.	अरंडी	6.0	9.0	15.0
20.	रामतिल	4.0	4.0	8.0

विवरण-II

क्रमांक	पौद/बीज और प्रसार सामग्रियां	देश जिनसे आयात निषिद्ध है
1.	कोको तथा स्टरकुलियासी और बोम्बाकेसी के किस्मों की सभी प्रजातियां	वेस्ट इंडीज, अफ्रीका और श्रीलंका
2.	काफी बीन	श्रीलंका
3.	रबड़ (हेविया की सभी प्रजातियां)	अमेरिका और वेस्ट इंडोज
4.	गन्ना (साकारम की सभी प्रजातिया)	फिजी, न्यू गिनी आस्ट्रेलिया, फिलिपीन
5.	सूरजमुखी (हेलियान्थस की सभी प्रजातियां)	अर्जेन्टीना, पेरू

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस के लिए समान दरें

*620. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक गैस के लिए देश भर में समान मूल्य निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) कूप-मुहाना/उतराई स्थल पर प्राकृतिक गैस की मूल कीमत दिनांक 1-1-1992 से 1550 रुपए प्रति 1000 घन मीटर निर्धारित की गई है। एच०बी०जे० पाइप लाइन के साथ 850 रुपए प्रति 1000 घन मीटर अतिरिक्त लिए जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1000 रुपए प्रति 1000 घन मीटर की रियायती कीमत है और मामला दर मामला के आधार पर 400 रुपए प्रति 1000 घन मीटर की और अधिक छूट है। मूल कीमत के अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को परिवहन प्रभार देना होता है जो अलग-अलग इकाइयों में अलग-अलग होता है।

[अनुवाद]

कावेरी नदी के बेसिन में जल में मशीनी ढांचों का बनाया जाना

*621. **श्री पी०पी० कालियापेरुमल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी नदी के बेसिन में जल में मशीनी ढांचों को बनाने की गति धीमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) कावेरी अपतटीय क्षेत्र में अन्वेषण वेधन वर्ष 1977 में आरम्भ हुआ। 19 प्रासपेक्टों पर 42 अन्वेषण कूपों की खुदाई की गई है। क्रमशः जुलाई, 1980 और अगस्त, 1981 में पी०वाई०-1 और पी०एच०-9, दो छोटे और अत्यल्प तेल और गैस की खोज की गई थी। सर्वाधिक संभावनायुक्त तेल वाली संरचना, पी०वाई०-3 की खोज अगस्त, 1988 में की गई थी। बोली के चौथे दौर के अन्तर्गत इस तेल क्षेत्र समेत एक ब्लाक को अन्वेषण और दोहन के लिए निजी भारतीय और विदेशी कम्पनियों को आफर किया गया है।

पान के पत्तों की फसल

*622. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पान के पत्तों की फसल में कोई रोग लग जाने के कारण इसके किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रोग की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं/करने का विचार किया है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बालासोर जिला के जलेश्वरपुर तथा भोगराई क्षेत्रों में पान की बेलों पर रोग का प्रकोप देखा गया। तथापि पश्चिम बंगाल सरकार ने पान की बेलों पर किसी गंभीर रोग के प्रकोप की सूचना नहीं दी है।

(ग) उड़ीसा के मामले में कीट/रोग प्रबंध के संबंध में प्रशिक्षण गोष्ठियां तथा प्रचार करके तथा फफूंदीनाशकों से रोगग्रस्त बेल-वाटिकाओं का उपचार करके तथा पान के उत्पादकों को अपेक्षित रक्षण रसायन की आपूर्ति करके पान की बेलों पर लगने वाले रोग के नियंत्रण के लिए बालासोर जिले में एक विशेष अभियान चलाया गया था।

तेल के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश

*623. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तेल के क्षेत्र में विदेशी पूंजी-निवेश के संबंध में कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) किन-किन विदेशी कम्पनियों ने इस संबंध में अपने प्रस्ताव भेजे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) यद्यपि कुछ विदेशी कम्पनियों ने शोधन, अन्वेषण, उत्पादन आदि सहित तेल क्षेत्र की परियोजनाओं में भागीदारी में अभिरुचि प्रदर्शित की है, ऐसे अनुरोधों पर निर्णय मामले दर मामले के आधार पर लिए जाते हैं।

प्रधान मंत्री की मारीशस यात्रा

*624. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में मारीशस की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो मारीशस के नेताओं के साथ किन-किन द्विपक्षीय तथा बहु-पक्षीय मामलों पर चर्चायें हुईं; और

(ग) इनके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कुलदीप फैलोरो) : (क) जी हां।

(ख) प्रधान मंत्री ने मारीशस के प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की जिसमें हमारे द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अनेक मामलों पर विचार-विमर्श हुआ।

(ग) इस चर्चा के फलस्वरूप भारत और मारीशस के बीच विद्यमान अत्यन्त घनिष्ठ संबंधों की पुनः पुष्टि हुई तथा वे समेकित हुए।

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा धन का दुरुपयोग

*625 **श्री नरेश कुमार अग्रवाल**
श्री बलराज पासी :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को जिन स्वयंसेवी संगठनों के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान धन का दुरुपयोग करने की शिकायतें मिली हैं उनका राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र सं०	संगठन का नाम	शिकायत का स्वरूप तथा की गई कार्रवाई
1	2	3
	दिल्ली	
1.	राष्ट्रीय शोधित परिषद, नई दिल्ली	कुछ वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों की विभागीय जांच की गई थी। वर्ष 1991-92 के लिए अनुदान रोक दिए गए हैं।
2.	श्री विनायक एजूकेशनल सोसायटी, दिल्ली	शिकायत यह थी कि सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मुक्त अनुदान राशि को अपने व्यक्तिगत खाते में जमा कर दिया गया।
		विभागीय जांच की गई है तथा संगठन से प्राप्त स्पष्टीकरण की जांच हो जाने तक, वर्ष 1991-92 हेतु अनुदान की दूसरी किस्त की निर्मुक्ति रोक दी गई है।
3.	समाज सेवा संघ, दिल्ली	18-12-91 को भारतीय समाज सेवक समिति, दिल्ली के अध्यक्ष से, निधियों के दुरुपयोग के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच की गई और शिकायत सिद्ध नहीं हुई।
4.	हरिजन सेवक संघ, दिल्ली	अक्तूबर, 1989 में, संघ के भूतपूर्व कार्यकर्ताओं से संगठन में भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच की गई। शिकायत सिद्ध नहीं हुई।
	हिमाचल प्रदेश	
5.	हिमाचल प्रदेश स्टेट काउन्सिल फार चाईल्ड वैल्फेयर, शिमला	(क) समाचारपत्रों में ये शिकायतें प्रकाशित हुईं कि एक निजी फर्म को परिषद द्वारा 21.30 लाख रुपये का ठेका देकर अनुचित लाभ प्रदान किया गया है।
		(ख) परिषद ने एक मशीन की खरीद समुचित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना ही कर ली थी। यह मशीन उपयोग में भी नहीं है।
		(ग) रोजगार कार्यालयों को सूचना दिए बिना ही, नियुक्तियां।

1	2	3
		(घ) परिषद के वाहन का चुनाव अभियान में उपयोग । हिमाचल प्रदेश सरकार के सतर्कता विभाग ने राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।
राजस्थान		
6.	राजस्थान महिला बाल विकास समिति	राजस्थान राज्य सरकार ने बताया है कि उनके द्वारा दी गई एक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर इस संगठन का नाम काली सूची में दर्ज कर दिया गया है । अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संगठन को कोई सहायता अनुदान निर्मुक्त नहीं किया जाना चाहिए । अनुदानों की विमुक्ति रोक दी गई है ।
तमिलनाडु		
7.	क्रिश्चियन फाउण्डेशन फार द ब्लाइण्ड इंडिया, मद्रास	श्री सीरिल फर्नाण्डीज नामक व्यक्ति से, जो इस संगठन में एक लेखाकार होने का दावा करता है, एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि इस संगठन में भ्रष्टाचार और गोलमाल है । तमिलनाडु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह स्थिति की रिपोर्ट भेजे ।
उत्तर प्रदेश		
8.	काशी क्लब, वाराणसी	निधियों के दुरुपयोग के बारे में इस संगठन के विरुद्ध श्री ए०एस० मिश्रा नाम के एक व्यक्ति से एक शिकायत प्राप्त हुई थी । उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई विस्तृत जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसकी जांच की जा रही है ।
नागालैंड		
9.	बैपेस्डा यूथ वैल्फेयर सेन्टर, दीमापुर	इस संगठन के कार्यकरण के विरुद्ध श्री डिली सोलोमन और 5 अन्य व्यक्तियों से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, भाई-भतीजावाद, वाहन के दुरुपयोग, नियमों और विनियमों के अभाव, मानों से कम भुगतान आदि के आरोप लगाए थे ।

1	2	3
		राज्य सरकार द्वारा जांच करने पर कुछ आरोप सही पाए गए हैं और संगठन का कार्य निष्पादन बहुत संतोषजनक नहीं पाया गया है। अतः यह निर्णय लिया था कि राज्य सरकार को अपने अधिकारियों में से एक अधिकारी को परियोजना निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए कहा जाना चाहिए। ऐसा किया जा चुका है।
बिहार		
10. बिहार रिहैबीलिटेशन एंड वैलफेयर इंस्टीच्यूट, पटना		वर्ष 1992-92 के दौरान अनियमितताओं के विरुद्ध एक शिकायत श्री अशोक सहगल, कार्य निदेशक, बिहार रिहैबीलिटेशन एंड वैल्फेयर इंस्टीच्यूट द्वारा की गई थी।
		बिहार राज्य सरकार के अनुसार जिन्हें जांच करने का अनुरोध किया गया था, इस संगठन के कार्यकरण में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है।
पश्चिम बंगाल		
11. हरिजन सेवक संघ, हावड़ा		एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि संगठन के सचिव इस संगठन को दी गई संगठनात्मक सहायता का गबन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से, जिन्हें रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
		पिछले तीन वर्षों से इस संगठन को सहायता अनुदान रोक दिया गया है।
12. सैन्टर फार साईकोलाजिकल ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कलकत्ता		जून, 1989 में, इस केन्द्र के कार्यकरण के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कर्मचारियों को कम वेतन का भुगतान किया गया है और अन्य अनियमितताएं भी हैं। 9-8-89 को एक अन्य शिकायत प्राप्त हुई थी।
		राज्य सरकार द्वारा अपने 27-9-89 के पत्र के माध्यम से अपनी रिपोर्ट भेजी गई और रिपोर्ट की जांच करने पर यह पाया गया कि आरोप सिद्ध नहीं हो सके। तदनुसार रोके गए अनुदान विमुक्त कर दिए गए।

1	2	3
13.	बंगाल एस०सी०/एस०टी० डैवेल्पमेंट सोसायटी, पश्चिम बंगाल	निधियों के दुरुपयोग के संबंध में, मंडलपाडा पश्चिम बंगाल के निवासियों से दिनांक 5-12-91 की शिकायत 24-12-91 को प्राप्त हुई थी। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग कलकत्ता के माध्यम से जांच की गई थी और शिकायत सिद्ध नहीं हुई।

[हिन्दी]

गुजरात की तेल योजनाएं/परियोजनाएं

*626. **श्री काशीराम राणा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की विभिन्न तेल योजनाएं/परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के प्रस्ताव गुजरात सरकार से किन-किन तारीखों को प्राप्त हुए थे;

(घ) इन्हें स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं/योजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) : केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में गुजरात से संबंधित निम्नलिखित परियोजनाएं विचार के विभिन्न चरणों में हैं :—

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	प्रस्तावित सुविधाएं
1	2	3
(1) गंधार क्षेत्र के विकास (चरण-II) से संबंधित तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की परियोजना	428.34 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा घटक सहित 1245.62 करोड़ रुपए	203 अतिरिक्त विकास कूपों का खनन और पूरा करना, तेल और गैस सतह सुविधाओं की स्थापना, रख-रखाव और अलग करने की सुविधाएं, जल और गैस अंत:क्षेपण द्वारा दबाव कायम रखने की सुविधाएं आदि।
(2) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की हाजिरा गैस टर्मिनल का विस्तारण	325.19 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा घटक सहित 923.90 करोड़ रुपए।	संसाधन क्षमता का 20 एम० एम०एस० सी० एम० डी० से 41 एम० एम०एस०सी०एम० डी० तक का विस्तारण करना।

1	2	3
(3) मिट्टी का तेल रिकबरी यूनिट	3.40 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा घटक सहित 52.95 करोड़ रुपए।	प्राकृतिक गैस लिक्विड से मिट्टी के तेल की वसूली।
(4) गंधार में गैस संसाधन परिसर	129.51 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा घटक सहित 737.48 करोड़ रुपए।	मिट्टी के तेल, $सी_2/सी_3$ फीड स्टाक और एल०पी० जी० का निकर्षण।
(5) कांडला में एल० पी० जी० के आयात की सुविधाओं को स्थापित करने के लिए इंडियन आयल का० की परियोजना	21 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा घटक सहित 145.65 करोड़ रुपए।	प्रति वर्ष 500,000 टन एल० पी० जी० के आयात के लिए बंदरगाह रख-रखाव सुविधाओं की स्थापना।

ये परियोजनाएं गुजरात सरकार से प्राप्त हुई हैं। इन परियोजनाओं को यथासंभव अतिशीघ्र संशोधित किया जा रहा है। गुजरात से संबंधित परियोजनाओं के लिए प्राकृतिक गैस के आबंटन के लिए समय-समय पर प्राप्त अनुरोधों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बेचे गए बीज

*627. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्री रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों के लिए राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा निर्धारित मूल्य बहुत अधिक हैं और गरीब किसानों की पहुंच से बाहर हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है कि किसानों को उचित मूल्यों पर ये बीज मिल सकें ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

[अनुवाद]

गैस से संबद्ध विभिन्न उद्योग

*629. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक गैस की एच० बी० जे० पाइपलाइन को स्वीकृति देते समय गैस से संबद्ध कई उद्योगों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो स्थापित किए जाने वाले ऐसे उद्योगों की सूची क्या है तथा इनकी स्थापना का कार्य अनुमानतः किस तारीख तक पूरा हो जाएगा;

(ग) इनकी अधिष्ठापित क्षमता का अनुमानतः कितना-कितना उपयोग किया जाएगा;

(घ) क्या इनमें से किन्हीं उद्योगों की स्थापना इस बीच हो चुकी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) जब एच० बी० जे० पाइपलाइन का प्रारम्भ में अनुमोदन हुआ था उस समय इसे 6 उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति करनी थी। इन उर्वरक संयंत्रों को गैस की जरूरत अक्तूबर, 1986 से अक्तूबर, 1988 के मध्य आरम्भ होनी थी और इनमें से प्रत्येक का आबंटन 1·8 एम० एम० एस० सी० एम० डी० है। इनमें से तीन संयंत्र पहले ही आरम्भ हो चुके हैं।

[हिन्दी]

बिहार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग

*630. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन उद्योगों में कितना-कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार में ऐसे और अधिक उद्योग स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र में एक कच्चे तेल की रिफाइनरी और दो एल०पी०जी० बाटलिंग संयंत्र है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रिफाइनरियों में संसाधित किए गए कच्चे तेल और बाटलिंग संयंत्रों में भरी गई एल०पी०जी० की मात्रा निम्नानुसार है :

	1989-90	1990-91	1991-92
रिफाइनरी में कच्चे तेल का संसाधन (मिलियन टन)	2.964	2.416	2.262
एल०पी०जी० सिलिंडरों की भराई (टी० एम० टी०)	36.83	42.45	44.36

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

रुग्ण तेल कुंए

*631. **श्री राजेश कुमार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रुग्ण तेल कुओं के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कुओं को अर्थक्षम बनाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इन कुओं को अर्थक्षम बनाने के लिए किसी अन्य देश के साथ कोई करार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तेल कुओं की स्थिति पर लगातार निगरानी रखता है और उसकी समीक्षा करता है। बीमार कुओं के संबंध में यह नियमित आधार पर वर्कओवर कार्य करता है। इस संबंध में, उपलब्ध सबसे अच्छी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। दिसम्बर, 1990 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्थापित कार्य दल ने भी बम्बई अपतट, पश्चिमी तटवर्ती और पूर्वी क्षेत्र में बीमार कुओं का विश्लेषण किया।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

त्रिपुरा और असम में गैस भंडार

*632. श्री हरिन पाठक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा और असम के तटवर्ती क्षेत्रों में गैस भंडारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक गैस-भण्डार की क्षमता कितनी है; और

(ग) ऐसे गैस-भण्डारों की खोज करने और उन्हें विकसित करने पर कितना खर्च किया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) त्रिपुरा और असम में कोई अपतटीय क्षेत्र नहीं है। तथापि, त्रिपुरा में गैस के लगभग 10.6 बिलयन घन मी० और असम में तेल के लगभग 150.5 मि० टन और गैस के 147.8 बिलियन घन मी० के तटवर्ती वसूली योग्य भंडारों का पता लगाया गया है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गायब होने की घटना की जांच करना

6687. श्री सनत कुमार मंडल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राजनीतिक दल ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गायब होने की घटना की नए सिरे से जांच करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच के लिए गठित दो समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) सरकार ने शाह नवाज खान समिति तथा खोसला आयोग की इस आशय की रिपोर्टों को पहले ही स्वीकार कर लिया है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस 18 अगस्त, 1945 को ताइहोकू में एक वायुयान दुर्घटना में मारे गए थे।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा मत्स्य पालन के विकास के लिए बिहार को स्वीकृत धन

6688. श्री छेदी पासवान : क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा बिहार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मत्स्य पालन उद्योग के समेकित विकास के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए स्वीकृत सारे धन को खर्च कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) बिहार से समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

[अनुवाद]

उत्तर पूर्वी राज्यों में शेल-तेल का उत्पादन

6689. श्री आर. फर्नांडीज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में शेल-तेल के उत्पादन की क्षमता तथा उसकी अर्थ-क्षमता का गहराई से अध्ययन करने के लिए किसी कृतक बल का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) जी, हां।

(ख) बहु अनुशासनिक कार्य दल की स्थापना फरवरी, 1991 में भौगोलिक प्रकार के निर्धारण और शेल-तेल और सम्बन्धित कोयले की मात्रा, विद्यमान प्रौद्योगिकियों और विश्व में विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों में कार्य की प्रगति की पुनरीक्षा किए जाने वाले आर० एण्ड डी० प्रयासों का निर्धारण जिसमें पायलट पलांट की स्थापना एवं इस कार्यकलाप से होने वाले आर्थिक और पर्यावरण प्रभावों का निर्धारण, और चुने हुए संशोधनों/पायलटों के लागत लाभ विश्लेषण करने के लिए, की गई थी।

"अवेयर" (ए० डब्ल्यू० ए० आर० ई०) को विदेशी सहायता की प्राप्ति

6690 श्री जे० चोक्का राव: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस "अवेयर" को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी सहायता मिली;

(ख) उक्त संगठन के उपर्युक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश के करीम नगर, खम्माम, महबूबनगर, पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी जिलों में आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लिए आवास योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की; और

(ग) क्या उक्त संगठन ने दान दाता देशों को धन का उपयोग करने संबंधी प्रमाण पत्र दिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) "ए० डब्ल्यू० ए० आर० ई०" द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त सहायता की प्रभावी निम्न प्रकार है:

वर्ष	राशि
1988	11,12,34,706
1989	3,33,05,538
1990	7,35,50,062

(ख) "ए० डब्ल्यू० ए० आर० ई०" ने सूचित किया है कि इसने आंध्र प्रदेश के करीम नगर, महबूब नगर, पूर्वी और पश्चिम गोदावरी जिलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई आवास योजना आरम्भ नहीं की। 1989-90 के दौरान, इससे खम्माम जिले के भद्राचलम में कुछ आदिवासी परिवारों को परम्परागत मकानों के निर्माण हेतु 77,000 रुपए दिये हैं।

(ग) "ए० डब्ल्यू० ए० आर० ई०" ने बताया है कि वह अपनी दान देने वाली एजेंसियों को खर्चों का अंकेक्षित विवरण भेजता है।

आयात को निषेधात्मक सूची में शामिल किए गए कृषि उत्पाद

6691. श्री पी० सी० थामस: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयात को निषेधात्मक सूची में कौन-कौन से कृषि उत्पाद शामिल किए गए हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनका कुल उत्पादन कितना हुआ और उनकी कितनी मांग थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

आयात एवं निर्यात नीति (अप्रैल 1992-मार्च, 1997) के तहत आयात की नकारात्मक सूची में आने वाले कृषि उत्पादों की सूची निम्नानुसार हैं :

आयात की नकारात्मक सूची

भाग—1. निषिद्ध वस्तुएं —शून्य

भाग 2. प्रतिबंधित वस्तुएं

ए— उपभोक्ता वस्तुएं

क्र० सं०	वस्तु का विवरण	प्रतिबंध का स्वरूप
1.	केशर	लाइसेंस पर अथवा इस संबंध में जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार अनुमत्य होने को छोड़कर आयात की अनुमति नहीं है।
2.	लौंग, तेजपात और दालचीनी	आयात के दुगने मूल्य की निर्यात वचनबद्धता के अध्यधीन जारी लाइसेंस पर आयात की अनुमति दी जाएगी। निर्यात वचनबद्धता के लिए अर्ह वस्तुएं यथा विनिर्दिष्ट होंगी।
	बी—बीज, पौधे और जन्तु	
3.	पौधे, बीज एवं अन्य पौध सामग्री	आयात निम्न स्थितियों में अनुमत्य है : (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा पौध, फल एवं बीज (भारत में आयात के विनियमन) आदेश 1984 के प्रावधानों के तहत सिफारिश के आधार पर प्राप्त लाइसेंस होने पर। (ख) इस बारे में जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसरण में।
	के—विविध वस्तुएं	
4.	कच्ची कपास	लाइसेंस होने अथवा इस संबंध में जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसरण में ही आयात अनुमत्य है।

भाग — 3. कैनलाइजिंग वस्तुएं

क्र०सं०	वस्तुओं का विवरण	कैनलाइजिंग एजेंसी
1.	बीज, (खोपरा, मूंगफली, खजूर, रेपसीड, कुसुम, सोयाबीन, सूरजमुखी, कपास)	भारतीय राज्य व्यापार निगम मर्यादित तथा हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम मर्यादित ।
2.	अनाज	भारतीय खाद्य निगम ।

अमरीका की शरणार्थियों संबंधी समिति

6692. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की शरणार्थियों संबंधी समिति ने सरकार से तमिल शरणार्थियों को श्रीलंका वापस भेजने पर रोक लगाने के लिए निवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस समिति ने अन्य देशों से भी शरणार्थियों को भेजने पर रोक लगाने हेतु निवेदन किया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो भारत से ऐसा कहने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) इस बारे में यू०एस० सी०आर०, जो एक गैर-सरकारी निकाय है, द्वारा दी गई रिपोर्ट की जानकारी सरकार को है। श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों का प्रत्यावर्तन जारी है और उनका स्वदेश प्रत्यावर्तन अपने घरों को वापिस लौटने की उनकी इच्छा और श्रीलंका की सरकार से उनकी सुरक्षा तथा पुनर्वास के संबंध में प्राप्त आश्वासनों के आधार पर किया जा रहा है।

(घ) सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

6694. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के संबंध में दिल्ली प्रशासन द्वारा केन्द्र सरकार को रिपोर्ट दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : क से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों के एक वर्ग ने दिनांक 3-12-1991 से 22-1-1992 तक काम रोके रखा। उनकी मुख्य मांग थी कि शिव शंकर समिति के वेतनमानों

को नई दिल्ली नगर पालिका की शेष श्रेणियों के कर्मचारियों को भी दिया जाए। प्रशासन ने नई दिल्ली नगर पालिका के शेष कर्मचारियों को वेतनमान देना अभी तक उचित नहीं समझा है क्योंकि ऐसा किए जाने से अन्य नागरिक निकायों और दिल्ली प्रशासन की अन्य शाखाओं के कर्मचारी भी ऐसी मांग कर सकते हैं तथा इससे वित्तीय जटिलताएं बढ़ जाएंगी।

[अनुवाद]

केरल के हॉस्टलों में रहने वाले आदिवासी छात्रों की भूखों मरने की स्थिति

6695. **श्री गुरुदास कामत** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के आदिवासी हॉस्टलों में रहने वाले छात्र भूखों मरने की स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/जा रहे हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) केरल सरकार द्वारा सूचित किया गया है, कि 1-4-1991 से केरल में अनुसूचित जनजाति विकास से संबंधित विषयों के प्रशासन के विकेन्द्रीयकरण के परिणामस्वरूप आदिवासी छात्रों के होस्टलों का प्रशासन भी नव गठित जिला परिषदों को अंतरित कर दिया गया था। विभिन्न योजनाओं/संस्थानों के कार्यान्वयन के लिए निधियां मासिक किस्तों में जिला परिषदों को आवंटित की जाती हैं। तीन मासिक किस्तों के बाद होस्टलों के लिए निधियों का आबंटन पिछली किस्तों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्राप्त न होने के कारण नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप खाद्य सामग्री की आपूर्ति में कमी हो गई। तथापि आपूर्तियों की व्यवस्था उधार के आधार पर स्थानीय दुकानों से की गई। नवम्बर, 1991 से होस्टलों जैसे सभी संस्थानों सहित अनुसूचित जनजाति विकास से संबंधित विषयों का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा जिला परिषदों से वापस ले लिया गया है और सामान्य आपूर्तियों की व्यवस्था हेतु होस्टलों को पर्याप्त निधियां आबंटित की गई हैं। अब कोई समस्या नहीं रही है।

[हिन्दी]

स्वतन्त्रता सेनानियों को सुविधाएं

6696. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने सरकार द्वारा प्रदत्त पेंशन तथा अन्य सुविधाएं लेने से मना कर दिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1990 के अधीन पेंशन, प्रथम श्रेणी का मुफ्त रेलवे पास, केन्द्रीय सरकार तथा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के अधीन कार्यरत सभी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं तथा जहां कहीं भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चालू है, उसकी सुविधाएं आदि केवल उन्हीं स्वतन्त्रता सैनानियों को उपलब्ध कराई जाती हैं जो उनके लिए इच्छुक होते हैं

तथा इसके लिए आवेदन करते हैं, बशर्ते कि वे उक्त योजना के लिए निर्धारित मानदण्ड पूरा करते हों। पेंशन आदि लेने से मना करने का प्रश्न नहीं उठता।

2. तथापि, देश की स्वतन्त्रता प्राप्त करने में स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने के रूप में, केन्द्रीय सरकार ने अभी तक 270 प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी ओर से स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन प्रदान की है। उनमें से 17 स्वतन्त्रता सेनानियों ने पेंशन तथा अन्य सुविधाएं लेने से मना किया है।

[अनुवाद]

दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

6697. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री बापू हरि चौरे :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति दूध, घी, मक्खन और पनीर की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इन उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सो०लेंका) : (क) 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान दूध की राज्यवार प्रति व्यक्ति उपलब्धता (अस्थायी) को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूध, घी, मक्खन और पनीर की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनायी जा रही मुख्य नीतियां निम्नलिखित हैं :—

1. राष्ट्रीय तौर पर महत्वपूर्ण गोपशुओं की नस्लों का उनके ही बाड़ों में चुनिन्दा प्रजनन द्वारा संतति का सुधार तथा अन्य चुनिन्दा इलाकों में उन्नयन;

2. विदेशी डेयरी नस्लों के साथ गैर अभिज्ञात गोपशुओं का संकर प्रजनन ;

3. चुनिन्दा प्रजनन द्वारा भैंस को महत्वपूर्ण नस्लों का संतति—
सुधार तथा गैर-अभिज्ञात भैंसों का उन्नयन;

4. आहार और चारा संसाधनों का विकास;

5. उत्पादन कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए प्रभावी पशु स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन;

6. आपरेशन फ्लड कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता (किलोग्राम/प्रतिवर्ष)		
		1988-89	1989-90	1990-91 (अस्थायी)
1.	आन्ध्रप्रदेश	45.2	47.7	45.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	49.2	50.1	49.8
3.	असम	25.7	25.7	26.6
4.	बिहार	33.9	35.2	35.8
5.	गोवा	21.1	20.5	20.0
6.	गुजरात	75.7	81.8	84.4
7.	हरियाणा	176.5	194.9	193.3
8.	हिमाचल प्रदेश	99.9	102.9	108.6
9.	जम्मू और कश्मीर	62.8	65.9	73.2
10.	कर्नाटक	52.3	52.4	53.7
11.	केरल	52.2	54.4	56.6
12.	मध्य प्रदेश	70.7	71.5	72.7
13.	महाराष्ट्र	37.8	43.2	48.5
14.	मणिपुर	46.7	46.3	45.0
15.	मेघालय	29.2	28.3	28.1
16.	मिजोरम	12.7	13.7	11.7
17.	नागालैंड	33.1	30.9	40.0
18.	उड़ीसा	14.2	14.6	14.8
19.	पंजाब	237.1	250.4	254.7
20.	राजस्थान	97.7	99.8	100.4
21.	सिक्किम	60.8	63.0	62.9
22.	तमिलनाडु	59.6	62.2	60.9
23.	त्रिपुरा	10.9	10.6	11.0
24.	उत्तर प्रदेश	68.3	69.5	72.3
25.	पश्चिम बंगाल	42.6	43.4	44.3

डीजल का उत्पादन

6698. श्री भाव्ये गोबर्धन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि, परिवहन तथा औद्योगिक क्षेत्रों में डीजल की वर्तमान मांग अलग-अलग कितनी है;

(ख) डीजल की वर्तमान मांग को स्वदेशी स्रोतों से किस हद तक पूरा किया जाता है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान स्वदेशी स्रोतों से डीजल की कितनी सप्लाई मिलने का अनुमान है; और

(घ) क्या निकट भविष्य में देश डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1990-91 के दौरान क्षेत्रवार खपत इस प्रकार से है :

(1) परिवहन (खुदरा कृषि व्यापार सहित)	18813 टी एमटी
(2) बागान/खाद्य (संसाधन सहित)	318 टी एमटी
(3) विद्युत उत्पादन (उपयोगिता)	104 टी एमटी
(4) उद्योग	1431 टी एमटी
(5) फुटकर सेवाएं (डी जी एस एण्ड डी सहित)	473 टी एमटी

(ख)

वर्ष	मांग	देशी उत्पादन	%कवर
1990-91	21140	17186	81.3
1991-92	22638	17244	76.2

(नवीनतम अनुमान)

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देशी उत्पादन क्रूड की उपलब्धता और रिफाइनरी क्षमता में वृद्धि पर निर्भर करेगा। यद्यपि रिफाइनिंग क्षमता में वृद्धि की योजनाएं हैं फिर भी देशी उत्पादन का अनुमानित मांग से कम होने की सम्भावना है।

असम-नागालैंड सीमा पर तनाव

6699. श्री गोविन्द राव निकाम : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम-नागालैंड सीमा पर उन क्षेत्रो के तनाव पुन: बढ़ रहा है जहां 1985 के दौरान हिंसा की घटनाएं घटी थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस तनाव को खत्म करने के लिए केन्द्र सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) इस आशय की कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) विवादास्पद क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्य सरकारों ने निर्णय किया है कि क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखी जाय तथा शान्ति बनाए रखने के लिए केन्द्रीय अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएं। विभिन्न स्तरों पर दोनों राज्यों के अधिकारियों के मध्य सम्पर्क बनाए रखने के लिए एक प्रक्रिया भी तैयार की गई है। एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है जिसमें केन्द्रीय तथा असम और नागालैण्ड राज्य सरकारों के अधिकारी शामिल हैं। राज्य सरकारों को विभिन्न स्तरों पर संपर्क की प्रक्रिया के प्रति सक्रिय रहने तथा यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे शांति बनाए रखें।

[हिन्दी]

दिल्ली में अग्निशामक वाहन

6700. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अग्निशामक वाहनों की संख्या कितनी है;

(ख) इसमें से ऐसे कितने अग्निशामक वाहन हैं जो दो वर्ष से अधिक पुराने हैं और ऐसे कितने वाहन हैं जो पूरी तरह अप्रयोज्य हैं लेकिन फिर भी उनका प्रयोग किया जा रहा है; और

(ग) इन वाहनों के स्थान पर नए वाहन लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) और (ख) दिल्ली अग्निशमन सेवा की विभिन्न प्रकार की 88 दमकल गाड़ियां हैं। सभी दमकल गाडियां दो वर्ष से अधिक पुरानी हैं। इनमें से 31 दमकल गाड़ियों का प्रयोग 10 वर्ष की निर्धारित समय पूरा करने के बाद भी किया जा रहा है।

(ग) दिल्ली अग्निशमन सेवा नई दमकल गाड़ियां प्राप्त कर रही हैं।

[अनुवाद]

पारादीप में तेलशोधक कारखाना

6701. श्री अनादि चरण दास : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप में एक तेलशोधक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, उसे तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) 8वीं/9वीं योजनावधि के दौरान पूर्वी भारत में 6 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली एक ग्रासरूट रिफाइनरी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

तेलशोधक कारखानों का आधुनिकीकरण

6702. कुमारी कृपा देवी सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयल कार्पोरेशन के तेल-शोधक कारखानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या आठवीं योजना के दौरान इन तेल-शोधक कारखानों में से कुछ कारखानों का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) छः।

(ख) से (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा वर्तमान रिफाइनरियों के विस्तारण/आधुनिकीकरण के संबंध में विवरण नीचे दिए गए हैं :

परियोजना/स्थान का नाम	सृजन के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष में)	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)
(1) कोयाली रिफाइनरी	3.00	303.00
(2) बरौनी रिफाइनरी	0.5	19.5
(3) गुवाहाटी रिफाइनरी	0.15	0.20
(4) बिग्बोई रिफाइनरी	0.15	350

जैव प्रौद्योगिकी परियोजनाएं

6703. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत विभिन्न संस्थानों में अनेक जैव प्रौद्योगिकी परियोजनाएं मंजूर की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के लिए मंजूर की गई अनेक परियोजनाएं बन्द कर दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे बन्द होने के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) भा० कृ०अ० परिषद के संस्थानों में कार्यान्वयन के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 12 तदर्थ जैव प्रौद्योगिकी प्रायोजनाओं को स्वीकृति दी गयी थी, जिस पर 327.1 लाख रुपये के व्यय का प्रावधान था।

(ग) जी नहीं।

(घ) एवं (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्टाम्प शुल्क से छूट

6704. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को किसी सहकारी समिति अथवा उसके सदस्य द्वारा अथवा उसकी ओर से सम्पन्न किये गये किसी विलेख के मामले में स्टाम्प शुल्क से छूट देने की शक्तियां दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अधिसूचना जारी करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के अंतर्गत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

लेकिन, इंडियन स्टेम्प एक्ट, 1899 के अधीन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा नवम्बर, 1960 में इस विषय पर एक अधिसूचना जारी की गई थी और वही अधिसूचना दिसम्बर, 1960 में सहकारी कानून के अधीन फिर से अधिसूचित की गई थी जिसके तहत दिल्ली में सहकारी समितियों को स्टैम्प ड्यूटी के भुगतान से छूट दी गई थी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की धनराशि का आवंटन

6705. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस धनराशि में कितने प्रतिशत वृद्धि की गयी है तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किए जाने वाले विभिन्न नए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना के आकार और विषय-वस्तु के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) 452 करोड़ रु०।

(ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

हल्दिया में रसोई गैस, बॉटलिंग संयंत्र

6706. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय तेल निगम के हल्दिया रसोई गैस बॉटलिंग संयंत्र के विस्तार करने के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) क्षमता में वृद्धि करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

कश्मीर में आग और बम फटने से स्कूल भवनों को हुई क्षति

6707. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान कश्मीर घाटी में 50 प्रतिशत से भी अधिक स्कूल भवन 'रहस्यमय' आग और बम फटने से क्षतिग्रस्त हो गये हैं, जैसा कि 20 जनवरी, 1992 के 'ट्रिब्यून' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि कश्मीर घाटी में आतंकवादी कार्रवाई में 5167 सरकारी स्कूल, 245 स्कूलों को क्षति पहुंची/नष्ट हुए तथापि शैक्षिक गतिविधियां किराए के भवनों और टैंटों में बहाल की गयीं। साथ ही साथ उपलब्ध साधनों से स्कूल भवनों को पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया गया है जिसमें प्राथमिक स्कूलों को प्राथमिकता दी गयी।

वक्फ की चल/अचल संपत्ति

6708. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वक्फ की राज्यवार चल और अचल संपत्ति का मूल्य क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने 1991-92 के दौरान वक्फ को कितनी धनराशि का अनुदान उपलब्ध कराया ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जैन मूर्तियों की तस्करी

6709. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राचीन जैन मूर्तियों की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले तीन महीनों के दौरान तस्करों से कुछ मूर्तियां बरामद की गयी हैं;

(ग) यदि हां, तो बरामद की गयी मूर्तियों का ब्यौरा क्या है तथा यह बरामदगियां किन-किन स्थानों से की गई हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) विशिष्ट मूर्तियों की चोरी के बारे में सूचना का संकलन और प्रबोधन केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा नहीं किया जाता है। मामलों को दर्ज करना तथा जांच-पड़ताल करना और मूर्तियों की चोरी/तस्करी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का कार्य संबंधित राज्य पुलिस का है।

1984 के दंगों में लिप्त सरकारी अधिकारी

6710. **श्री रति लाल वर्मा** :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री सैयद शाहाबुद्दीन :
श्री रवि राय :
डा० रमेश चन्द तोमर :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री राम बदन :
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :
श्री आर्थर फर्नांडीज :
श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध मिस कुसुमलता मित्तल ने अनुशासनात्मक कार्रवाई और अन्य उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश की है;

(ख) इन अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सुश्री मित्तल की सिफारिश के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि उनकी रिपोर्ट में उल्लिखित पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए। कुल मिलाकर सुश्री मित्तल ने 72 पुलिस कार्मिक बताए हैं। इनमें से 13 सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा 2 की मृत्यु हो गयी है। इन पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध आरोप मुख्य रूप से कर्त्तव्य की अवहेलना करने, पर्यवेक्षण की कमी तथा कर्त्तव्यपरायणता के निर्वाहन में पूरी तरह से असफल रहने से संबंधित हैं। जिन 57 कार्मिकों पर मुकदमा चलाया जा रहा है उनमें से 6 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एक पुलिस अपर उप-आयुक्त, 10 सहायक पुलिस आयुक्त, 19 निरीक्षक, 12 उप-निरीक्षक, 2 सहायक उप-निरीक्षक तथा 7 हैड कांस्टेबल हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर डीलरशिप का आबंटन

6711. **श्री सुखदेव पासवान :**

श्री रोशन लाल :

श्री प्रवीण डेका :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ ऐसे मामलों का पता चला है जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस डीलरशिप आबंटित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कारण कितने डीलरशिप निरस्त किए गये ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री जी० शंकरानन्द) : (क) से (ग)

(1) बस्ती जिले (उ० प्र०) में बभनम

(2) बनासकंठा (गुजरात) में डीसा में खुदरा बिक्री केन्द्रों और

(1) आंदा जिले (उ० प्र०) में करवी/चित्रकूटनाम

(2) पटना जिले (बिहार) में पटना

(3) नौगांव जिले (असम) में होजाई

(4) धुले जिले (महाराष्ट्र) में डोंदियाचा

में एल० पी० जी० की डीलरशिप अ० जा०/अ० ज० जा० के अभ्यर्थियों के लिए आवंटित की गई थी।

अ० जा०/अ० ज० जा० के प्रमाण-पत्रों की सत्यता पर प्रश्न किया गया है। कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि अधिकांश मामले न्यायाधीन हैं।

[अनुवाद]

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की कृषि-भूमि की नीलामी

6712. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान-निकोबार प्रशासन ने नई बस्ती योजना के अन्तर्गत शरणार्थी अधिवासियों को आवंटित नई बस्ती बसाने के लिए दिए गए ऋण की वसूली के लिए किसी कृषि-भूमि की नीलामी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिवासियों को दिए गए अग्रिम ऋण को माफ कर दिया गया है और जिन व्यक्तियों से ऋण की वसूली की गई थी, उन्हें वापस कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितनी धनराशि लौटाई गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। दिगलीपुर तहसील में चार और मायाबन्दर तहसील में 13 मामलों में नई बस्ती बसाने के लिए दिए गए ऋण की वसूली करने के लिए कृषि भूमि का नीलाम किया गया था।

(ग) बस्तीकरण-योजना के अधीन अण्डमान और निकोबार द्वीपों में बसने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकृत की गयी 1730 रु० की राशि के ऋण को 1981 में केन्द्र सरकार ने पूर्णतः माफ करने का निर्णय लिया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि वे प्रवासी जो भारत में 31 मार्च, 1958 से पहले आ गए थे और जिन्होंने बस्तीकरण ऋण को पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से लौटा दिया था, उनको उस लौटाई गई राशि का वापस भुगतान कर दिया जाएगा।

(घ) कुल 91,956.39 रु० की राशि लौटाई गई।

रात की ड्यूटी पर पुलिस कर्मी

6731. **श्री गोविन्द प्रसाद मुंडा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सरकार को ऐसे किसी मामले की जानकारी मिली है जिसमें दिल्ली में रात को ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मी शराब के नशे में अपनी ड्यूटी करते पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये/उठाए जा रहे है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) 1-1.1992 से 31-3-1992 की अवधि के दौरान 3 पुलिस कार्मिकों को रात की ड्यूटी में दौरान शराब के नशे में पाया गया। ये कांस्टेबल इस प्रकार हैं : (1) कांस्टेबल तारा चन्द, जो छीना झपटी विरोधी ड्यूटी पर था; और (2) कांस्टेबल राम कुमार, जो संतरी ड्यूटी पर था और (3) कांस्टेबल जीत सिंह जो ड्राईवर की ड्यूटी कर रहा था । उन सभी को निलम्बित कर दिया गया है । उनमें से दो के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी है और शेष अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया।

(घ) जब कभी इस प्रकार का दुर्व्यवहार ध्यान में आता है, सख्त कार्रवाई की जाती है।

दक्षिण अफ्रीका और इजरायल के साथ आर्थिक सहयोग

6714. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण अफ्रीका और इजरायल के साथ आर्थिक सहयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन देशो के साथ सहयोग करने के लिए किन क्षेत्रों का चयन किया है और किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) और (ख) इजरायल के साथ आर्थिक सहयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है। अभी तक किसी करार पर हस्ताक्षर तो नहीं हुए हैं फिर भी इस सम्बन्ध में जिन क्षेत्रों का पता लगाया गया है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं; कृषि, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, नागर विमानन, पर्यटन आदि।

दक्षिण अफ्रीका के साथ जहां तक व्यापारिक सम्बन्धों का प्रश्न है, अक्तूबर, 1991 के दौरान हरारे में राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन में लिए गए इस निर्णय का भारत भी एक पक्षकार है जिसमें यह घोषणा की गई थी कि व्यापार और पूंजी निवेश के उपायों सहित आर्थिक प्रतिबंधों को तभी उठाया जाना चाहिए जब ऐसे किसी उचित संक्रमणकालीन तंत्र पर सहमति हो जाए जिससे सभी पक्ष बातचीत में पूरी तरह और प्रभावी रूप से भाग ले सकें। ऐसी व्यवस्था कायम होने पर ही भारत दक्षिण अफ्रीका के साथ आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करेगा।

वायुयानों से कीटनाशकों का छिड़काव

6715. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुयानों से कीटनाशकों का छिड़काव करने मे वृद्धि हो रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार किन-किन कीटनाशकों का कितनी कितनी मात्रा में छिड़काव किया गया;

(ग) क्या इन कीटनाशकों के छिड़काव से उत्पन्न खतरों पर निगरानी रखी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) कीटनाशियों की प्रभावोत्पादकता और इनके उपयोग से मनुष्यों, पशुओं, पर्यावरण आदि पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति सुरक्षा की दृष्टि से इनका मूल्यांकन करने के पश्चात ही इनके उपयोग की अनुमति दी जाती है। दुष्प्रभावों को दूर करने की दृष्टि से हवाई छिड़काव से पहले/हवाई छिड़काव के दौरान इन सावधानियों का ध्यान रखा जाता है—

(1) छिड़काव के लिए क्षेत्र निर्धारित करना; (2) जल संसाधनों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों को अलग करना; (3) हवाई प्रचालन शुरू करने से कम से कम 24 घण्टे पहले लोगों को सूचित करना; और (4) निर्धारित अवधि के लिए पशुओं और मनुष्यों का प्रवेश निषिद्ध करना। अत: ऐसे मामलों में साधारणतया किसी नियमित प्रबोधन की आवश्यकता नहीं होती।

[हिन्दी]

लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगाना

6716. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
प्रो० के० वी० थामस :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के लाटरी चलाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्यों द्वारा चलाई जा रही लाटरियों पर भी प्रतिबन्ध लगाने के बारे में भी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) और (ख) पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) कभी-कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) जहां तक प्राइवेट लाटरियों का सम्बन्ध है, ये राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती हैं। राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही लाटरियों के विनियमन के लिए केन्द्रीय सरकार ने 1984 में सभी राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए थे। तथापि, प्राप्त शिकायतें उचित कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को भेजी जाती हैं।

किसानों की संख्या में कमी

6717. **कुमारी उमा भारती** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की संख्या में कमी आयी है, जबकि जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) 1990-91 कृषि संगणना अभी पूरी नहीं हुई है ।

स्वदेशी/आयातित उर्वरकों का मूल्य

6718. **श्री फूलचन्द वर्मा :**
श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी उर्वरकों का मूल्य आयातित उर्वरकों से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्वदेशी उर्वरकों का मूल्य आयातित उर्वरकों के समान लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। सांविधिक मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत कवर किये गए प्रत्येक उर्वरक के लिए देशी और आयातित उर्वरकों का उपभोक्ता मूल्य एक ही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

पिस्तौलों और रिवाल्वरों का उत्पादन

6719. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : **क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिस्तौल और रिवाल्वरों के मूल्यों में कमी लाने के लिए इनका निर्माण अपने ही देश में करने का है ताकि आम आदमी सुरक्षा प्रयोजनों के लिए इनकी खरीद कर सके; और

(ख) यदि हां, तो इनका निर्माण कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार, निजी क्षेत्र में पिस्तौलों और रिवाल्वरों और उनके गोला-बारूद के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती है ।

[अनुवाद]

केरल में रसोई गैस की डीलरशिप

6720. **प्रो० सावित्री लक्ष्मन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992 के दौरान केरल में रसोई गैस की नई डीलरशिप मंजूर करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1991 में आवंटित की गई रसोई गैस की डीलरशिप का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) बाजार सर्वेक्षण, आर्थिक व्यवहार्यता, उत्पाद की उपलब्धता आदि के आधार पर देश के विभिन्न भागों में एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोली जाती है।

(ग) शून्य।

पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन/वितरण

6721. **श्री मोहन सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम उत्पादों और चरबी के विपणन/वितरण के लिए वाल्मेर लॉरी कम्पनी लिमिटेड द्वारा निर्धारित किए गए मानदंड क्या हैं;

(ख) इन उत्पादों के लिए वितरकों/सेल एजेंटों आदि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वाल्मेर लॉरी कम्पनी लिमिटेड का जरूरतमन्द व्यक्तियों को लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु चरबी बनाने के लिए लघु क्षेत्र को अग्रिम तकनीकी सहायता प्रदान करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनका पेट्रोलियम उत्पादों और चरबी के विपणन/वितरण के क्षेत्र में कोई एजेंट नहीं है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) इन राज्यों में कम्पनी के कसाइनमेंट स्टॉक एजेंट नहीं हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और पूर्वोत्तर राज्यों, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश।

विवरण

1. कंसाइन्मेंट स्टॉक एजेंटों के चयन के लिए वामर लॉरी एंड कम्पनी लि० द्वारा अपनाए जा रहे मानक और मानदंड हैं। पर्याप्त बाजार संभावना, वित्तीय प्रतिभूति, उपयुक्त भंडार क्षमता, एजेन्ट की क्षमता, विपणन में अनुभव आदि।

2. कंसाइन्मेंट स्टॉक एजेंटों के नाम और स्थान निम्नलिखित हैं :

1. नास्वाक्स एंटरप्राइजेज, VIII/417, साउथ चेलंई मट्टनचेरी, कोचीन।

2. ब्राइट बीयरिंग्स, 20/4, कामराज सलाई, पांडिचेरी।

3. ब्राइट एसोसिएट्स, 54/1, 10वां क्रास, चौथा मेन हनुमन्त नगर, बंगलौर।

4. एस० एम० इन्डस्ट्रीयल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, 136 ए, बेगमपुर, मालवीय नगर, नई दिल्ली।

5. श्री प्रोडक्ट्स इंडिया, 15, भगत सिंह मार्केट, लाटूचे रोड, कानपुर।

6. के० के० इन्टरप्राइज, सदर बाजार, बिलासपुर, मध्य प्रदेश।

7. दि० यूनिवर्सल सप्लाई कार्पोरेशन, सागानी भवन, एम० एम० आई० रोड़, जयपुर।

अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को ऋण

6723. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री संदीपान भगवान घोरात :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन० एस० एफ० डी० सी० को केन्द्रीय सरकार से आज तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों को लघु और मझोली परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में कितनी राशि दी गई;

(ग) क्या एन० एस० एफ० डी० सी० को शेयर पूंजी कई बैंकों में जमा कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इन बैंकों से ब्याज के रूप में गत तीन वर्षों के दौरान जितनी राशि वसूल की गई ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) प्रदत्त अंश पूंजी के रूप में 55.00 करोड़ रु०।

(ख)	1989-90	35.00 लाख रु०
	1990-91	613.59 लाख रु०
	1991-92	4051.52 लाख रु०
	कुल	4700.11 लाख रु०

(ग) जी, हां।

(घ)	1989-90	533.10 लाख रु०
	1990-91	681.26 लाख रु०
	1991-92 (गैर-अंकक्षित)	833.10 लाख रु०
		2047.46 लाख रु० से 20.4746 करोड़ रु०

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस में कांस्टेबलों की भर्ती

6724. **श्री अवतार सिंह भड़ाना :**
श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :
श्री मदन लाल खुराना :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में पिछले वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान कांस्टेबलों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इस परीक्षा में कितने अभ्यर्थी बैठे और कितनी रिक्तियां थीं;

(ग) परीक्षा का परिणाम घोषित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) लिखित परीक्षा का परिणाम कब तक घोषित कर दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार को प्रश्न-पत्रों का परीक्षा से पहले ही पता चल जाने के बारे में शिकायतें भी मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गयी है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 1700 रिक्तियों के लिए 25,501 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में बैठे थे।

(ग) से (च) अनियमितताओं, प्रश्न पत्रों का पहले पता चल जाने, इत्यादि आरोपों के प्राप्त होने के उपरान्त, एक पुलिस वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मामले की जांच की जा रही है तथा परीक्षा परिणाम रोक दिया गया है।

[अनुवाद]

आतिशबाजी/पटाखों के विक्रेताओं के यहां छापे

6725. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के बिक्री कर विभाग के अधिकारियों द्वारा हाल में आतिशबाजी/पटाखों के थोक विक्रेताओं के यहां छापे मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो किन-किन डीलरों के यहां छापे मारे गए; और

(ग) इन छापों के क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) बिक्री कर आयुक्त के कार्यालय (दिल्ली प्रशासन) ने अक्तूबर और नवम्बर, 1991 के महीनों में आतिशबाजी के निम्नलिखित 9 विक्रेताओं का सामान्य सर्वेक्षण किया था :

1. मैसर्स विशाल फायर वर्क
2. मैसर्स इम्पीरियल फायर वर्क
3. मैसर्स ए० जी० एम० फायर वर्क
4. मैसर्स जग्गू मल वेद प्रकाश
5. मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कम्पनी
6. मैसर्स राम चन्द्र चुन्ना लाल
7. मैसर्स अजीत फायर वर्क
8. मैसर्स तारा चन्द एण्ड सन्स
9. मैसर्स न्यू रायल फायर वर्क मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी।

(ग) कुछ अनियमितताओं का पता लगा है। इन सभी मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

पश्चिम एशिया शांति वार्ता

6726. **श्री एन० डेनिस** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का पश्चिम एशिया शांति वार्ता में भाग लेने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस वार्ता में कौन-कौन से देश भाग ले रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) यदि भारत को पश्चिम एशिया शांति वार्ता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा तो उसमें भाग लेने पर भारत को खुशी होगी।

(ख) और (ग) इसका ब्यौरा भारत को आमंत्रण मिलने के बाद ही पता लगेगा।

(घ) वार्ता के विभिन्न चरणों में भाग लेने वाले देशों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उन देशों की सूची जिन्होंने पश्चिम एशिया शांति वार्ता—द्विपक्षीय और बहुपक्षीय चरणों में हिस्सा लिया ।

1. संयुक्त राज्य अमरीका	सह-प्रायोजक
2. रूस	"
3. इजरायल	
4. जोर्डन	
5. अरब मिस्र गणराज्य	
6. चीन	
7. जापान	
8. कनाडा	
9. टर्की	
10. सीरिया	
11. लेबनान	
12. फिलीस्तीन	
13. उक्रेन	
14. स्पेन	

ऊपर उल्लिखित देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी वार्ता में हिस्सा लिया :

1. यूरोपीय समुदाय
2. ई० एफ० टी० ए०
3. खाड़ी सहयोग परिषद
4. अरब मगरब संघ

सूरजमुखी का रिफाइन्ड "धारा" तेल

6727. श्रीमती चंद्रप्रभा अर्से : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने कर्नाटक में एक लीटर के टेट्रा पैक में सूरजमुखी का रिफाइंड तेल "धारा" की सप्लाई शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस पैक की लागत कितनी है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कर्नाटक को कितनी मात्रा में सूरजमुखी के रिफाइन्ड तेल "धारा" की सप्लाई करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने फरवरी, 1992 में एक लीटर के टेट्रा पैक में कर्नाटक में धारा परिष्कृत सूरजमुखी तेल प्रारम्भ किया है।

(ख) एक लीटर के पैक का अधिकतम खुदरा मूल्य 42 रुपया है।

(ग) इस समय, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड कर्नाटक को प्रति महीने 400-500 मीटरी टन परिष्कृत सूरजमुखी तेल की आपूर्ति कर सकता है। तथापि सप्लाई की जाने वाली वास्तविक मात्रा बाजार मांग पर निर्भर करेगी।

गोआ में झींगा मछली का उत्पादन

6728. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में झींगा मछली पालन की भारी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गोआ को वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी सहायता दी गयी है;

(ग) गोआ से तीन वर्षों के दौरान झींगा मछली का कुल कितना निर्यात किया गया;

(घ) गोआ में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष झींगा मछली के अंडज उत्पत्तिशालाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ङ) गोआ में झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्य योजना बनायी गयी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) गोवा में लगभग 10,000 हैक्टेयर खारा जल क्षेत्र में झींगा पालन विकास की क्षमता है।

(ख) राज्य में झींगा पालन के विकास के लिए 1991-92 के दौरान 50.75 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई थी।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, समुद्री उत्पादों का कुल निर्यात लगभग 2030 मीटरी टन है जिसमें गोवा से झींगा मछली भी शामिल हैं।

(घ) गत 3 वर्षों के दौरान, गोवा में बोनोलिम में झींगा हैचरी पर खर्च की गई रकम निम्नानुसार है :

		(लाख रुपये में)
1988-89	:	27.50
1989-90	:	52.90
1990-91	:	91.84

(ङ) गोवा में झींगा उत्पादन को बढ़ाने के लिए बनाई गई कार्य योजना में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. श्रिम्प पालकों को तकनीकी, वित्तीय तथा विस्तार सहायता का पैकेज मुहैया कराने के लिए खारा जल मछली पालक विकास एजेंसी की स्थापना करना जिसमें उत्तरी और दक्षिणी गोवा शामिल करना है;

2. बेनोलिम में लगभग 25 मिलियन टाईगर झींगा लारवा पश्चात् प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता वाली वाणिज्यिक झींगा पोना हैचरी चालू करना;

3. श्रिम्प पालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चाराओं में प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना;

4. अर्द्ध गहन श्रिम्प फार्मों, श्रिम्प पोना हैचरियों तथा आहार मिलों आदि के निर्माण के लिए श्रिम्प पालकों की विभिन्न श्रेणियों को सहायता की व्यवस्था ।

[हिन्दी]

दिल्ली में शराब की तस्करी

6729. **डा० रमेश चंद तोमर**
श्री राम कृष्ण कुसमारिया

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष शराब की तस्करी के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) दिल्ली में शराब की तस्करी रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सूचना निम्न प्रकार है :

वर्ष	पता लगे मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
1989	84	96
1990	125	141
1991	259	312
1992 (31-3-1992 तक)	67	73

(ग) उठाए गए सुधारात्मक उपायों में (I) पुलिस निगरानी चौकियों और सीमा पर तैनात टुकड़ियों द्वारा गहन सतर्कता रखना, (II) संदिग्ध वाहनों, दुकानों इत्यादि की नियमित

जांच करना, और (III) सीमान्त क्षेत्रों की पुलिस के साथ गहन सम्पर्क बनाए रखना इत्यादि शामिल हैं।

[अनुवाद]

विदेश स्थित भारतीय उच्चायोगों की सुरक्षा

6730. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आतंकवादी गतिविधियों के कारण बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए सरकार ने विदेश स्थित भारतीय उच्चायोगों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय उच्चायोगों पर हमले की घटनाओं का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप हुई हानि के प्रकार और सीमा का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी, हां। भारत सरकार विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को आतंकवादी दलों से मिलने वाली सभी धमकियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करती है। जब भी खतरे की कोई सूचना मिलती है तो मेजबान देश को उस सूचना से तत्काल अवगत करा दिया जाता है तथा मिशन की हिफाजत का सुनिश्चय करने के लिए निवारक उपाय करने का अनुरोध किया जाता है।

(ख) शून्य।

(ग) शून्य।

[हिन्दी]

उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी के लिए यूनेस्को का केन्द्र

6731. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेनीजुएला ने भारत से उष्णकटिबन्धीय पारिस्थितिकी के लिए यूनेस्को के केन्द्र का सदस्य बनने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में बोगस बीजा जारी करने वाला गिरोह

6732. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**
श्रीमती कुलजेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 और 1992 के दौरान आज तक दिल्ली में बोगस बीजा जारी करने वाले कुछ गिरोहों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/ किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्। दिल्ली में पता लगाए गए जाली बीजा गिरोहों के मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	मामलों की संख्या
1991	5
1992 (31-?-1992 तक)	—

(ख) और (ग) यह मामले जाली पारपत्र, नागरिकता कार्ड, बीजा, विदेशों के करेंसी नोट, इत्यादि बरामद करने से संबंधित हैं। इन मामलों में 21 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से दो मामले न्यायालयों में हैं।

(घ) ऐसे अपराधों की रोकथाम करने के लिए पुलिस स्टेशन स्तर के आसूचना एकत्र करने वाले स्टाफ को सक्रिय बनाया गया है। जब कभी भी ऐसी शिकायतें/सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

धान उत्पादकों को प्रोत्साहन

6733. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार धान उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने हेतु विशेष प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) से (ग) जी, नहीं। पैदावार बढ़ाने के लिए धान उत्पादकों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए कोई नया प्रस्ताव नहीं है। चालू केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को उन्नत चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु अभिज्ञात क्षेत्रों में सीमित मात्रा में प्रोत्साहन दिए जा रहे है। दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में प्रमाणीकृत बीजों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, खर-पतवारनाशकों, कृमिनाशकों, पादप रक्षण उपस्कर, कृषि औजारों आदि का राजसहायता प्राप्त लागत पर वितरण करना शामिल है।

दिल्ली दुग्ध योजना के संयंत्रों की उत्पादन क्षमता

6734. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के विभिन्न संयंत्रों की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में दूध और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन हुआ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दुग्ध उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा क्या प्रयास किए गए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना की मौजूदा उत्पादन क्षमता पांच लाख लीटर प्रतिदिन है।

(ख)

वस्तु	यूनिट	1989-90	1990-91	1991-92
दूध	लाख लीटर	1623.88	1873.19	1738.63
घी	मीटरी टन	896	328	422
टेबल बटर	मीटरी टन	82	33	59
योगहर्ट (कप)	लाख संख्या में	6.59	10.41	10.86
सुगन्धित दूध	लाख संख्या में	3.06	3.65	3.38

(ग) अप्रैल, 1990 से दिल्ली दुग्ध योजना की क्षमता को 3.75 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 5.00 लाख लीटर प्रतिदिन किया गया है। अन्य दुग्ध उत्पादों का उत्पादन ताजे दूध की अतिरिक्त वसा की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

रामनाथपुरम जिले में 'ड्रिलिंग आप्रेशन'

6735. डा० वी० राजेश्वरन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामनाथपुरम जिले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किए गए 'ड्रिलिंग आप्रेशन' का क्या परिणाम निकला; और

(ख) उस पर कितना खर्च होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) मण्डप्म-1 और उचिपलि-2 दो अन्वेषित कुओं की खुदाई की गई लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिली। तीसरा कुआं उचिपलि-1 की 2985 मी० तक खुदाई की गई है और इस समय वह परीक्षणाधीन है।

(ख) 1992-93 और 1993-94 के दौरान भूकंपीय सर्वेक्षणों पर लगभग 770 लाख रुपए और खुदाई पर 605 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है।

कानून और व्यवस्था बनाए रखने में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सहायता

6736. श्री प्रतापराव वी० भोसले : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कानून और व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय अधिकारियों की सहायता कर रहा है :

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन से राज्यों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात किया गया;

(ग) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल औद्योगिक एककों को भी सुरक्षा प्रदान करता है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी एककों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उनसे कितना प्रभार वसूल किया गया ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिन राज्यों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को तैनात किया गया उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 208 सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, इत्यादि को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उनसे प्रत्येक वर्ष वसूल की गई राशि निम्न प्रकार है :

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों इत्यादि से वसूल की गई राशि
1989	1,41,15,37,251.00 रु०
1990	1,45,25,80,479.00 रु०
1991	1,64,23,56,656.00 रु०

विवरण

1989, 1990 और 1991 के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात किया उनका विवरण

1989		1990		1991	
क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम
1		2		3	
1.	पंजाब	1.	पंजाब	1	पंजाब
2.	तमिलनाडु	2.	आंध्र प्रदेश	2.	तमिलनाडु
3.	मिजोरम	3.	मध्य प्रदेश	3.	केरल
4.	नागालैंड	4.	उत्तर प्रदेश	4.	आंध्र प्रदेश
5.	केरल	5.	दिल्ली	5.	कर्नाटक
6.	आंध्र प्रदेश	6.	उड़ीसा	6.	गुजरात
7.	कर्नाटक	7.	पश्चिम बंगाल	7.	मध्य प्रदेश
8.	गुजरात	8.	बिहार	8.	उत्तर प्रदेश
9.	मध्य प्रदेश	9.	महाराष्ट्र	9.	राजस्थान
10.	उत्तर प्रदेश	10.	हिमाचल प्रदेश	10.	दिल्ली
11.	राजस्थान	11.	हरियाणा	11.	उड़ीसा
12.	दिल्ली	12.	गोवा	12.	पश्चिम बंगाल

1	2	3
13. उड़ीसा	13. चण्डीगढ़	13. बिहार
14. पश्चिम बंगाल	14. जम्मू और कश्मीर	14. जम्मू और कश्मीर
15. मेघालय	15. गुजरात	15. असम
16. बिहार	16. राजस्थान	
17. महाराष्ट्र		

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में बॉटलिंग संयंत्र

6737. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में नए बाटलिंग संयंत्रों की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में पुरुलिया में बॉटलिंग संयंत्र स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

कृषि उपकरणों का आयात

6738. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उपकरणों का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

[अनुवाद]

कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस से वाहन चलाने की परियोजना

6739. **श्री सोमनाथीश्वर राव वाड्डे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास रिफाइनरी लि० ने कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस से वाहन चलाने के लिए कोई प्रायोगिक परियोजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) मद्रास रिफाइनरी लि० ने तमिलनाडु ऊर्जा विकास एजेंसी (टीईडीए) और चोलन गोडबेज कारपोरेशन के साथ मिल कर एक पायलट परियोजना हाथ में ली है जिसके अन्तर्गत एक द्वैध—ईंधन प्रणाली पर कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सी० एन० जी०) और डीजल का प्रयोग करते हुए प्रायोगिक आधार पर 10 बसों को परिवर्तित करने और चलाने का कार्य शामिल है। इस प्रकार से परिवर्तित की गई पहली यात्री बस 22 मार्च, 1992 से परिचालन में है।

बीजों के आयात पर प्रतिबंध

6740. **श्री बी० धनंजय कुमार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीजों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

बकरियों की संख्या

6742. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बकरियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान बकरियों से राज्य-वार कितना दूध और मांस प्राप्त होता है;

(ग) क्या बकरियां वननाशन और भूकटाव का मुख्य कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो अपने घटते हुए वनक्षेत्र की रक्षा करने हेतु बकरियों को पर्याप्त चारा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, बकरियों के लिए आहार की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी प्रणाली को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

विवरण

भारत में बकरियों की संख्या--पशुधन गणना 1987 (अनन्तिम)

(हजारों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बकरियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4876
2.	अरुणाचल प्रदेश	108
3.	असम	2135
4.	बिहार	15636
5.	गुजरात	3584

1	2	3
6.	गोवा	18
7.	हरियाणा	675
8.	हिमाचल प्रदेश	1120
9.	जम्मू और कश्मीर	1396
10.	कर्नाटक	3889
11.	केरल	1581
12.	मध्य प्रदेश	7751
13.	महाराष्ट्र	9191
14.	मणिपुर	44
15.	मेघालय	194
16.	मिजोरम	20
17.	नागालैंड	72
18.	उड़ीसा	4804
19.	पंजाब	537
20.	राजस्थान	12578
21.	सिक्किम	98
22.	तमिलनाडु	5920
23.	त्रिपुरा	442
24.	उत्तर प्रदेश	1132
25.	पश्चिम बंगाल	11907
	संघ राज्य क्षेत्र	
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	45
27.	चंडीगढ़	(क)
28.	दादर और नागर हवेली	19
29.	दिल्ली	15
30.	लक्षद्वीप	15
31.	पांडिचेरी	33
	कुल :	100024

(क) 500 से कम

बीजों पर राजसहायता देना

6744. **श्री के० वी० संग्काबालू** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीजों पर राजसहायता देना समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इनके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

उड़ीसा में बारानी कृषि अनुसंधान केन्द्र

6745. **श्री शरत चन्द्र पटनायक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा के बोलनगीर जिले में एक बारानी कृषि अनुसंधान केन्द्र तथा एक डेरी विज्ञान कालेज स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) बोलनगीर जिले से लगते हुए कालाहांडी जिले में बारानी खेती के अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस केन्द्र में विकसित प्रौद्योगिकी बोलनगीर जिले कृषि जलवायु सम्बन्धी स्थितियों पर भी लागू होगी। पूर्वी क्षेत्र में एक डेरी विज्ञान कालेज की स्थापना के प्रस्ताव पर भी विचार चल रहा है।

मत्स्यन पत्तन

6746. **श्री राम कृष्ण कोंताला** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मत्स्यन पत्तनों पर निर्माण कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु एक केन्द्रीय दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय दल द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) क्या केन्द्रीय दल ने 1992-93 में अन्य मत्स्यन पत्तनों का दौरा करने हेतु एक कार्यक्रम तैयार किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) देश में सभी मत्स्यन पत्तनों के निर्माण कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए कोई स्थायी केन्द्रीय दल नहीं है। किसी विशिष्ट मत्स्यन पत्तन/पत्तनों के कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए, जब कभी अपेक्षित होता है, केन्द्रीय दलों का गठन किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

लिट्टे नेताओं का प्रत्यर्पण

6747. **श्री रवि राय : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लिट्टे नेताओं का प्रत्यर्पण के बारे में श्रीलंका के साथ विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) राजीव हत्याकाण्ड में चल रही जांच-पड़ताल अपने अन्तिम चरणों में है। श्री राजीव गांधी हत्याकाण्ड के लिए नामित अदालत ने अब तक प्रभाकरण और पोट्टु अमन के विरुद्ध आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 की धारा 8(3) (क) के प्रावधानो के अनुसार गिरफ्तारी के वारण्ट और उद्घोषणाएं जारी की हैं। जैसा कि गिरफ्तारी के वारण्टों और उद्घोषणाओं में अपेक्षित है, दोनों ही अभियुक्त 28 फरवरी, 1992 तक नामित अदालत के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए अनुवर्ती कानूनी कार्यवाही, जिसमें प्रत्यर्पण के लिए भी अनुरोध किया जा सकता है, की जा रही है।

दिल्ली के लिए योजना परिव्यय

6748. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के लिए दिल्ली के योजना परिव्यय का शीर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा 1991-92 के दौरान उपयोग में न लाए गए धन का शीर्षवार ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है;

(ग) क्या 1992-93 के लिए दिल्ली का योजना परिव्यय 1991-92 की तुलना में कम कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) वर्ष 1991-92 के लिए योजना आयोग द्वारा यथा अनुमोदित दिल्ली का मूल योजना परिव्यय 920.00 करोड़ रुपए था। खर्च में किफायत करने सम्बन्धी सरकारी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए बाद में इस योजना-परिव्यय को कम करके 839 करोड़ रुपए कर दिया गया। मूल योजना-परिव्यय तथा संशोधित योजना-परिव्यय संबंधी शीर्षवार-ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है।

(ख) समायोजन के बाद अन्तिम लेखे प्राप्त हो जाने पर जून, 1992 के बाद ब्यौरे उपलब्ध होंगे।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। 1992-93 के लिए योजना-परिव्यय 920 करोड़ रुपए है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वार्षिक योजना 1991-92 के लिए क्षेत्रवार अनुमोदित परिव्यय तथा संशोधित परिव्यय

(रु० करोड़ों में)

क्र० सं०	योजना शीर्ष	1991-92	
		अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय
1	2	3	4
1.	कृषि	7.00	8.96
2.	सहकारिता	0.60	0.47
3.	ग्रामीण विकास	5.00	5.00
4.	लघु सिंचाई	2.47	2.04
5.	बाढ़ नियंत्रण	13.00	11.85
6.	ऊर्जा	270.00	210.00
7.	उद्योग	10.00	14.57
8.	परिवहन	130.00	123.67
9.	विज्ञान तकनीकी तथा पर्यावरण	0.93	0.15
10.	एस० ई० सर्विस	0.36	0.50
11.	पर्यटन	1.00	1.00
12.	सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	0.96	0.30
13.	नागरिक आपूर्ति	0.18	0.25
14.	माप तथा तोल	0.10	0.00
15.	सामान्य शिक्षा	67.00	65.32
16.	तकनीकी शिक्षा	18.00	11.62
17.	खेलकूद तथा युवा सेवा	3.00	2.58
18.	कला तथा संस्कृति	3.00	2.35
19.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	70.00	59.14
20.	जल आपूर्ति तथा सफाई	127.00	130.79
21.	आवास	37.00	35.52
22.	शहरी विकास	110.00	114.34

1	2	3	4
23.	सूचना तथा प्रसारण	0.65	0.65
24.	अ० जा०/अ० ज० जा/अ० पि० जा० का कल्याण	5.00	3.90
25.	श्रम और श्रम कल्याण	4.00	2.37
26.	सामाजिक कल्याण	2.00	1.27
27.	पोषण	8.00	6.65
28.	खेलें	2.50	1.85
29.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	0 10	0.10
30.	लोक निर्माण	8.00	10.55
31.	अन्य प्रशासन सेवाएं	8.16	11.16
32.	रोजगार सृजन के लिए समान आधार के प्रावधान	5.00	—
	कुल जोड़	920.00	839.00

तकनीकी परियोजना रिपोर्ट

6749. **डा० ए० के० पटेल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद और मेहसाना शहरों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उपयोग से औद्योगिक विकास और पारिस्थितिकी तंत्र के रख-रखाव के लिए कोई तकनीकी परियोजना रिपोर्ट भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) अहमदाबाद शहर में औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी।

(ग) गैस की उपलब्धता और वचनबद्धता की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, अहमदाबाद शहर के लिए किसी गैस का आबंटन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

पेट्रोल की बचत करने की योजनाएं

6750. **श्री बृजभूषण शरण सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पेट्रोल की बचत के लिए अपनाए गए उपायों के कारण गत छः महीनों के दौरान कितनी मात्रा में पेट्रोल की बचत हुई;

(ख) क्या सरकार का विचार पेट्रोल की बचत करने की अन्य योजनाएं बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) यद्यपि पूर्व के वर्षों की तुलना में पिछले दो वर्षों के दौरान पेट्रोल की खपत में वृद्धि की दर को नियंत्रित किया गया है, परन्तु सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों के परिणामस्वरूप पिछले छः महीनों के दौरान वास्तव में बचत किए गए पेट्रोल की मात्रा बता पाना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) अपनाए जा रहे उपायों के अतिरिक्त, किए जा रहे अन्य प्रस्तावों में यह शामिल है—प्रयोगिक आधार पर चुनिंदा स्थानों पर पेट्रोल के स्थान पर संपीड़ित गैस का प्रयोग और पेट्रोल में मेथानोल मिलाने की साध्यता के तकनीकी-आर्थिक पहलू का मूल्यांकन।

[अनुवाद]

दिल्ली में पुलिस स्टेशन

6751. **डा० आर० मल्लू** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पुलिस थानों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने थानाध्यक्ष हैं; और

(ग) सहायक पुलिस आयुक्तों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सहायक पुलिस आयुक्तों की संख्या कितनी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब)। (क) 104.

(ख) 9.

(ग) पुलिस सहायक आयुक्तों की कुल संख्या 160 है। इनमें से 35 अनुसूचित जाति तथा 8 अनुसूचित जनजाति के है।

पारपत्र अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन

6752. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारपत्र अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन सम्मेलनों में पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए विचार-विमर्श, सिफारिशों तथा उनके क्रियान्वयन का वर्षवार ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) पासपोर्ट अधिकारियों के सम्मेलनों में किए गए विचार-विमर्श और सिफारिशों का स्वरूप कुछ इस प्रकार का है कि उन्हें सदन की मेज पर रखना सार्वजनिक हित में नहीं होगा। तथापि, पासपोर्ट शीघ्र जारी करने के लिए पासपोर्ट प्रक्रिया के जो उदारीकरण किए गए हैं उनमें से कुछ इन विचार-विमर्शों के फलस्वरूप हैं और इन उदारीकरणों का ब्योरा इसके साथ संलग्न विवरण में है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पासपोर्ट प्रक्रियाओं का सरलीकरण

1 निम्नलिखित वर्गों के आवेदकों के मामले में यह छूट दी गई है कि पासपोर्ट जारी करने से पूर्व पुलिस और सी० आई० डी० की सत्यापन रिपोर्ट की अपेक्षा से उन्हें मुक्त रखा जाए।

(क) सभी सरकारी कर्मचारी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो अपने आवेदनों के साथ सरकारी स्टेशनरी पर अपने विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र और सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

(ख) सेवानिवृत्त राजपत्रित सरकारी कर्मचारी।

(ग) संघ संसद (राज्य सभा और लोक सभा) और राज्य विधान मण्डलों (विधान सभा और विधान परिषद) के भूतपूर्व सदस्य।

(घ) वर्तमान सदस्य और विधान सभा सदस्य यदि सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहें तो उन्हें पुलिस सत्यापन की अपेक्षा से मुक्त रखा गया है।

(ङ) जब कोई आवेदक अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित में से किसी के द्वारा हस्ताक्षरित सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें :

(i) भारत सरकार का उप-सचिव या उससे ऊपर का अधिकारी;

(ii) राज्य सरकार का संयुक्त सचिव तथा या उससे ऊपर का अधिकारी;

(iii) सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट या उससे ऊपर का कोई अधिकारी;

(iv) जिला पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर का अधिकारी।

2. जिन मामलों में क्षेत्रीय पोसपोर्ट अधिकारी/पासपोर्ट अधिकारी आवेदक की सच्चाई के संबंध में अन्यथा सन्तुष्ट हों और पुलिस तथा सी० आई० डी० से उन्हें व्यक्तिगत विवरण भेजने के चार सप्ताह के बाद भी उनकी रिपोर्टें प्राप्त नहीं होती हैं तो आवेदक को पासपोर्ट दिया जा सकता है।

3. पन्द्रह वर्ष से कम आयु के बच्चों को पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना पासपोर्ट दिया जा सकता है।

4. जिन व्यक्तियों के पास सामान्य पासपोर्ट हैं उन्हें उसकी 10 वर्ष की वैधता समाप्त हो जाने के बाद पुलिस/सी० आई० डी० की पूर्व सत्यापन रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना नया पासपोर्ट दिया जा सकता है।

5. 16-8-1990 से भारतीय सामान्य पासपोर्ट को जारी होने की तारीख से 10 वर्ष की लगातार अवधि के लिए वैध बना दिया गया है।

6. पासपोर्ट कार्यालयों से सम्बद्ध ट्रैवल एजेण्टों को मान्य करने की प्रक्रिया भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरल बनाई गई हैं।

7. पासपोर्ट कार्यालयों में निष्पादन बढ़ाने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

8. राजपत्रित अधिकारियों द्वारा आवेदकों के फोटो सत्यापन को समाप्त कर दिया गया है।

9. सभी दृष्टि से भरे हुए आवेदन-पत्र पासपोर्ट कार्यालयों के काउण्टरों पर आवेदकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से भी स्वीकार किए जाएंगे।

10. पासपोर्ट अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे पासपोर्ट कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के भीतर आवेदक के रहने के प्रमाण के लिए प्रतिष्ठित नियोजकों से रोजगार-पत्र की प्रति लें।

11. पासपोर्ट आवेदन-पत्र संशोधित किए गए हैं और सभी संगत सूचनाएं संकलित की गई हैं तथा उन्हें प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ लगा दिया गया है ताकि आवेदक आवेदन-पत्र ठीक से भर सकें।

12. खाड़ी-निष्क्रान्तों के मामले में संबद्ध जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सत्यापन प्रमाण-पत्र के आधार पर उन्हें पुलिस अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने करने का निर्णय किया गया है।

13. 10 दिसम्बर, 1991 से दक्षिण अफ्रीका जाने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया है।

पाकिस्तान का भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना

6753. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात का उल्लेख किया था कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को सहायता और बढ़ावा दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया थी;

(ग) क्या प्रधान मन्त्री ने अपनी हाल की न्यूयार्क यात्रा के दौरान इस बात की चर्चा विभिन्न नेताओं के साथ की थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या निकले ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) देशों ने हमारी स्थिति पर गौर किया है। कई देश भी आतंकवाद, विशेषकर राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खतरे से गम्भीर रूप से चिंतित हैं।

(ग) जी हां।

(घ) हमारी स्थिति पर गौर किया गया था।

विश्व पर्यावरण न्यायालय

6754. **श्री आर सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की ही भांति विश्व पर्यावरण न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इस न्यायालय का कानूनी अधिकार क्षेत्र क्या है; और

(घ) इस न्यायालय को कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की परियोजनाएं

6755. **श्री थाइल जान अंजलोज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का केरल में कुछ परियोजनाएं शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कहां-कहां शुरू होंगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड केरल में थिरूवंथपुरम, कोल्लाम, पथनमथिट्टा, आलापुजा, कोटायाम, इडुकी, एर्नाकुलम तथा त्रिसूर नामक आठ जिलों को कवर करते हुए आपरेशन फ्लड कार्यक्रम लिये धन दे रहा है। इसके अलावा, इसी तरह का एक डेयरी विकास कार्यक्रम भी स्विटजरलैंड सरकार की सहायता से पालाक्कड, मल्लापुरम, कोजीकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड नामक छह जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

केरल में मत्स्यन पत्तन

6756. **श्री थाइल जान अंजलोज** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को केरल में थोट्टापल्ली मत्स्यन पत्तन संबंधित कोई विकास परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केरल में थोट्टापल्ली मत्स्य ग्रहण केन्द्र के विकास के लिए परियोजना रिपोर्ट मार्च, 1992 के अन्तिम सप्ताह में कृषि मन्त्रालय में प्राप्त हुई है। तकनीकी सम्भाव्यता के लिए इसकी विस्तृत जांच का कार्य शुरू किया गया है।

जल या अत्यधिक नमी वाले स्थानों पर खेती करने का प्रणाली

6757. **श्री पी० सी० थामस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल या अत्यधिक नमी वाले स्थानों पर खेती करने की प्रणाली "हाइड्रोपोनिक्स" द्वारा धान और अन्य फसलों की खेती करने के लिए अनुसंधान किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) "हाइड्रोपोनिक्स" के माध्यम से विभिन्न फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डी० एन० ए० फिंगर प्रिंटिंग हेतु राष्ट्रीय केन्द्र

6758. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डी० एन० ए० फिंगर प्रिंटिंग हेतु किसी राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो वे कहां-कहां पर स्थापित किए जायेंगे और इस परियोजना में अनुमानत: कितना पूंजीगत परिव्यय होगा;

(ग) क्या डी० एन० ए० फिंगर प्रिंटिंग से प्राप्त साक्ष्य वैध होगा; और

(घ) यदि हां, तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक भागों और अन्य प्रासंगिक नियमों में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रस्तावित केन्द्र हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा और इस पर 432 लाख रु० की अनुमानित लागत आएगी।

(ग) और (घ) डी० एन० ए० फिंगर प्रिंटिंग पर आधारित साक्ष्यों को स्वीकार करने पर कानूनी रूप से कोई प्रतिबंध नहीं है।

कश्मीर में बच्चों का विद्रोही गतिविधियों में शामिल होना

6759. **श्री गुरुदास कामत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कश्मीर में अवयस्क बच्चे विद्रोही गतिविधियों में शामिल होने लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन बच्चों को किन स्थानों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(घ) इन बच्चों को पुनः राष्ट्रीय धारा में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) जम्मू व कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि उनकी जानकारी में यह आया था कि कुछ अवयस्क युवाओं ने संभवतः दबाव में आकर, धन के प्रलोभन में आकर अथवा रूढ़वादियों के प्रचार के कारण, आतंकवादी गिरोह में शामिल होकर पाकिस्तान में तथा पाकिस्तान में प्रशिक्षित अन्य आतंकवादियों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रशासन द्वारा आतंकवादियों के दबाव में न आने के लिए प्रचार, इत्यादि के माध्यम से अवयस्क बच्चों को समझाने के उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, अवयस्कों सहित, आतंवादियों को प्राधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

नाइजीरियाइयों द्वारा किये जाने वाले नशीली दवाओं सम्बन्धी अपराध

6760. **श्री आर्थर फर्नान्डीज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली दवाओं सम्बन्धी अपराधों के लिए भारत में वर्ष 1990 के दौरान गिरफ्तार किए गए 234 विदेशी नागरिकों में से 104 नाइजीरियाई थे;

(ख) यदि हां, तो उनके अपराध किस प्रकार के थे;

(ग) क्या सरकार ने नाइजीरियाई व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ यह मामला उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा व निष्कर्ष क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जी हां, एन० डी० पी० एस० अधिनियम के अधीन अपराध करने के सम्बन्ध में देश में 1990 में गिरफ्तार किए गए 234 विदेशी व्यक्तियों में से 104 नाइजीरियन थे और लगभग सभी मामलों में अपराध स्वापक औषधों, मुख्यतः हेरोइन को अपने कब्जे में रखने के बारे में थे।

(ग) और (घ) हेरोइन का अवैध व्यापार करने में नाइजीरियन राष्ट्रिकों के व्यापक रूप में अन्तर्ग्रस्त होने की सूचना से वहां के प्राधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे विदेशी राष्ट्रिकों के विरुद्ध ऐसे मामलों का निपटान शीघ्रता से करें।

पर्यावरण और विकास के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

6761. **श्री अवध कुमार पटेल** :
श्री मणि शंकर अय्यर :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ की रियो डि जेनरियो, ब्राजील में आयोजित होने वाले पर्यावरण और विकास संबंधी आगामी सम्मेलन में क्या रुख और नीति अपनायी जाएगी;

(ख) क्या सम्मेलन के दौरान सरकार का विचार भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी के पृथ्वी सुरक्षा कोष के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को सभा पटल पर रखने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को विश्व पर्यावरण की रक्षा के लिए विकसित और विकासशील राष्ट्रों की संधि के बारे में वाशिंगटन स्थित वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट की हाल ही की अध्ययन रिपोर्ट का जानकारी है;

(च) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या सरकार को पर्यावरण की और क्षति को रोकने के विश्वभर के प्रयासों के बारे में "आसियान" द्वारा पारित हाल के संकल्प की जानकारी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एदुआर्डो फ़ैलीरो) : (क) भारत पर्यावरण का सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए ऐसी कोई व्यवस्था कायम करने का प्रयास करेगा जिसमें विकासशील देशों के लिए विकास की वांछित गति से विकास करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया हो। भारत इस बात के लिए अपील करेगा कि तरजीह आधार पर पर्याप्त मात्रा में नये तथा अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के अन्तरण का प्रावधान किया जाए जिससे विकासशील देश ऐसी प्रौद्योगिकियों को अपना सकें जो पर्यावरण के अनुकूल हों।

(ख) से (घ) हमने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन की तैयारी समिति में पृथ्वी रक्षा कोष के प्रस्ताव का पक्ष लिया।

(ङ) और (च) वर्ल्ड वाच इंस्टिच्यूट के हाल के एकाधिक प्रकाशन सार्वभौमिक पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्रबन्धों से सम्बन्धित हैं। इस समय जलवायु परिवर्तन और जैविक भिन्नता के सम्बन्ध में सार्वभौमिक अभिसमयों पर बातचीत की जा रही है। भारत इस बातचीत में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

(छ) जी हां।

(ज) ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सदन पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिंदी]

जांच आयोग की नियुक्ति

6762. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न मामलों की जांच करने हेतु नियुक्त किए गए इस समय कार्यरत जांच आयोगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त आयोगों की नियुक्ति किस-किस तिथि को की गयी थी;

(ग) उन आयोगों को अपनी रिपोर्टें प्रारम्भिक रूप से कब तक देनी थीं; और

(घ) ये आयोग अब अपनी रिपोर्टें कब प्रस्तुत करेंगे ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भूमि का अधिग्रहण

6763. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गत पांच वर्षों के दौरान अपनी परियोजनाओं के लिए गुजरात में विशेष रूप से बड़ौदा में कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया;

(ख) उसके परिणामस्वरूप कितने लोग विस्थापित हुए;

(ग) सरकार ने विस्थापित लोगों का मुआवजा और रोजगार देने के लिए क्या दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं;

(घ) कितने विस्थापित लोगों को अब तक मुआवजा/रोजगार दिया गया है; और

(ङ) शेष विस्थापित लोगों को कब तक मुआवजे/रोजगार दे दिया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1527.24 हैक्टेयर। बड़ौदा में शून्य।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अनुसार शून्य।

(ग) क्षतिपूर्ति का भुगतान नियम और विनियम के अनुसार किया जाता है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बघोदिया में गैस टर्मिनल

6764. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का विचार बघोदिया में और इसके आस-पास के क्षेत्रों को घरेलू प्रयोग के लिए गैस की सप्लाई करने हेतु एक गैस टर्मिनल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस क्षेत्र में घरेलू इस्तेमाल के लिए किसी गैस का आबंटन नहीं किया गया है।

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन सम्बन्धी जांच समिति

6765. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए पेंशन मंजूर करने हेतु गैर-सरकारी जांच समिति के सदस्यों को नियुक्त/नामांकित करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या संघ सरकार का विचार उक्त समिति में संसद सदस्यों को शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) संसद सदस्यों सहित, ऐसे विख्यात व्यक्तियों, जिन्हें आन्दोलन के बारे में पूरी जानकारी होती है, को उस आन्दोलन से संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत करने वाली गैर-सरकारी छानबीन समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

(ख) इस समय कोई भी गैर-सरकारी छानबीन समिति कार्यरत नहीं है। अत: उक्त समिति में संसद सदस्यों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और तुर्की के बीच बातचीत

6766. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** :
श्री रवि राय :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और तुर्की के बीच उच्च-स्तरीय बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत में किन-किन द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा हुई तथा उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस बातचीत में कश्मीर के मुद्दे पर भी चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) तुर्की के विदेशी मामलों के अण्डर सेक्रेटरी ओजदेम सेन्वर्क 16 और 17 मार्च, 1992 को द्विपक्षीय बातचीत के लिए भारत आए थे।

(ख) इस बातचीय में राजनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने तथा व्यापार, आर्थिक सहयोग एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ाने से सम्बद्ध मसलों पर बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने इस बारे में सहमति व्यक्त की कि दोनो देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने की संभावनाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं।

(ग) जी, हां।

(घ) हमने कश्मीर मसले पर तुर्की पक्ष को अपनी सुज्ञात स्थिति से अवगत कराया है और कश्मीर में पाकिस्तान के हस्तक्षेप पर अपनी चिंता की जानकारी भी उन्हें दी है। तुर्की पक्ष ने हमारे विचारों पर गौर किया।

हरियाणा में गन्ने का उत्पादन

6767. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हरियाणा में कुल कितने-कितने क्षेत्रफल में गन्ने की खेती की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान गन्ना अनुसंधान और विकास के लिए हरियाणा को कोई सहायता दी गयी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राज्य में गत वर्ष के दौरान कोई अनुसंधान परियोजना कार्यान्वित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना के अन्तर्गत कितनी सहायता दी गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० तो० लेंका) : (क) महोदय, हरियाणा में 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान क्रमशः 1,31,000, 1,26,000 और 1,47,000 हैक्टर क्षेत्र में गन्ना उगाया गया।

(ख) जी, हां।

(ग) 1988-89, 1989-90 और 1990-91 वर्षों के दौरान गन्ने पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत क्रमशः 2.72 लाख रु०, 3.67 लाख रु० और 3.41 लाख रु० की सहायता दी गई।

(घ) जी, हां।

(ङ) भा० कृ० अ० परिषद ने गन्ना अनुकूलन अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को 28.84 लाख रु० का अनुदान रिलीज किया है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गन्ना अनुकूलन अनुसंधान प्रायोजना

क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम	केन्द्र का नाम	रिलीज किया गया अनुदान		योग
			1989-90 (रु०)	1990-91 (रु०)	(रु०)
1	2	3	4	5	6
1.	बीज उत्पादन कार्यक्रम	उखानी	4,37,580	10,82,320	15,19,900

1	2	3	4	5	6
2.	रैटून (पेड़ी) प्रबंध कार्यक्रम	1. यमुनानगर	2,26,580	4,55,600	6,82,180
		2. उझानी	2,26,580	4,55,600	6,82,180
			8,90,740	19,93,520	28,84,260

डेरी और मुर्गी पालन

6768. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हरियाणा में डेरी और मुर्गी पालन को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) डेरी और कुक्कुट पालन को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ऋण और राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस स्कीम के तहत तीन से पांच दुधारू पशुओं से मिनि डेयरी यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है।

हिमित बीज प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के विस्तार के तहत नए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

11 अंडा और कुक्कुट जिला सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम के तहत किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए कुक्कुट प्रजनन फार्म स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा और दिल्ली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए होस्टल

6769. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा और दिल्ली में किन-किन स्थानों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए होस्टलों का निर्माण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) कितने होस्टलों का निर्माण हो रहा है और 1992-93 के दौरान कितने होस्टलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति लड़कियों और लड़कों के होस्टलों की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत हरियाणा सरकार और दिल्ली प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। अनुसूचित जनजातियों को हरियाणा और दिल्ली के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हरियाणा राज्य सरकार और दिल्ली प्रशासन से 1992-93 के लिए होस्टलों के निर्माण के प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

संयुक्त कनिष्ठ लेखा अधिकारी परीक्षा

6771. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त लिपिक संवर्ग कर्मचारी और इनकी एसोसिएशन अंडमान और निकोबार प्रशासन से उन्हें दिल्ली प्रशासन के पैटर्न के आधार पर संयुक्त कनिष्ठ लेखा अधिकारी परीक्षा में बैठने की अनुमति देने हेतु अभ्यावेदन करती आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) संयुक्त लिपिक संवर्ग कर्मचारी संघ, पोर्ट ब्लेयर ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि उनके कर्मचारी जो अंडमान और निकोबार प्रशासन के अधीन वेतन और लेखा संगठन के अलावा अन्यत्र विभागों में कार्यरत हैं, उन्हें महालेखा नियन्त्रक द्वारा आयोजित की जा रही कनिष्ठ लेखा अधिकारी परीक्षा में भी उसी प्रकार से बैठने की अनुमति दी जाए जिस प्रकार से अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों में कार्यरत सभी लिपिकीय स्टाफ को उनके वर्तमान कार्य करने के विभाग पर ध्यान दिए बगैर बैठने दिया जाता है।

(ख) कनिष्ठ लेखा अधिकारी परीक्षा के लिए महालेखा नियन्त्रक द्वारा निर्मित विनियमों में निर्धारित पात्रता के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अभ्यावेदन पर विचार किया गया। चूंकि विनियमों में परीक्षा के लिए केवल वे ही लिपिकीय कर्मचारी पात्रता रखते हैं जो विभागीय लेखा संगठनों में स्थायी रूप से स्थानान्तरित हुए हों, अतः संयुक्त लिपिक संवर्ग कर्मचारी संघ का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अंशकालिक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

6772 **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों में अंशकालिक सफाई वालों, चपरासियों, वाचमैन, चौकीदार, चौधरी, शिल्प अध्यापक आदि को समेकित वेतन के रूप में 50 रुपये या इससे अधिक मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं;

(ग) 50 रुपये अथवा इससे अधिक यह वेतन कब निर्धारित किया गया था;

(घ) क्या बढ़ती हुई निर्वाह लागत को देखते हुए इस राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) अंडमान और निकोबार प्रशासन ने जनवरी, 1986 से 44 शिल्पकार 250/-रु० प्रतिमाह की दर से, अगस्त, 1987 से 29 आया 150/-रु० प्रतिमाह की दर से, सितम्बर, 1980 से 50/-रु० प्रतिमाह की दर से 24 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 46 ग्राम चौकीदार और 46 ग्राम चौधरियों को क्रमशः 200/-और 190/-रु० प्रति माह की दर से निर्धारित पारिश्रमिक पर तथा कुछ दाईयों को 50/-प्रतिमाह के समेकित वेतन पर कार्य पर रखा था।

(घ) और (ङ) बढ़ते हुए जीवन निर्वाह लागत को देखते हुए इन सभी अंशकालिक कर्मचारियों के समेकित वेतन में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर अंडमान और निकोबार प्रशासन विचार कर रहा है।

नारियल विकास बोर्ड

6773. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नारियल विकास बोर्ड द्वारा गोवा में क्या कार्य किए गए तथा उनके क्या परिणाम निकले; और

(ख) गोवा में नारियल की खेती के विकास हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गोवा में नारियल विकास बोर्ड द्वारा शुरू किये गये क्रियाकलापों में निम्नलिखित शामिल है :—

(1) 223 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को नारियल के तहत लाना; और

(2) 128 पम्पसेटों (नलकूपों) की अधिष्ठापना करना।

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए गोवा में नारियल पौधरोपण के विकास के लिये कार्यकारी योजना में "टी × डी" संकर नारियल के पौदों का उत्पादन व वितरण, नारियल के तहत क्षेत्र-विस्तार और सिंचाई की सुविधाओं के लिये सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

गोवा में पुर्तगाल का वाणिज्यिक दूतावास

6774. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोवा में पुर्तगाल का वाणिज्यिक दूतावास खोलने के बारे में उस देश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने गोवा में अभिरक्षक सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले को गोवा सरकार के पास उनके विचार जानने के लिए भेज दिया गया है।

(ग) और (घ) इन सम्पत्तियों का प्रबंध गोवा सरकार के निष्क्रान्त सम्पत्ति अभिरक्षक द्वारा किया जा रहा है।

भारतीय मिशनों में आर्थिक और वाणिज्यिक प्रभाग

6775. **श्री माग्ये गोवर्धन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के आर्थिक और वाणिज्यिक प्रभागों ने हमारे वाणिज्यिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने में क्या भूमिका निभायी है;

(ख) क्या इन प्रभागों के सर्वोच्च अधिकारी इस हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित और तैयार किये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अपने देश के निर्यात को सक्रिय रूप से प्रोत्साहन देने हेतु इन प्रभागों का पुनर्गठन करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) विदेश स्थित भारतीय मिशनों के आर्थिक और वाणिज्यिक स्कन्द हमारे वाणिज्यिक और आर्थिक हितों के संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वाणिज्यिक स्कन्धों ने हमारे निर्यात को बढ़ाने, विदेश पूंजी निवेश को आकर्षित करने और नवीनतम प्रौद्योगिकी को सुगम बनाने के लिए उत्साहवर्धक कार्य आरम्भ किया है। प्रमुख क्षेत्रीय आर्थिक ग्रुपों के साथ सम्बन्धों को घनिष्ठ बनाने का प्रयास भी किया गया है जिनमें दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (एशियान) और यूरोपीय समुदाय शामिल हैं।

(ख) जी हां।

(ग) विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान विदेशों में तैनात हमारे वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के लिए नियमित रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाता है ताकि उन्हें हमारे आर्थिक और वाणिज्यिक हितों के संवर्धन के काय में बेहतर ढंग से दक्ष किया जा सके।

(घ) सरकार निरन्तरता के आधार पर विदेश स्थित अपने मिशनों और केन्द्रों में आर्थिक और वाणिज्यिक स्कन्धों की सामर्थ्य और क्रिया-प्रणाली का मूल्यांकन करती है। आर्थिक और वाणिज्यिक स्कंधों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए यथावश्यक कम्प्यूटर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मन्त्रालय के स्टाफ की कुल संख्या में से ही पदों को पुन: आवंटित किया गया है ताकि विदेशों में अपने निर्यात को बढ़ाने और अपने आर्थिक हितों को पूरा करने की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

बकरियों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

6776. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बकरियों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या सिफारिशों की गईं ;

(ग) ये सिफारिशें भारतीय संदर्भ में कहां तक प्रासंगिक हैं; और

(घ) इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय बकरी संस्था के सहयोग से भारतीय भेड़ और बकरी उत्पादन और उपयोग संस्था द्वारा बकरियों पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

(ख) सरकार को अभी तक सिफारिशें नहीं मिली हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैस के उत्पादन में वृद्धि

6777. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राकृतिक गैस का अनुमानित राज्यवार कितना भंडार है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राकृतिक गैस के कितने नये भंडारों का पता लगाया गया;

(ग) क्या प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने का सरकार का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान गैस क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु क्या विशेष कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) दिनांक 1-1-1991 की स्थिति के अनुसार, वसूली योग्य अनुमानित भंडार निम्नलिखित हैं :—

राज्य	वसूली योग्य भंडार (बिलियन घन मीटर)
1	2
गुजरात	117.1
राजस्थान	3.6
त्रिपुरा	10.6
असम	147.8
नागालैंड	0.9
आंध्र प्रदेश	25.8
तमिलनाडु	2.2

1	2
अरुणाचल प्रदेश	4.1
पूर्वी समुद्र तट अपतटीय	13.9
पश्चिमी समुद्र तट अपतटीय	535.9

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 में क्रमश. लगभग 8.27 और 6.79 बिलियन घन मीटर वसूली योग्य भंडार स्थापित किए गए थे। वर्ष 1991-92 के दौरान की गई खोजों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) नीलम मुक्ता, पन्ना गांधार और आर-15-ए तेल क्षेत्रों का विकास जैसी विभिन्न परियोजनाएं और बम्बई हाई क्षेत्रों में एल-11 और एल-111 रिजर्वायरों से तेल की बढ़ी हुई वसूली, जिससे गैस का भी वर्द्धित उत्पादन प्राप्त होगा, आठवीं योजना के दौरान क्रियान्वित की जानी है।

पंजीकृत कीटनाशक एकक

6778. **श्री मोहन सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कीटनाशक अधिनियम की धारा 9(3), 9(3ख), 9(4) के अन्तगत केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड की पंजीकरण समिति के पास कुल कितने कीटनाशक एकक पंजीकृत हैं; और

(ख) 31 मार्च, 1992 को कीटनाशक अधिनियम की धारा 9(3), 9(3ख) और 9(4) के अन्तर्गत पंजीकरण की अनुमति प्रदान करने के लिए पंजीकरण समिति के समक्ष कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत गठित रजिस्ट्रेशन कमिटी (न कि केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड) कीटनाशकों की प्रभावकारिता तथा मानव जाति, जानवरों तथा पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में संतुष्ट होने पर रजिस्ट्रेशन मंजूर करती है। धारा 9(3), 9(3ख) और 9(4) के तहत पंजीकृत कीटनाशकों की संख्या क्रमश: 134, 27 और 110 है। बहरहाल कीटनाशकों का विनिर्माण करने वाली यूनिटों को इस अधिनियम के तहत पंजीकरण समिति द्वारा पंजीकृत नहीं किया जाता है।

(ख) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार रजिस्ट्रेशन मंजूर करने के लिए पंजीकरण समिति के पास लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या निम्न प्रकार है :

9(3)	—	33
9(3ख)	—	36
9(4)	—	727

पश्चिम तट के अपतटीय तेल क्षेत्र की उत्पादन क्षमता

6779. **श्री हरिन पाठक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम तट के अपतटीय तेल क्षेत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्षमता की स्थापना लागत कितनी है तथा मुख्य भूमि तक परिवहन इत्यादि सहित प्रत्येक तेल क्षेत्र की विकास लागत कितनी है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों से उत्पादन निम्नानुसार है :

वर्ष	तेल का उत्पादन (मिलियन टन)
1989-90	22.32
1990-91	21.21
1991-92 (अस्थायी)	18.96

31-3-1991 तक इन क्षेत्रों में कुल निवेश 12085.5 करोड़ रुपए रहा है।

काजू की खेती का विकास

6780. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक का एक दल आंध्र प्रदेश में काजू की खेती का और आगे विकास करने के लिए उपलब्ध क्षमता का मूल्यांकन करने हेतु राज्य की यात्रा पर आया था;

(ख) यदि हां, तो चुने गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विश्व बैंक का प्रत्युत्तर क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

पेट्रोलियम उत्पादों की बरबादी

6782. **श्री अवध कुमार पटेल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पाद बरबाद किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पेट्रोलियम संसाधनों का अधिकतम दोहन करने तथा तेल संरक्षण के पूरे क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति निर्धारित की गई है अथवा की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) कुछ कार्य दलों ने प्रमुख क्षेत्रों में ऊर्जा के संरक्षण, जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं, की संभावना 20% से 30% होने का अनुमान लगाया है।

(ख) और (ग) पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वयनाधीन विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं : जन जागरूकता अभियान, तेल के प्रयोगकर्ताओं के लक्ष्य दलों

को शिक्षा और प्रशिक्षण देना, ईंधन-कुशल उपस्करणों/उपकरणों और उन्नयनीत स्नेहकों के प्रयोग को बढ़ावा देना, नए निर्दिष्ट क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू करना, वैकल्पिक ईंधनों के प्रयोग को बढ़ावा देना और पेट्रोलियम उत्पादों की बर्बादी में तथा साथ ही दुरुपयोग में कमी करना। इन उपायों की प्रभावकारिता में वृद्धि करना एक सतत चलने वाला कार्य है।

सऊदी अरब से कच्चे तेल का आयात

6783. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान सऊदी अरब से कच्चा तेल आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम के अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में हाल ही में सऊदी अरब की यात्रा की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानंद):(क) से (घ) मार्च, 1992 के प्रथम सप्ताह के दौरान, वर्ष 1992-93 के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति को अन्तिम रूप देने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल सऊदी अरब गया था। 'सऊदी आरमको' वर्ष 1992-93 के दौरान इण्डियन आयल कारपोरेशन को 5 एम० एम० टी० कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए सहमत हो गया है।

[हिन्दी]

पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति

6784. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पिछड़े वर्गों के छात्रों का मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत लाभ न कमाने वाली एक कम्पनी के रूप में निगमित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के उद्देश्यों में से एक है। पिछड़े वर्गों को स्नातक और उच्चतर स्तरों पर सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण जारी रखने के लिए ऋण प्रदान करना।

विदेशी मामलों के संबंध में स्वयंसेवी शैक्षिक संस्थाएं/संगठन

6785. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पंजीकृत स्वयंसेवी शैक्षिक संस्थाओं/संगठनों की कुल संख्या कितनी है, जो भारत के विदेशी मामलों और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अध्ययन और शोध कार्य में लगे हैं;

(ख) क्या सरकार ऐसी संस्थाओं/संगठनों को वार्षिक अथवा अन्य प्रकार का अनुदान देती है; और

(ग) यदि हां, तो संस्थावार/संगठनवार तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन संस्थाओं/संगठनों का ब्योरा दिया गया है जिन्हें विदेश मंत्रालय से वित्तीय सहायता मिलती है।

विवरण

संस्था/संगठन का नाम	वार्षिक अनुदान अन्तिम प्राक्कलन 1991-92 (हजार रुपए)
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद	135000
भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विधि सोसाइटी	500
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	1000
गुट निरपेक्ष तथा अन्य देशों के लिए अनुसंधान तथा कूटनय पद्धति से सम्बद्ध सोसाइटी	7052
भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध अनुसंधान परिषद	100
औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान	1000

[अनुवाद]

भारतीय उच्चायोगों के पास वाहन

6786. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों के पास वाहनों की संख्या कितनी है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उनके रख-रखाव पर कितना धन व्यय किया गया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) विदेशों स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों में 327 वाहन है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में उनके रख-रखाव पर हुए व्यय का वर्षवार ब्योरा इस प्रकार है :

1988-89—1,22,38,506.76 रु०

1989-90—1,32,25,281.05 रु०

1990-91—1,46,12,428.54 रु०

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों की सहायता से तेल शोधक कारखानों की स्थापना

6787. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों की सहायता से तेल शोधक कारखानों की स्थापना करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां स्थित होंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानंद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

झींगा मछली का उत्पादन

6788. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक तटीय राज्य में झींगा मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : प्रत्येक समुद्रीय तटीय राज्य में श्रिम्प फार्मिंग के विकास के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(1) श्रिम्प पालकों को तकनीकी, वित्तीय और विस्तार समर्थन मुहैया करने के लिए सक्षम तटवर्ती जिलों में खारा जल मछली पालक विकास एजेंसियों की स्थापना करना। अभी तक 9 समुद्रिक राज्यों के सक्षम जिलों में 31 ऐसी एजेंसियों को स्थापना की मंजूरी दे दी गई है।

(2) श्रिम्प फार्मिंग की प्रौद्योगिकी-आर्थिक सक्षमता का प्रदर्शन करने के लिए चुनिन्दा क्षेत्रों में प्रदर्शन और मार्गदर्शी श्रिम्प फार्मों तथा श्रिम्प बीज हैचरियों की स्थापना करना।

(3) झींगा मछली फार्मरों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक तटवर्ती राज्य में प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।

(4) श्रिम्प पालकों/उद्यमियों/टेक्नोक्रेटों के विभिन्न वर्गों को अर्द्ध-गहन श्रिम्प फार्मों, श्रिम्प हैचरियों तथा श्रिम्प आहार मिलों की स्थापना के लिए राजसहायता के रूप में सहायता देना; और

(5) आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 3810 हैक्टेयर निवल जल क्षेत्र को कवर करते हुए 1992-93 से आगे 7 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर विश्व बैंक से सहायता प्राप्त श्रिम्प पालन परियोजना का कार्यान्वयन।

मत्स्य ग्रहण केन्द्र और मत्स्यन पत्तन

6789. **श्री रामकृष्ण कौंतासा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने राज्यवार कितने मत्स्य ग्रहण केन्द्रों और मत्स्यन पत्तनों की स्वीकृति दी है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना की लागत कितनी है और इनमें केन्द्र तथा राज्य का अंशदान कितना-कितना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान संघ सरकार द्वारा चार मत्स्यन पत्तनों और बारह मत्स्य ग्रहण केन्द्रों को स्वीकृति दी गयी थी। ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

मत्स्य ग्रहण केन्द्र और मत्स्यन पत्तन

(लाख रुपए में)

मत्स्यन पत्तन/ मत्स्य ग्रहण केन्द्र का नाम और स्वीकृति	स्वीकृत लागत	केन्द्रीय अंश	राज्य का अंश
1	2	3	4
1989-90			
1. गोपालपुर मत्स्यन पत्तन (उड़ीसा)	672.40	336.20	336.20
2. ओंजल मत्स्य ग्रहण केन्द्र (गुजरात)	42.00	21.00	21.00
3. राजपारा मत्स्य ग्रहण केन्द्र (गुजरात)	43.35	21.68	21.68
4. सरजेकोटे मत्स्य ग्रहण केन्द्र (महाराष्ट्र)	30.00	15.00	15 00
5. अगराव मत्स्य ग्रहण केन्द्र (महाराष्ट्र)	64.50	32.25	32.25
1990-91			
6. पारादीप मुख्य मत्स्यन पत्तन (उड़ीसा)	2834.43	2834.43	शून्य

1	2	3	4
7. पंचुबिसा मत्स्य ग्रहण केन्द्र (उड़ीसा)	32.68	16.34	16.34
8. नाराबुन्दर मत्स्य ग्रहण केन्द्र (गुजरात)	33.91	16.96	16.96
1991-92			
9. मोप्ला खाड़ी (केरल)	564.00	282.00	282.00
10. चोम्बल (केरल)	556.00	278.00	278.00
11. क्विलेंडी (केरल)	23.00	11.50	11.50
12. कांसाबंसा (उड़ीसा)	46.40	23.20	23.20
13. सोरन (उड़ीसा)	9.97	4.98	4.98
14. नैरी-स्टेज 2(उड़ीसा)	6.00	3.00	3.00
15. ऋषिकुल्या (उड़ीसा)	9.40	4.70	4.70
16. पाबुर (उड़ीसा)	17.00	8.50	8.50

कानून और व्यवस्था की स्थिति संभालने के लिए सेना की सहायता

6790. **श्री रवि राय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल अधिकारियों ने देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की स्थिति संभालने के लिए 1991 और 1992 के दौरान अब तक सेना की सहायता ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक पार्क

6791. **श्री गुरुदास कामत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन देश के लिए औद्योगिक पार्कों की स्थापना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने शहरों में औद्योगिक पार्क स्थापित करने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

हज यात्रा

6792. **श्री सुखलाल कामत :**

श्री समत कुमार मंडल :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज यात्री इस वर्ष हज के लिए सऊदी अरब की यात्रा करने के बारे में अनिश्चितता की स्थिति में हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है; और

(ग) इस वर्ष कितने यात्रियों के हज जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस वर्ष लगभग 35,000 लोगों के हज यात्रा पर जाने की उम्मीद है।

शुष्क भूमि खेती

6793. **श्रीमती वसुंधरा राजे :**

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का साइप्रस को शुष्क भूमि खेती सम्बन्धी कोई सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हुए समझौते का ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां। साइप्रस के कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन मन्त्री की यात्रा के समय भारत सरकार तथा साइप्रस सरकार के मध्य 26-3-1992 को हस्ताक्षरित सहयोग कार्यक्रम में वर्षासिंचित कृषि को दोनों देशों के बीच सहयोग के एक क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया है। सहयोग के वे क्षेत्र, जिन्हें सहयोग कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहित किया जाना है, संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) तकनीकी सहयोग अन्य बातों के साथ वैज्ञानिक व तकनीकी सूचना के आदान-प्रदान, व्याख्यानों, संगोष्ठियों के आयोजन, प्रशिक्षुओं, वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ शिष्ट-मण्डलों के आदान-प्रदान, संयुक्त कृषि अनुसंधान कार्यक्रम एवं उनके निष्कर्षों के आदान-प्रदान द्वारा किया जाएगा।

विवरण

भारत एवं साइप्रस के मध्य सहयोग कार्यक्रम के तहत तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहयोग के क्षेत्र

क्रमांक	सहयोग का क्षेत्र
1.	पुष्पोत्पादन एवं अंगूर उत्पादन सहित बागवानी।
2.	नई उच्च पैदावार देने वाली किस्मों के प्रजनन सहित क्षेत्रीय फसलें।
3.	उन्नत सिंचाई प्रणालियां, उर्वरक मिश्रित जल द्वारा सिंचाई तथा उपचारित उत्सर्जित पदार्थों के सिंचाई हेतु पुनरूपयोग सहित मृदा उर्वरता, उर्वरक उपयोग एवं सिंचाई प्रौद्योगिकी।
4.	जल विकास परियोजनाओं एवं सिंचाई प्रणालियों का अध्ययन, डिजाइन एवं विनिर्माण।
5.	भूमि सुधार एवं मृदा अपरदन नियंत्रण।
6.	भूतल एवं भूमिगत जल संसाधनों का सम्मिलित उपयोग।
7.	जल संरक्षण, परियोजनाओं का कृत्रिम रिचार्ज।
8.	कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान।
9.	वर्षासिंचित कृषि
10.	पशुपालन एवं पशुधन विकास।
11.	विस्तार शिक्षा।

मुर्गीपालन उद्योगों का बन्द होना

6795. **श्री गुरुदास कामत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुर्गीपालन उद्योग बन्द होने वाले हैं;

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मुर्गियों का मुख्य भोजन मकई की कम आपूर्ति हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मुर्गीपालन उद्योगों को बन्द न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० वी० थंगा) : (क) और (ख) देश में कुक्कुट पालन उद्योग कठिन दौर में गुजर रहा है, विशेषकर मक्के, जो कि मुर्गियों के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री है, की कमी और इसके बढ़े हुए मूल्यों के कारण।

(ग) और (घ) उत्पादन में कमी और कुक्कुट तथा स्टार्च उद्योग और मानव उपभोग आदि जैसे अन्य प्रतियोगी क्षेत्रों की बढ़ती हुई मांग के कारण कुक्कुट आहार मक्का की आपूर्ति बहुत कम है।

(ङ) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) व्यापारियों द्वारा मक्के की जमाखोरी रोकने के लिए राज्य सरकारों से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है।

(2) कुक्कुट क्षेत्र को उपयुक्त मूल्य पर उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए इसके आयात की संभावना का पता लगाने तथा इसकी स्थानीय रूप से प्राप्ति के लिए नेफेड से अनुरोध किया गया है।

(3) देश में मक्के का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(4) अंडों के विपणन को सुव्यवस्थित करने तथा उपयुक्त मूल्यों पर संतुलित कुक्कुट आहार की आपूर्ति के लिए राज्य स्तरीय कुक्कुट पालन निगमों/फेडरेशनों एवं ऐसे अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

खुंभी एकक

6796. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी सहायता से देश में खुंभी एकक स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में खुंभी एकक स्थापित किए जाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

भू-कटाव

6797. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में भू-कटाव के कारण उत्पन्न समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में भू-कटाव से कुल कितने हेक्टेयर भूमि प्रभावित है; और

(ग) उड़ीसा में भू-कटाव को रोकने के लिए कौन-सी केन्द्रीय योजना चलाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा में 78.03 लाख हैक्टेयर क्षेत्र मृदा अपरदन एवं मृदा अवक्रमण की समस्याओं से प्रभावित है।

(ग) मृदा अपरदन एवं अवक्रमण की समस्याओं से प्रभावित क्षेत्रों के बड़े भाग का उपचार राज्य क्षेत्र के मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों के तहत किया जा रहा है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में निम्नलिखित केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं सहायता कर रही हैं :

(1) नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि संरक्षण।

(2) वर्षासिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय जलधारा विकास।

(3) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम ।

मात्स्यिकी सहकारिता

6798. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मत्स्यन को प्रोत्साहन देने के लिए मात्स्यिकी सहकारिता को सुदृढ़ करना आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो मात्स्यिकी सहकारिता को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम तथा केन्द्रीय मत्स्यन बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुत्तापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 1974 से मात्स्यिकी सहकारी समितियों को बढ़ावा देना आरम्भ किया। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने मात्स्यिकी सहकारी समितियों की विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता के विशिष्ट प्रतिमान विकसित किए हैं (जिसकी मात्रा विभिन्न गतिविधियों के लिए 75% से 100 प्रतिशत के बीच है)। यह राज्य सरकारों को रियायती दरों पर धन मुहैया कराता है (सहकारिता की दृष्टि से कम विकसित और बहुत कम विकसित राज्यों/संघशासित प्रदेशों में 12 प्रतिशत तथा सहकारिता की दृष्टि से विकसित राज्यों में 12.5 प्रतिशत) अलग-अलग सोसायटियों के लिए और विभिन्न जिलों को शामिल करते हुए समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं के लिए प्रस्तावों के निरूपण में सहायता करता है तथा देश में मात्स्यिकी सहकारी समितियों के संवर्धन के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय, विश्व बैंक आदि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से धन की व्यवस्था करवाता है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम मात्स्यिकी सहकारी समितियों को अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सहायता देता है :

(1) मत्स्यन नौकाओं, जालों तथा इंजिनों जैसे संचालक आदानों की खरीद।

(2) विपणन के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधाओं (परिवहन वाहन, शीत-भण्डार, खुदरा बिक्री केंद्र आदि) का सृजन ।

(3) परिसंस्करण इकाइयों की स्थापना जिनमें बर्फ संयंत्र, शीत भण्डार आदि शामिल हैं।

(4) अन्तर्देशीय मात्स्यिकी, बीज फार्मों, हैचरियों आदि का विकास।

(5) सम्भाव्यता रिपोर्टें तैयार करना।

(6) तकनीकी तथा संवर्धक कक्ष योजना के अन्तर्गत विशेषज्ञों की नियुक्ति ।

(7) समेकित मात्स्यिकी परियोजनाएं (समुद्री, अन्तर्देशीय तथा खारे पानी की)।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने विभिन्न राज्यों और संघशासित प्रदेशों में मात्स्यिकी सहकारी समितियों के विकास हेतु 31 मार्च, 1992 तक 174.790 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की है तथा 70.643 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए हैं।

एल० पी० जी० सिलिंडर संयंत्र

6799. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एल० पी० जी० सिलेंडर का निर्माण करने वाले कुछ संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये संयंत्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान सिलिंडरों के निर्माण के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

डेयरी उद्योग में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश

6800. **श्री यशवन्त राव पाटिल**
श्री वी० एस० विजय राघवन :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश में डेयरी उद्योग स्थापित करने के लिए अनुमति मांग रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है;

(ग) क्या इन कम्पनियों के प्रवेश के परिणामस्वरूप डेयरी उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने हमारे उद्योगों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं। किसी विदेशी कम्पनी अथवा किसी भारतीय आवेदक का विदेशी सहयोग का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विशिष्ट व्यक्तियों के लिए विशेष विमान

6801. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों के दौरान प्रधान मन्त्री को छोड़कर मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यों ने देश में दौरा करने के लिए कितनी बार विशेष विमानों का प्रयोग किया;

(ख) उन मन्त्रियों के नाम क्या हैं जिन्हें विशेष विमान के प्रयोग की अनुमति दी गई थी; और

(ग) इस प्रयोजन पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बंगाल की खाड़ी के तट पर तेल और गैस के कुओं की खुदाई

6802. **डा० पी० वल्लल पेरुमाल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगाल की खाड़ी के तट पर पोर्टोनोवा में "पीवाई-2" तट दूर के अन्तर्गत तेल और गैस के कितने कुओं की खुदाई की गई थी; और

(ख) अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) पीवाई-2 संरचना के अन्तर्गत एक कुएं की खुदाई की गई थी लेकिन वह सूखा निकला।

विभिन्न किस्म के धान का उत्पादन

6803. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी किस्म का धान उगाया जाता है;

(ख) इन किस्मों का प्रति एकड़ कितना उत्पादन होता है; और

(ग) धान की उन किस्मों का ब्यौरा क्या है जिनसे चावल के उत्पादन में वृद्धि करने में सफलता मिली है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) फिलहाल देश में उपजाये जाने वाले धान की किस्मों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. स्थानीय/परम्परागत धान की किस्में;

2. उन्नत धान की किस्में;

3. अधिक उपज देने वाले धान की किस्में;

4. खुशबूदार/सुगंधित धान की किस्में;

(ख) इन किस्मों की प्रति एकड़ उपज उन कृषि पारिस्थितिक स्थितियों तथा आदान उपयोग पर निर्भर करता है, जिनके तहत ये उपजाये जाते हैं। उच्च उपज देने वाले धान की किस्मों की तुलना में परम्परागत/स्थानीय किस्मों, उन्नत किस्मों और खुशबूदार/सुगंधित किस्मों का उत्पादन विभव सामान्यतया कम होता है। देश में चावल के सम्बन्ध में धान की इन किस्मों का औसत उत्पादकता लगभग 1.75 मीटरी टन प्रति हेक्टेयर है।

(ग) धान की उच्च उपज देने वाली किस्मों की खेती के प्रचार से देश में समग्र उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिली है।

चावल का उत्पादन

6804. **श्री ए० प्रताप राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल का वर्तमान उत्पादन इसकी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो इसकी कमी किस तरह पूरी की जाएगी;

(ग) चावल की राज्य-वार मांग कितनी है; और

(घ) वर्ष 1992-93 में चावल का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बुल्लापल्ली रामाचंद्रन) : (क) से (घ) आठवीं पंच-वर्षीय योजना के निरूपण के लिए मांग और आपूर्ति प्रक्षेपण तथा कृषि सांख्यिकी के सुधार पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट के अनुसार 1991-92 के लिए चावल हेतु मांग प्रक्षेपण 73.95 मिलियन मीटरी टन आंका गया है।

इस मांग के मुकाबले, 1991-92 में चावल का उत्पादन 73.0-73.5 मिलियन मीटरी टन होने की आशा है। चावल की मांग की राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

2. चूंकि 1992-93 फसल वर्ष अभी प्रारम्भ होना है, अत: उस वर्ष में चावल के अनुमानित उत्पादन का उल्लेख अभी नहीं किया जा सकता। बहरहाल, चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार विभिन्न राज्यों में एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है।

भारतीय राजनयिकों का विदेशों में राजनीतिक समारोहों में शामिल होना

6805. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश स्थित भारतीय राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधियों को, उन देशों की यात्रा पर आने वाले भारतीय राजनैतिक दलों के नेताओं के सम्मान में अथवा विदेशों में भारतीय राजनीतिक दलों के लिए कार्य करने वाले संघों, सोसायटियों अथवा संगठनों द्वारा आयोजित राजनैतिक अथवा अर्धराजनीतिक समारोहों में शामिल होने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित हुए ऐसे राजनीतिक और अर्धराजनीतिक और स्वरूप वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों का देशवार ब्यौरा क्या है जिनमें भारतीय राजनयिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सभी भारतीय राजनयिक जिनमें संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि भी शामिल हैं, केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 से बद्ध हैं जिसके अनुसार राजनीति में भाग लेना, जिसमें राजनैतिक स्वरूप के कार्यक्रमों में भाग लेना शामिल है, निषिद्ध है। तथापि कार्यक्रम का स्वरूप राजनैतिक है अथवा नहीं, इसका निर्णय सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिंदी]

दालों का उत्पादन

6806. **श्री बलराज पासी :**
श्री देवी बक्स सिंह :
डा० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दालों का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन-कौन से हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत दालों का उत्पादन होता है;

(ग) क्या इन राज्यों को दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई सहायता दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उडीसा देश के सबसे अधिक दलहन उत्पादक राज्य हैं और इनके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा बिहार आते हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन में क्रमश: 12.3 तथा 19.6 प्रतिशत का योगदान करते हैं।

(ग) तथा (घ) दलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को आदान समर्थन मुहैया कराने हेतु, केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम (एन० पी० डी० पी०) तथा केन्द्रीय सेक्टर विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (एस० एफ० पी० पी०) दलहन क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, राज्यों को विभिन्न आदानों पर जैसे बीज उत्पादन, पौध सुरक्षा उपाय, बीज मिनिकिट, छिड़काव सैटों का वितरण, रिजोबियल कल्चर तथा फार्म उपकरण और उन्नत प्रौद्योगिकी की मदद से बड़े पैमाने पर दलहन की कृषि करने के लिए किसानों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए, वित्तीय सहायता दी जाती है। दलहनों की कृषि और सहकारिता विभाग में टेक्नोलॉजी मिशन के दायरे के अन्तर्गत भी लाया गया है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों का निर्यात

6807. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में किन-किन कृषि वस्तुओं का और कितनी मात्रा में निर्यात किए जाने की संभावना है;

(ख) इन वस्तुओं के उत्पादन का वर्तमान स्तर कितना है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए विशेष फसलों के उत्पादन क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचंद्रन) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान चावल, गेहूं, मोटे अनाजों, मसाले, काजू, एच० पी० एस० मूंगफली, फलों तथा सब्जियों का निर्यात किए जाने की आशा है। आठवीं योजनावधि के दौरान इन मदों के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने के बाद चावल, गेहूं, मोटे अनाजों तथा कपास का निर्यात अधिशेष उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा।

(ख) 1990-91 के दौरान इन वस्तुओं के उत्पादन का वर्तमान स्तर निम्नलिखित है :

(मिलियन मी० टन)

वस्तुओं का नाम	उत्पादन
चावल	74.58
गेहूं	54.52
मोटे अनाज	33.05
मसाले	2.08
काजू	0.29
मूंगफली	7.62
फल	28.00
सब्जियां	57.80
कपास	97.59 (170 कि० ग्रा० की प्रत्येक गांठ)

(ग) और (घ) निम्नलिखित अभिवृद्धि कार्यक्रम, जो उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशिष्ट फसलों और क्षेत्रों पर जोर देते हैं, कार्यान्वित किए जा रहे हैं :

(1) एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम

(2) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—गेहूं

(3) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—मक्का और कदन्न

(4) गहन कपास विकास कार्यक्रम

(5) उत्कृष्ट संतति के बागान—सह नर्सरी योजना

(6) छोटी तथा बड़ी इलाइची के सम्बन्ध में गुणवत्ता।

पौधरोपण सामग्री का पुनः पौधरोपण तथा आपूर्ति की योजना।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की कमी के कारण भुखमरी

6808. **श्री सुरेशानन्द स्वामी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के कतिपय भागों में खाद्यान्नों की कमी के कारण लोगों में फैली भुखमरी की जानकारी है;

(ख) भुखमरी से कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या देश में खाद्यान्नों की भारी कमी है जिसके कारण अनाजों का आयात किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचंद्रन) : (क) देश के किसी भी भाग में खाद्यान्नों की कमी के कारण भुखमरी की किसी भी राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 1-3-1992 को केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का लगभग 124.00 लाख टन का स्टाक था, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त माना जाता है। तथापि, सरकार ने गेहूं की उपलब्धता में वृद्धि करने तथा बाजार-मूल्यों को नियन्त्रण में रखने के लिए 1.00 मिलियन टन गेहूं के आयात का फैसला किया है।

[अनुवाद]

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की खरीद

6809. **श्री पीयूष तीरकी** :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री नवल किशोर राय :
डा० महादीपक सिंह शाक्य :
श्री नीतीश कुमार

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दूध की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए दिल्ली दुग्ध योजना ने किसी गैर-सरकारी कम्पनी से दूध खरीदने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त गैर-सरकारी कम्पनी से दूध किस दर से खरीदा जाता है/खरीदा जाएगा;

(ग) क्या उक्त गैर-सरकारी कम्पनी के साथ प्रस्तावित समझौते के विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) पिछले वर्ष एक ऐसी स्थिति सामने आई जब कुछ स्थानीय सहकारी समितियों ने दुग्ध के लिए और अधिक मूल्य की मांग करते हुए जबकि दिल्ली दुग्ध योजना के साथ उनका समझौता अभी चल ही रहा था, दिल्ली दुग्ध योजना को दुग्ध की आपूर्ति रोक दी। दिल्ली में उपभोक्ताओं को दुग्ध की आपूर्ति का स्तर कायम रखने और ऐसी स्थिति से बचने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना ने आपूर्ति के अपने साधनों में विविधीकरण लाने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार, खुली निविदा आमंत्रित करने के पश्चात दुग्ध की आपूर्ति के लिए कुछ निजी एजेंसियों को आदेश दिए गए थे। निजी एजेंसियां 7.53 रुपए प्रति किलोग्राम और 7.73 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर प्रतिदिन दिल्ली दुग्ध योजना को दुग्ध की आपूर्ति कर रही हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में सामगढ़ गैस ताप विद्युत परियोजना तक गैस पाइप लाइन

6810. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने राजस्थान में सामगढ़ गैस ताप विद्युत परियोजना तक सहायक गैस पाइप लाइन का निर्माण करने के लिए ठेका दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माण कार्य शुरू हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानंद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

निरन्तर कृषि

6811. **श्री नवल किशोर राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निरन्तर कृषि के लिए नीति बनाने हेतु सरकार को सलाह देने के लिए प्रमुख वैज्ञानिकों का एक विशेषज्ञ दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दल के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) यह दल कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थायी नीति नियोजन समिति ने 'निरंतरता' पर एक उप-ग्रुप की स्थापना की है।

(ख) इस उप-ग्रुप के 14 सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष ख्याति प्राप्त मृदा वैज्ञानिक डा०

जे० एस० कंवर हैं। इसके सदस्य विभिन्न विषयों जैसे—सस्य विज्ञान, प्रौध प्रजनन, मृदा विज्ञान, बागवानी, वानिकी और पौध सुरक्षा के प्रख्यात विशेषज्ञ हैं।

(ग) उप-ग्रुप की बैठक हर तिमाही में एक बार होती है और यह समय-समय पर अपने सुझाव देती है।

आयल-पाम की खेती

6812. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन ने आंध्र प्रदेश में आयल पाम की खेती करने योग्य क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो मिशन द्वारा चुने गए क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या प्रस्ताव में वर्तमान फसलों के प्रतिस्थापन का प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचंद्रन) : (क) कृषि मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने तेलताड़ की खेती के लिए आंध्र प्रदेश में कुछ क्षेत्रों की पहचान की है।

(ख) विशेषज्ञ समिति ने कृष्णा जिले में 50,000 हैक्टेयर तथा पश्चिमी गोदावरी तथा पूर्वी गोदावरी जिलों में से प्रत्येक में 1,00,000 हैक्टेयर की पहचान की है।

(ग) जी, हां।

(घ) अधिकांश अभिज्ञात की गई भूमि उच्च भूमि क्षेत्र है जहां फिलहाल बाजरा, ज्वार जैसी फसलें उगाई जाती हैं।

बंगलादेश द्वारा भूमि पर कब्जा

6813. **श्री हारका नाथ दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम के करीमगंज जिले में पाथरकनोली लोक सभा चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत भारत-बंगलादेश सीमा से लगे 'डोम्बरी' में 250 बीघा से अधिक भूमि पर बंगलादेशियों ने जबरन कब्जा कर लिया है यद्यपि यह भूमि भारतीय क्षेत्र के अन्तर्गत आती है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि 1974 के इंदिरा-मुजीब समझौते के अनुसार उक्त चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत साठीरिला क्षेत्र को बंगलादेश को अन्तरित किया गया था और भारतीय कब्जाधारियों को मुआवजे के बदले में अपने कब्जे के अधिकार को समर्पित करना पड़ा था परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त भाग (क) और (ख) के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) 1974 के भारत-बंगलादेश भूमि सीमा समझौते में, स्थानांतरित क्षेत्रों के मामले में कब्जे के अधिकार को छोड़ने के बदले में मुआवजे के भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों को उस देश के नागरिक के रूप में रहने का अधिकार है, जिस देश में वह क्षेत्र हस्तांतरित हुआ है और सीमा का रेखांकन होने तक यथास्थिति बनी रहेगी।

[हिन्दी]

भारत और वियतनाम के बीच समझौता

6814. **श्री गोविन्द राव निकाम** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और वियतनाम के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मिस्र द्वारा बकाया राशियों का निपटारा

6815. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मार्च, 1992 के 'द फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में मिस्र द्वारा भारत के पक्ष में सभी बकाया राशियों का निपटारा करने को सहमत होने के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें दी गयी सूचना से संबंधित तथ्य क्या हैं और सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) अनेक भारतीय कम्पनियों ने आस्थागित भुगतान सुविधा के अन्तर्गत अरब मिस्र गणराज्य में मिस्र के सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कंपनियों को उपकरण/सामान निर्यात किया है जिसके लिए ई० सी० जी० सी० ने बीमा सुरक्षा प्रदान की थी। मिस्र के सेन्ट्रल बैंक ने अक्तूबर, 1985 में विदेशी मुद्रा की स्थिति खराब होने के कारण ऐसे भुगतानों के लिए विदेशी मुद्रा देना बन्द कर दिया था। तथापि, मिस्र के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने किश्त का भुगतान देय होने पर अपने बैंकों में स्थानीय मुद्रा जमा करना जारी रखा। इस दौरान ई० सी० जी० सी० ने भारत में भारतीय पक्षों को बीमाकृत राशि का भुगतान किया। मिस्र के सैन्ट्रल बैंक ने अब अन्तिम तौर पर रुकी हुई यह पूरी राशि, जो लगभग 3 7 मिलियन अमरीकी डालर है, भेजने को अपना अनुमोदन दे दिया है। भारत सरकार इस निर्णय से प्रसन्न है और मिस्र के इस कार्य की सराहना करती है जो भारत और मिस्र के बीच मैत्रिक सम्बन्धों के अनुरूप है।

जहां तक समाचार में उल्लिखित दो अन्य बकाया भुगतानों का सम्बन्ध है, रुपयो में व्यापार करार के समाप्त होने के बाद से बकाया 7 6 करोड़ रुपए की शेष राशि के निपटान का प्रश्न अभी

भी विचाराधीन है जबकि इजिप्शियन जनरल अथारिटी ऑफ इंडिया पर भारतीय तेल नियम के दावों को अन्तर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कामर्स की पंचाट अदालत के सुपुर्द कर दिया गया है और अदालत के अधिनियम की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अभ्युक्तिपिकों का चयन

6816. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या कृषि मंत्री 26 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4690 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कदाचार के कारण कुछ अभ्यार्थियों, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की, को नियुक्त नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उन्हें नियुक्त करने के लिए उनके मामलों पर पुनर्विचार करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) जिन 20 उम्मीदवारों ने परीक्षा में योग्यता हासिल की थी, उनमें से दो की नियुक्ति नहीं हो पायी, क्योंकि कोई रिक्त पद नहीं था। उस पैनल की वैधता पहले ही समाप्त हो गई है और अब कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति की जा रही है।

पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई के लिए ठेके देना

6817. **डा० लाल बहादुर राजभर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया की एक सरकारी कंपनी को पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई के लिए अन्य सरकारी कंपनियों के दरों की तुलना में अधिक ऊंचे दर पर आवधिक ठेका दिया था जिसके कारण लाखों डालर का नुकसान हुआ है;

(ख) क्या हाल ही में पुनः इस कंपनी द्वारा सप्लाई की मात्रा में काफी वृद्धि की गई है जिससे देश को और अधिक नुकसान हुआ है;

(ग) किन-किन कंपनियों को सरकार ने आवधिक ठेके दिए हैं तथा भारत को इन उत्पादों की सप्लाई के लिए उन्होंने क्या दरें तय की हैं; और

(घ) क्या गैर-सरकारी कंपनियों अथवा अर्ध-सरकारी कंपनियों को दीर्घावधि ठेके देने का भी प्रयास किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन ने 1.49 एम० एम० टी० पेट्रोलियम उत्पादों की पूर्ति के लिए 'पेटको' (पी० ई० टी० सी० ओ०) के साथ आवधिक करार किया है। बाद में यह मात्रा नहीं बढ़ाई गई। वर्ष 1991-92 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादकों की आपूर्ति के लिए इण्डियन आयल कार्पोरेशन ने बी० ए० एन० ओ० सी० ओ०, ए० डी० एन० ओ० सी०, एस० एन० ई०, एस० आई० एन० ओ० सी० एच०

ई० एम० और पी० ई० टी० सी० ओ० के साथ आवधिक करार किया। प्रत्येक आवधिक करार की कीमतों पर अलग से वार्ता की जानी है और ये अलग-अलग हैं।

(घ) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विश्व मामलों सम्बन्धी भारतीय परिषद्

6818. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री मृत्युंजय नायक :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व मामलों संबंधी भारतीय परिषद् की विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय की स्थिति बिगड़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए परिषद् के प्रबन्धन को अपने हाथ में लेने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इसके कर्मचारियों का जीवन स्तर गिरता जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार भारतीय विश्व कार्य परिषद् के कार्यकरण में सुधार के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है।

(ङ) और (च) सरकार को इस सम्बन्ध में परिषद के कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार को आशा है कि परिषद की मौजूदा प्रबन्ध व्यवस्था इस मामले में उपयुक्त कदम उठाएगी।

[हिन्दी]

"केबल टी० वी०" पर ब्लू फिल्मों का प्रसारण

6819. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :**
श्री प्यारे लाल यादव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "केबल टी० वी०" पर देर रात की फिल्मों के नाम पर "ब्लू फिल्मों" का प्रसारण किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है या कराए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) हाल ही में एक ऐसा मामला जानकारी में आया है।

(ख) से (घ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि जनता से इस आशय की टेलीफोन द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कि ए-214, लाजपत नगर, नई दिल्ली में केबल टी० वी० पर एक अश्लील फिल्म दिखाई जा रही है, एक पुलिस दल द्वारा छापा मारा गया और पाया कि फिलिजिन टी० वी० चल रहा था तथा 'निकोन' वी० सी० आर० पर एक अश्लील अंग्रेजी फिल्म दिखाई जा रही थी।

थाना लाजपत नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 292/34 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया तथा चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

दिल्ली पुलिस ने आगे सूचित किया है कि केबल चलाने वालों ने यह तर्क दिया है कि फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा जारी किया गया था तथा उसके साथ सेंसर का प्रमाण-पत्र था। पुलिस जांच-पड़ताल में इन तर्कों को सही नहीं माना गया है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में उद्योगों को गैस की सप्लाई

6820. प्रो० उम्माडेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय आंध्र प्रदेश में कई उद्योगों ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन से गैस लाइनें देने के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उद्योगों की प्रतिवर्ष अलग-अलग कितनी गैस उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) वर्ष 1996-97 तक 3.2 एम० एम० एस० सी० एम० डी० गैस की अनुमानित उपलब्धता की तुलना में कृष्णा-गोदावरी बेसिन में पहले ही 5.91 एम० एम० एस० सी० एम० डी० गैस का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त 35 उद्योगों ने गैस अथारिटी आफ इंडिया के पास अपनी मांगें दर्ज कराई हैं जो कुल लगभग 22 एम० एम० एस० सी० एम० डी० है। पहले ही किए गए आवंटन और उपलब्धता की स्थिति को देखते हुए कृष्णा-गोदावरी बेसिन में आगे कोई और आवंटन नहीं किया गया है।

कल्याण मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

6821. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कल्याण मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या क्या है;

(ख) इन श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बकाया रिक्त पद कितने हैं; और

(ग) बकाया पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) शून्य।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र० संख्या	श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	समूह 'क'	22	9
2.	समूह 'ख'	29	4
3.	समूह 'ग'	45	10
4.	समूह 'घ'	24	4

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम द्वारा स्वीकृति परियोजनाओं को वित्तीय संस्थानों द्वारा दी गई धनराशि

6822. **श्री संवीपान भगवान घोरात** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम द्वारा स्वीकृत अथवा प्रायोजित परियोजनाओं को आई० डी० बी० आई०/आई० सी० आई० सी० आई० आई० एस० सी० आई० तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रतिवर्ष राज्यवार तथा परियोजनावार प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संस्वीकृत अथवा उनके माध्यम से प्रायोजित परियोजनाओं के लिए आई० डी० बी० आई०/आई० सी० आई० सी० आई०/आई० एफ० सी० आई० तथा अन्य वित्तीय संस्थानों ने कोई राशि प्रदान नहीं की है।

[हिन्दी]

उड़ीसा और गुजरात में जल और वायु से भूकटाव की समस्या

6823. **श्री श्रीकांत जेना** :
श्री काशीराम राणा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा और गुजरात में कितनी भौगोलिक क्षेत्र जल और वायु के कटाव से प्रभावित हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इसके परिणामस्वरूप कितनी मूल्य की फसल क्षतिग्रस्त हुई;

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा इन राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उड़ीसा तथा गुजरात में प्रतिवर्ष भूमि अवक्रमण सहित जल तथा वायु अपरदन से प्रभावित क्षेत्र क्रमशः 78.03 लाख हेक्टेयर तथा 125.85 लाख हेक्टेयर है।

(ख) राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) नदी घाटी परियोजना के ग्रसण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण को केन्द्र प्रायोजित स्कीम तथा बीहड़ क्षेत्रों के सुधार और स्थिरीकरण तथा झूम खेती स्कीम के नियंत्रण को राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत उड़ीसा तथा गुजरात राज्यों को विगत तीन वर्षों के दौरान आवंटित धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(लाख रुपयों में)

स्कीम	उड़ीसा	गुजरात
1. नदी घाटी परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	772.52	387.42
2. बीहड़ सुधार	शून्य	526.82
3. झूम खेती	280.00	शून्य
योग	1052.52	914.24

(घ) राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय···

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, श्री नीतीश कुमार के बाद आप बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मसले की ओर ले जाना चाहता हूं। अभी हाल में कावेरी जल विवाद को लेकर पूरे देश में काफी चिन्ता हुई और खास करके कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में काफी विवाद हुआ है, लेकिन उससे भी एक गम्भीर विवाद सोन नदी के जल बटवारे को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और केन्द्र के बीच में छिड़ा हुआ है। बिहार की सौ साल से अधिक पुरानी सोन नहर के लिए बानसागर समझौते के द्वारा पचास लाख एकड़ फुट पानी प्राथमिकता के आधार पर देने का निर्णय हुआ था। लेकिन उसका उल्लंघन हो रहा है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले कई वर्षों से, बल्कि एन० टी० पी० सी० के द्वारा भी उल्लंघन हो रहा है। (व्यवधान) यह बिहार का अधिकार था। इसके उल्लंघन के विरोध में आज सोन अंचल के किसान बोट क्लब पर धरना दे रहे हैं और यह बहुत ही गम्भीर मामला होता जा रहा है। कुल पचास लाख एकड़ के हिसाब से 50 लाख फुट पानी बिहार को प्राथमिकता के आधार पर मिलना था और नीतिगत निर्णय भी, सिंचाई मंत्रालय में सचिव स्तर पर बैठक हुई थी, 1983 में, उसमें हो गया था कि कृषि एवं पन बिजली के अलावा पानी का कोई अन्य उपयोग किसी राज्य में होता है तो वह उस राज्य के हिस्से में से होगा और हर हाल में बिहार की पुरानी नहरों को पचास लाख एकड़ फुट पानी लगातार और निरंतर मिलता रहेगा और उसके बाद ही उसका कोई अन्य इस्तेमाल होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि रिहंद जलाशय से जो पानी निकलता है उत्तर प्रदेश सरकार को उसमें अधिकार दिया गया था केवल पनबिजली बनाने के लिए, लेकिन वहां इसका इस्तेमाल हो रहा है, थर्मल पावर के लिए। 8,000 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाया जा चुका है। रिहंद घाटी में उससे 12 लाख एकड़ फुट पानी बिहार का उसमें खर्च हो रहा है और बिहार को उसकी कमी खो रही है। अब स्थिति यह है कि 22 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की एन० टी० पी० सी० की वहां योजना है, अगर यह लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो रिहन्द जलाशय से एक बूंद पानी बिहार को नहीं मिलेगा और पूरे सोन अंचल की खेती तबाह हो जाएगी, जो बिहार की एक-चौथाई आबादी है, जो राइस बेल्ट कहा जाता है वह तबाह हो जाएगा। इसको लेकर बिहार में काफी चिन्ता है, सोन अंचल के किसान इसलिए काफी उत्तेजित हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो बानसागर समझौता है, तीन राज्यों के बीच में—मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश के बीच में, उसको लागू कराया जाए और सचिव स्तर पर जो बैठक हुई थी, 4 जून, 1983 में और उसमें जो नीतिगत निर्णय हुआ था, उसको लागू किया जाए। नहीं तो यह जो बिहार के साथ, खास करके सोन अंचल के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है तो यह उग्र रूप धारण कर सकता है और तब इससे बहुत ही खराब स्थिति उत्पन्न होगी और फिर से कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे विवाद अगर छिड़ जाएगा तो कल आप परेशानी में पड़ेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं और तत्काल इस विषय पर मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि तीनों राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुलाई जाए और इस पूरे मामले को, अगर उत्तर प्रदेश विवाद करता है या एन० टी० पी० सी० विवाद करता है तो इस पूरे मामले को फिर से किसी न्यायाधिकरण को दिया जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट को दिया जा सकता है,

मेरा कहने का मतलब यह है कि इस मामले का सम्मानजनक और शांतिपूर्वक समाधान किया जाए और सोन के पानी पर बिहार का जो चिर अधिकार है, उस राइट की रक्षा की जाए और समझौते के आधार पर बिहार को पूरा पानी मिले, नहीं तो गम्भीर स्थिति उत्पन्न होगी, (व्यवधान) इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि केन्द्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि इस विषय पर कोई वक्तव्य दे और तत्काल कोई पहल करे। (व्यवधान) यह काफी गंभीर मामला है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि सरकार को इस पर रेसपोंड करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते है कि क्या राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति गृह मंत्री से मिली है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना, कृपया आप बैठ जाएं। कल मैंने कहा था कि हम आपसे विचार-विमर्श के बाद इस पर एक चर्चा कराने वाले थे। आप इसकी चिन्ता क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय मुझे अपनी बात कहने दें। आपने कहा है कि आप एक तिथि निश्चित करेंगे। हम यह जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति और संसद सदस्य जो अयोध्या गए थे उन्होंने गृह मन्त्री से मुलाकात की है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उस पर एक ही साथ चर्चा हो जाएगी। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, दूसरों के मैटर्स में भी कुछ अर्थ है। इस प्रकार से मत करिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप सब एक साथ न बोलें, क्या तब तक आपका समाधान नहीं होता ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक-एक करके बोलने के लिए कहा है। आप 5-6 सदस्य एक साथ बोल रहे हैं। इस तरह से मैं किसकी बात सुनूंगा और सदन को कैसे रेगुलेट करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बाहर तनाव है या नहीं, लेकिन यहां पर आप बिना-वजह तनाव पैदा कर रहे हैं। आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर कल आरम्भिक चर्चा को अनुमति दी थी। आप सभी ने कुछ न कुछ वक्तव्य दिए थे। तब मैंने यह कहा था कि चूंकि आप सभी इस पर चर्चा करना चाहते हैं इसलिए हम इस पर सभी सम्बन्धित लोगों से विचार-विमर्श करने के बाद चर्चा के लिए समय

निश्चित करेंगे। आज आप फिर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मानो अन्य सदस्यों को इस सम्बन्ध में कुछ कहना ही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : हम 'सोन' के बारे में ही कह रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप उस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। मैंने नीतिश कुमार को एक वक्तव्य देने के लिए कहा है। मैंने कहा है कि चूंकि वे बिजली, पानी और सिंचाई पर चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए इस पर भी तभी चर्चा हो सकती है। लेकिन आपकी उत्तेजना को ध्यान में रखते हुए और चूंकि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैंने उन्हें अनुमति दी। फिर भी आप इसे इस तरह उठा रहे है जैसे अन्य सदस्यों को दूसरे मुद्दों पर कुछ कहना ही नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, इस बार हम उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन जबकि संसद का सत्र चल रहा है तो एक महत्वपूर्ण घोषणा संसद के बाहर, वह भी देश में नहीं बल्कि किसी अन्य देश में की गई। वित्त मंत्री जापान जाकर यह कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयरधारिता को 49 प्रतिशत तक कम कर दिया जाएगा। उन्होंने छंटनी नीति की घोषणा तब की जब वह बैंकाक में थे और उसे सरकार ने स्वीकार भी किया है। अब वह जापान में अपने जापानी मित्रों को खुश करने के लिए—मैं कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं 'जापानी मित्र' ही कहूंगा—उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयरधारिता को 49 प्रतिशत तक कम कर देने की घोषणा कर दी।

महोदय, इस सम्बन्ध में कुछ और बातें हैं। उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री थुंगन उनसे एक कदम और आगे हैं। उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक संवाददाता सम्मेलन बुलाकर यह कह दिया कि उक्त 49 प्रतिशत विदेशी निवेशकों को दिया जाएगा। वित्त मंत्री का कहना है 'आम जनता' को जबकि श्री थुंगन कहते हैं कि यह 49 प्रतिशत विदेशी निवेशकों को आधुनिकीकरण आदि कार्यों के लिए दिया जाएगा। यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है। यदि इतनी महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा सदन के बाहर की जाती है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि हम किस तरह कार्य कर सकते हैं, यह सदन कितना महत्वपूर्ण है और सरकार कितनी अच्छी इसके स्तर को बनाए रखती है। मैं इसका दृढ़ता से विरोध करता हूं। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है वित्त मंत्री ने कहा है कि इसमें इस्पात और टेलीफोन उद्योग भी शामिल है। जो भी उद्योग हम जनता को देना चाहें हम वह उन्हें दे सकते हैं। इसलिए सरकार यह स्पष्ट करे कि उसका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर से विश्वास उठ गया है। सरकार यह भी कहे कि श्री जवाहर लाल नेहरू की यह उक्ति कि सार्वजनिक क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था के शीर्ष पर पहुंच जाएगा, का कोई तात्पर्य नहीं रहा। जहां तक इस सरकार और देश का सम्बन्ध है उस संदर्भ में वह उक्ति बेमानी हो गया है। हम स्पष्ट वक्तव्य चाहते हैं।

महोदय, मैं आशा करता हूं कि आप भी इस बात पर क्षोभ व्यक्त करेंगे कि किस तरह इतनी महत्वपूर्ण घोषणाएं सभा के बाहर की जाती हैं जबकि सभा की बैठकें जारी हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आप मंत्री जी की खिंचाई करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम इसका विरोध करते हैं। यह स्वयं को विदेशियों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में बेचने जैसा है।

हमारी औद्योगिक और आर्थिक नीतियां इन विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा संचालित और नियंत्रित होती हैं। क्या हो सकता है ? क्या यही आत्मनिर्भरता का सिद्धांत है ? हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इसकी कोई अहमियत है। वित्त मंत्री किस तरह विदेश जाकर वहां इतनी महत्वपूर्ण घोषणा कर आए जबकि सभा की बैठकें जारी हैं ?

महोदय, हम यह चाहते हैं कि सरकार को तुरन्त उत्तर देना चाहिए। महत्वपूर्ण नीतियां बनाई जाती हैं, महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर निर्णय लिया जाता है और इस पर सभा को विश्वास में नहीं लिया जाता है।

महोदय, सामान्य बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने इसका कभी कोई उल्लेख नहीं किया। कुछ दिन पहले ही चर्चा हुई थी। फिर चर्चा करने का उद्देश्य ही क्या है ?

महोदय, इस सभा में मांगों पर चर्चा के महत्व पर प्रकाश डालना चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभा के अन्दर ही चर्चा होनी चाहिए। अन्यथा सभी चर्चाएं अर्थहीन हो जाएंगी। इस सरकार के लिए संसद अप्रासंगिक होती जा रही है। महोदय, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते और सरकार को यहां और अभी इसका जवाब देना होगा। तब हम यह निर्णय करेंगे कि क्या किया जाना चाहिए।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : हम यह चाहते हैं कि इन दो मंत्रियों को हटा दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम सवाल है। इस सवाल के द्वारा पहले भी इस सदन में आपके जरिए देशवासियों का ध्यान खींचा गया कि वित्त मंत्री पहले एक्ट ऑफ इंडिसक्रिशन कर चुके थे। उन्होंने वैंकाक जाकर आई० एम० एफ० के इशारे से पार्लियामेंट के पीछे इस तरह का बयान दिया था विदेश में। इस बात का हाउस को भी पता है और आपको भी पता है। अभी हाउस चल रहा है, यह भी सही है कि इण्डस्टरी मिनिस्टरी पर बहस होने की गुंजाइश नहीं है, सत्रावसान के पहले, इसलिए मैं प्रोपराइटी का सवाल उठा रहा हूं कि किस तरह से वित्त मंत्री ने, जब संसद का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, टोकियो जाकर जो घोषित नीति केन्द्र सरकार की है उसके खिलाफ जाकर बयान दे रहे हैं। मैं इसके बारे में खुलासा चाहूंगा। वित्त मंत्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। वित्त मंत्री जी ने एक्ट आफ इम्प्रोपराइटी किया है। लगता है जैसे यह तय हुआ था कि वित्तमंत्री वहां जाकर आई० एम० एफ० और वर्ल्ड बैंक के हुक्म के पालन करने हेतु विदेश में जाकर बयान देंगे और इण्डस्टरी मिनिस्टर युंगन साहब यहां वही नीति बयान करेंगे। हम लोगों को लगता है कि जो दो संस्थाएं हैं, आई० एम० एफ० तथा वर्ल्ड बैंक, हम लोग उनके गुलाम हो चुके हैं। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए यह सरकार के मुंह से धोखा नहीं देता है। अब यह कहते हैं अभी भी पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति में कमांडिंग हाइट्स पर है। हम लोग इसकी निन्दा करते हैं कि वित्त मंत्री ने जाकर विदेश में इस तरह का बयान दिया है।

इसलिए हम चाहेंगे कि इस तरह का मुद्दा, जिसके साथ देश के सैल्फ रिलायंस की बात जुड़ी हुई है, सरकार इस पर तुरन्त बयान दे।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। (व्यवधान)

श्री ओकान्त जेना : महोदय, रक्षा मंत्री ने भी अमरीका के साथ रक्षा उत्पादन में तकनीकी सहयोग के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। रक्षा मंत्री ने कल वाशिंगटन में यह कहा है। (व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : श्री जेना, आपने यह लिखित में दिया है ? उन्होंने मुझे अनुमति दी है। (व्यवधान)

श्री ओकांत जेना : थोड़ा ठहरें। श्री जोशी, कृपया इसे अन्यथा न लें।

महोदया यह अत्यन्त गंभीर मामला है। सभा को रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा दिए गए बयानों की कोई जानकारी नहीं है। कल, सभा में ही जब उद्योग मंत्री मारुति उद्योग पर प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे तो इसका उन्होंने कोई जिक्र भी नहीं किया और सभा स्थगित होने के पश्चात् उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि 47 प्रतिशत विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेश उद्यमियों को दिया जाएगा। यह अत्यन्त खेद की बात है। हम लोग सभा में आखिर किसलिए हैं ? हम इन बातों पर चर्चा क्यों नहीं करते ? जब तक इसका निपटारा नहीं हो जाता है तथा आपके द्वारा एक विशेष विनिर्णय नहीं दे दिया जाता है, हम इस प्रतिष्ठित सभा में अन्य किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने की स्थिति में नहीं हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री अन्ना जोशी को अनुमति दे दी है। उनके पश्चात् आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारासात) : यह मामला सभा के अधिकारों से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री अन्ना जोशी को अनुमति दी है। मुझे सभा की प्रक्रिया का संचालन करने दीजिए। उन्हें भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब श्री सोमनाथ चटर्जी ने अपना भाषण दिया था, तो वे आप सबकी ओर से बोले थे। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। जब अन्य माननीय सदस्यों को अन्य मुद्दों पर बोलना है, तो मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने की सुविधा नहीं प्रदान कर सकता।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम आपके निर्णय पर प्रश्न चिह्न लगा रहे हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो आप अपने नेता के साथ इस इस पर चर्चा करें और आप इसे स्वयं उठा सकते हैं। अब मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान नहीं कर सकता जो कि एक ही समय में समान मुद्दे पर एक ही बात कहने के लिए समान तरीके से सोचते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह सुविधा प्रदान करने का प्रश्न बिल्कुल नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री निर्मल कान्ति चटर्जी जी को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों के साथ आप किस प्रकार का सहयोग कर रहे हैं ? क्या आप सोचते हैं कि यही एक मुद्दा है जिस पर चर्चा की जानी है। अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं, वे भी कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। इस बात की तुलना आप किस प्रकार से कर सकते हैं ?

यदि मैं इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं देता तो आप इसके लिए कह सकते थे। लेकिन उचित रूप से इसे सभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् पुनः आप इसी मुद्दे को दुहराना चाहते हैं। यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। मैं इस बात की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम सरकारी उपक्रम की इकाइयों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप देने की बात स्वीकार नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जबकि वरिष्ठ मंत्रीगण यहां उपस्थित हैं, कुछ जवाब दिया जाना चाहिए। इसी कारण हम सदस्यगण उग्र हुए। वे रहस्यमय व्यक्तियों की भांति बैठे हुए हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : सबसे पहली बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री सोमनाथ चटर्जी जी इतने वरिष्ठ नेता और संसद के माननीय सदस्य हैं। उन्होंने कहा है कि इसे विदेशी लोगों के हाथों बेच दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा है उस पर मुझे घोर आपत्ति है। इसे बार-बार कहा गया है बल्कि संसद का सत्र ही इससे शुरू हुआ था। संसद के इस सत्र के पहले सप्ताह में सिर्फ इस मुद्दे पर ही चर्चा होती रही। मैं समझता हूं कि विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों को माननीय वित्त मंत्री जी ने संतुष्ट कर दिया था। वे उन लोगों को संतुष्ट कर पाने में सक्षम थे। इसलिए मुझे इस पर आपत्ति है कि इस प्रश्न को कि हमने इसे बेच दिया है, उठाने का यह उचित तरीका नहीं है।

जहां तक किसी नीति की घोषणा करने का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि इस प्रतिष्ठित सभा में नीति सम्बन्धी घोषणा करना माननीय मंत्री महोदय के लिए उचित है। लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि वित्त मंत्री जी इस समय

देश में नहीं हैं और कभी-कभी विवश कर देने वाली परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। जहां तक विवशकारी परिस्थितियों का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि ऐसे में माननीय मंत्री महोदय का इस प्रकार से करने का अधिकार प्राप्त है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम इसका विरोध करना चाहते हैं। (व्यवधान) यह बहुत ही गलत बात है। जो कुछ उन्होंने कहा है उससे मामला गंभीर बन गया है। (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : मुझे एक अन्य बात कहने दीजिए

श्री श्रीकांत जैना : वे विवशकारी परिस्थितियां क्या थीं ?

श्री गुलाम नबी आजाद : इस सत्र में हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। हम रक्षा मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं। इन तीनों मंत्रालयों पर चर्चा करते समय माननीय मंत्रीगण से अनुरोध किया जाएगा कि वे उन परिस्थितियों के बारे में बताएं जिसके अन्तर्गत उन्हें इस प्रकार के वक्तव्य देने पड़े थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह मामला अधिक गंभीर होता जा रहा है। (व्यवधान) हमें इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए तथा हम सरकार की नीतियों के विरोध में सदन से बाहर चले जाएंगे।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सौंप रहे हैं। उनके 49% शेयर सौंप दिए गए हैं और आप कह रहे हैं कि इसे बेचा नहीं जा रहा है। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : महोदय, आर्थिक नीतियों पर चर्चा हो रही है। इस सम्बन्ध में मतान्तर हो सकता है और जिस पर वाद-विवाद किया जा सकता है। लेकिन आज एक नई अभिधारणा प्रस्तुत की जा रही है और इस अभिधारणा पर मैं चाहता हूं कि आप अपना विनिर्णय दें। सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

सरकार द्वारा आज यह बात कही गई है कि जिस वक्तव्य पर आपत्ति उठाई गयी थी वह वास्तव में नीति सम्बन्धी वक्तव्य है और चूंकि उस समय की परिस्थितियां विवशकारी थीं, तथापि इस प्रतिष्ठित सभा··· (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : मैंने यह नहीं कहा कि 'वैसा था'। मैंने कहा कि 'वैसा हो सकता था'।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरा अनुरोध है कि अभी तक अध्यक्ष महोदय का निर्णय यह है कि यदि नीति सम्बन्धी कोई वक्तव्य जारी करना है और यदि सभा का सत्र चालू है तो इसे बाहर नहीं बल्कि इस प्रतिष्ठित सभा में ही जारी करना चाहिए। विवशकारी परिस्थितियों के लिए कम से कम अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रकार का प्रावधान कभी नहीं किया गया है परन्तु इस नियम के अपवादस्वरूप और आज सरकार ने स्वयं—प्रथम तो, मुझे इस बात का पक्का विश्वास नहीं है क्योंकि मैंने पूरे वक्तव्य का अध्ययन नहीं किया है कि क्या वास्तव में नीति सम्बन्धी वक्तव्य जारी किया गया था अथवा अब तक सरकार जो कह रही है उससे कुछ भिन्न बात कही गयी थी—परन्तु यदि सरकार स्वयं यह कहती है कि नीति सम्बन्धी वक्तव्य जारी किया गया है और आमतौर पर ऐसा इस प्रतिष्ठित सभा में किया जाता है परन्तु चूंकि उस समय विवशकारी परिस्थितियां थीं, उन्हें टोकियो में कुछ कहना पड़ा था और इसलिए ऐसा कहा गया था। यह एक ऐसी परिस्थिति

है जिसमें आपको रिकार्ड को स्पष्ट रखना चाहिए और दिए गए वक्तव्य की जांच करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या आप सरकार के दावे से सहमत हो सकते हैं। इस दावे से यह सभा सहमत नहीं हो सकती।

श्री गुलाम नबी आजाद : मुझे स्पष्ट करने दीजिए। मुझे विपक्ष के माननीय नेता को जवाब देने दीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपसे जवाब नहीं चाहता हूं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से उत्तर चाहता हूं। मुझे खेद है।

अध्यक्ष महोदय : आपको जवाब देने के लिए मुझे दोनों पक्षों की बात सुननी होगी। कोई विनिर्णय देने के लिए मुझे दोनों पक्षो की बात सुननी होगी।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कम से कम उन्होंने अभी जो वक्तव्य दिया है उस कारण मैं आपसे यह कहने के लिए बाध्य हूं कि यह आपके क्षेत्राधिकार में है न कि उनके। **(व्यवधान)**

श्री गुलाम नबी आजाद : मैंने यह कहा है कि ऐसी मर्यादा है कि नीति सम्बन्धी वक्तव्य सभा में ही जारी किया जाना चाहिए। यही मैंने कहा है। लेकिन जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है यह पहले से ही एक नीति है। इस नीति में कुछ भी नया नहीं है। यह उस नीति का एक भाग है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। यही कारण है कि मैंने यह कहा कि संसद का एक सप्ताह इस मुद्दे को ही समर्पित था और माननीय वित्त मंत्री जी उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम थे तथा वे उन्हें संतुष्ट करने में सक्षम थे। इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी नया नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम एक प्रार्थी राष्ट्र बन गए हैं। हम इसके सहभागी नहीं बन सकते। **(व्यवधान)** संशोधन अवश्य किए जाने चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक-एक करके बोलिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अन्यथा हम वाद-विवाद में भाग नहीं लेंगे। विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं।

12.25 म० प०

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी तथा कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, विपक्ष के सदस्यगण सच्ची बात सुनना नहीं चाहते हैं। संसद के विगत सत्र में औद्योगिक नीति पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी थी। वर्तमान बजट पर हुई चर्चा में मैंने भी भाग लिया था। सरकारी उपक्रम में निवेश न किया जाना वर्तमान बजट में शामिल एक प्रमुख नीति थी। 49% तक निवेश न किए जाने का प्रस्ताव था। माननीय वित्त मन्त्री द्वारा टोक्यो में जो कुछ कहा गया है, उसे मैंने भी समाचार पत्रों में पढ़ा है, वे सभी बातें उस नीति के अन्तर्गत ही हैं, जिसे पहले व्यक्त किया जा चुका है और जिस पर यहां चर्चा हो चुकी है। वे गलत सन्देश देना चाहते हैं कि हम देश को बेच रहे हैं तथा हम अपनी आर्थिक प्रभु-

सत्ता हमेशा से अभ्यर्पित करते रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि वे सच्ची बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। महोदय, आपके माध्यम से मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि यह कोई बिक्री नहीं है बल्कि पहले यहां व्यक्त की गया नीति का कार्यान्वयन है। इसके क्रियान्वयन सम्बन्धी सभी छोटी-छोटी बातों का जिक्र इस सभा में किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि हमारे वामपंथी मित्र यह तय करके आए थे कि आज किसी मामले पर उन्हें बहिर्गमन करना है। लेकिन संसदीय कार्य मन्त्री ने उन्हें मौका दे दिया है। वे एक बार फिर से फिसल गयी।

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा श्री सोलंकी के त्याग-पत्र के दिन भी ऐसा ही हुआ था। आज तो उन्होंने अपनी सरकार को सचमुच कठिनाई में डाल दिया। मैं अगर उनकी जगह होता, मैं हूं नहीं मैं इधर हूं, मैं उधर होना भी नहीं चाहता, तो यह कहता कि वित्त मन्त्री कोई नयी बात नहीं कही है और सचमुच यह चर्चा पहले से चलती रही है। इसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह औचित्य तो इसमें है कि ऐलान यहां हो मगर कुछ मजदूरियां थीं···

श्री गुलाम नबी आजाद : मैंने कहा कि हमेशा ऐसा होता है लेकिन चूंकि यह नहीं है···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक शेर याद आ रहा है :

जरूर कोई मजबूरियां होगी,
यों कोई बेवफा नहीं होता॥

तो क्या हम मान लें कि हमारे वित्त मन्त्री बेवफा हो गए। अध्यक्ष महोदय, जो जवाब आया है, वह ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें। जरा सरकार की खिंचाई करिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मन्त्री ने उचित ही किया जो उन्हें करना चाहिए था। ऐसी मेरी धारणा है। कुछ सदस्यों का कुछ भिन्न विचार हो सकता है। दूसरे, हमारे यहां पर सदन में इतने विद्वान और पांडित्यपूर्ण सदस्य हैं जो औचित्य, नियमों और निर्णयों को जानते हैं। पीठासीन अधिकारी के लिए यह सर्वदा आवश्यक नहीं होता है कि वह इस तरफ के अथवा उस तरफ के सदस्यों को यह बताते रहें कि ऐसा किया जाना चाहिए अथवा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। वे सभी इस बारे में जानते हैं। अतः नया विनिर्णय देना आवश्यक नहीं है। जो मुद्दे यहां पर उठाए गए हैं, उनके लिए कोई नया विनिर्णय नहीं दिया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : कृपया पुराने निर्णय को दोहराइये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : असंख्य विनिर्णय पहले ही दिए जा चुके हैं।

जहां तक तथ्यात्मक स्थिति का सम्बन्ध है, मान लीजिए कि वित्त मन्त्री ने कहा है कि इक्विटी 49 प्रतिशत तक दी जा सकती है, क्या ऐसा कुछ कहा है, ऐसा आरोप लगाया गया ···

है; और दूसरी ओर से यह कहा जा रहा है कि इस बारे में पहले ही निर्णय हो चुका है और इस पर चर्चा भी हो चुकी है। मेरी राय भी ऐसी ही है। परन्तु मुझे धारणा के आधार पर निर्णय नहीं करना चाहिए और मेरे समक्ष तथ्यात्मक स्थिति होनी चाहिए। एक तरफ आरोप लगाया गया है और दूसरी तरफ इसका बचाव भी किया गया है। आरोप और बचाव पक्ष को तौलने के पश्चात् ही निर्णय दिया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : दिनांक 8 अप्रैल, 1992 को 1 बजे किरकी अस्त्र-शस्त्र कारखाने में बड़ा भारी अनर्थकारी विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में 13 व्यक्तियों की मृत्यु दुर्घटनास्थल पर ही हो गई थी, 40 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए थे और सैकड़ों व्यक्ति आहत हुए थे। इस विस्फोट ने भारी अग्निकांड का रूप धारण कर लिया था जिसमें दो इमारतें जल कर ढह गईं। कुल घाटा कई लाख रुपये का था।

मजदूरों और किरकी और आसपास के नागरिकों में यह भावना व्याप्त हो गई है कि मजदूरों और यूनियन नेताओं द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भी कोई उचित सुरक्षा प्रबन्ध नहीं किए गए हैं।

अत: मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले की पूरी जांच की जाए, इसके लिए समुचित उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए, विस्फोट के कारणों का पता लगाया जाये और मृतक मजदूरों के परिवारजनों और घायल मजदूरों को भी पूरी क्षतिपूर्ति और वित्तीय सहायता प्रदान की जाये।

महोदय, अन्त में, मैं आपके माध्यम से एक बार पुन: रक्षा मन्त्री से अपील करता हूं कि वह जांच पूरी हो जाने के पश्चात् एक पूर्ण वक्तव्य दें।

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम (तिरुचेंगोड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण मामले को तुरन्त कार्रवाई करने के लिए सरकारी जानकारी में लाना चाहती हूं। कावेरी के डेल्टा क्षेत्रों के किसान 'कुरुवै' की उपज की तैयारी कर रहे हैं। 12 जून, 1992 तक मैंतूर बांध से पानी भी छोड़ा जाना है। कावेरी जल विवाद सम्बन्धी न्यायाधिकरण ने अपने अन्तरिम आदेश के कर्नाटक सरकार की समीक्षा-याचिका को रद्द कर दिया है। इससे न्याय और धर्म दोनों की विजय हुई है। अत: तमिलनाडु के लोगों की कर्नाटक सरकार से यह अपेक्षा है कि वह इस निर्णय को लागू करे और निर्णय में निर्धारित मात्रा के अनुसार जल छोड़े। केन्द्रीय सरकार को पानी छोड़ने के लिए कर्नाटक सरकार पर जोर डालने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए।

मैं पुन: केन्द्रीय सरकार से अपील करती हूं कि वह इस मामले पर शीघ्रता से कार्यवाही करे और कर्नाटक सरकार न्यायाधिकरण के अन्तरिम आदेश के अनुरूप उचित मात्रा में और ठीक समय पर जल छोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

[हिन्दी]

श्री रामसागर (बाराबंकी) : माननीय अध्यक्ष जी, हमने भी एक महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सरकार को दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में और जनपद गाजीपुर में अफीम की खेती कराई जाती है। मान्यवर, सरकार की तरफ से अफीम कृषकों को 7 मार्च के पहले एक नोटिस दिया गया है कि इस वर्ष जो अफीम की

खेती है और जो तेज हवा और पानी से अफीम की खेती को नुकसान पहुंचा है, 7 मार्च के बाद उसकी जांच नहीं की जाएगी। अगर सरकार द्वारा इस नुकसान का मूल्यांकन नहीं कराया जाता तो जो अफीम कृषक हैं, उनके तमाम लाइसेंस निरस्त हो जाएंगे।

मैं इसमें दो सुझाव और देना चाहता हूं। एक तो वहां पर इस अफीम की खेती के लिए बाराबंकी में 4 डिवीजन बनाए गए थे, उसमें दूसरा डिवीजन जोड़ दिया गया है और दूसरे डिवीजन के जो काश्तकार हैं उनसे कहा गया है कि वे अपनी अफीम को फैजाबाद में जो डिवीजन है, उसमें जमा करें।

मान्यवर, सुरक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही घातक है और इससे कृषकों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। एक बात मैं इसमें और कहना चाहूंगा कि इस खेती के मूल्यांकन के लिए एक हैंडपरक और मशीनपरक जो मानक बनाए गए हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक ही मानक से इस अफीम का पूरा मूल्यांकन होना चाहिए और भारत सरकार अफीम कृषकों की इन सारी समस्याओं का समाधान करे।

श्री आनन्द अहिरवार (सागर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के सागर जिले में 6 अप्रैल को आग लगने से न्यू कालोनी के पास अनुसूचित जाति और जनजाति के जो गरीब मजदूर लोग वहां रहते थे, वे घर से बेघर हो गए। एक लड़का, लड़की और कई लोग हस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। राज्य सरकार द्वारा उनको जितनी सुविधाएं देने की आवश्यकता है उतनी सुविधाएं भी राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गईं। मेरा इस सदन के माध्यम से अनुरोध है कि जो 300 घर इस आग से प्रभावित हुए हैं, जो मजदूर दैनिक मजदूरी करके अपनी रोजी-रोटी चलाते थे और उनको पहले भी सरकार ने एक बत्ती कनेक्शन दिया था और पट्टे पर झुग्गी-झोंपड़ी टाइप मकान बनाए हुए थे, आज उनकी स्थिति दयनीय है, दुखद है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हर घर को इस आग से प्रभावित होने वाले घर को 50 हजार रुपये की सहायता दी जाए।

श्री रामलिहोर राय (रावर्टसगंज) : अध्यक्ष जी, मैं आपका और सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के बीसलपुर थाने के अन्तर्गत मुहल्ला दुर्गाप्रसाद में 7 तारीख को घटी घटना की ओर दिलाना चाहता हूं जहां भारत रत्न डा० भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को वहां के कुछ बदमाश लोगों ने, अराजक तत्वों ने, जो सवर्ण जाति के थे, तोड़ डाला और उनका अपमान किया। डा० अम्बेडकर इस देश के करोड़ों दलितों, हरिजनों, और पिछड़े लोगों के मसीहा हैं, उनका वहां जिस तरह से अपमान किया गया, वह वास्तव में बहुत खेदजनक और निन्दनीय कार्य है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है परन्तु वह अभी तक कोई व्यवस्था कायम करने में नाकाम रही है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस घटना से वहां के असंख्य हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े लोगों की भावनाओं को जिस तरह ठेस पहुंची है, उसे देखते हुए, केन्द्र सरकार अविलम्ब उस सम्बन्ध में कार्यवाही करे, हस्तक्षेप करे। वहां जितने अधिकारी हैं, उन्हें तत्काल वहां से हटाया जाए और पूरी घटना की न्यायिक जांच के आदेश जारी किए जाएं क्योंकि इस समय वहां तनाव काफी बढ़ चुका है। इस तरह से आतंकवाद वहां फैलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का प्रशासन उन बदमाश लोगों के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही नहीं कर रहा है। (व्यवधान)

यदि हमारे मसीहा की मूर्ति खण्डित की जाएगी तो यह देश कैसे चल सकता है। लोग वहां तरह-तरह के नारे लगा रहे हैं। उनके सम्मान में इस देश में, हमारी मांग पर, सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा हो चुकी है परन्तु दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में उनका अपमान किया जा रहा है। मेरा आग्रह है कि जिन लोगों ने वहां मूर्ति को तोड़ा है, उन्हें अविलम्ब पकड़ा जाये, वहां जितने अधिकारी हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए क्योंकि एक साजिश के तहत यह सारा काण्ड वहां हुआ है।

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने यहां जो कुछ कहा, उसमें सच्चाई नहीं है। वहां किसी मूर्ति का खंडन नहीं हुआ है। मैं स्वयं उस इलाके में गया था, मैं वहां का सांसद हूं और जिस मोहल्ले का नाम लिया गया, वह एक हरिजन बस्ती है। वहां हरिजनों के दो ग्रुपों में अवश्य झगड़ा हुआ था, जिसमें ईंट पत्थर फेंके गए लेकिन वहां किसी मूर्ति का खंडन नहीं हुआ है, सिर्फ दो ग्रुपों के बीच ईंटें चली हैं। वहां किसी प्रकार का तनाव या पार्टीबंदी नहीं है, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है और ऐसी तनाव दूसरी बात नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री रामनिहोर राय : यह मेरे पास अखबार है, जिसमें घटना की फोटो छपी है।

[अनुवाद]

श्री अम्बारासु इरा (मद्रास मध्य) महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि नई आयात-निर्यात नीति के अनुसार निर्यात की गई सभी वस्तुओं के पूर्व निरीक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। सभी प्रकार के प्रोत्साहनों को भी बन्द कर दिया गया है और आयात निर्यात परचियों की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक बात है कि सभी निर्यात संवर्धन परिषदों ने भी ऐसा ही किया है और केंद्रीय सिल्क बोर्ड को छोड़कर, शेष सभी ने सभी निरीक्षण सम्बन्धी औपचारिकताओं को समाप्त कर दिया है। केन्द्रीय सिल्क बोर्ड ने अभी तक अपनी यूनिटों को ऐसे कोई भी निर्देश जारी किए हैं कि वे निरीक्षण सम्बन्धी औपचारिकताओं को रोक दें। इसके परिणामस्वरूप सभी हवाई अड्डों पर सीमा-शुल्क अधिकारी अभी भी केन्द्रीय सिल्क बोर्ड का प्रमाणपत्र देखते हैं। वस्त्र मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय दोनों द्वारा किसी कार्यवाही सिल्क निर्यातकों को लूटने के लिए जानबूझकर की जा रही है। इससे सरकार की उदारीकृत आयात-निर्यात नीति का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि 1990-93 की निर्यात नीति के परिशिष्ट 17, भाग I और III को समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार, सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी सिल्क वस्तुओं पर ड्यूटी ड्रॉ बैंक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए केंद्रीय सिल्क बोर्ड के परीक्षण-प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि मांगते हैं। इससे भी सरकार की नीति का उल्लंघन हो रहा है। इस समय, सभी उद्योग दरों के लिए ड्रॉ बैंक अनुसूची को उप-क्रमांक संख्या 2604, 2702 (4) और 2709 के अनुसार सभी उत्पादों के लिए दो प्रतिशत की एक समान दर पर ड्यूटी ड्रॉ बैंक दिया जाता है।

12.38 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

अतः मैं माननीय वित्त मन्त्री और माननीय वस्त्र मन्त्री जी से अर्ज करता हूं कि वे सम्बद्ध विभागों को उचित निर्देश जारी करें ताकि केन्द्रीय सिल्क बोर्ड द्वारा पूर्व निरीक्षण प्रमाणपत्र देने

की कार्रवाई को रोका जा सके और सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा परीक्षण प्रमाणपत्र हेतु अड़ियल रुख अपनाने को भी रोका जा सके।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, एक करोड़ दस लाख की आबादी वाले मुम्बई शहर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से चराशायी हो गई है। वे दुकानदार/उपभोक्ता समितियां जिन्होंने वस्तुओं की सप्लाई के लिए सरकार को धनराशि का भुगतान कर रखा है, उन्हें वे वस्तुएं नहीं मिल रही हैं, इसके परिणामस्वरूप लगभग नौ सौ दुकानदारों ने सरकार के पास अपने इस्तीफे भेजे हैं और उसमें छः सौ सहकारी समितियां भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि इसके बाद वे राशन की दुकानें नहीं चलाएंगे। कुल मिलाकर 3000 दुकानें हैं। शेष 2100 दुकानों के मालिकों ने भी निर्णय किया है कि वे भी राशन की दुकानें चलाना नहीं चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, आम आदमी, फैक्टरी के मजदूर, मध्यम वर्गीय व्यक्तियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं नहीं मिल रही हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह तुरन्त ही मुम्बई को खाद्यान्न की सप्लाई करे और दुकानदारों, उपभोक्ता सहकारी समितियों और उपभोक्ता संगठनों को आश्वासन भी दे कि उन्हें राशन की दुकानों के लिए आवश्यक खाद्य वस्तुएं तुरन्त उपलब्ध कराई जाएंगी। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो राशन की दुकानें समाप्त हो जायेंगी और मुझे भय है कि शहर में खाद्यान्न के लिए दंगे हो जायेंगे। अतएव सरकार को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए और उसके बाद अतिरिक्त युद्ध स्तर पर उस शहर में उपभोक्ता वस्तुएं भेजनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कापसे (ठाणे) : समापति महोदय, मुझे इसी विषय में मेरी कांसटीटूएंसी से एक तार आया है।

[अनुवाद]

समापति महोदय : मैं अभी आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अट्टूर) : महोदय, त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों तक एयर इंडिया की उड़ानों की किराया-दर बहुत ऊंची है। त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों तक यात्रा करने वाले यात्रियों की काफी लम्बे अर्से से मांग रही है कि एयर इंडिया की उड़ान के किराए को कम किया जाए। परन्तु एयर इण्डिया ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। वर्ष 1978 के दौरान एयर इण्डिया ने त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों तक के लिए अपनी उड़ान सेवा आरम्भ की थी और पिछले 14 वर्षों में केरल से खाड़ी के देशों तक यात्रा करने वाले यात्री एयर इण्डिया से इन क्षेत्रों से वहां तक की उड़ानों के किराए में कमी करने के लिए तुरन्त कदम उठाने की मांग करते आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में खाड़ी देशों में रहने वाले मलयालियों ने भी भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया था। परन्तु एयर इण्डिया ने इन स्थानों से खाड़ी देशों तक जाने वाले यात्रियों के लिए उड़ान के किराए में कमी करने की उनकी उचित मांग को पूरा करने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उनकी निम्नलिखित मांगें हैं :

(1) खाड़ी देशों से त्रिवेन्द्रम तक आने वाले यात्रियों के लिए एयर इण्डिया की उड़ानों के किराए को कम किया जाए।

(2) एयर इण्डिया से अनुरोध किया जाए कि वह यात्रियों से अब तक वसूल किए गए आपके किराए को वापस करे।

दूसरी मांग यह है कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर भी हवाई जहाज के उतरने की वही सुविधाए प्रदान की जायें जो कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर विदेशों से आने वाली अन्य उड़ानों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।

मैं त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों तक जाने वाले यात्रियों से उड़ान का ज्यादा किराया लिए जाने के सम्बन्ध में इस सम्माननीय सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उदाहरण के लिए एयर इण्डिया त्रिवेन्द्रम से यूनाईटेड अरब अमीरेट्स तक की टिकट का किराया 2757 दिरहम वसूल कर रही है। (व्यवधान) महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है।

इंग्लैंड, अमरीका और टोकियो तक की उड़ानों हेतु भी एयर इंडिया का किराया अधिक है। यात्रियों को खाड़ी के देशों तक ले जाने के लिए यूनाईटेड अरब अमीरात से त्रिवेन्द्रम और त्रिवेन्द्रम से यू० ए० ई० तक की उड़ानों का किराया उपर्युक्त किराए से भी दुगुना है।

इस समय त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों तक जाने के लिए एयर इण्डिया की उड़ान का किराया 3040 दिरहम है। मेरी मांग है कि इसे 2,000 दिरहम कर दिया जाए।

एयर-इण्डिया का कथन है कि किराया ढांचा जेनेवा की आई० ए० टी० ए० द्वारा निर्धारित किया गया है। इसलिए वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : कृपया अब आप अपनी बात को समाप्त करिए।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं मुख्य बात पर आ रहा हूं।

लेकिन बात यह है कि बहुत से खाड़ी-मलयाली संगठनों ने आई० ए० टी० ए० अधिकारियों से इस सम्बन्ध में संपर्क किया। उनका उत्तर था कि एयर इण्डिया के किराए ढांचे में किसी किस्म के हस्तक्षेप के बारे में आई० ए० टी० ए० को दोष न दिया जाए चूंकि यह तो कई देशों ने चर्चा के बाद निर्धारित किया था। इसलिए महोदय, भारत सरकार और नागर विमानन मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि एयर-इण्डिया द्वारा त्रिवेन्द्रम तथा खाड़ी-मलयाली यात्रियों से जो अवांछित और अनुचित किराया वसूल किया जाता है, उप पर पुनर्विचार किया जाए।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों के कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है, आज उसका 72वां दिन है। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों के कर्मचारियों ने 28 जनवरी, 1992 को एक अनिश्चितकालीन हड़ताल आरम्भ की थी जो कि केवल उनकी मजदूरी व अन्य भुगतानों की अदायगी को लेकर ही नहीं अपितु मानव-मशीन अनुपात के निर्धारण, बदली कर्मचारियों की समस्या तथा उत्पादन और उत्पादकता की समस्याओं, जो कि इस उद्योग की प्रमुख बातें हैं, को भी लेकर की गई थी। एक ऐतिहासिक संघर्ष के द्वारा, कर्मचारियों ने आखिर यह समझौता स्वीकार किया कि जहां एक तरफ उनकी मजदूरी में कुछ वृद्धि की जाए वहीं दूसरी तरफ एक समिति का गठन भी किया जाए जो कि

उद्योग से जुड़ी बुनियादी समस्याओं पर बारीकी से विचार कर सके। लेकिन कुछ मिल मालिक इस स्वागत-योग्य समझौते की अवमानना कर रहे हैं। इनमें से ऐसे तीन कदाचारी मालिक तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हैं। ये लोग अम्बिका जूट मिल, हनुमान जूट मिल और तिरुपति जूट मिल के मालिक हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 8,000 कर्मचारी शामिल हैं। मैंने इन कर्मचारियों की बस्तीं का दौरा कर यह देखा है कि ये कर्मचारी अत्याधिक मुसीबतों का सामना कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, बड़ा नगर जूट मिल और नार्थ ब्रूक जूट मिल के अधिकारियों ने तो इस समझौते को लागू करने से ही इंकार कर दिया है जिस पर उन्होंने 17 मार्च को हस्ताक्षर किए थे और इसका परिणाम यह है कि इन पांचों मिलों में हड़ताल आज भी जारी है। पश्चिमी बंगाल के श्रम मंत्री ने इस दिशा में पहल कर विवाद को निपटाने के लिए कार्रवाई की है लेकिन अभी तक समस्या हल नहीं हो सकी। केन्द्रीय सरकार बहुत ही दूरी से यह तमाशा देख रही है और बीच-बीच में दिल्ली से ही उपदेश जारी कर रही है। उनके आचरण से ऐसा प्रदर्शित हो रहा है कि वे इस मामले में कुछ भी नहीं करना चाहते। इसलिए महोदय, आपके माध्यम से मैं यह मांग करता हूं कि हाल ही में किए गए त्रिपक्षीय समझौते के अनुरूप कपड़ा मंत्रालय को यह मुद्दा उठाकर इस बीच हस्तक्षेप करना चाहिए और इन पथभ्रष्ट और दुराचारी उद्योगपतियों को सजा देनी चाहिए क्योंकि ये लोग भविष्य निधि के भुगतान तथा ई० एस० आई० लाभ और बहुत से अन्य स्थायी लाभ जो कि केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं, प्रदान करने के लिए मामले में कसूरवार हैं। इसलिए श्रम मंत्री और कपड़ा मन्त्री दोनों को संयुक्त रूप से और सक्रिय रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

[हिंदी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, मैं एक अति गम्भीर समस्या की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार के मानसी जंक्शन से सहरसा जंक्शन तक इंग्लिशस्तान के समय की रेल लाइन है। इस लाइन पर अनेक गाड़ियां चलती हैं। जिस गाड़ी की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, उस गाड़ी की रफ्तार मात्र 10-15 किलोमीटर ही होती है। इस कारण प्रत्येक वर्ष रेल प्रमंडल द्वारा इसकी मरम्मत की जाती है। यह एक बार्डर एरिया है। मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय से मांग करता हूं कि इस वर्ष के रेल बजट में जो छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा है, उसमें मानसी जंक्शन और सहरसा जंक्शन तक की रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की बात रखें ताकि करोड़ों लोगों की कठिनाई को दूर किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री एम० आर० कदम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आज के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे उस समाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है : 'लंका फिशरमेन् लिफ्टेड-नेवल इम्प्रमुवल'। श्रीलंका के नौ सेना वाइस एडमिरल श्री क्लन्सी फर्नान्डू की आशंका निराधार है और उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य हमारे भारतीय पत्रकारों को गुमराह कर रहा है। 1974 का भारत-श्रीलंका समझौता इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय मछुआरों को कच्चातीवू के पास मछली पकड़ने और वहां अपने जाल आदि सुखाने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब हमारे मछुआरे कच्चातीवू के समीप जाकर

मछली पकड़ने लगते हैं तो उन पर हमले किए जाते हैं और उन्हें परेशान किया जाता है। श्री क्लन्की फर्नान्डू यह कह कर झूठा समाचार दे रहे हैं कि श्रीलंका की नौ-सेना ने भारतीय मछुआरों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की है और ये मछुआरे श्रीलंका के क्षेत्राधिकार में प्रवेश कर मछलियां पकड़कर हर बार अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि 400 के लगभग मत्स्य नौकाएं 7 अप्रैल को पाक-स्ट्रेट में देखी गई हैं। जबकि आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों को एक साथ मिला कर भी 400 मत्स्य नौकाएं नहीं है। इस प्रकार श्रीलंका के वाइस एडमिरल द्वारा हमारे मछुआरों के खिलाफ दिया गया यह समाचार झूठा है।

उन्होंने यह भी कहा है कि लिट्टे को संयत रखने में भारत विपत्ति में सहायता करता रहा है जबकि भारतीय आसूचना विभाग का कहना है कि लिट्टे का यातायात अपने आप ही नियंत्रित हो गया है। इस प्रकार यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वाइस एडमिरल की आशंका निर्मूल है, इसलिए श्रीलंका सरकार को हमारे मछुआरों के बारे में दिए गए भ्रामक समाचारों को सही करना चाहिए।

मेरी सरकार से यह मांग है कि श्रीलंका सरकार के साथ बात कर सच्चाई को स्पष्ट किया जाए और हमारे मछुआरों के हितों की रक्षा की जाए जो कि प्राय: श्रीलंका की नौ-सेना और थल-सेना द्वारा परेशान किए जाते रहे हैं।

श्री जी० एम० सी० बालयोगी (अमालापुरम) : महोदय, शून्य काल में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

इस समय, हमारे देश में अनेकों शिक्षित लोग बेरोजगारी का शिकार हैं। इन सभी लोगों को रोजगार प्रदान करना, सरकार के लिए, इस स्थिति में, संभव नहीं है। इसलिए केवल लघु उद्योग ही इन लोगों को उत्तम रोजगार दे सकते हैं। इन लघु-उद्योगों के माध्यम से विदेशी मुद्रा कमाने के भी अच्छे आसार हो सकते हैं। इस क्षेत्र से भी लोगों की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया जाए ताकि बेरोजगार लोग अपने गांवों में अथवा नगरों में भूमि का अधिग्रहण कर उस पर लघु-उद्योग, कुटीर तथा ग्रामोद्योग स्थापित कर सकें जिनके माध्यम से वे जहां स्वयं रोजगार प्राप्त कर सकेंगे वहीं वे दूसरों को भी रोजगार दे सकेंगे। इससे पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास हो सकेगा।

आपके माध्यम से, केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए।

श्री रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : मैं आपके माध्यम से इस सभा का और सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण जन-स्वास्थ्य समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

यह मुद्दा 1 अप्रैल के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख के माध्यम से मेरी जानकारी में आया है। इसके लिए मैं प्रेस के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

गुजरात के जिला अमरेली तथा हमारे देश के बहुत से अन्य भागो में बहुत से गांव फ्ल्युरोसिस से प्रभावित हुए हैं जहां कि पेय-जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने से 25000 से भी अधिक बच्चे और व्यस्क प्रभावित हुए हैं।

वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पेय-जल मिशन के अधीन एक सब-मिशन बनाया गया था जो कि एक ऐसी समस्या से निपटने के लिए गठित किया गया था जिससे 8,700 गांवों में लगभग 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर-प्रदेश जैसे तेरह राज्य इससे प्रभावित हुए थे। इस सब-मिशन का उद्देश्य यह था कि 1990 तक फ्ल्युरोसिस प्रभावित सभी गांवों में स्वच्छ पेय-जल की व्यवस्था करा दी जाएगी।

इस समस्या से बुरी तरह से प्रभावित तीन राज्यों हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात (अमरेली के 37 गांवों में) के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई थी जिसे पूरा होने में कई वर्ष लगे।

भाव नगर जिले में कालुभर बांध से पाइप लाइन के जरिए प्रभावित गांवों तक पेय-जल पहुंचाने के सम्बन्ध में 1984 में प्रस्तावित एक परियोजना लगभग आठ वर्ष तक अधर में लटकी रही।

चिकित्सा और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने गहन अध्ययन के बाद यह तर्क दिया है कि पीने के पानी में फ्लोराइड की बहुत अधिक मात्रा होने से रक्त धमनियां खिंच जाती हैं और गर्भ के प्रभावित होने, गर्भपात होने और विकलांग बच्चों के पैदा होने की हर संभावना बनी रहती है।

आज इसके प्रभाव से बहुत से बच्चे, व्यस्क और वृद्ध लोग सीधा खड़ा होकर आकाश की ओर नहीं देख सकते। पेय-जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा का उन पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है। यह एक जन-स्वास्थ्य की एक गम्भीर समस्या है और मैं सोचता हूं कि सरकार इस क्षेत्र में कोई सेवा नही कर रही है। उन्हें स्वच्छ पेय-जल प्रदान न करके सरकार उन पर जुर्म कर रही है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे देश के विभिन्न गांवों में लोगों को एक बड़े स्वास्थ्य संकट से बचाने के लिए पेय तथा सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध करवाने वाली इस परियोजना को शीघ्र आरम्भ करें।

———

12.55 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ, लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं श्री सीताराम केसरी की ओर से

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (क) एक) भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ, लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ, लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1774/92]

(ख) (एक) भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ, लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ, लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1775/92]

(ग) (एक) भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ, लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ, लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1776/92]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम लाल राही) : महोदय, मैं श्री एम० एम० जैकब की ओर से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, कमांडेंट (वरिष्ठ पशु चिकित्सक सर्जन) भर्ती नियम, 1992 जो 29 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 88 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1777/92]

[अनुवाद]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन् कुमारमंगलम्) : महोदय, मैं श्री के० सी० लेंका की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय कृषि अनुसधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपयुक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1778/92]

(3) (एक) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनन्द के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनन्द के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1779/92]

पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : महोदय, मैं श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन की ओर से सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1780/92]

(3) (एक) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1781/92]

12.57 म०प०

[अनुवाद]

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : महोदय, मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.57½ म० प०

[अनुवाद]

याचिका समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं याचिका समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.58 म० प०

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महाराष्ट्र में चिमूर क्षेत्र स्थित कोयला खानों से कोयला निकाले जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : सभापति महोदय, वैस्टर्न कोलफील्ड की चिमूर क्षेत्र स्थित बन्दर कोलफील्ड में मोरपार-1 में 6 मिलियन टन, मोरपार ब्लाक में पांच मिलियन टन, बन्दर ब्लाक में 40 मिलियन टन और मोरपार पश्चिम व बन्दर एक्स में 0.45 मिलियन टन कोयला उपलब्ध होने का अनुमान है । इसी प्रकार इसी में लगे मकर धोकड़ा माइन अंडरग्राउन्ड में 9 मिलियन टन, मकरधोकड़ा-II में सात मिलियन टन और मकरधोकड़ा-III में भी भारी मात्रा में कोयले के भंडार उपलब्ध हैं । साथ ही नांद कोलफील्ड में 41 मिलियन टन कोयला उपलब्ध होने का अनुमान है । इनसे प्रतिदिन लगभग सात हजार टन कोयला खनन किया जा सकता है । इसके अलावा अगर उक्त कोलमाइन्स चालू हो जाती हैं तो इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा और कोल पर आधारित कुछ पूरक उद्योग भी लग सकेंगे, जिससे महाराष्ट्र के उक्त क्षेत्र, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, का विकास होगा ।

आने वाले दिनों में कोयले की कमी को देखते हुए इतनी बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में उपलब्ध कोयला खनन करना विकास प्रक्रिया में मददगार साबित होगा । इन खानों में उपलब्ध कोयला सी-ग्रेड का है, जो कि बिजली घरों और उद्योगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है । इस कोयले को देश के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि मोरपार, बन्दर, नांद और मकरधोकड़ा कोलफील्ड को रेलवे लिंक से जोड़ा जाए । यह मार्ग कुल मिलाकर 120 किलोमीटर है । जैसा कि आप जानते हैं कि चिमूर की जनता अंग्रेजों से लड़ने में अग्रसर रही है और यहां के देशभक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान भी दिया । उनकी याद में आज इस क्षेत्र का विकास हो तो सही मायनों में उनके त्याग की कद्र होगी और उचित सम्मान भी होगा । कोयले को अन्य स्थानों तक पहुंचाने हेतु रेलवे और कोयला मंत्रालय में समन्वय स्थापित कर इस योजना को शीघ्र क्रियान्वयन करें ।

(दो) मध्य प्रदेश में जगदलपुर को दहली-राजहरा रेल लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री मानकूराम सोढी (बस्तर) : सभापति महोदय, बस्तर में लगातार पच्चीस साल से दहलीराजहरा रेल लाइन को जगदलपुर से जोड़ने के लिए एक स्वर से सभी राजनैतिक पार्टियां आवाज उठा रही हैं, पर अन्तिम सर्वे होने के बाद भी आगामी आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की कोई कारगर कार्यवाही नहीं दिख रही है । प्रदेश शासन द्वारा भी विधान सभा में सर्वमत से संकल्प पास कर योजना आयोग को भेजा गया है ।

अत: केन्द्र शासन से अनुरोध है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने की दृष्टि से इस रेल लाइन को प्राथमिकता देकर आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत शामिल किया जाए ।

[अनुवाद]

(तीन) मानखुर्द-बेलापुर रेल परियोजना, मुम्बई के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु खुले बाजार से ऋण लेकर संसाधन जुटाने संबंधी महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम कापसे (ठाणे) : महोदय, मुम्बई शहर को न्यू मुम्बई से जोड़ने वाली 285 करोड़ रु० की मानखुर्द-बेलापुर रेल परियोजना पिछले कई वर्षों से निर्माणाधीन है। यह परियोजना न्यू मुम्बई क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है। इस रेलवे लाइन को मई, 1992 में चालू किया जाना था।

तथापि, परियोजना पर चल रहा कार्य अपनी अन्तिम चरण में है, फिर भी धन की अनुपलब्धता के कारण बीच में रुक गया है।

महाराष्ट्र सरकार तथा केन्द्रीय सरकार इस परियोजना की लागत का 2 : 1 के अनुपात में व्यय करना है। पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को सी० आई० डी० सी० ओ० (सिडको) द्वारा खुले बाजार से ऋण लेकर आंशिक रूप से इस परियोजना में धन लगाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन वर्ष 1991-92 में केन्द्र सरकार ने इसी तरह के 100 करोड़ रु० के ऋण को अनुमति प्रदान नहीं की थी, जिसके कारण कार्य रुक गया है।

चूंकि नया वित्तीय वर्ष आरम्भ हो गया है, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस महत्त्वपूर्ण परियोजना की शीघ्र समाप्ति के लिए खुले बाजार से ऋण लेकर संसाधन जुटाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान करें।

1.00 म० प०

[हिन्दी]

(चार) उत्तर प्रदेश और बिहार की "राजभर" जाति को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम लखन (लालगंज) : महोदय, देश के अधिकांश भागों में विशेषकर पूर्वी उ० प्र० एवं पश्चिम बिहार में निवास करने वाली "राजभर" जातियां आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त दयनीय अवस्था में हैं। दयनीय अवस्था में होने के बावजूद इन्हें अनुसूचित जाति की सूची में नहीं शामिल किया जा सका है। परिणामस्वरूप इनमें हताशा एवं उपेक्षा की भावना बलवती हो गयी है। समय-समय पर राजधानी में इनके धरने एवं प्रदर्शन होते रहते हैं।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आप बदले परिवेश को देखते हुए इन्हें अन्य अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर उन सभी सुविधाओं को प्रदत्त किया जाये तो अनुसूचित जातियों को उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

(पांच) आन्ध्र प्रदेश में 'मछुआरों' और 'ओबियों' को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता

श्री जी० एम० सी० बालयोगी (अमालापुरम) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग दो लाख

मछुआरे अपने दैनिक जीवन में सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। यहां तक कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी इस समुदाय को आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, सड़कें, अस्पताल, बच्चों के लिए शिक्षा तथा छोटे-छोटे पक्के मकान आदि उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं जबकि सरकार इनकी मेहनत से करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह सिफारिश की है कि मछुआरों तथा धोबियों के समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। इस मामले को अनेक संसद सदस्यों ने प्रस्तुत किया था। अब तक सरकार ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इन जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए तत्काल ही आवश्यक कदम उठाये जाएं।

(छह) कामाख्या नगर, कालियाहाट, नुदुरपुड़ा, नारायणपुर होकर जाने वाली ढेंकानाल-क्योंझर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्न मामले उठाना चाहता हूं।

कलकत्ता-मद्रास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर क्योंझर, उड़ीसा, जिला मुख्यालय शहर से केवल 35 किलोमीटर दूरी पर, कलकत्ता-बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग से 135 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 पर जिला मुख्यालय ढेंकानाल, उड़ीसा के बीच एक सीधी सड़क विद्यमान है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-42 पर ढेंकानाल-अंगुल-तलचर क्षेत्र नैशनल एल्यूमीनियम कम्पनी, स्मैलटर तथा कैपटिव पॉवर प्लांट, उर्वरक संयंत्र तथा एन० टी० पी० सी० सुपर थर्मल प्लांट के साथ तेजी से औद्योगिक क्षेत्र में विकसित हो रहा है। सामान्यत:, क्योंझर जो कि लौह अयस्क खानों के बीच स्थित है, क्रोम संयंत्र तथा प्रस्तावित दूसरे इस्पात संयंत्र के साथ धीरे-धीरे विकसित हो रहा है।

अत: यह वांछनीय तथा आवश्यक है कि कंकड़ाहाड—सी० बी० आर०—39 किलोमीटर, कालियाहाटा-नुदुरपुड़ा सी० बी० आर० 48 किलोमीटर, नुदुरपुड़ा—नारायणपुर एम० डी० आर० 12 किलोमीटर, नारायणपुर—क्योंझर एस० एच०—पांच किलोमीटर से होकर जाने वाली ढेंकानाल—कमकायानगर एम० डी० आर० 28 किलोमीटर—कमकायानगर—कालियाहाटा सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित किया जाए।

ढेंकानाल औद्योगिक क्षेत्र तथा क्योंझर औद्योगिक क्षेत्र के बीच 100 किलोमीटर की दूरी को कम करने के अतिरिक्त यह क्रोमाइट तथा लौह धातु के समृद्ध खनिज युक्त क्षेत्र के लिए भी रास्ता खोल देगा। इससे पूरे जनजातीय क्षेत्र के आदिवासियों के विकास तथा आर्थिक क्रियाकलापों के लिए भी रास्ते खुल जायेंगे चूंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात् संचार जैसी आधारभूत आवश्यकता की कमी के कारण विकसित नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उस समय कोई रेलवे लाइन विद्यमान नहीं थी।

हैं इसलिए मैं उनके विचार जानना चाहता हूं। एक किसान होने के नाते माननीय कृषि मंत्री को डंकल प्रस्ताव अस्वीकृत कर देना चाहिए। अधिकांश किसानों ने इसे पहले ही अस्वीकृत कर दिया है। उन्हें डंकल प्रस्ताव को हमारे कृषि क्षेत्र में नहीं घुसने देना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि डंकल प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जाता है तो सरकार द्वारा किसानों के लिए समर्थन मूल्य घोषित कर पाने की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। चर्चा का उत्तर देते समय मैंने उनसे डंकल प्रस्तावों के बारे में अपने ठोस प्रस्ताव सामने रखने का अनुरोध कर रहा हूं।

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री श्री लेंका बोलेंगे।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : सभापति महोदया, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में लगभग 81 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। इन मांगों पर चर्चा करते समय करीब-करीब सभी ने शिक्षा और अनुसंधान संबंधी गतिविधियों पर और कृषि क्षेत्र में उनका विस्तार करने पर अत्यधिक बल दिया।

मैं शुरू में ही हमारे देश में कृषि के सतत विकास के लिए उनके बहुमूल्य सुझावों और नवीन विचारों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे कृषि वैज्ञानिकों के उत्कृष्ट योगदान को देश-विदेश में सराहा गया है।

श्री अनिल बसु (आजमगढ़) : आप उनके कार्य के लिए पर्याप्त धन आबंटित नहीं कर रहे हैं।

श्री के० सी० लेंका : अनुसंधान क्षेत्र के लिए अधिक धन आबंटित करने के लिए मुझे आपकी सहायता की भी जरूरत है। मैं इस बात पर बाद में आऊंगा। महोदया, वैज्ञानिक समसामयिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और उन्होंने आकर्षक योजनाएं और परियोजनाएं बनाई हैं। उन्होंने खेतों और प्रयोगशालाओं में उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य किए हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व में कुछ बेहतरीन तकनीकियां विकसित की हैं। वास्तव में जिनका प्रचार किए जाने की आवश्यकता है और हमारी ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को तेजी से बदलने के लिए खेतों में जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदया, मैं इस माननीय सदन के समक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में हासिल की गई कुछ बड़ी उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहता हूं।

जैविक और अजैविक बाधाओं को नियंत्रित करने के लिए बहुत-सी फसलों की उन्नत किस्में तथा समुचित प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। हमने 176.23 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन किया है। इसमें से 74.6 मिलियन टन चावल और 54.5 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ है, जो कि अब तक के खाद्यान्न उत्पादन का एक रिकार्ड है। खाद्यान्न उत्पादकता में 38 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की कुल वृद्धि हुई है। तिलहनों का उत्पादन लगभग 18.5 मिलियन टन तक पहुंच गया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 मिलियन टन अधिक है।

श्री अनिल बसु : हम सब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् वैज्ञानिकों की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं लेकिन आप हमें यह बताएं कि अनुसंधान कार्यों के लिए आबंटित कुल निधि में से अब तक कितना व्यय किया गया है। 190 करोड़ रुपए की प्रावधान में से केवल 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को अपना भाषण पूरा करने दें।

श्री के० सी० लेंका : जहां तक पादप जीन अनुसंधान का सम्बन्ध है, भारत को विश्व के आठ महत्वपूर्ण जीन केन्द्रों में से एक माना जाता है। जर्मप्लाज्म संग्रहण, इसका मूल्यांकन और संरक्षण अनुसंधान की उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र हैं।

महोदया, मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहूंगा। फसलों की सत्ताईस नई और शंकर किस्में जारी की गई हैं। इनमें से 18 किस्में खाद्यानों की, 2 चारा फसलें, दालों की 4 किस्में और कपास की 3 किस्में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त अच्छी उत्पादकता की फसल और विभिन्न एग्रेक्लाइमेटिक क्षेत्रों में अच्छी फसल की पैदावार सुनिश्चित करने के लिए बागवानी के क्षेत्र में 33 किस्में विकसित की गई हैं। नई और अधिक सक्षम फसल प्रणालियां भी विकसित की गई हैं ताकि पानी की 30 प्रतिशत तक बचत हो सके और निरन्तर आधार पर उत्पादन में कोई हानि भी न होने पाए। संघटित जलसंभर विकास दृष्टिकोण से खाद्यान्न, चारा और शुष्क भूमि से ईंधन प्राप्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

शंकर नस्ल के पशु, दुधारू पशु और ऊन तथा मांस के लिए भेड़ों की अच्छी शंकर नस्लें विकसित करने में सफलता हासिल हुई है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में सर्वोत्कृष्ट भैंसों से 305 दिन में 2.790 किलोग्राम दूध प्राप्त हुआ।

नई प्रौद्योगिकियां राष्ट्रीय आधार पर मत्स्य तालाबों से मछली उत्पादन 50 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष से 1850 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष और जलाशयों से 20 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष से 220 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष तक बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई हैं। मत्स्य शुक्र को अधिक लम्बे समय तक भण्डारण करने सम्बन्धी नई प्रौद्योगिकियों से मत्स्य शुक्राणु बैंकों का अतिशीघ्र स्थापित करने में सहायता मिली है। बहुजातीय संसाधनों के भण्डार के आकलन से नितांत आर्थिक क्षेत्र में नई मत्स्य संभावनाओं का पता लगा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक शीर्षस्थ निकाय है जो कृषि अनुसंधान, शिक्षा और प्राथमिक विस्तार शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके समन्वय के लिए जिम्मेदार है।

कृषि अनुसंधान कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अब तक स्थापित 46 केंद्रीय संस्थानों, 9 परियोजना निदेशालय तथा 20 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है जो कि अलग-अलग फसलों तथा विषयों के मूलभूत तथा व्यावहारिक प्रयोजनों को लेकर स्थापित किए गए हैं जिनका कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा अन्य ऐसे ही क्षेत्रों से सीधा सम्बन्ध है।

इसके साथ ही यह परिषद सम्पूर्ण देश में 71 भिन्न-भिन्न स्थानों तथा विभिन्न विषयों पर चल रही अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन करती है।

महत्वपूर्ण पण्यों पर तथा अनुसंधान क्षेत्रों में 27 प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थाएं हैं। हम सम्पूर्ण देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सुदृढ़ और श्रेष्ठ मूलभूत ढांचों का निर्माण कर पाये है। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण एशिया का सबसे बड़ा संस्थान बन गया है, जिसमें 26 लाख से अधिक वैज्ञानिक कर्मचारी कार्यरत है। यह देश का तीसरा बड़ा संस्थान है जिसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी जनशक्ति है।

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि आजादी के बाद देश मे विज्ञान के विकास के लिए

(सात) गुजरात के किसानों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत देय राशि का शीघ्र भुगतान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जयेश पटेल (जामनगर) : महोदय, पिछले करीब एक-डेढ़ साल से गुजरात के किसानों को फसल बीमा की रकम अभी चुकायी नहीं गयी। यह रकम तुरंत ही चुकाने के लिए मेरी तरफ से गुजरात के संसद सदस्यों, किसानों के विभिन्न संस्थाओं की एवं सहकारी समितियों की तरफ से सरकार को बहुत दफे लिखा गया है। स्वयं मुलाकातें करके परिस्थिति से जानकारी दी जा चुकी है, इसके बावजूद अभी तक उपरोक्त फसल बीमा की रकम किसानों को चुकाई नहीं गई। इस वजह से किसानों को नया कर्ज दिया नहीं जाता। हालांकि वे हकदार हैं क्योंकि उनको उपरोक्त रकम जो अपने हक की है उसके बावजूद नहीं दी जाती।

इस वजह से किसान खाद बीज, कीड़ा मारने की दवाइयां आदि खरीद नहीं सकते जिससे खेत उत्पादन में काफी भारी नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से न सिर्फ किसान को बल्कि सरकार एवं देश को भारी नुकसान हो रहा है। किसान पर बैंक के कर्ज का ब्याज दुगुना-चौगुना बढ़ता ही जा रहा है जबकि किसान की निकलती बाकी रकम पर न ब्याज या मुआवजा दिया जाता है जिससे फसल बीमा का ध्येय ही मारा जाता है।

गुजरात से सौराष्ट्र-कच्छ विभाग आज भयंकर सूखा की चपेट में है और किसान एवं जानवर भयंकर भुखमरी की स्थिति से गुजर रहा है तथा किसान की बीमा की उपरोक्त किसान की रकम एकमात्र आशा की किरण है। उपरोक्त फसल बीमा रकम यही साधन अब किसान का रह गया है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि पिछले 1991-92 की फसल बीमा की रकम जो किसान को देने की बाकी है वह तुरंत दी जाये।

(आठ) राजापुर, महाराष्ट्र के मछुआरों के हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्न मामला उठाना चाहता हूं :

राजापुर निर्वाचन क्षेत्र देश का सबसे पिछड़ा हुआ निर्वाचन क्षेत्र है, जबकि उसे 100 प्रतिशत साक्षर घोषित किया गया है। आजकल समुद्र तट पर मिछली पकड़ना कम हो गया है क्योंकि पड़ोसी राज्यों द्वारा आधुनिक पोतों द्वारा मछली पकड़ने का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मछुआरों की मछली सुखाने के लिए नमक जैसी आवश्यक आवश्यकता भी पूरी नहीं की जा रही है। इसलिए 90% मछलियां प्रक्रियात्मक सुविधाओं की कमी के कारण खराब हो जाती है।

पूरा जहाजरानी उद्योग समाप्त हो गया है और परिणामी प्रभाव मत्स्य उद्योग पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आज एक लाख मछुआरे समुदाय का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि तत्काल ही निम्नलिखित कदम उठाए जाएं :

(क) राजापुर में आवश्यक अनुसधान सुविधाओं के साथ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए बन्दरगाह का निर्माण किया जाए।

(ख) सराजेकोटे और आनन्दवाडी मत्स्य बन्दरगाहों में कार्य आरम्भ किया जाए।

(ग) उस क्षेत्र के सभी बन्दरगाहों में गाद निकालने के लिए महाराष्ट्र सरकार को सहायता प्रदान की जाए।

(घ) मत्स्य उद्योग में मछली पालन को बढ़ावा देने, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने, कम पानी में मछली पकड़ने, विपणन, सहकारिताओं को बढ़ावा देने, आधारभूत आवश्यकताओं के प्रावधान तथा मछली पकड़ने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक मुख्य योजना तैयार की जाए।

(ङ) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए विदेशी जहाजों के साथ संयुक्त अभियान को बढ़ावा दिया जाए।

[अनुवाद]

(नौ) असम में धनसिरी नदी पर रेल पुल के साथ पैदल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबीन डेका (मंगलदोई) : रंगिया-रंगापाडा ब्रांच लाइन पर धनसीरी नदी के पूर्वी ओर रहने वाले उन लोगों को काफी परेशानी हो रही है जो उत्तर सीमांत रेलवे की सेवाओं का उपयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर रेलवे पुल के साथ पैदल चलने के लिए पुल नहीं है। वहां पर पैदल पुल न होने के कारण कई लोग रेलगाड़ियों से कुचले जाते हैं अथवा कुछ अन्य लोग नदी में गिर जाते हैं क्योंकि वहां पर मौजूदा रेलवे पुल के किनारों पर रेलिंग नहीं है। यदि यह पैदल पुल बन जाता है तो इससे उस क्षेत्र के लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें रौता स्टेशन पहुंचने के लिए केवल एक किलोमीटर चलना पड़ेगा। चूंकि वहां पर रेलवे पुल के साथ पैदल पुल नहीं है इसलिए लोगों को रौता रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए दस किलो मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह धनसीरी नदी पर रेलवे पुल के साथ एक पैदल पुल का निर्माण करने के लिए आवश्यक योजना बनाए।

[हिन्दी]

(दस) राजस्थान राज्य में पर्यटन के विकास के लिए राजस्थान सरकार के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान राज्य में पर्यटन विकास की बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं। राज्य में पिछले लगभग 16 वर्षों में देशी पर्यटकों की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या में यह वृद्धि 9 गुना हुई है। यह प्रवृत्ति अभी चालू है तथा 1992 के अंत तक भारत में आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों में कम से कम 40 प्रतिशत पर्यटकों के राजस्थान में आने की आशा है। अतः राज्य की इस चुनौती का सामना करने के लिए अगले दो वर्षों में दस हजार अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था के अलावा पर्यटक हेतु अन्य पर्यटन स्थलों का भी विकास करना होगा।

केन्द्र सरकार से उदार सहायता के बिना राज्य में पर्यटन का अपेक्षित विकास नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार ने तीन नए सर्किटों के विकास तथा पांच वर्तमान में मौजूद सर्किट के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव भारत सरकार के पास भिजवाए हैं। उन प्रस्तावों में प्रस्तावित मार्गों पर मिडवेज एवं कैफेटेरिया का निर्माण, ठहरने एवं मातायात की सुविधा तथा पर्यटन स्थलों का विकास आदि सम्मिलित हैं। प्रस्तावित आठों (तीन नए एवं पांच पुराने) सर्किटों को पूर्ण रूप से विकसित करने हेतु 760.68 लाख रुपए के प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त विचाराधीन प्रस्तावों पर शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा मध्याह्न भोजन अवकाश के लिए 2.10 म० प० पर पुन समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.10 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.17 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.17 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं)

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93—जारी

ग्रामीण विकास मंत्रालय

लाख मन्त्रालय

कृषि मन्त्रालय

नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया) : सभापति महोदया, मैं लाखों उत्पादकों की समस्याओं के बारे में अपनी बात आरम्भ करता हूं। इस देश में तीन लाख उत्पादक है। उद्योगपतियों, बिचौलियों, साहूकारों और निर्यातकों ने काफी लम्बे समय तक उनका शोषण किया है। लाख उत्पादकों की केवल यही नकदी फसल है, उनमें से अधिकांश लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं। उनकाउत्थान सरकार की पवित्र जिम्मेदारी है।

लाख की खेती आम तौर पर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में होती है। 1950 में लाख के उत्पादन में भारत विश्व में पहले नम्बर पर था। यह विश्व के कुल लाख उत्पादन का लगभग 85 प्रतिशत उत्पादन करता था। 1978-79 में लाख का उत्पादन घट कर 53 प्रतिशत हो गया, और अब यह केवल 50 प्रतिशत है भारत सरकार का अनुमान है कि आठवीं योजना में लगभग 21,485 मीट्रिक टन लाख का

उत्पादन होगा। यह विश्व के उत्पादन का केवल 50 प्रतिशत है। इस समय 194 विनिर्माता हैं। परन्तु 1950 में 489 विनिर्माता थे। भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी को लाख का निर्यात किया जा रहा है। भारत की स्थिति अब बहुत खराब है। थाईलैंड हमारे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। पहले भारत का लाख का निर्यात अपने उत्पादक का कुल 74 प्रतिशत था। लाख की खेती करने वालों, जो कि अधिकांशत: अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के और गरीब लोग हैं, के लाभ के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को सुझाव देता हूं कि लाख का न्यूनतम समर्थक मूल्य निर्धारित किया जाए तथा चाय और जूट विकास बोर्डों की भांति लाख विकास बोर्ड स्थापित किया जाए। परपोषी वृक्षों के प्रत्यारोपण को बढ़ावा दिया जाए तथा इसे सामाजिक नवीकरण योजना के अन्तर्गत लाए जाए। उत्पादन से लेकर निर्यात तक लाख के संसाधनों को सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाए।

मेरी दूसरी बात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में है। प्रधान मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली शहरोन्मुखी है तथा अधिकांश ग्रामीण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। अत: सरकार ने राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों के प्रशासकों को उचित दर की दुकानें खोलने की सलाह दी है। फिलहाल लगभग 50 प्रतिशत खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत है और केवल पांच राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली इसकी खपत करते हैं। 20 प्रतिशत खाद्यान्न की खपत बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उड़ीसा द्वारा किया जाता है, जबकि 50 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते है उनमे से एक तिहाई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में है, अगस्त, 1991 में सलाहकार परिषद की 13वी बैठक और सितम्बर, 1991 में मुख्य मंत्रियों की बैठक में सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि 27 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में उचित दर की 11,000 दुकानें खोलने के लिए 1700 ब्लाकों का पता लगाया जाएगा जिससे 16.7 करोड़ लोगो को लाभ पहुंचेगा लेकिन प्रभारी नवीन कदम न उठाए जाने के कारण अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। पश्चिम बंगाल मे 17,256 सुधारीकृत राशन की दुकानें हैं जिनसे 536 लाख लोगों को लाभ पहुंचता है। वहां पर शहरी क्षेत्रों में 2767 सांविधिक खुदरा दुकानें है जिनसे 105.74 लाख लोगों को लाभ पहुंचता है। परन्तु अब प्रश्न यह है कि खाद्यान्नों की उपलब्धता गभीर स्थिति तक पहुंच गयी है। केन्द्रीय सरकार खाद्यान्न समय पर नहीं भेजती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 14 आवश्यक उपभोग्य मदो को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाने के लिए केन्द्र सरकार को कई अभ्यावेदन दिए है। मैं मंत्री जी से इस बारे में कुछ करने का अनुरोध करता हूं।

कुछ दिन पूर्व एक समाचार पत्र में छपा था कि सरकार ने 49 प्रतिशत अशुद्धता की स्वीकृति दे दी है। मंत्री महोदय को वास्तविक स्थिति बतानी चाहिए। अब मैं माननीय मंत्री से 'कार्य के बदले अनाज' कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का आग्रह करता हूं। यह बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है। मैं वसूली प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए भी मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं। फिलहाल वसूली की दर 10 से 12 प्रतिशत है। इसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाना चाहिए। लगभग 170 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को निर्बाध रूप से चलाया जा सकता है।

मैं अन्त मे डकल प्रस्ताव के बारे में माननीय कृषि मंत्री के विचार जानना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वे कृषि समुदाय से संबंधित व्यक्ति हैं और उनके कल्याण में दिलचस्पी रखते

4,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस समय देश में 900 से भी अधिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान हैं, जिनमें बायो गैस और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सम्मिलित हैं। इसलिए, यहां पर देश में हो रहे अनुसंधान, मूलभूत ढांचों का निर्माण और उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है।

मैं अब शिक्षा के विषय को लूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमें और बहुत कुछ करना है। इस विषय पर चर्चा करते हुए कई माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि हर राज्य में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। इसका यह मतलब है कि सभी माननीय सदस्य देश में कृषि के महत्व को अनुभव करते हैं। वे संपूर्ण देश में, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए शिक्षा तथा कृषि संबंधी शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता को भी महसूस करते हैं। महोदया, मैं यह समझता हूं कि यदि कृषि सम्बन्धी शिक्षा को स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों अथवा पाठ्य-पुस्तकों में छोटे पैमाने पर नहीं रखा जाएगा तो लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। मैं सोचता हूं कि हर एक व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा कृषि ज्ञान से दिया जाना चाहिए और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी के बारे में भी शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे लोग दैनिक कार्यों तथा हर व्यावहारिक क्षेत्र में अपने आपको व्यस्त रख सकें। अच्छे कृषि उत्पादन के लिए यह आवश्यक है।

जहां तक राज्यों में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रश्न है, हम उस पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी। योजना में उत्तर-पूर्वी राज्यों में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। लगभग सभी सदस्य यह जानते हैं कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में एक भी कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। जहां तक कृषि शिक्षा का प्रश्न है, इसमें अधिकतर उत्तर-पूर्वी राज्य पिछड़े हुए हैं। वे अनुसंधान के विषय में तथा इसके विस्तार में भी पिछड़े हुए हैं।

अत: इम्फाल में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें सात कॉलेज होंगे। इन सात कॉलेजों को मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों में स्थापित किया जाएगा। उत्तर-पूर्वी राज्यों में युवाओं को शिक्षित करने तथा कृषि सम्बन्धी क्षेत्र का विकास करने में काफी समय लगेगा।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : करीमगंज में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव था।

श्री के० ली० लेंका : मैं इस बारे में जांच करूंगा।

इस विश्वविद्यालय के लिए 112 एकड़ भूमि पहले से ही आवंटित की है। इस दिशा में काम करने के लिए हमें शैक्षिक लक्ष्य को ध्यान में रखना होगा। मुझे इस सभा को देश में शिक्षा प्रणाली के मूलभूत ढांचे की सूचना देनी है। अधिकतर शैक्षणिक कार्यक्रम, राज्य के विभिन्न भागों में स्थित 27 कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के चार संस्थान निम्न हैं :

(1) भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ;

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान;

(3) राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान; तथा

(4) केन्द्रीय मत्स्य पालन संस्थान ।

ये संस्थान एक मानिद विश्वविद्यालय के रूप में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम देकर, शैक्षणिक कार्य करते हैं और उपाधि भी प्रधान करते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, हैदराबाद, विभिन्न सेवाओं में भर्ती हुए नए कृषि अनुसंधान कर्मचारियों को, परियोजना की योजना, कार्यान्वयन, संचालन एवं अनुसंधान प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देती है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का तीसरा पहलू कृषि विस्तार है । इस विषय पर जब सदस्य बात कर रहे थे तब मैंने उनकी बात को सुना है। अधिकतर सदस्य कृषि के विस्तार पर अधिक जोर दे रहे थे। हमारे वैज्ञानिकों ने कृषि के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है लेकिन हम इस प्रौद्योगिकी को निचले स्तर तक नहीं पहुंचा सके हैं। मैं यह कह सकता हूं कि अब हमारे पास एक कमजोर व्यवस्था, कमजोर मूल-मूल ढांचा है, जिससे कि हम यह प्रौद्योगिकी किसानों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। जब तक यह आधुनिक प्रौद्योगिकी किसान के घर-घर नहीं पहुंचेगी, हम उत्पादन को बढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए हमें कृषि के विस्तार के विषय में जोर देना होगा ।

अधिकतर सदस्यों का यह विचार था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तेजी से अनुसंधान कार्य निचले स्तर पर क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं यह कह सकता हूं कि यदि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कृषि के विस्तार का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा तो भा० कृ० अ० प० का प्रयोजन प्रभावित होगा; भा० कृ० अ० प० शिक्षा और अनुसंधान के कार्य में लगा हुआ है; और यह केवल किसानों को ही आधुनिक प्रौद्योगिकी के विषय में जानकारी नहीं देता अपितु वह सरकारी अधिकारियों को, राज्य सरकार के अधिकारियों को और किसानों को भी प्रशिक्षण देता है।

उन्होंने आधुनिक प्रौद्योगिकी का जो पहला प्रदर्शन दिया, उसे निचले स्तर तक कैसे ले जाया जा सकता है ? यह तो राज्य सरकार का काम है कि वे विस्तार के मूलभूत ढांचे का प्रसार करें, जिससे कि यह आधुनिक प्रौद्योगिकी किसान के घर-घर पहुंच सके ।

यह सच है कि देश में इसके विस्तार के लिए भा० कृ० अ० प० के पास एक एजेन्सी है। अब तक 109 कृषि विकास केन्द्र स्थापित हो चुके हैं । ये कृषि विकास केन्द्र आधुनिक प्रौद्योगिकी के दीप्ति गृह के रूप में कार्य कर रहे हैं। कृषि विकास केन्द्रों में किसानों और वैज्ञानिकों पर पारस्परिक सम्बन्ध है।

देश के 107 जिलों में 'लैंड टू लैब' कार्यक्रम कृषि विकास केन्द्रों के माध्यम से किए जा रहे हैं। लेकिन हमें और कार्यक्रमों की जरूरत है। कई माननीय सदस्यों ने इस बात की मांग की है कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में कृषि विकास केन्द्र स्थापित किए जाएं। इसकी मांग करते हुए माननीय सदस्यों से सैकड़ों ज्ञापन प्राप्त हुए हैं । इसका यह मतलब है कि कृषि विकास केंद्र अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं।

जहां तक प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण का प्रश्न है, केवल कृषि विकास केंद्र ही इस प्रौद्योगिकी को निचले स्तर पर किसानों तक पहुंचा सकते है । हम प्रत्येक जिले में कम से कम एक भी कृषि विकास केंद्र स्थापित नहीं कर सके। हमारे पास आठवीं पंचवर्षीय योजना में देश के प्रत्येक जिले

में कम से कम एक कृषि विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। लेकिन यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : एक कृषि विकास केन्द्र स्थापित करने में कितना खर्च होगा ?

श्री के० सी० लेंका : पहले चरण में दो से तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे। अन्त में पूरा खर्चा 15 करोड़ रुपये के लगभग होगा।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : एक कृषि विकास केन्द्र का निर्माण करते समय, भवन को खड़ा करने में सबसे ज्यादा खर्च होता है। किसान जिस तरह से अपने आप काम करते हैं, और जीते हैं, यदि आप वैसा कर सकते हैं तो यह अच्छा होगा। आप उस तरह से अपने कृषि विकास केन्द्र स्थापित कर सकते हैं।

श्री के० सी० लेंका : आप विद्वान हैं, यह मैं जानता हूं। लेकिन कृषि विकास केन्द्र का निर्माण करने का मतलब है, पहले प्रयोगशाला स्थापित करनी पड़ेगी क्योंकि कृषि विकास केन्द्र उन कृषि जलवायु मण्डलों में अनुसंधान करते है, जहां पर उस क्षेत्र के अनुकूल फसल उगायी जाती है। अत: पहले हमें प्रयोगशाला की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। तब यह अनुसंधान कार्य किसानों तक पहुंचेगा। यह सही है कि अधिकतर प्रौद्योगिकियां किसानों तक सीधे भेजी जाती है। भवनों के निर्माण और उपकरणों के लिए, कृषि विकास केन्द्रों की अधिक संख्या में जरूरत होती है। कृषि विकास केन्द्र इन समस्याओं का सही समाधान है।

श्री अमल दत्त : यदि यह काम पूरा होगा तो इसे सही कहा जा सकता है।

श्री के० सी० लेंका : जहां तक विस्तार का संबंध है, मैं सभा को भा० कृ० अ० प० की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं।

कृषि जलवायु मण्डलों को लेते हुए अधिकतर जो 4,000 प्रदर्शन हुए, उसके कारण, पड़ोस के किसानों से दो या तीन गुणा अधिक चावल, गेहूं, दाल, तेल का उत्पादन हुआ। 'लैब टू लैंड'' कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेषकर वर्षायुक्त कृषि के क्षेत्रों में, कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले 20,000 परिवारों को 40 प्रतिशत अधिक उपज प्राप्त हुई। कृषि विज्ञान केन्द्रों ने 9516 प्रशिक्षण पाठ्य-क्रमों का आयोजन किया जिससे 2,07,446 प्रशिक्षार्थी लाभान्वित हुए। लगभग 1445 प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया गया। 26,500 से अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसान परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं और उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिये बनी इस परियोजना के माध्यम से उनकी वार्षिक आय 1000 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये हो गयी है।

इसके अतिरिक्त, अन्य कार्यक्रम भी चलाये गये हैं। अगर मैं सदन में उन कार्यक्रमों का ब्यौरा देने लगूंगा तो इसमें समय लगेगा।

जहां तक कृषि इंजीनियर का प्रश्न है, अधिकांश सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया है कि देश की जोत भूमि आधुनिक कृषि प्रणाली को लागू करने के लिये उपयुक्त नहीं है।

अनेक माननीय सदस्यों ने भूमि-सुधारों के बारे में बहस की है। देश में भूमि-सुधारों को लागू कर देने के बाद भी भूमि दिन-प्रतिदिन खण्डों में बंट ही रही है।

एक सम्मानित सदस्य : आपके पास कितनी जमीन है ?

श्री के० सी० लेंका : मेरे पास सिर्फ चार एकड़ जमीन है। मैं एक छोटा कृषि मजदूर हूं। मैं एक छोटा किसान हू, मेरे पास मात्र चार एकड़ जमीन है।

श्री ई० अहमद : अपने केबिनेट मंत्री की तुलना में आप छोटे किसान हैं।

श्री के० सी० लेंका : मैं खेतों के बारे में अपना अनुभव इसलिये बता रहा हूं क्योंकि मैंने खेतों में काम किया है।···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे आसन को सम्बोधित करें।

श्री के० सी० लेंका : महोदया, मैं भूमि-सुधारों के बारे में मैं बोल रहा था।···(**व्यवधान**)

श्री द्वारका नाथ दास : मंत्री महोदय को रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। (**व्यवधान**)

श्री के० सी० लेंका : माननीय सदस्य से थोड़ा धैर्य रखने का मेरा अनुरोध है। मैं उस विषय पर बाद में आऊंगा।

महोदया, मैं कृषि-नीति को लागू करने की बात कर रहा था। भूमि-सुधारों योजना को लागू करने के बाद, भूमि का दिनों दिन विखण्डन हो रहा है। देश में 80 प्रतिशत के लगभग छोटे और सीमान्त किसान हैं। और 15 प्रतिशत ही बड़े किसान हैं जिनके कब्जे में 75 प्रतिशत जमीन है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1974 में इस दिशा में ध्यान दिया था। उस समय उनके दिमाग में सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की बात नहीं थी बल्कि उनका कहना था कि हमें जमीन जोतने वालों को दे देनी चाहिए।

उड़ीसा में हमने ऐसा किया भी है। वहां हमने प्रत्येक किसान को दस एकड़ जमीन दी है। वहां आपको एक भी बड़ा किसान नजर नहीं आयेगा। भारत में, फालतू जमीन का अधिकतम प्रतिशत भूमिहीन-मजदूरों को उड़ीसा में बांटा गया है। (**व्यवधान**)

श्री ई० अहमद : मुझे तो नहीं लगता कि उड़ीसा ने केरल की अपेक्षा बेहतर कार्य किया है···। (**व्यवधान**)

श्री के० सी० लेंका : हो सकता है, ऐसी ही हो। उड़ीसा राज्य के योजना मंत्री और बाद में राजस्व मंत्री के रूप में मैंने स्वयं ही इन योजनाओं को क्रियान्वित किया था···(**व्यवधान**) मैंने यह अपने राज्य में किया है और मैं इससे संतुष्ट हूं। जहां तक उपकरणों का सम्बन्ध है हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। हमारे छोटे किसानों के लिए बड़े ट्रैक्टर उपयोगी नहीं हैं। वे अभी भी कृषि कार्य में पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक पारंपरिक पद्धति पर आधारित सर्वोत्तम स्वदेशी तकनीक और उपकरणों के आविष्कार में व्यस्त हैं, जो छोटे भू-खण्डों के लिए अधिक उपयोगी हों। आठवीं पंचवर्षीय योजना में हम इस क्षेत्र में ज्यादा जोर दे रहे हैं। हम उद्यमियों को ऐसे उपकरण बनाने के लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं जो देश की

विभिन्न जलवायु-आधारित कृषि क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले उपयुक्त और विशिष्ट क्षेत्रों के लिये उपयोगी हों। देश मे कृषि क्षेत्र को जलवायु के आधार छः जोनों में बांटा गया है। अतः हमें छोटे और सीमान्त किसानो के लिए विभिन्न किस्मों के उपकरणों की जरूरत है। किसानों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे ट्रैक्टरों की संख्या से हमें देश की कृषि की स्थिति का अदाजा नहीं मिल सकता क्योंकि ये ट्रैक्टर कुछेक बड़े किसानों के पास ही है। अब हमें छोटे और सीमान्त किसानों की दशा के बारे में सोचना है।

वस्तुतः भूमिहीन कृषि-मजदूर ही असली किसान हैं क्योंकि वही खेतों में कार्य करते है और वे जानते हैं कि कृषि के विकास के लिये किस चीज की जरूरत है और कब क्या करना चाहिए। भूमिहीन खेतिहर मजदूर ही असली किसान हैं क्योंकि 80 प्रतिशत ग्रामीण लोग कृषि में लगे हुए हैं··· (**व्यवधान**)

श्री अनिल बसु : उनके पास भूमि नहीं है··· (**व्यवधान**)

श्री के० सी० लेंका : यही तो बात है। राज्यों को चाहिए कि वे फालतू भूमि को भूमिहीन मजदूरों के बीच वितरण को प्राथमिकता दें जिससे उसका वांछित परिणाम सामने आ सके।

उड़ीसा राज्य में भूमि सुधारों को समुचित ढंग से लागू कर देने से वहां उत्पादन दो गुना हो गया है। यह कृषि-विशेषज्ञों के विचार हैं·· (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : इससे संबंधित सवाल तो हम नहीं पूछने, इसे 9 शेड्यूल मे डाल दिया है हम लोगों ने और लैंड ट्राइबूनल इनसे नहीं बन रहा है, हालांकि आई० सी० ए० आर० डील करते हैं, ये जवाब क्या देंगे उस पर। आप बोल रहे हैं तो इस संदर्भ में हम आपको कह रहे हैं कि लैंड ट्राइबूनल तो इनसे बन नहीं सका, सारा लैंड रिफार्म्स 9 शेड्यूल में चला गया और हम लोगों को बता रहे हैं कि सरप्लस सरकार बांट दे रही है, सरप्लस तो बांटने के लिए तैयार हैं आप उसको तो डालिए।

[अनुवाद]

श्री के० सी० लेंका : आप सब जानते है, क्योंकि आप इसके प्रभारी रहे थे और कृषि विभाग को कैसे चलाया जाना चाहिए, इसकी आपको विस्तृत जानकारी है। सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा था कि कृषि को छोड़ कर कोई दूसरी संस्कृति नही है। हमें सिंचाई के बारे में कुछ नहीं कहना है, न ही कीटनाशकों के बारे में कुछ कहना है और न ही उर्वरकों के बारे में। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया इन्हें बार-बार बाधित न करें।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : मान्यवर, मंत्री जी बोल रहे हैं कि इनको किसान को डेवेलप करने में अनेक कठिनाइयां हैं, यह हम लोग भी समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि

हम नहीं समझते हैं। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि किसान के बेटे को ही प्रधानमंत्री बनाओ और किसान की सारी समस्याओं को दूर करो। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री के० सी० लेंका : वर्तमान प्रधानमंत्री किसान के बेटे हैं। अपने नेतृत्व में उन्होंने हमेशा कृषि का विकास करना चाहा है। वे देश के पहले मुख्य मंत्री थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश में भूमि सुधार अधिनियम लागू किया। अत: अब यह हमारे लिये सौभाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री एक किसान का बेटा है। अब आपको क्या चाहिए ? अब तो आपको संतुष्ट होकर इस कार्यक्रम में सहायता करनी चाहिए। सौभाग्य से, कृषि मंत्री भी इस देश के एक विद्वान और अनुभवी किसान हैं।

श्री अनिल बसु : एक किसान और एक जमींदार में अन्तर है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : किसान की परिभाषा है 30 एकड़ से कम जमीन वाले, जो अपने हाथों से खेत की जुताई करता है, कार्य करता है वह किसान लैंड-लोर्ड किसान नहीं हुआ करता, इसलिए इसमें सुधार कीजिए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री के० सी० लेंका : मेरे अनुसार तो देश में अब कोई जमींदार है ही नहीं। जब भूमि सुधार अधिनियम लागू किया जा चुका है, तो किसी को जमींदार नहीं होना चाहिए। हां, कुछ भू-स्वामी हो सकते है। (**व्यवधान**) अब कोई जमींदार नहीं है क्योंकि हमने उनसे जमीन ले ली है। (**व्यवधान**) मैं एक छोटा और साधारण किसान हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री बलराम जाखड़ एक अनुभवी किसान हैं और देश के प्रधानमंत्री एक किसान के बेटे है। तो, अब आपको क्या चाहिए ? मैं अब पशुपालन की तरफ आ रहा हूं। माननीय सदस्यों को जानकारी है कि दुग्ध विकास··· (**व्यवधान**)

समापति महोदय : अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। कृपया माननीय मंत्री को उत्तर देने दें।

श्री के० सी० लेंका : कृषि क्षेत्र में हमें बहुत उपलब्धियां मिली हैं। अगर मैं उनका उल्लेख करूं और उन्हें पढ़ने लगूं तो इसमें आधा घंटा लग जाएगा। जहां तक आधुनिक कृषि उपकरणों का सवाल है, इसके क्या परिणाम होते हैं, यह हम देख चुके हैं। मैंने तो केवल अपने उद्देश्यों की चर्चा की है। अब तक, अविष्कृत आधुनिक प्रौद्योगिकी देश के छोटे और सीमान्त किसानों के लिये उपयोगी नहीं हो सकी है। इसलिये, हमने इन क्षेत्रों की पहचान कर ली है जहां आठवीं पंचवर्षीय योजना पारंपरिक प्रणाली पर आधारित स्वदेशी उपकरणों के निर्माण को प्राथमिकता देनी है, जो राज्यों के छोटे और सीमान्त किसानों के लिये उपयोगी हों।

3.00 म० प०

मैंने यही सब कहा है। लेकिन कई चीजों का आविष्कार हुआ है और कई उपकरण बने हैं। उनके बारे में चर्चा करने में समय लगेगा।

अब मैं पशुपालन और दूध के बारे में बात करूंगा। सभी माननीय सदस्य जानते होंगे कि पशुपालन और पशुधन क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने के उत्कृष्ट साधन हैं। खेती में लगे अधिकांश लोग कृषक-मजदूर हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध विकास परियोजनाओं के समुचित रूप से चालू हो जाने पर लाभान्वित हो सकेंगे।

"ऑपरेशन फ्लड" के बाद हमने देखा है कि हम पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध विकास और पशुपालन के क्षेत्र में समुचित विकास नहीं कर सके है। अधिकांश उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी हमें कोई खास उपलब्धि नहीं प्राप्त हुई है। सरकार की जानकारी में यह चीज है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड देश के दस प्रतिशत इलाकों में ही अपना कार्य कर रहा है। जिन इलाकों में मूलभूत ढांचा मौजूद है और दूध उपलब्ध है वहां राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड अपने नियमानुसार अपनी योजनाओं को लागू कर रहा है। पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्र और अधिकांश उत्तर-पूर्व के राज्य इस बोर्ड के द्वारा दी जाने वाली किसी भी सुविधा को पाने से वंचित है। इसलिये देश के अन्दर दुग्ध विकास और पशुधन परियोजनाओं के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विषमता है। इस पर सरकार की दृष्टि पड़ी है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पूरे देश में, जहां 'ऑपरेशन फ्लड' कार्यक्रम नहीं चल रहा है, पहाड़ी इलाकों में, उत्तर-पूर्वी राज्यों में और पिछड़े इलाकों में सरकार ने एकीकृत दुग्ध विकास कार्यक्रम शुरू करवाने का फैसला किया है। यह केन्द्रीय योजना के रूप में कार्य करेगी और राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित होगी और इस संबंध में राज्य सरकारों को पूरी मदद दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : डेरी डेवलपमेंट कारपोरेशंस जो हैं, वह काम अभी इन्होंने नहीं किया है। कुरियन साहब वहां बैठे हैं, जहां मिलता है, वहां काम करते हैं, तो यह काम इनको क्यों नहीं देते हैं आप लोग, क्यों हिली एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में काम नहीं हो रहा है। जो पैसा आता है, जहां दूध चाहिए, वहीं देते हैं, तो यह डेरी डेवलपमेंट का काम नहीं है। सारा फण्ड गुजरात और दूसरी जगह देते हैं, हिली एरियाज में क्यों नहीं देते हैं, इसके बारे में आपने क्या सोचा है। करोड़ों रुपया दिया जाता है, लेकिन कुरियन साहब तेल आदि बनाने में लगा रहे हैं। तो इसके बारे में आप कोई कार्यवाही करने वाले हैं या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री के० सी० लेंका : महोदया, मैंने कहा है कि इन परियोजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। अगर राज्य सरकारें अपने प्रस्ताव नहीं भेजती हैं तब केन्द्र सरकार क्या करेगी ?

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के इस पहलू पर सरकार ने अनेक बार चर्चा की है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अपने सिद्धान्तों का अनुसरण करता है। उनका सिद्धान्त है कि अपने कार्य ऐसे स्थानों पर चलाएं जहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों क्योंकि वे अपना कार्य व्यावसायिक आधार पर कर रहे हैं। इसी कारण उन्होंने देश में ऐसे स्थान चुने हैं जहां पर बुनियादी सुविधाएं हैं, जहां पर पहले ही दूध उपलब्ध है। इसीलिए मैंने कहा है कि इससे बचने के लिए सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस समन्वित डेयरी विकास योजना का प्रस्ताव किया है जो

'ऑपरेशन फ्लड' में शामिल नहीं हुए क्षेत्रों के लिए लागू की जाएगी। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए।

श्री के० सी० लेंका : यह एक केन्द्रीय योजना है। अन्य योजनाएं भी हैं। लेकिन यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना होगी जिसे राज्य सरकारों को कार्यान्वित करना है। हमारी योजनाएं राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई जाएंगी और यह उन पर निर्भर करता है कि वे अपने क्षेत्रों में उन्हें किस प्रकार कार्यान्वित करें।

जहां तक देश में मुर्गी-पालन में विकास का संबंध है, यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज में लोगों के गरीब वर्ग को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन सभा की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश की विश्व में अंडे की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत सबसे कम है। हमारी प्रति व्यक्ति खपत केवल बाइस अंडे प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति है। यह अनुमान है कि यदि हम इस क्षेत्र को प्राथमिकता दें··· **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा (क्योंझर) : पोडू कल्टीवेशन के बारे में बताइये।

[अनुवाद]

श्री के० सी० लेंका : इसके बारे में केबीनेट मंत्री उत्तर देंगे। वह आदिवासियों द्वारा पोडू की खेती के मुद्दे पर बोलेंगे।

एक अनुमान के अनुसार अगर आप प्रति व्यक्ति खपत में एक अंडे की और वृद्धि कर दें तो इससे देश में 25,000 नौकरियां उत्पन्न होंगी। अत: कल्पना कीजिए, यह डेयरी क्षेत्र, मत्स्य पालन क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र ग्रामीण जनता को अनेक अवसर प्रदान कर सकते हैं और ग्रामीण लोगों की बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं।

श्री अमल दत्त : आप इस प्रकार क्यों बोल रहे हैं ? आप एक सामान्य सदस्य की तरह बोल रहे हैं। आप एक मन्त्री हैं। आपको यह नहीं कहना चाहिए कि यह किया जाना चाहिए, वह किया जाना चाहिए; आप हमें बताएं कि क्या किया जा रहा है।

श्री के० सी० लेंका : कृपया मेरी बात सुनिए। अब हम देश में एक राष्ट्रीय मुर्गी पालन विकास बोर्ड स्थापित कर रहे हैं जो देश में मुर्गी पालन उद्योग के विकास की देखरेख करेगा। मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि मैं पश्चिम बंगाल सरकार से कह रहा हूं कि मुर्गी पालन उद्योग को कृषि का दर्जा दें लेकिन आपके मंत्री ने अभी तक मुझे उत्तर नहीं दिया है। मुर्गी पालन के विकास हेतु राज्य सरकार को मुर्गी पालन उद्योग को कृषि का दर्जा देना चाहिए।

श्री विजय एन० पाटील (इरनदोल) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। विभिन्न बोर्डों जैसे रेशम बोर्ड, कॉफी बोर्ड इत्यादि में संसद सदस्य इनके सदस्य हैं लेकिन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में संसद का कोई सदस्य नहीं हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस पहलू पर विचार करेगी क्योंकि इस पर उचित नियन्त्रण होना चाहिए। इसलिए क्या आप इस बोर्ड में संसद सदस्यों को मनोनीत करेंगे।

श्री के० सी० लेंका : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही उपयोगी सुझाव दिया है। मैंने

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम का अध्ययन किया है। सरकार इस प्रस्ताव पर भी विचार करेगी।

श्री विजय एम० पाटील : इस अधिनियम मे संशोधन किया जाए क्योंकि इसके संबंध में अनेक शिकायतें हैं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आप कितनी देर और बोलेंगे ?

श्री के० सी० लेंका : मैं अभी समाप्त कर रहा हूं।

अन्त में, भाषण समाप्त करते हुए मैं यहां पर माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा सम्बन्धी कार्य दल ने स्पष्ट कहा है कि जब तक कृषि को ज्ञान प्रेरक और अधिक आय बढ़ाने तथा ग्रामीण जनता के लिए कुशल नौकरी उत्पन्न करने के लिए नहीं बनाया जाता, तब तक भारतीय कृषि का कोई भविष्य नहीं है। हमारी ग्रामीण जनसंख्या में युवा बहुतायत में हैं। अगर कृषि मानसिक रूप से प्रेरक तथा आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होगी तो कृषि में युवाओं को आकर्षित करना अथवा उन्हें इसमें लगाए रखना कठिन होगा। इस कार्यदल के पत्र पर आधारित कृषि अनुसंधान, शिक्षा तथा विस्तार के लिए आठवीं योजना में निम्नलिखित प्राथमिकताएं और प्रमुख क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं :

1. प्राकृतिक संसाधनों की सूची तैयार करना
2. जनन-द्रव्य के नियोजित शोषण का संरक्षण
3. अधिक उपज देने वाली वर्ण संकर किस्मों को तैयार करके उत्पादकता बढ़ाना
4. शुष्क खेती का विकास और इसमें सुधार
5. समन्वित पोषक तत्व प्रबन्ध प्रणालियों में सुधार लाना
6. कृषि में विविधता लाना
7. निर्यातोन्मुखी वस्तुओं पर अनुसंधान
8. कृषि में ऊर्जा प्रबन्ध
9. बागवानी की फसलों, तिलहन और दलहन, पशुपालन उत्पाद से संबंधी फसल के बाद की प्रौद्योगिकी
10. अनुसंधान तथा शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य को बढ़ावा देना
11. प्रौद्योगिकी और सूचना तन्त्र का अन्तरण
12. मानव संसाधन विकास।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने आठवीं योजना के दौरान इन सभी मुद्दों को प्राथमिकता दी है।

महोदय, अनेक सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिए हैं। श्री जायनल अबेदिन, श्री जे० एन० दास तथा अन्य सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिए हैं।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केंद्र के लिए आपने कट-मोशन क्यों दिया। अब आप कट-मोशन वापस ले लीजिए।

[अनुवाद]

हमने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में पहले ही एक कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित कर दिया है। (व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : पश्चिम बंगाल में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने से पश्चिम बंगाल की समस्या का समाधान नहीं होगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी नहीं। इन्हें बाद में उठाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : एक प्रश्न और। देश में 800 करोड़ रुपये के पान के पत्तों का उत्पादन होता है। इनके उत्पादकों की मुख्यत: दो मांगें है। एक माग पत्तों के लम्बे समय तक संरक्षण से सम्बन्धित है और दूसरी इन पत्तों से औषध तेल का उत्पादन करने से संबंधित है। इन दोनों मुद्दों पर अनुसंधान और विकास की जरूरत है। इस संबंध में पूर्व मन्त्री ने भी वादा किया था। मैं जानना चाहता हूं कि आप इन दोनों मुद्दों पर क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री के० सी० लेंका : महोदया, माननीय सदस्य इस स्थिति से अवगत हैं कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रह रहे अधिकांश किसान इन पान के पत्तों की उपज से अपनी आजीविका कमाते हैं। हम उनकी सहायता के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। हम इस संबंध में विफल नहीं रहे हैं; बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय कल्याणी ने वहां पर अपना केन्द्र चालू कर दिया है। वे अपना अनुसंधान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : महोदया, दो विशेष मुद्दे—पत्तों का संरक्षण और औषध तेल का उत्पादन उठाए गए हैं। माननीय मन्त्री इन मुद्दों पर उत्तर दें।

श्री के० सी० लेंका : मैं यह कहना चाहता हूं कि इन मुद्दों पर अनुसंधान कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त कल्याणी में बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय ने एक शाखा शुरू की है। वे इन मुद्दों पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। उन्हें 6-7 लाख रुपये अधिक धनराशि दी गई है।

सर्वश्री हरधन राय, बसुदेव आचार्य, श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य, अव्यय मुखोपाध्याय, सुधीर गिरी तथा अन्य ने कटौती प्रस्ताव दिए हैं। मैं उन्हें तथा सभा को बताना चाहूंगा कि पान के अर्क सम्बन्धी अखिल भारतीय समायोजक अनुसंधान परियोजना सातवीं पंचवर्षीय योजना से कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के दस केन्द्र हैं। बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी, पश्चिम बंगाल इस परियोजना के दस केंद्रों में से एक है। इस केंद्र में पहले ही पान के अर्क की विभिन्न विशेषताओं पर अनुसंधान कार्य चल रहा है।

पहले, पश्चिम बंगाल राज्य में ही वर्ष में दो बार एक बार मानसून से पूर्व तथा दूसरी बार मानसून के बाद सर्वेक्षण किया गया था। बेहतर फसल उगाने की तकनीक, उर्वरकों की खुराक, सांस्कृतिक परम्पराओं पर जांच की गई है। इसलिए पान के अर्क पर अनुसंधान को बढ़ाने के

मामले में सरकार की तरफ से कोई विफलता नहीं हुई है और इसमें नई दवाएं जैसी चीजें भी शामिल हैं। इसलिए उस केन्द्र के लिए 6.8 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं।

इसलिए सभी माननीय सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि वे अपने कटौती प्रस्ताव वापिस ले लें।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : यह धनराशि कब दी गई थी ?

श्री के० सी० लेंका : पहले दी गई थी।

श्री अमल दत्त : कब ?

श्री के० सी० लेंका : यह हमने पहले ही दे दी थी। यह तो मुझे पता नहीं है कि यह सातवीं पंचवर्षीय योजना में आबंटित की गई थी अथवा आठवीं पंचवर्षीय योजना में।

इसी तरह से बहुत से सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं जिसमें उन्होंने यह मांग की है कि कृषि विज्ञान केन्द्रों के विकासार्थ अधिक धनराशि प्रदान की जानी चाहिए। बेशक हमारे पास संसाधनों का अभाव है, फिर भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत से सदस्यों कृषि विज्ञान केन्द्रों की ने मांग भी की है। कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए काफी कुछ भू-क्षेत्र भी दिया गया है। और अब 74 नये कृषि विज्ञान केन्द्र शुरू होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त और भी अधिक केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

महोदया, इन शब्दों के साथ कटौती प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्यों से मेरा यह अनुरोध है कि वे अपने इन कटौती प्रस्तावों को वापिस ले लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री चन्द्रेश पटेल। क्या मैं सदस्यों से यह अनुरोध कर सकती हूं कि कम समय लें क्योंकि अन्य दो मन्त्रियों ने भी बोलना है।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : प्रत्येक सदस्य से यह मेरा अनुरोध है।

[**हिन्दी**]

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : सभापति महोदया, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता दल की सरकार हो या अन्य कोई सरकार हो, बार-बार एक ही बात कही जाती है कि हम किसानों के हितों की हिफाजत करेंगे। क्योंकि बार-बार ऐसा कहना पड़ता है कि किसानों के हितों की हिफाजत करेंगे। इसका मतलब यही है कि आज तक किसानों के हितों की हिफाजत किसी ने नहीं की 43-44 साल की आजादी के बाद भी यह बात इसीलिए कहनी पड़ती है। किसानों के हितों की बात कही जाती है, साथ-साथ फर्टिलाइजर में कटौती भी की जाती है। आज पेस्टीसाइड का दाम बढ़ गया, ट्रैक्टर खरीदना हो, मशीनरी खरीदनी हो इन सबके दाम बढ़ गये है। अगर गेहूं का दाम बढ़े, चावल या तेल का दाम बढ़े, तो बाजार में आन्दोलन करने के लिए लोग निकल पड़ते है और पोलिटिशियस भी उसमें इनवाल्व होते हैं। कभी ज्यादा बारिश आने से, सूखे से, स्केरसिटी से खेती को भारी नुकसान होता है। कच्छ, सौराष्ट्र, राजस्थान जैसे

इलाकों में बार-बार सूखा पड़ता है। किसान वहां आपसे छोटी-मोटी सब्सिडी की मांग नहीं करता, वह वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की मांग करता है। वहां खाद से काम नहीं चलेगा, वे मांगते हैं खेत तक पानी और दो हाथ को काम। सरकार ने दो किलो, तीन किलो फर्टिलाईजर दिया, पांच सौ मिलीग्राम सीड्स दिये, सौ एस० एल० दवाइयां दीं, मैं मानता हूं कि ये भी कुछ सुविधायें हैं, लेकिन इससे किसान के खेत तक पानी और दो हाथ को काम नहीं मिलता। किसान सिर का पसीना पैर तक उतारता है, रात-दिन काम करता है। यहां 11 बजे से 6 बजे तक कर्मचारी काम करते हैं, हम भी 11 से 6 तक बैठते है, कभी-कभी जब 7-8 बज जाते हैं तो हमारा दिल धड़कता है कि घर जाना है, टेलीफोन करना है। मगर किसान सुबह से लेकर रात तक काम करता है। अगर उसे सांप या छंछूदर काट जाए और वह मर जाता है तो उसको क्या मिलता है? शराब पीकर लोग मर जाते हैं। हमारे गुजरात में अहमदाबाद और सूरत में लोग शराब से मर गये हैं तो उनमें से प्रत्येक को 10-20 हजार रुपया मिलता है, लेकिन किसान को क्या मिलता है? एक पाई भी नहीं मिलती है। गवर्नमेंट को प्रोविजन करना चाहिये कि यदि किसान अपने खेत में काम करते हुए मर गया तो उसे दस हजार रुपया मिलना चाहिए। आज तो हमारी मजबूरी हो गयी है कि हम क्रॉप इन्श्योरेंस का डेढ़ परसेंट प्रीमियम भरते हैं और डेढ़ साल हो गया है। हम फाईनेंस मिनिस्टर से मिले, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिले लेकिन वे सब मजबूर है क्योंकि हमारे किसानों का पैसा है, देने में तकलीफ होती है। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं कि आज हम देश मे डेवलेपमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश की आबादी बढ़ रही है लेकिन किसान आज भी पिछड़ा हुआ है। यदि किसान पिछड़ा रहा तो गांव पिछड़ा रहेगा, यदि गांव पिछड़ा रहेगा तो देश पिछड़ा रहेगा।

सभापति महोदया, उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां फॉरेन करेंसी नहीं है तो हमें निर्यात करना चाहिए। हमारे सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लहसुन का 6-7 लाख टन का उत्पादन है। एक साल तो एक बोरी लहसुन 15/- रु० में बेची जाती है जबकि दूसरे साल वही बोरी 1500 रु० में बेची जाती है। मेरे ख्याल में दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होगी कि 50 कि० ग्राम 15 रु० में और वही 50 कि० ग्रा० 1500/- रु० में। तो उनका निर्यात करना चाहिए क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है और यहां पर फेंक देना पड़ता है। ऐसी ही बात प्याज के बारे में है। इसलिए मेरा तो यह कहना है कि आप लहसुन और प्याज का निर्यात कीजिये तो 500 करोड़ रुपये की फॉरेन करेंसी मिलेगी लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने सिफारिशें की कि नेफेड 12 हजार टन लहुसन खरीदे मगर दो साल के बाद भी अभी कुछ आगे नहीं बढ़े।

सभापति महोदया, हम समुद्र तट के इलाके में रहते हैं और मेरा ख्याल है कि आधे से ज्यादा हिन्दुस्तान समुद्र तट पर रहता है। गुजरात में सौराष्ट्र इलाके में साल्टी जमीन ज्यादा होती है क्योंकि किसानों ने कुओं से पानी खींच लिया तो यह ज्यादा बढ़ेगी ही। बारिश होती है लेकिन भूमि साल्टी होने के कारण साल्ट इण्डस्ट्री होने की वजह से पाबंदी है। कुछ नार्म्स एण्ड कंडीशन्स हैं मगर उनका कोई उपयोग नहीं करता है। 500-1500 एकड़ में प्रोडक्शन है, जमीन की लीज खत्म हो गयी फिर भी उत्पादन हो रहा है और उसकी वजह से साल्टीनेस बढ़ रहा है। यदि समुद्र का पानी एक साल में एक मि० मी० आगे बढ़ा होता तो पीने के पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती।

सभापति महोदया, हमारे सौराष्ट्र में मूंगफली का 25 लाख मीट्रिक टन प्रोडक्शन होता है। बार-बार सूखा आने की वजह से मूंगफली का बीज भी नष्ट हो जाता है। इस साल हमारा 5-5.5 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ है, इसलिए आयात करने की बात होती है क्योंकि पूरे देश को खाना है। इसकी बड़ी डिमांड है और सरकार ने एक प्रकार से छूट दे दी है कि सरसों का तेल मिलाओ, कॉटन तेल मिलाओ लेकिन व्यापारी कोई मिलावट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और सरकार मिलावट की बात करती है। मेरा कहना है कि किसानों को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ नहीं तो लाख देने की बात कम करें। किसानों के हर खेत को पानी और हर हाथ को काम दें। हमारी मांग है कि हमारे सौराष्ट्र में बार-बार सूखा पड़ता है, उसकी वजह से सौ बीघे का किसान गरीब हो गया, बेकार हो गया, उसे स्कारसिटी की वजह से दूसरों के यहां काम करने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए वहां छोटे-मोटे बंध बनाए जाएं और प्रोडक्शन बढ़ाया जाए जिससे किसानों को रोजगारी मिलेगी, मजदूरों को रोजगारी मिलेगी।

आखिरी एक बात मैं क्रॉप इंश्योरेन्स की कहना चाहता हूं। जहां-जहां भी क्रॉप इंश्योरेंस का पैसा बाकी है, वह किसानों को जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए और खेती का उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है।

धन्यवाद।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, कृषि मंत्री जी ने जो मांग रखी है, मैं इसका जोरदार विरोध करता हूं।

मैडम, सबसे पहला दुर्भाग्य तो कृषि का यह है कि कृषि और ग्रामीण विकास, कोआपरेटिव, पशुपालन, मछली पालन, इन सारे विभागों को एक साथ रखकर डिमांड की जाती है। आप और हम सब इस बात को जानते हैं कि जो किसान गांवों में रहते हैं और ग्रामीण लोगों की आबादी 80 फीसदी है इस देश में, और 80% की कोई चिन्ता सरकार को नहीं है। मैं इसे इस सरकार से संबद्ध नहीं कर रहा हूं। अभी तक की जितनी सरकारें आई हैं, किसी भी सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं रही है। नतीजा यह हुआ कि गांवों की स्थिति इतनी बदतर होती चली गई जिसका कोई लेखा-जोखा नहीं किया जा सकता। आप हम सब जानते है कि अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि हमारी अनेक कठिनाइयां है जिस कारण से हम ज्यादा चीजें नहीं कर सकते। मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन इसका आखिरी उपाय क्या हो सकता है ? जिससे आप टैक्स वसूलते हो, गांव अगर आज टैक्स देना बन्द कर दें, किसान टैक्स देना बन्द कर दें तो मैं समझता हूं कि जो देश की आर्थिक स्थिति है उसकी 80% नाजुक स्थिति में गुजरेगी। उसने सारी चीज बर्दाश्त करके इस देश में टैक्स देने का काम किया है, लेकिन सारा बोझ इस देश में अगर है तो वह किसानों पर ही है।

महोदया, अभी हमारे एक मित्र ठीक ही बोल रहे थे कि वह चिलचिलाती धूप में, बारिश में अपने खेत पर रात-दिन काम करता है। चाहे उसे सर्दी लगे या ओले के कारण उनकी मृत्यु हो जाए, उनका कोई नोटिस नहीं लिया जाता है, उसकी कोई देख-रेख नहीं की जाती और शहर में अगर थोड़े से एक्सीडेंट में एक आदमी की मृत्यु होती है, कोई उग्रवादी उसको मारता है तो दो-

तीन या चार लाख रुपए का एक व्यक्ति को मुआवजा देने का काम वह सरकार किया करती है। आखिर यह क्या है ? क्या आप चाहते हो कि किसान का संगठन बने और जब इस देश में किसान का संगठन बनेगा तो बलराम जाखड़ जी, आप बहुत अनुभवी आदमी हैं और अनुभव में ही आपने बाल पकाए हैं, पता नहीं उस दिन इस देश का क्या होगा ?

मैडम आज देश का किसान इस चिन्ता में लगा है कि वह कैसे जल्दी से जल्दी अपना संगठन बनाए ताकि संगठन के माध्यम से वह अपनी आवाज को उठा सके। हम इतने मैम्बर्स यहां हैं, कितने ही आफिसर्स हैं, सभी चाहते हैं कि हमें गुलाब के फूल की खुशबू मिले, इत्र की सुगंध आये, हम एअर-कण्डीशन्ड में या महलों में बैठने वाले सोचते हैं कि हम लोगों को इत्र की सुगंध का अहसास हो लेकिन गांव के किसान की खुशबू क्या है—क्या आपको पता है—जब कड़ाके की धूप में जमीन तपती है, उस पर यदि झिलमिल बारिश हो जाए तो जमीन से जो गंध निकलती है, वही किसान की असली खुशबू हुआ करती है। क्या आपने कभी सोचा है, गम्भीरता से देखा है। मैं यहां विशेषज्ञों को दोष नहीं देना चाहता क्योंकि मनमोहन सिंह जी बजट लायेंगे और बलराम जाखड़ जी उसे इम्पलीमेंट करेंगे, लेकिन उस बजट में किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसके लिए मैं किसे दोष दूं।

इसीलिए मैंने कहा कि जब तक इस देश के किसान का बेटा प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सी पर नहीं बैठेगा तब तक इस देश के बजट में किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं हो सकता। मेरा पिछले 50 साल का अनुभव है। जब इस देश में अंग्रेज आए थे तो वे शोषण करते थे और शोषण का यदि शिकार कोई हुआ था तो इस देश की ग्रामीण जनता हुई थी। आज हम आजाद हो गए लेकिन फिर भी हमारा शोषण कम नहीं हुआ है।

मैं नहीं कहता कि कृषि के क्षेत्र में हमने विकास नहीं किया है लेकिन जिस मुस्तैदी से हमें विकास करना चाहिए था, उसका 25 फीसदी ही हुआ है। बजट में मुश्किल से हम 25 प्रतिशत प्रावधान ही किसान के लिए कर पाए हैं शेष 75 परसेंट प्रावधान हमने दूसरों के लिए रखा है। इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

अमेरिका, जापान और रूस के उदाहरण को हम अपने देश में फौलो न करें, उनका कम्पटीशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके हालात दूसरे हैं। उनका उदाहरण उद्धृत करने की भी हमें आवश्यकता नहीं है लेकिन जब गांवों का सर्वेक्षण, किसान का सर्वेक्षण या किसानों की बात आए तो निश्चित रूप से इस देश के बजट में किसानों के लिए कम से कम 50 प्रतिशत प्रावधान अवश्य होना चाहिए। जब 50 फीसदी बजट आप किसान के लिए खर्च करोगे तो निश्चित रूप से इस देश का किसान मजबूत होगा।

सरकार ने अभी क्या किया है, अभी के चिन्तन में आपने मात्र रबी की फसल को डैवलप कराने का काम किया है जबकि पूरे देश में आज गेहूं की पैदाइश सबसे ज्यादा है। मैं मानता हूं कि इसमें सरकार का योगदान है, लेकिन आपने खरीफ की फसल के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया : उसमें आपने 10 फीसदी किसानों को ही रबी की फसल में प्राथमिकता दी है। यदि गेहूं की पैदावार किसान गांवों में नहीं करता तो हम आज अमेरिका और रूस आदि देशों के मोहताज होते। आज की स्थिति में लाने का श्रेय किसान को जाता है। आपने थोड़ा-सा उसे वैज्ञानिक ढंग से खेती करना सिखाया तो किसान ने आपको आत्मनिर्भर कर दिया। इतना ही नहीं, अनाज को,

गल्ले को आप विदेशों में भेज सकते हैं, ऐसी स्थिति में ला दिया। यदि ऐसी स्थिति में आप पहुंच गए थे तो फिर बाहर से गेहूं मंगाने की क्या जरूरत पड़ गई। वह जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप चाहते हैं कि किसान के गल्ले या गेहूं का भाव कहीं ज्यादा न हो जाए, बल्कि दूसरी चीजों की कीमतें ज्यादा हों। यह अन्याय है और इस दोहरे मापदण्ड को किसान बर्दाश्त नहीं करेगा।

3.34 म० प०

(कर्नल राव राम सिंह पीठासीन हुए)

इसलिए मैं बहुत आदर के साथ और निवेदन के साथ, मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि इस दोरंगे मापदण्ड को मत रखिए यदि आपने बाहर से गेहूं मंगाया है तो उसके साथ इस देश के किसान को गेहूं का उचित दाम भी दो, जिस रेट पर आपने बाहर से गेहूं मंगाया है। एक एकड़ में किसान कितना गेहूं पैदा कर लेता है, आप एक बैग खाद की कीमत 200 रुपए देते हो, आप हिसाब लगाकर देख लीजिए कि किसान को मात्र भूसा बचता है, आपके पास आडिटर्स हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, गणना करा लीजिए। यदि एक एकड़ में किसान गेहूं की खेती करता है या धान की खेती करता है तो उसे मात्र भूसे की कीमत ही बचती है, बाकी गेहूं और धान को बेचकर, या तो अपना ऋण चुकाता है या दूसरे लोगों का जो बकाया होता है, उसे अदा करता है।

मेरा निवेदन है कि सारी स्थिति को आप गम्भीरता से देखकर चिन्तन करें। आप किताब उठाते हैं और कहते हैं कि हमने बजट में 33 परसेंट कर दिया, 20 परसेंट कर दिया, या 30 परसेंट का घाटा लग गया, इस देश का किसान उस परसेंटेज में जाने वाला आदमी नहीं है। आपको चाहिए कि गांव में आप कृषि का उन्नत ढांचा तैयार करें और किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराएं। बीज कब मिलता है, इसमें राज्य सरकार का भी दोष है। जब आप 5 दिन लेट बीज सप्लाई करते हैं, तो राज्य सरकार 10 दिन लेट सप्लाई करती है। इस प्रकार से 15 दिन लेट हो जाता है किसान के पास पहुंचते-पहुंचते, फिर आप कहते हैं कि यह लेट वैरायटी है। जो बीज अप्रैल में मिलना चाहिए वह उसको लेट मिलता है जिसके फलस्वरूप फसल लेट आती है और यील्ड भी नहीं मिलती है और किसान घाटे में रहता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो भी खाद, बीज किसान को देना हो, उसको आप समय से पूर्व राज्य सरकार के गोदाम में भिजवाने का काम करें।

मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि खाद में मिलावट का काम बहुत तेजी से चल रहा है। बड़े पैमाने पर यह धन्धा चल रहा है। एक आपकी डी० ए० पी० खाद है, एक काली किस्म की खाद है, उसमें खूब मिलावट होती है और मिलावट करके किसान को सप्लाई की जाती है। इसको देखने और सुधार करने की जरूरत है।

सभापति महोदय जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं कि गांवों में सड़क नहीं है, सड़क तो छोड़िए, किसान को इधर से उधर जाने के लिए एक पुलिया तक नहीं है। वह कहता है कि सड़क न सही कम से कम मुझे एक पुलिया तो मिल जाए जिससे मैं सूखे में इधर से उधर आ सकूं। मंत्री जी यह हालत है और आप यहां पर बड़े-बड़े आंकड़े दे देते हैं कि हमने इतनी सड़कें बनाईं। इसी प्रकार से आपने एक जवाहर रोजगार योजना बनाई है। उसमें आप एक ब्लॉक को 5-6 लाख देते हैं और एक ब्लॉक की आबादी ही डेढ़-दो लाख की होती है। आपने यह योजना तो

अच्छी बनाई है कि ग्राम पंचायत को पैसा जाए और वह फैसला करे कि गांव में सड़क बने, लेकिन आप जिस हिसाब से पैसा देते हैं, उसके हिसाब से एक ग्राम पंचायत को 50 हजार रुपया मिलता है।

सभापति महोदय : सूर्य नारायण जी समाप्त कीजिए। आपके जो ह्विप्स ने एग्री किया है, उसके अनुसार मैं आपको समय दे रहा हूं। अब वह समय तो बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसमें कुछ भी तो नहीं बनता है। अगर पंचायत स्कूल बनाए तो उसका प्राक्कलन लगभग 3 लाख का होता है और अगर एक किलोमीटर सड़क कच्ची भी बनाए, तो उसका भी प्राक्कलन डेढ़ लाख का होता है। इस प्रकार से पचास हजार रुपए में कुछ भी नहीं होता है। आप यहां कह देते हैं कि गांव में सारा विकास कर दिया है, लेकिन गांव में वास्तव कुछ नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि आपने हरिजन कालोनी बनाई हैं, उनमें मकान दिए हैं। यह बात भी बड़ी हास्यास्पद है। कोई भी इंजीनियर हो, कोई भी विशेषज्ञ हो, चाहे कोई माननीय सदस्य हो, सब जानते हैं कि चौदह-पंद्रह हजार रुपए में मकान नहीं बनता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इतने कम पैसे में मकान बना दे। लेकिन आपने ऐसे मकान बनाकर दिए हैं, जिनमें एक भी हरिजन नहीं गया है। यहां दिल्ली में भी बनाए हैं और गांवों में भी बनाए हैं। यह बहुत घटिया हैं। गांवों में तो आपके लोग खुद कहते हैं कि ये 15 हजार रुपए ले जाओ और खाओ हमें एक रसीद दे दो। उनका यह सीधा कहना है। अगर आप मकान उनको बनाकर ही देना चाहते हैं, तो कम से कम एक कमरे का मकान जिसमें किचन, बाथ एवं लैट्रीन हो, वह 60 हजार रुपए में बनता है, वैसा मकान बनाकर उसे दीजिए। जैसा आपने बनाया है, वह तो एक बारिश में ही बह गया। उसमें कोई भी हरिजन और आदिवासी नहीं गया है।

सभापति महोदय, आप तो बहुत जोर से घंटी बजा रहे हैं। आप भी किसान हैं और किसानों की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, मैं कुछ सुझाव और देना चाहूंगा। एक तो आप कृषि को औद्योगिक दर्जा दे दीजिए। एक खेत में जितनी लागत आती है उस पर रेट फिक्स कर दें और रेट पर बेचें। औद्योगिक दर्जा देने से लाभ होगा। आज बेरोजगारों की संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में है। आज चोरी, डकैती, लूट, किडनैपिंग में भी इस बात का बहुत बड़ा योगदान है। जब दिमाग खाली होगा, कोई काम नहीं मिलेगा तो व्यक्ति गलत कार्य करेगा। गलत काम में यही हो रहा है। जब खेती को औद्योगिक दर्जा देंगे तो किसान के बच्चे आपके यहां नौकरी मांगने नहीं आएंगे। वे अगर एक-दो बीघा जमीन पर उन्नत ढंग से खेती करेंगे, नौकरी नहीं मांगेंगे, बेरोजगारी अपने आप समाप्त होगी। इसलिए इस पर गंभीरता से सोचते हुए गहन अध्ययन करें। मैं समझता हूं कि आपकी बहुत बड़ी लाचारी है, इसलिए मैंने मांग की है कि किसान के बच्चे को देश का प्रधान मंत्री होना चाहिए और अपने हाथ से फैसला करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु अपनी बात रखेंगे। कृपया अपना भाषण दस मिनट में समाप्त कीजिए।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं यथा संक्षेप में बोलने का प्रयास करूंगा।

मैं अपने भाषण में कुछेक मुख्य बातों को रखूंगा और ये बातें एक प्रकार से सुझाव के रूप में हैं।

सभापति महोदय : क्या आप माइक पर बोलने की कृपा करेंगे ताकि रिपोर्टर्स आपकी बात को ठीक ढंग से सुन सकें।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : ये बातें एक प्रकार से बतौर सुझाव हैं जो कि सरकार को अमल में लानी चाहिएं खासकर ऐसे अवसर पर जबकि हम यह मानते हैं कि खाद्यानों के उत्पादन के मामले में हमारा देश आत्म-निर्भर अथवा बहुत ही अच्छी स्थिति में है, परन्तु इस वर्तमान अवस्था से हमारा देश सन्तुष्ट नहीं रह सकता।

मैंने कुछ आंकड़े एकत्रित किए हैं जिनसे पता चलता है कि हमने कृषि के साथ कैसा व्यवहार किया है। समय-समय पर और एक योजना से दूसरी योजना लागू करने पर कृषि के लिए धनराशि के आबंटन में कमी की जाती रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना को जिसमें कि कुल बजट राशि का 34.5 प्रतिशत कृषि और इसमें संबद्ध क्षेत्रों जैसे सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण आदि के लिए आबंटित किया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसे घटा कर 25.5% कर दिया गय; तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसे 21.7 प्रतिशत किया गया; 1966-69 की समयावधि बीच की वार्षिक योजनाओं में यह 22% था; चौथी पंचवर्षीय योजना में 23 9 प्रतिशत, पांचवीं योजना में 21 9 प्रतिशत और छठी योजना में यह धनराशि 25.5 प्रतिशत रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 21.8 प्रतिशत और फिर वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में इसे 20.3 प्रतिशत किया गया और चालू वार्षिक योजना में यह लगभग 20 प्रतिशत है।

कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। हम यह राग अलापते रहे हैं कि कृषि उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए और करोड़ों लोगों को इससे रोटी-रोजी मिलनी चाहिए। अभी-अभी हमने माननीय मंत्री महोदय श्री लेंका जी की टिप्पणी को सुना है जो कि हमारे देश के वैज्ञानिकों और उनकी कार्यकुशलता के प्रति बहुत ही अच्छी भावना रखते हैं।

एक कृषि वैज्ञानिक होने के नाते, मैंने स्वयं भी लगभग 27 वर्ष तक कृषि विश्वविद्यालयों में कार्य किया है। मुझे इस बात का वास्तव में गर्व है कि अन्य कुछ देशों की तुलना में हमारे देश में बहुत ही अच्छे और कार्यकुशल वैज्ञानिक हैं। कमी केवल इस बात की है कि इन वैज्ञानिकों के पास कोई स्वायत्त शक्तियां नहीं हैं। कुछेक विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में मैंने यह देखा है कि थोड़े से रुपयों की स्वीकृति के लिए उन्हें सिफारिश करनी पड़ती हैं और महीनों इन्तजार करना पड़ता है। इस वजह से बहुत-सी परियोजनाओं में देरी हो जाती है और आशातीत प्रौद्योगिकी विकसित नहीं की जा रही है।

गत वर्ष वर्तमान सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में कतिपय उपाय किये गए हैं। जैसा कि 1991-92 की विकास गति के बारे में "के इडिकेटरज" ने बताया है, उससे यह पता चला है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद कम होने के साथ-साथ, सकल राष्ट्रीय उत्पाद

1989-90 में 6.1 प्रतिशत, 1990 91 में 5.8 प्रतिशत तथा 1991-92 में 2.5 प्रतिशत हो जाने और सकल घरेलू उत्पाद 1989-90 में 6.0 प्रतिशत तथा 1990-91 में 5.6 प्रतिशत हो जाने के साथ-साथ कृषि उत्पादों के संवर्धन की गति भी शून्य होकर रह गई है। खाद्यानों का उत्पादन एक बहुत ही धुंधली तस्वीर दर्शाता है। यह कम होकर—1.5 प्रतिशत हो गया है। यहां तक कि औद्योगिक उत्पाद—0.8 प्रतिशत पर स्थिर है। इसके परिणामस्वरूप देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में भी भारी कमी आयी है।

आरम्भ से ही मैं कहता रहा हूं कि कृषि उत्पादन के मामले में हम कोई अधिक अच्छी स्थिति में नहीं है। विगत वर्षों 1990-91 तथा 1991-92 में भी कृषि के उत्पादन में बहुत ही कमी आयी है। नवीनतम उत्पादन 182.5 मिलियन टन के अनुमानित लक्ष्य के मुकाबले मुश्किल से 170 मिलियन टन ही हुआ है।

प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता की स्थिति बहुत ही अधिक भयावह है। हमें 1951 से ही इसको देखना होगा। वर्ष 1951 में देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 394.9 ग्राम प्रतिदिन थी। 1961 में यह बढ़कर 468.7 ग्राम हो गई। 1961 से लेकर 1991 तक इस देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता लगभग स्थिर अवस्था में रही है। 1970 में यह 455 ग्राम प्रतिदिन थी, 1980 में 410.4 ग्राम प्रतिदिन, 1990 में 474 ग्राम प्रतिदिन थी जो कि 1992 में और भी कम होकर 465 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रह गई है। इस प्रकार जहां तक प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता का सम्बन्ध है, यह हमारी स्थिति है। यदि इसमें कोई सफलता होती भी है तो करोड़ों की आबादी और जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता।

जब कभी जलवायु की स्थिति प्रतिकूल हो जाती है, खाद्यान्नों के उत्पादन में भी कमी आ जाती है। मैं यह मान सकता हूं कि यह कमी प्रतिकूल जलवायु के कारण हो सकती है; लेकिन जलवायु की स्थिति के प्रतिकूल होने के साथ-साथ सरकार का भी खाद्यान्नों के उत्पादन पर कुछ प्रभाव पड़ा है। इस स्थिति में हमारा देश इससे आरम-सन्तुष्ट नहीं हो सकता।

खाद्यान्नों के अतिरिक्त भंडार भी कम होते जा रहे हैं और जल्दी ही चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने वाली है। खाद्यान्नों की कीमतें गगन को छू रही हैं। इस निराशाजनक स्थिति को सदैव प्रतिकूल जलवायु से ही नहीं जोड़ा जा सकता। विगत वर्षों में सरकार की जो नीतियां रही हैं, वे भी इसके लिए उत्तरदायी हैं।

इसका कारण मुख्यतः कृषि तथा सम्बन्धित विषयों के लिए उत्तरोत्तर योजनावधि में आवंटन की कमी, स्वतन्त्रता के 45 वर्षों बाद भी राष्ट्रीय कृषि नीति का निर्धारण नहीं होना, वर्तमान दोषपूर्ण उर्वरक नीति, कृषि क्षेत्र में बिजली दरों की बढ़ोतरी, पर्याप्त मात्रा में मूल संकर एवं उन्नत बीज उपलब्ध न होना, उर्वरक तथा कीटनाशक नियंत्रण आदेशों का दोषपूर्ण कार्यान्वयन, कृषि वैज्ञानिकों को अधिकाधिक प्रौद्योगिकी के आविष्कार हेतु प्रोत्साहन की कमी, संस्थागत ऋण की अपर्याप्त तथा असामयिक आपूर्ति, प्रयोगशाला से खेतों तक प्रौद्योगिकी के प्रसार में भारी क्षति, सस्ते कीमत की कृषि सम्बन्धी औजारों एवं मशीनों की अनुपलब्धि विशेषतः उनके जो लघु एवं छोटे किसानों के लिए उपयोगी हैं, अलाभकारी कृषि मूल्य तथा कृषि में लागत लाभ का घटता हुआ अनुपात, शुष्क भूमि में कृषि हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी का अभाव, दोषपूर्ण व्यापक फसल बीमा योजना तथा इसका सभी फसलों पर इसका लागू न होना

और तूफान एवं मौसम की भविष्यवाणी हेतु समुचित ढांचे का सुगम न होना है।

ये कुछ कार्य हैं जिन्हें सरकार की नीतियों द्वारा कार्यान्वित करके उन पर नजर रखी जा सकती है। मिट्टी में पानी और खाद दोनों की आवश्यकता है। उर्वरकों की खपत भी क्रमश: कम होती जा रही है। सरकार की वर्तमान उर्वरक नीति के साथ उर्वरक खपत की वृद्धि दर में काफी कमी आयी है। मैं अपने कथनों की पुष्टि करूंगा। जहां तक देश में पुष्टिकारक तत्वों की खपत का सम्बन्ध है वस्तुस्थिति इस प्रकार है। 1950-51 में 0.69 लाख टन की खपत हुई है। 1960-61 में 2.92 लाख टन की खपत हुई है। इस प्रकार वृद्धि दर 32.3 प्रतिशत थी। 1970-71 में 21.77 लाख टन खपत हुई और वृद्धि दर बढ़कर 64.5 प्रतिशत हो गयी। 1980-81 में 55.16 लाख टन की खपत हुई एव वृद्धि दर 15.1 प्रतिशत हो गयी। 1990-91 मे 125.76 लाख टन की खपत हुई एवं वृद्धि पर 12.8 हो गई। इस पृष्ठभूमि मे विगत वर्ष में उर्वरक नीति एवं मूल्यों में 30 प्रतिशत की वृद्धि अपनाने के कारण मात्र 135 लाख टन की खपत हुई एवं वृद्धि दर मात्र 7.3 प्रतिशत रही।

इस प्रकार उर्वरक की खपत में विशेषत: गत वर्ष में अत्यधिक कमी आई है। 1990-91 मे वृद्धि दर को विशेष धक्का पहुंचा है। इसका कारण राज सहायता समाप्त किए जाने की नीति है जिसे उर्वरक के सम्बन्ध में अपनाया गया। मैं मानता हूं कि राजसहायता में कमी की जानी चाहिए। परन्तु यह धीरे-धीरे होना चाहिए। जहां तक राजसहायता का सम्बन्ध है, वैज्ञानिकों ने भिन्न-भिन्न परामर्श दिये हैं। वैज्ञानिकों ने जो कुछ कहा है उसके एक या दो पहलुओं को मैं उद्धृत करूंगा :

> "अधिकांश विकासशील देशों मे उर्वरक सम्बन्धी राजसहायता एक आम बात है। इस आधार पर यह न्यायोचित है कि इससे किसानों को उस मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध हो जाता है जिसका वहन वे कर सकते है और इस प्रकार खाद्यान्न उत्पादन में उनकी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होती है। कम दर पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध करा कर तथा घरेलू उत्पादन से अधिक उपलब्धता द्वारा अधिक उर्वरक के उपयोग पर आधारित खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु उर्वरक राजसहायता इस प्रकार से एक अपरिहार्य परिणाम है।"

श्री गुप्ता जो कहते है, मैं पुन: उद्धृत करूंगा :

> "इस सिफारिश को स्वीकार करने का उद्देश्य उद्योग के स्वस्थ विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर ही राजसहायता में वृद्धि को रोकना है।"

[हिन्दी]

श्री दिलीप भाई संघानी (अमरेली) : हाऊस में कोरम नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा में गणपूर्ति की कमी है। घंटी बजायी जा रही है।

अब गणपूर्ति हो गयी है। प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु जी अपनी बात कृपया समाप्त कीजिए।

प्रो० उम्मारेडि वेंकटेस्वरलू : महोदय, हमारे देश की तुलना में अन्य अनेक देशों में उर्वरक अपेक्षाकृत सस्ता है। इसकी तुलना एक यूनिट पोषक तत्व विशेषकर नाइट्रोजन की खरीद में अपेक्षित खाद्यान्न के सन्दर्भ में की जा सकती है। फिलीपीन्स में 2.25 कि० ग्राम धान के लिए 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की खरीद की आवश्यकता पड़ती है। पाकिस्तान में यह सिर्फ 1.97 कि० ग्रा० है, जापान में 0.34 कि० ग्रा० है परन्तु भारत में यह 3.19 कि० ग्रा० है। कोरिया में यह 0.16 कि० ग्रा० तथा फ्रांस में यह सिर्फ 1.82 कि० ग्रा० है।

जब इन सब देशों से तुलना की जाती है तो भारत में एक यूनिट उर्वरक पोषक तत्व नाइट्रोजन में अपेक्षित खाद्यान्न बहुत ही महंगा है। यहां तक कि कुछ ऐशियाई देशों के साथ तुलना करने पर भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत सबसे कम है। एक साथ सभी पोषक तत्वों की खपत इस प्रकार है : बांग्लादेश 93.2 कि० ग्रा०; भारत 64.1 कि० ग्रा० इजरायल 181; जापान 367.1; कोरिया 397.4; कोरियन गणतन्त्र 407.8; और पाकिस्तान 71.7 कि० ग्राम प्रति हेक्टेयर। अत: जहां तक उर्वरक की खपत का सम्बन्ध है भारत में इसकी प्रति हेक्टेयर खपत सबसे कम है। निसंदेह यह साबित हो गया है कि सरकार की वर्तमान उर्वरक नीति व्यर्थ सिद्ध हो रही है। यह अनुपयोगी सिद्ध हो रही है। अत: मैं यह परामर्श देता हूं कि सम्पूर्ण राज सहायता जो पहले बन्द कर दी गई थी, पुन: बहाल कर देनी चाहिए। राष्ट्र के हित में किसानों को सहायता दी जानी चाहिए।

यद्यपि मुझे अन्य कई मुद्दों पर बोलना है, मैं यह कहना चाहूंगा कि उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1957 तथा कीटनाशक अधिनियम, 1968 भी लगभग अनावश्यक हो गया है और कहीं भी इन्हें लागू नहीं किया जा रहा है।

आपको अनेक आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं जो यह बता रहे हैं कि उन्होंने अनेक नमूने एकत्र किए हैं और उन्हें परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। इनमें से कोई भी आंकड़ा ठीक नहीं है। आन्ध्र प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर नकली कीटनाशक तथा उर्वरकों का वितरण हो रहा है जिसे कि रोका जाना है।

विशेष रूप से कृषि सम्बन्धी मूल्यों की घोषणा मौसम से पहले की जाती है। आपको लागत सम्बन्धी अन्य पहलुओं यथा वास्तव में खर्च की गयी धनराशि तथा उस पर आने वाले अन्य खर्चों को भी ध्यान में रखना है। सकल लागत पर विचार करते समय वास्तविक मजदूरी अथवा न्यूनतम मजदूरी जो भी अधिक हो, की दर से पारिवारिक श्रम का परिकलन भी किया जाना चाहिए। प्रबंधन सम्बन्धी लागत सम्पूर्ण लागत का 15 प्रतिशत रखा जाना चाहिए। जोखिम तथा अनिश्चित तत्वों के लिए भी सम्पूर्ण लागत का 15 प्रतिशत रखा जाना चाहिए।

जहां तक फसल बीमा का सम्बन्ध है, माननीय प्रधान मन्त्री जी ने हाल ही में घोषणा की थी कि एक व्यापक बीमा योजना की घोषणा की जाएगी। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बीमा योजना पर विचार करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि यदि फसल कट चुकी है फिर भी जब तक यह खेत में है, इसे बीमे के अन्तर्गत आना चाहिए। गांव की एक इकाई समझा जाना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि अनुदान की मांगें जो प्रस्तुत की गई है, मैं उनका विरोध करता हूं तथा मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं।

4.00 म० प०

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : सभापति महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना। मैं अपनी बात यथा संभव संक्षेप में कहना चाहता हूं। महोदय, जैसा कि आप जानते है कि खाद्य मंत्रालय की प्राथमिक जिम्मेदारी खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रबंधन है और निसंदेह भारत जैसे देश के लिए जहां आबादी 84.4 करोड़ है तथा कश्मीर से कन्याकुमारी तक और दूर-दराज के क्षेत्रों यथा लेह, नागलैंड तथा मिजोरम तक खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। यह भी समझ लेना चाहिए कि देश के कुल उत्पादन का हम सिर्फ 15 से 20 प्रतिशत ही खरीदते हैं। इसलिए हमारा प्रयास सिर्फ पूरक है और केन्द्रीय पूल के भंडार राज्य सरकारों के सहयोग पर निर्भर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य रूप से हम कुछ ही राज्यों जैसे—पंजाब, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही खरीद करते हैं। ये मुख्य राज्य हैं जहां से हमें अधिकतम खाद्यान्न प्राप्त होता है। अधिक खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अपनी ओर से मैं सभी राज्यों को शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अन्यथा आबंटन बनाए रखना अथवा इसमें वृद्धि करना हमारे लिए बहुत ही कठिन होगा। इस दबाव के बावजूद आप यह जानकर खुश होंगे कि विगत वर्ष हमने 4 मिलियन टन अधिक खाद्यान्न करीब दो मिलियन टन चावल और दो मिलियन टन गेहूं का आबंटन किया है। विगत वर्ष तीन मिलियन टन कम प्राप्ति के बावजूद ऐसा किया गया है। हमारी जिम्मेदारी किसानों के हितों की देखभाल करने की भी है ताकि उन्हें समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके और उन्हें कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य न किया जा सके। इस नीति को ध्यान में रखते हुए, समर्थन मूल्य पर किसान हमें जितना भी देते हैं हम उनसे खरीदते रहते हैं। इस बीच, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने धान का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है और हाल ही में हमने गेहूं का समर्थन मूल्य 225 रु० से बढ़ाकर 250 रु० कर दिया। इस सम्बन्ध में मैंने कल एक घोषणा की थी।

सभापति महोदय : क्या यह 225 रु० से बढ़ाकर 250 रु० किया गया है या 250 रु० से बढ़ाकर 275 रुपए किया गया है ?

श्री तरुण गोगोई : 25 रु० बोनस है। समर्थन मूल्य 125 रु० से बढ़ाकर 250 रु० कर दिया गया है और हमने बोनस की भी घोषणा की है। केन्द्रीय पूल को जो भी आपूर्ति करेगा उसे 25 रु० प्रति क्विंटल का बोनस मिलेगा। कृषि लागत तथा मूल्य सम्बन्धी आयोग ने लागत तथा अन्य ब्यौरे की जांच की है और उनकी सिफ रिशों पर हमने समर्थन मूल्य निर्धारित किया है ताकि किसानों को कम कीमतों पर बिक्री के लिए बाध्य नहीं किया जा सके। यह बाजार मूल्य भी नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : समर्थन मूल्य ही कम है।

श्री तरुण गोगोई : मैं कैसे कह सकता हूं कि यह कीमत कम है ? किसान स्वेच्छा से अनाज देते हैं। यह अनिवार्य नहीं है। हम उतना ही खरीदते है जितना वे हमें देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसानों को समर्थन मूल्य पर बिक्री करने के लिए विवश कर सकते हैं। यदि बाजार मूल्य अधिक है तो वे बाजार मूल्य पर बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं। सरकार की जिम्मेदारी यह देखने की भी है कि उपभोक्ता इसे उचित कीमत पर प्राप्त कर रहे हैं। यद्यपि आर्थिक लागत अधिक है, हम

कम कीमत पर उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति कर रहे हैं। और माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसे स्पष्ट कर दिया है और यह दोहराया है कि अन्य लोगों के कहने के बावजूद खाद्य राजसहायता जारी रहेगी। दूसरी ओर, माननीय प्रधान मंत्री ने असुरक्षित वर्गों के लोगों सहित जनजातीय और अन्य क्षेत्रों में राजसहायता प्राप्त खाद्य सामग्री सुलभ कराने पर अधिक बल दिया है। उस विषय पर मेरे मित्र श्री कमालुद्दीन विचार व्यक्त करेंगे।

एक माननीय सदस्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से घटिया किस्म के खाद्यान्न वितरित किए जाने का उल्लेख किया है। हमें भी इस सम्बन्ध में कभी-कभार शिकायतें मिलती हैं लेकिन ये शिकायतें वास्तव में बहुत कम होती हैं। हम राज्य सरकारों को खाद्यान्न आबंटित करते हैं। राज्य सरकारों को गोदामों का निरीक्षण करने और खाद्यान्न की गुणवत्ता से स्वयं को संतुष्ट करने का अधिकार है। यदि वे उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो उन्हें खाद्यान्नों को अस्वीकृत करने का अधिकार है।

अब मैं खाद्यान्नों के आयात और निर्यात पर आता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने जनवरी में खाद्यान्न आयात करने का निर्णय लिया है क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी और खाद्यान्नों का भण्डार कम हो गया था। पहली जनवरी की स्थिति के अनुसार 52 लाख टन का स्टॉक रह गया था जबकि बफर स्टॉक का मानदण्ड 77 लाख टन था। गेहूं आयात करने का निर्णय लेने का यह भी एक कारण था। जहां तक गेहूं निर्यात का सम्बन्ध है, 17 अगस्त, 1990 को 10 लाख टन गेहूं निर्यात करने का निर्णय लिया गया था जिसमें से 2 लाख टन गेहूं निर्यात किया गया। 11 अप्रैल, 1991 को निर्यात के लिए 10 लाख टन गेहूं आबंटित करने का निर्णय लिया गया था। जून में जब हमने देखा कि गेहूं की खरीद कम हुई है तो हमने इसे सितम्बर में 10 लाख टन से घटाकर 8 लाख टन कर दिया। उसी वक्त हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आबंटन 2 लाख टन से अधिक बढ़ा दिया। यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आबंटन 2 लाख टन और न बढ़ाते तो कीमतें बढ़ जातीं लेकिन गेहूं आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कारण है कि हमने गेहूं आयात करने का निर्णय लिया। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है हमने 6.77 लाख टन गेहूं निर्यात किया और 179 करोड़ रुपए मूल्य का विदेशी मुद्रा अर्जित की।

जहां तक आयात का सम्बन्ध है, हमने निविदाएं आमंत्रित कीं और 25 पार्टियों ने निविदाएं भेजीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें अधिक हैं और नई फसल बाजार में आ रही है, हमने आयात का निर्णय आस्थगित कर दिया हालांकि हमने विकल्प खुला रखा है। खाद्यान्न सुरक्षा के बतौर जब कभी भी हमें इसकी जरूरत महसूस होगी हम गेहूं का आयात करेंगे।

श्री नीतीश कुमार ने खाद्यान्नों में अशुद्धता का प्रश्न उठाया है। मैं स्पष्ट कर दूं कि यह तकनीकी विशिष्टताओं को गलत समझ लेना है।...(व्यवधान)...

श्री अमल दत्त : बोनस देकर खरीद मूल्य को अचानक क्यों बढ़ाया गया है? इसे बहुत पहले बढ़ा दिया जाना चाहिए था। भारतीय खाद्य निगम का कहना है कि यदि 280 रुपए से कम का प्रस्ताव किया गया तो गेहूं की खरीद नहीं की जा सकती। इसीलिए आपने बोनस की घोषणा की है। खरीद मौसम शुरू होने पर आपने 250 रुपए कीमत निर्धारित की थी। अब कल

ही आपने 25 रुपए बोनस देने का निर्णय लिया है। केवल 15 दिनों में नीति में इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ? आपको इस तरह से परिवर्तन नहीं करने चाहिए।

श्री तरुण गोगोई : क्या आप अथवा आपकी पार्टी किसानों को 25 रुपए और देने के इच्छुक नहीं हैं ? क्या आप इस वृद्धि का विरोध करते हैं ?

श्री अमल दत्त : हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वस्तुपरक नीति होनी चाहिए।

सभापति महोदय : मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। कृपया व्यवधान न पहुंचाएं।

श्री अमल दत्त : यह तो छोटे किसानों को इस 25 रुपए के लाभ से वंचित करने वाली बात है।

श्री तरुण गोगोई : यह ठीक नहीं है। केवल छोटे किसान ही अप्रैल और मई के बीच अनाज बेचेंगे और यह प्रोत्साहन केवल उन्हीं के लिए है। बड़े किसान खाद्यान्न जमा करते हैं और काफी बाद में बेचते हैं।

श्री अमल दत्त : ये पहले क्यों नहीं किया गया ? उन्हें स्पष्ट उत्तर देना चाहिए।

सभापति महोदय : वह पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने स्थिति पर विचार किया और पाया कि 25 रुपए बोनस की घोषणा करना उचित है।

श्री अमल दत्त : महोदय, क्या यही उत्तर है ?

सभापति महोदय : क्या आप स्थिति के अनुसार नीति नहीं बदल सकते हैं ? आपके तर्क का कोई आधार नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री अमल दत्त : मैं कह रहा हूं यह मालूम था। तथाकथित स्थिति की पहले से ही जानकारी थी इसीलिए मैं कह रहा हूं। बजट पर बोलते समय मैंने खुद कहा था···

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : पंजाब एक लाख टन गेहूं देने के लिए सहमत हो गया है।

श्री तरुण गोगोई : इसीलिए हम बोनस दे रहे हैं।

सभापति महोदय : 20 रुपए कोई बोनस नहीं हैं।

श्री तरुण गोगोई : परन्तु वे उसका भी विरोध कर रहे हैं।

श्री अमल दत्त : वे उसे प्राप्त नहीं कर पायेंगे।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, मैं नहीं समझता हूं कि ये कहना ठीक होगा कि वे इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी बात यह है कि अब यहां पर घोषणा करने की बजाय इसकी घोषणा पहले की जानी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ···(**व्यवधान**)···

श्री तरुण गोगोई : अपमिश्रण के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि यह मामला खाद्य वस्तु अपमिश्रण निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आता है और अन्य देशों से भी उसकी तुलना की जा सकती है। ये सभी अपमिश्रण नहीं हैं, यह तकनीकी विशिष्टियों को गलत ढंग से

समझता है। अन्यथा यदि कोई खाद्य वस्तु अपमिश्रण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो···

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, अखबारों में 49 परसेंट इमप्यूरिटी की जो खबर छपी है, क्या उसको आपने एग्जामिन कर लिया है। उसमें फारेन एलीमेंट्स हैं, कलर का सवाल है, माइश्चर कंटैन्ट्स का सवाल है, कई चीजें हैं, क्या उसको आपने एग्जामिन किया है ··(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई : जी हां, मैंने इसकी जांच कर ली है। ये सभी अशुद्धताएं हैं और खाद्य-वस्तु अपमिश्रण निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के मानदण्ड के अनुसार उनकी पुष्टि की गई है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : अनुमत क्या है···

सभापति महोदय : कृपया उन्हें व्यवधान न पहुंचाएं। ऐसा बार-बार हो रहा है। श्री अमल दत्त एक वरिष्ठ सदस्य हैं इसीलिए मैंने उन्हें अनुमति दी। कृपया उन्हें व्यवधान न पहुंचाएं।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया व्यवधान न पहुंचाएं और दूसरी बात ये है कि सदन को सभापति के माध्यम से सम्बोधित करें। दो सदस्यों के बीच बोलना शुरू न करें। सदन को सभापति के माध्यम से सम्बोधित करें। कृपया व्यवधान न पहुंचाएं। श्री अमल दत्त सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए मैंने उन्हें अनुमति दी है। अन्यथा यहां पर बहुत से सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं। यदि इस तरह से व्यवधान में अत्यधिक समय लग जाएगा तो उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि विदेशी सामग्री की अनुमत सीमा क्या है···

सभापति महोदय : जब तक व्यवस्था का प्रश्न न हो तब तक इस तरह से पूछने का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री महोदय को अपनी बात पूरी करनी है।

(**व्यवधान**)

श्री तरुण गोगोई : जहां तक भण्डारण क्षमता का सम्बन्ध है। भारतीय खाद्य निगम के पास 20.33 लाख टन है।···(**व्यवधान**)···

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (**व्यवधान**)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : जो अभी मंत्री जी ने कहा, अखबारों में यह खबर छपी कि 49 परसेंट इमप्यूरिटी परमिसिबल हो गया, यह बड़ा खराब समाचार था। हमने रेज किया क्यों चिन्ता हुई जानकर। इन्होंने कहा कि परमिसिबल लिमिट है। हमारा सुझाव है कि इसकी प्रोपर क्लैरी-फिकेशन हो। आज रिप्लाई हो रहा है, आप जानते हैं कि रिप्लाई की बड़ी खबर नहीं छपती।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तो प्रोपर क्लैरीफिकेशन मिनिस्टर के द्वारा ऐडवरटाइजमेंट के माध्यम से करवा देनी चाहिए। ···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई : मैं आपको आदेश की भी एक प्रति दूंगा।

सभापति महोदय : क्या आप अशुद्धता सम्बन्धी प्रश्न को भी शामिल कर रहे हैं?

श्री तरुण गगोई : मैंने अशुद्धता के प्रश्न को पहले ही शामिल कर लिया है। ···(व्यवधान)··

खाद्य वस्तु अपमिश्रण निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत ये अनुमत सीमाएं हैं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, यदि 49 प्रतिशत अनुमत सीमा है तो मैं समझता हूं कि उठाए गए प्रश्न संगत है और ऐसा लगता है कि यह अधिक है।

(व्यवधान)

श्री तरुण गोगोई : ये 49 प्रतिशत नही है बल्कि 18 प्रतिशत है।

सभापति महोदय : यदि जो वह कह रहे हैं वह सत्य है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : महोदय, यह एक भ्रांति है। यह अशुद्धता नहीं है। यह मिश्रण है। जौ, खाद्यान्न और नमी का मिश्रण।

श्री तरुण गोगोई : उदाहरण के लिए 18 प्रतिशत तक नमी को ले लीजिए, यह अशुद्धता नहीं है। उसी प्रकार जौ और खाद्यान्न का 10 प्रतिशत का उदाहरण ले लीजिए। ये अशुद्धताएं नहीं है। अखबार के अनुसार ये अशुद्धताएं हैं।

सभापति महोदय : मैं ऐसा सोचता हूं। मैं समझता हूं कि यदि एक तरह से 50 प्रतिशत जौ है तो भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ये अशुद्धता नहीं है।

श्री तरुण गोगोई : जी, हां। यह अशुद्धता नहीं है।

सभापति महोदय : यदि ये अशुद्धता नहीं है तो फिर क्या इसे मिलावट कहेंगे?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : जौ भी एक खाद्य वस्तु है। गेहूं भी एक खाद्य वस्तु है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि यह अशुद्धता है? यह सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। महोदय, सभा में ये किस तरह की चर्चा हो रही है।

श्री तरुण गोगोई : यदि ऐसी बात है तो भी यह अशुद्धता नहीं है।···(व्यवधान)···

सभापति महोदय : मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि वास्तविकता यही है तब मामले की जांच की जाये और उचित उत्तर दिया जाये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : और अधिक व्यवधान मत डालिए।

श्री तरुण गोगोई : अब मैं भंडार के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। कार्यकारी दल ने इस मामले की जांच कर ली है और उनके अनुसार यदि वर्ष 1994-95 के अन्त तक भण्डार क्षमता 23 मिलियन टन हो जाती है, तब यह मात्रा पर्याप्त होगी। इस दौरान हमने 23 मिलियन टन से भी अधिक भंडार क्षमता स्थापित कर ली है। भारतीय खाद्य निगम के पास 20.53 मिलियन टन क्षमता है। केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास 7.76 मिलियन टन और राज्य भंडारण निगम के पास 9.59 मिलियन टन क्षमता है। परन्तु यह ठीक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण क्षमता का अभाव है। उसके अलावा भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगम के पास अपनी भंडारण क्षमता भी उपलब्ध है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, तालुकाओं और खण्डों में कृषि और सहकारिता तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने अपनी योजनाएं बनायी हैं।

अब मैं चीनी के बारे में कहूंगा। हम सभी चीनी के बारे में जानना चाहते हैं। सौभाग्य से विश्व में चीनी के उत्पादन में हमारे देश का स्थान सर्वोच्च है। पिछले वर्ष हमने 120.40 लाख टन के लगभग चीनी का उत्पादन किया था। इस समय हमारी विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता 100 लाख टन के लगभग हो गई है यद्यपि लाइसेन्स के अन्तर्गत हमारी क्षमता 170 लाख टन है। हमारे यहां लगभग 405 चीनी कारखाने हैं। यद्यपि लाइसेंस प्राप्त कारखानों की संख्या 507 है।

सभापति महोदय : विश्व में हम चीनी के सर्वाधिक उत्पादनकर्त्ता हैं।

श्री तरुण गोगोई : जी हां। इस समय हमारा स्थान सबसे ऊपर है। हम पिछले वर्ष निर्यात के लिए 5.61 लाख टन चीनी का आवंटन पहले ही कर चुके हैं। हम 4.83 लाख टन चीनी पहले ही निर्यात कर चुके हैं। हमने 338 करोड़ रु० के लगभग विदेशी मुद्रा अर्जित की है। इस वर्ष भी मैं निर्यात के लिए 2.5 लाख टन चीनी का आवंटन पहले ही कर चुका हूं। चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य अभी भी बहुत अधिक है। हमें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना है और देखना है कि उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धात्मक हो। यदि ऐसा किया जाता है तब हम काफी अधिक मात्रा में निर्यात कर सकते हैं। देश में चीनी के उद्योगों का विस्तार किये जा सकने की काफी संभावना है। अभी भी लाइसेंस हेतु 689 आवेदन पत्र भी लम्बित पड़े हुए हैं। हम पहले ही संपूर्ण लाइसेंस नीति का पुनरावलोकन कर चुके हैं। इस समय दिशानिर्देशों की भी घोषणा की जा चुकी है। नवम्बर माह में इनकी घोषणा की गई थी। परन्तु इस दौरान हमने उन चीनी मिलों के विस्तार को महत्व दिया जिनकी क्षमता वर्ष क्षम्ब से कम अर्थात् 2500 टी० सी० डी० है।

जहां तक गन्ने के मूल्य का सवाल है, मैं यह कहूंगा कि हमने इसे पहले ही 23 रुपये से बढ़ाकर 26 रुपये कर दिया है। हमने पहले ही इस सांविधिक न्यूनतम मूल्य को बढ़ा दिया है। सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप ही हमें कारखाना- द्वार मूल्य में भी वृद्धि करनी पड़ी थी। उसके कारण हमें चीनी के निर्गम मूल्य को भी बढ़ाना पड़ा है।

मेरे विचार से श्री ए० आर० टोपे ने कल 27 नयी मिलों को प्रोत्साहन के सिलसिले में भी कल प्रश्न उठाया था। इस दौरान चीनी के कारखानों की उत्पादन लागत बढ़ गई है। पहले यह लागत 20 करोड़ रु० के लगभग थी और इस समय यह बढ़कर 34-35 करोड़ रुपये तक हो गई है। माननीय सदस्य मुझसे भी और प्रधानमन्त्री जी से भी मिल चुके हैं। उन्होंने प्रोत्साहन के लिए अपने अभ्यावेदन भी भेजे हैं। हमने उन पर विचार किया है। वित्त मंत्री द्वारा इन्हें स्वीकृत

किया जाना है, तत्पश्चात् योजना मंत्री जी के पास इन्हें भेजा जाएगा और तब फिर इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अतएव यह अपने अन्तिम चरण में है। मुझे आशा है कि हम किसी निर्णय पर पहुंच सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : महाराष्ट्र के अन्दर हिन्दुस्तान में जितनी चीनी पैदा होती है उससे औसतन 40 प्रतिशत ज्यादा होती है। वहां को-आपरेटिव मिल्स हैं। एक साल हो 27 लाइसेंस मिले हुए, मंजूरी के आर्डर दे दिये गए, लेकिन एक साल से कोई पालिसी तैयार नहीं हुई है। प्रधान मन्त्री जी से मिले, आपसे मिले, उसके बारे में निर्णय क्यों नहीं लेते। वहां एक-दो एकड़ वाले किसान को-आपरेटिव सेक्टर के मेम्बर्स हैं, इनमें देरी क्यों कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई : हमने इस पर विचार किया है। हम उसके बाद सत्ता में आये थे। तब हमने नवम्बर माह में इस सारी स्थिति का पुनरावलोकन किया था। हमें एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इसे पहले वित्त मंत्री जी के पास भेजा जाएगा और यह एक लम्बी प्रक्रिया है। तब फिर योजना मंत्री जी के पास इसे भेजा जाएगा और तब फिर इसे कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। यह प्रोत्साहन केवल सहकारी समितियों के लिए ही नहीं होगा बल्कि दूसरे व्यक्तियों के लिए भी होगा। वास्तव में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने एक प्रोत्साहन योजना बनाई थी। अब हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। इस दौरान हम उनके मामले पर भी विचार करना चाहते हैं अन्यथा सामान्यत: आप इसके हकदार नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : छोटे-छोटे हजारों काश्तकार को-आपरेटिव सेक्टर में हैं।

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई : अब हमने इसका पुनरावलोकन कर लिया है। यह सातवीं पंचवर्षीय योजना में थी। इसीलिए हम इसे इसमें लाना चाहते हैं। साधारण तौर पर यह प्रोत्साहन योजना पांच वर्ष तक के लिए होती है। आप मुझसे बेहतर समझते हैं।

एस० डी० एफ० बारे में भी हमने सारी स्थिति की पुनरीक्षा कर ली है। इस दौरान हमने लगभग 676 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। उसमें से 394 करोड़ रुपया ऋण के रूप में पहले ही वितरित हो चुका है। अत: यह निधि आधुनिकीकरण, पुनर्वास और गन्ने के विकास के लिए है।

मेरे विचार से मैं लगभग सभी पहलुओं पर बोल चुका हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश में गन्ने के कारखानों की मांग की है और कुछ माननीय सदस्यों ने दूसरे क्षेत्रों में इन कारखानों की स्थापना की मांग की है और कुछ माननीय सदस्य गन्ने की प्रौद्योगिकी की मांग कर रहे हैं। मैं उस पर गौर करूंगा।

मैं चर्चा के दौरान उठाए गए प्रश्नों का उत्तर सभी माननीय सदस्यों को दूंगा। मेरा उनसे निवेदन है कि वे अपने कटौती प्रस्तावों को वापस ले लें और अनुदानों की मांगों को अपना समर्थन दें।

सभापति महोदय : क्या माननीय मंत्री श्री उत्तमभाई हारजीभाई कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री ई० अहमद : नियम के मुताबिक सभी मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए सभा में सभी दलों को समय देने का निर्णय अध्यक्ष लेते हैं ।

सभापति महोदय : अध्यक्ष इसका निर्णय नहीं करते । इसका निर्णय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में किया जाता है ।

श्री ई० अहमद : इन चार मन्त्रालयों के लिए हम पहले ही 11 घंटे से अधिक समय दे चुके हैं ।

सभापति महोदय : इसके लिए कोई व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ई० अहमद : मैं यह कहना चाहूंगा कि सभी बड़े दलों को समय दिया गया है । ग्यारह घंटे की इस चर्चा में एक छोटे दल के केवल एक सदस्य श्री बीर सिंह महातो को पन्द्रह मिनट का समय दिया गया है । छोटे दलों के किसी भी अन्य सदस्य को समय नहीं दिया गया है ।

सभापति महोदय : इसके लिए कोई व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री ई० अहमद : इस पर चर्चा ग्यारह-बारह घंटे तक चली है ।

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कृपया माननीय अध्यक्ष के पास उनके कक्ष में इस मामले को उठायें । कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल बोलेंगे ।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : सभापति महोदय, मैं सदन के उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हू जिन्होंने ग्रामीण विकास मत्रालय की अनुदान मांगों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए हैं । उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं । मेरे मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विभिन्न कमियो का भी उल्लेख किया गया है । अपने भाषण में, मैं इनमें से कुछ मुद्दो का उत्तर देना चाहूंगा । मेरे मित्र और साथी श्री वेंकटस्वामी जी ने भी कुछ अन्य मुद्दों का उत्तर दिया है । मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर हम तत्काल उचित कारंवाई करेंगे ।

प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी के नेतृत्व में पिछले नौ महीनों में ग्रामीण विकास क्षेत्र के बारे में हमने काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं । गरीबी हटाने और गांवों के विकास के लिए सरकार

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

वचनबद्ध है। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों का नियोजन और अमल, स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग और गरीब से गरीब जनता को लागत का पूरा-पूरा फायदा देने पर बल, यह हमारी नीति है। हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह अगर राज्यों के मुख्य मंत्री भी ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण कार्य को स्वयं देखें तो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की गति और भी बढ़ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

हमारे मंत्रालय में ग्रामीण विकास की नीति के तीन मुख्य घटक हैं—गरीबी निवारण और रोजगार के अधिकाधिक अवसर, सड़कों और पीने के पानी जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था और भूमि सुधार तथा भूमि रिकार्डों में सुधार से संबंधित कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त, सूखा प्रभावित और मरुस्थली क्षेत्रों जैसे संसाधनों की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों के लिए हमारे क्षेत्र विशेष आधारित कार्यक्रम भी हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) एक ऐसी योजना है जिसका गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रह लोगो के साथ सीधा संबंध है। इस कार्यक्रम के लिए गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे, चुने हुए परिवारों को सरकारी अनुदान और वित्तीय संस्थाओं से ऋण मुहैया कराने के जरिए आय सृजित करने वाली परिसम्पतियां जुटाने की नीति अपनाई गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एवं 1990-91 और वर्ष 1991-92 के लिए 4800 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को लक्षित समूह माना गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें दी गई आय सृजित करने वाली परिसम्पत्तियों से सहायता किए गए परिवार स्वरोजगार के अवसर पा सकें और जिससे परिवार की आय बढ़े और वे गरीबी की रेखा को पार कर सकें।

अब यह भी निर्णय लिया गया है कि 1991-92 के मूल्य स्तर पर समायोजित करते हुए गरीबी रेखा को पुन: परिभाषित किया जाए। आठवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा को एक परिवार के लिए 11,000 रुपये के आय स्तर के संदर्भ में निर्धारित किया जायेगा। लक्षित समूह 8500 रुपये तक की वार्षिक आय वाला परिवार होगा। गरीबी निवारण कार्यक्रमो के कार्यान्वयन के अनुभव से यह बात भी प्रकाश में आ गई है कि इन योजनाओं के लिए लक्षित समूह का ध्यानपूर्वक और सही चयन करने की आवश्यकता है। नयी गरीबी की रेखा के नीचे बसर करने वाले परिवारों का सही चयन करने और ग्राम सभा से अनुमोदित सूची परिचालित करने की कारंवाई करने की सूचना राज्य सरकारों को दी गई है। यह कार्य सभी राज्यों में 30 जून तक पूरा हो जाएगा।

1991 में यह व्यस्था की गई थी कि कम से कम 40 प्रतिशत लाभार्थी महिलायें होनी चाहियें। पहले महिलाओं के लिए यह 30% था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कवरेज का पहला लक्ष्य 40% था, जिसे 1990-91 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। अब अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, दोनो को ही 5,000 रु० की अधिकतम सीमा के आधार पर ऋण के 50% के बराबर सबसिडी मिलती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं योजना अवधि में 182 लाख परिवारों को सहायता दी गई है जिन्हें 2708.03 करोड़ रुपए की सब्सिडी और 5372.53 करोड़ रुपए के बैंक ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 1990-91 में लगभग 24 लाख परिवारो को सहायता दिए जाने के लक्ष्य की तुलना में 29 लाख परिवारो को वास्तव में सहायता प्रदान की गई है जिन्हें 668.16 करोड़ रुपए की सब्सिडी और 1190.02 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 1991-92 में फरवरी, 1992 तक लक्षित 22.51

लाख परिवारों में से 20 लाख परिवारों को सहायता दी गई है। कार्यक्रम के अन्तर्गत 508 करोड़ रुपए सब्सिडी और 905 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत से 31 मार्च, 1991 तक 38 मिलियन लाभार्थी परिवारों में से 16.1 मिलियन परिवार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के थे।

इस समय इस कार्यक्रम का बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों की मार्फत मूल्यांकन करवाया जा रहा है। यह पाया गया है कि मोटे तौर पर इस कार्यक्रम के कुल लाभार्थियों में से लगभग 28 प्रतिशत लाभार्थी गरीबी की रेखा को पार कर सके हैं। अभी 33.4 प्रतिशत ग्रामीण जनता गरीबी रेखा के नीचे है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हम गरीबों में से सबसे अधिक गरीब लोगों को सहायता देने के लक्ष्य पर महत्व देना जारी रखे रहेंगे।

इस प्रश्न का दूसरा पहलू है प्रदान की जाने वाली ऋण और सब्सिडी की मात्रा। 3000 रुपए, 4000 रुपए और 500 रुपये की सब्सिडी की पुरानी सीमाओं को लगभग 10 वर्ष पूर्व तय किया गया था और हमारी सरकार बजट संबंधी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इस सीमा को बढ़ाने पर विचार करेगी।

बिचौलिए हटाने के लिए सरकार ने देश के 50 प्रतिशत खंडों के लिए क्रय समिति की मार्फत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आय सृजित करने वाली परिसंपत्तियों की खरीद प्रणाली को समाप्त करने के आदेश जारी किए थे। नई प्रणाली के बारे में जो रिपोर्ट्स आई हैं वे समाधानकारक हैं। रिजर्व बैंक के साथ उसका विश्लेषण कर इस प्रणाली को देश के सभी ब्लॉकों में लागू करने पर हम विचार करेंगे।

हमने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1-4-1988 के बाद चुने गए सभी लाभार्थियों के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू कर दी है। लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को 3000 रुपए की बीमा राशि मिलेगी। इसी प्रकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं के बीमा की योजना भी है।

इस कार्यक्रम में जहां भी भ्रष्टाचार हो, उसका निर्मूलन करने के लिए ठोस कदम उठाने हेतु राज्य सरकारों को कहा गया है। जिलाधिकारी पर इसकी विशेष जिम्मेवारी डाली गई है।

ट्राईसम, जिसे अगस्त, 1979 में शुरू किया गया था, के अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं के विद्यमान हुनर को उन्नत बनाने और उन्हें नई तकनीकी और प्रबंधकीय कार्यकुशलताएं प्रदान करने की व्यवस्था है ताकि उन्हें स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष औसतन दो लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1992-93 में तीन लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा शिशुओं के विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम 1992 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार हेतु अधिक अवसर प्रदान करना है और सामाजिक सेवाओं तक उनकी पहुंच में बढ़ोत्तरी करना है। आरम्भ में देश के 50 जिलों में शुरू किया गया यह कार्यक्रम अब 241 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रतिवर्ष 50 अतिरिक्त जिलों में कार्यक्रम का विस्तार कर आठवीं पंचवर्षीय योजना में सभी जिलों में यह

कार्यक्रम लागू हो जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनाई गई नीति ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं के समूह बनाने और उन्हें विपणन समर्थन से जुड़ी हुई आय सृजित करने वाली गतिविधियां शुरू करने के लिए तैयार करने की है। इस उद्देश्य के लिए 10-15 महिलाओं के समूह को आवर्ती निधि के रूप में 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब तक देश में 45,212 महिला समूह बनाए जा चुके हैं और कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या 7,56,171 है।

हमारे देश के सभी 5.83 लाख गांवों में पीने का पानी मुहैया कराना हमारी सरकार के लिए उच्च प्राथमिकता का विषय है। माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि पीने के लिए और घर के दूसरे कामों में दूषित पानी का इस्तेमाल करना ही देश में उच्च शिशु मृत्यु दर का प्रमुख कारण है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को सुथरी और कम लागत वाली प्रौद्योगिकी की मार्फत पीने के पानी की सप्लाई को तेज करने के लिए 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पता लगाए गए 1,61,722 गांवों में से 1,57,376 समस्याग्रस्त गांवों को हम स्वच्छ पेयजल मुहैया करा सके हैं। अब 4,346 गांव बाकी हैं जिनमें गांव से उचित दूरी पर स्वच्छ पेयजल का एक भी स्त्रोत नहीं है। इनमें से ज्यादातर गांवों को 1992-93 में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जाएगा।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी लगभग एक लाख गांव या बसावटें ऐसी हैं जिनको स्वच्छ पेयजल की समस्या के बारे में आंशिक रूप से ही कवर किया गया है और उन्हें पूर्ण रूप से कवर करने की आवश्यकता है। सही अंदाजा लगाने हेतु राष्ट्र-व्यापी सर्वेक्षण करने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है। यह सर्वेक्षण जुलाई, 1992 तक पूरा किया जाएगा। इसके नतीजों पर आधारित सभी गांवों एवं बसावटों को आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्ण रूप से कवर करने का समयबद्ध कार्यक्रम राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन तैयार करेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने की नीति में हमने गांवों के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बसावटों में पानी उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया है। डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर जन्म शताब्दी कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन अनुसूचित जाति और जनजाति बसावटों में पानी की कमी है, ऐसी 30 हजार बसावटों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए 60 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को दी गई है।

राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत गिनीकृमि की समस्या, जो केवल 6 राज्यों में है, का चालू वर्ष के अन्त तक समाधान कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, केन्द्रीय सरकार ने पेयजल में से फ्लोराइड की अधिक मात्रा को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रभावित गांवों में स्वच्छ पेयजल के वैकल्पिक स्त्रोत अथवा फ्लोराइड दूर करने के संयंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन दोनों कार्यों के लिए राज्यों हेतु निधियों का विशेष प्रावधान किया जाता है। इसके बारे में जनजागृति अभियान भी शुरू किया जा रहा है।

पीने के पानी का गुणात्मक परीक्षण करने के लिए हर जगह में लेबोरेट्री खोलने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। ऐसी 110 स्थायी और 26 चलती-फिरती मोबाइल लेबोरेट्रीज की स्थापना को पहले ही मंजूरी दे दी गई है।

मुझे यहां यह भी कहना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मल एवं गन्दे पानी की निकासी के बारे में निर्माण की गई सुविधाएं आवश्यकता की तुलना में बहुत कम हैं। इसके बारे में जल्दी ही

राष्ट्रीय सेमीनार में विचार-विमर्श किया जाएगा और नीति में सुधार किया जाएगा।

इन दो कार्यक्रमों में विश्व बैंक, यूनीसेफ और संसार के कई देश भी मदद कर रहे हैं, इस बात का मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के माध्यम से गांवों में पेयजल मुहैया कराने का जो कार्यक्रम शुरू है वह दुनिया में इस विषय में सबसे बड़ा कार्यक्रम है और दूसरे विकासशील राष्ट्रों के लिए एक 'मॉडल' बन गया है।

कृषि में उन्नति को सुव्यवस्थित करने और उसे बनाए रखने के लिए कृषि उत्पादों के विपणन हेतु एक प्रभावशाली प्रणाली का होना अनिवार्य है ताकि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। बाजारों के विनिमय और प्रबन्ध को एक समान रूप से लागू करने के लिए राज्यों को एक मॉडल अधिनियम परिचालित किया गया है। अभी तक 6,934 थोक बाजारों में से 6 640 बाजारों को विनिमयन के अन्तर्गत लाया गया है। एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत इन बाजारों को बुनियादी ढांचा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों की मार्फत मंडी समितियों को प्रति बाजार 4 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की राशि मुहैया कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत, योजना के आरम्भ होने से लेकर अब तक राज्य सरकारों को 3,854 बाजारों के लिए 90 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई है। इसी तरह 4,628 ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए 37.61 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकारों को दी गई है।

बाजारों का विकास एवं ग्रामीण गोदामों का निर्माण ये दोनों कार्यक्रम अब राज्य सरकारों को पूरी तरह से सौंप दिए गए हैं।

कृषि तथा सम्बद्ध वस्तुओं का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। श्रेणीकरण तथा चिन्हांकन सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय ने देश में क्षेत्रीय और उप-कार्यालयों का जाल बिछा रखा है और अनेक एगमार्क प्रयोगशालाएं स्थापित की हुई हैं।

सरकार ने वर्तमान राज्य मंडी अधिनियमों और विभिन्न कृषि विपणन निकायों के कार्यों की समीक्षा करने और कृषि उत्पादों के विपणन के ढांचे को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने के समुचित उपायों की सिफारिश करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। समिति ने पहले ही अपना काम शुरू कर दिया है और आशा है कि यह अपनी रिपोर्ट तीन महीनों के भीतर दे देगी। समिति की रिपोर्ट सरकार की भावी विपणन नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका का काम करेगी।

हमारे गांवों और हमारे ग्रामीण लोगों के समग्र विकास में स्वयं लोगों की अधिकाधिक भागीदारी अत्यावश्यक है। ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) की एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापना की गई है। कापार्ट, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, पेयजल सप्लाई, ग्रामीण स्वच्छता आदि जैसी हमारी विकास नीति के भाग के रूप में अनेक योजनाओं के कार्यान्वयन में स्वयंसेवी एजेंसियों को सहभागी बनाता है। कापार्ट विशेष क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अभिनव परियोजनाओं को भी सहायता

देता है। ग्रामीण दस्तकारी एवं उत्पाद के विपणन की व्यवस्था करने के लिए कापार्ट 'ग्रामश्री' मेले आयोजित करता है। ये मेले बहुत कामयाब साबित हुए हैं जिनसे ग्रामीण कारीगरों को प्रोत्साहन मिला है।

1991-92 में कापार्ट ने स्वयंसेवी संस्थाओं की 1921 परियोजनाओं को जनवरी, 1992 तक मंजूरी दे दी है जिसमें लगभग 37 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। वर्ष 1991-92 में जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई उनकी संख्या 1990-91 की अपेक्षा लगभग दुगुनी है। हमारी सरकार ग्रामीण विकास के काम में स्वयंसेवी एजेंसियों को भागीदार बनाने को बराबर तरजीह देती रहेगी।

ग्रामीण विकास मंत्री के नाते मैंने देश भर में कई राज्य सरकारों से चर्चा की, जिला ब्लॉक और देहात के स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का निरीक्षण किया। स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बातचीत की और सबके सहयोग से तथा हमारे मंत्रालय के माध्यम से ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश की है।

मैं ऐसा नहीं समझता कि मैंने सभी मुद्दों का जिक्र किया है जिन्हें माननीय सदस्यों द्वारा अपने भाषणों के दौरान उठाया गया था। एक बार पुनः मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारी सरकार श्री नरसिंह राव जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास का जो सपना महात्मा गांधी, पं० नेहरू, इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी ने देखा था, उसे पूरा करने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है और इस कार्य में हम इस सम्मानित सदन को सदैव विश्वास में लेते रहेंगे और माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों से अपना मार्गदर्शन करते रहेंगे।

मेरी अपील है कि प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आरम्भ हुए देश के विकास और दरिद्रनारायण के उत्थान के महान यज्ञ में संसद सदस्यों, बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों और प्रचार माध्यमों जैसे — टेलीविजन, रेडियो और विज्ञापन के माध्यम से कार्य करें और पूरा सहयोग करें।

मैं यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि आजादी लाने का काम बहुत महत्व का काम है, ऐसे ही गरीबी हटाने का काम है। जैसे हम सब लोग चुनाव में पूरी शक्ति लगाते हैं और जागृति पैदा करते हैं, ऐसे ही मेरी सबसे विनती है कि लोक जागृति पैदा करने में भी आप लोग जुट जाएं, ऐसी मेरी हार्दिक विनती है।

आखिर में मैं यह प्रार्थना करूंगा कि मेरे मन्त्रालय के बजट में प्रस्तुत की गई जो अनुदान की मांगें हैं उनको पारित किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, ग्रामीण विकास, खाद्य, कृषि, नागरिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए दस घंटे का समय दिया गया था। अब तक हम लगभग 12 घंटे का समय ले चुके हैं, जबकि 10 घंटे का समय दिया गया था। माननीय मंत्रियों श्री कमालुद्दीन अहमद और श्री बलराम जाखड़ ने अभी बोलना है। श्री बलराम जाखड़ ने संकेत दिया है कि वह 5 बजे बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : महोदय, मंत्रियों ने पहले ही दो घंटे का समय ले लिया है (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। हम कोई-न-कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। श्री बलराम जाखड़ ने सूचना दी है कि वह 5 बजे बोलना चाहते हैं। तथापि, अभी भी 8-10 सदस्य चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत उत्सुक हैं। यदि प्रत्येक सदस्य को 5 मिनट का भी समय दिया जाता है तो भी 40 मिनट का समय लगेगा। अतः यह सभा की इच्छा पर निर्भर करता है कि क्या वह सभा का समय 40 मिनट तक बढ़ाना चाहती है, और क्या श्री बलराम जाखड़ 5 बजे के बाद अपना उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : महोदय, हम उत्तर कल क्यों न ले लें?

श्री अमल दत्त : मेरे विचार से हम पहले ही 8 बजे तक बैठने के लिए सहमत हो चुके हैं।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : मेरे विचार से हम उत्तर कल ले सकते हैं। ···(**व्यवधान**)···

[**हिन्दी**]

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : सभापति महोदय, हमारा भी नाम है। हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रश्न हैं कम से कम वे तो पूछने दिए जाएं।

[**अनुवाद**]

श्री सुनील दत्त (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारे देश के इतने बड़े विभाग के बारे में चर्चा करने के लिए दस घंटे का समय कुछ नहीं है। इसमें कृषि, खाद्य, ग्रामीण विकास नागरिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण के अनेक पहलू शामिल हैं। मेरे विचार से यह हमारे देश में जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत है क्योंकि भारत के 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। यह सभा उसके लिए केवल 10 घंटे का समय दे रही है। मेरे विचार से यह नगण्य है। मेरा सभापति महोदय तथा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह इस पर कल उत्तर दे सकते हैं। लेकिन इन विषयों पर हमें अवश्य अपने विचार रखने चाहिए।

[**हिंदी**]

श्री जसवंत सिंह : मैं इनकी बात से सहमत हूं। सदन की सुविधा के लिए चार-पांच मंत्रालय साथ में रखे हैं। साधारणतया हर मंत्रालय पर अलग से बहस होती है और अलग से उत्तर दिया जाता है। परन्तु सदन की सुविधा और समय के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए चार-पांच मंत्रालयों को साथ में रखा गया है। यह बात सही है, आपने जो कहा, दस घण्टे इसमें ऐलॉट किए गए हैं। दस घंटे में यदि सदन व सदस्य संतुष्ट नहीं हैं और मामला केवल डा० जाखड़ के उत्तर देने का है, हम मन्त्री महोदय से निवेदन करेंगे कि मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होते हुए भी वे उसमें से एक घंटा निकाल कर यहां आ जाएं और आज जवाब देने की बजाए कल जवाब दे दें तो सदन को और सदस्यों को सुविधा होगी।

4.49 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री दत्ता मेघे : हमें अभी तक अपने विचार रखने का मौका नहीं मिला है। आज तक नहीं मिला है, हम कल-परसों से रोज यहां पर बैठ रहे हैं। यदि भाषण नहीं दें तो कम से कम प्रश्न तो पूछने दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम समय बढ़ा दें।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : पांच बजे की बजाय उसको 6 बजे करवा दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखते हैं। जो सदस्य बोलना चाहते हैं, हम उनके लिए समय निकाल लेंगे। सदस्य उन मुद्दों को न दोहराएं जिन पर पहले ही विचार व्यक्त किए जा चुके है। बलरामजी आज ही उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : 6 की जगह 7 बजे कर दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम श्री अहमद से शुरू करें। श्री अहमद, मैं समझता हूं, आप वह सब मुद्दे नहीं दोहराएंगे जो पहले से उठाये जा चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : एक मिनट महोदय, आपकी सहमति से मैं एक बात कहना चाहता हूं और मेरा यह अनुरोध अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा कल होने वाली पूर्वानुमानित घटनाओं से सम्बन्धित है। महोदय, कल की सूची में विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा रखी जाएगी। कल शुक्रवार भी है और यह गैर-सरकारी सदस्यों का दिन है। चर्चा शुरू करने के लिए केवल 40 मिनट का समय होगा। विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर यदि चर्चा की शुरुआत केवल 40 मिनट की होगी और फिर यह चर्चा पूरे 10 दिन तक रुकी रहेगी तथा इसके बाद चर्चा 20 तारीख को होगी, तो यह चर्चा में भाग लेने व्यक्तियों और चर्चा के विषय के साथ अन्याय होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत हूं। मैं नहीं समझता कि हम आज ही चर्चा की समाप्ति कर पाएंगे और उस पर मतदान हो सकेगा। यह कल तक जारी रहेगी।

श्री जसवन्त सिंह : विदेश मंत्रालय की मांगो का क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : विदेश मंत्रालय पर चर्चा बाद में होगी ।

श्री जसवन्त सिंह : यदि ऐसा है तब तो वह कल उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें आज ही उत्तर देने दें। श्री कमालुद्दीन कल उत्तर दे देंगे ।

श्री जसवन्त सिंह : ठीक है ।

श्री ई० अहमद : अध्यक्ष महोदय, विषय पर बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 12 घंटों में से छोटे दलों को बहुत कम समय दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है, आपको इसे दुबारा उठाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में आपके पास बहुत सीमित समय है। आपको इसे दुबारा उठाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री ई० अहमद : चूंकि छोटे दलों के अनेक सदस्य···

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुख्य मुद्दे पर बोलिए ।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत उनके विभागों के बजट प्रस्तावों का समर्थन करते हुए मैं वे मुद्दे उठाना चाहता हूं जिसकी ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है ।

महोदय, ग्रामीण विकास के लिए बजट प्रावधान गत वर्ष की तुलना में कम कर दिए गए हैं। वर्ष 1991-92 में ग्रामीण विकास के लिए 3,511.24 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था जबकि 1992-93 में 3,113.24 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया है। महोदय, गत वर्ष की तुलना में वर्तमान बजट प्रावधानों में 12% की कमी की गई है । मैं नहीं जानता कि ऐसे महत्व-पूर्ण मंत्रालय के बजट प्रावधानों में मंत्री महोदय द्वारा यह कमी किए जाने का क्या औचित्य है जबकि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन की नीति अपना रही है। इसी प्रकार वर्ष 1991-92 में जवाहर रोजगार योजना के लिए 2,100 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था, जबकि इस वर्ष 2,046 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है जो कि गत वर्ष से 3% कम है। अत: जहां तक ग्रामीण विकास और जवाहर रोजगार योजना का सम्बन्ध है वह इस मामले में सरकार की सोच सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के अनुरूप नहीं है। मैं कृषि मंत्री का ध्यान कृषि-व्यापार संघ स्थापित किए जाने की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका उल्लेख वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं और कृषि-व्यापार संघ परियोजना, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में की थी, को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने कौन-से कदम उठाए हैं ? मेरा कृषि मंत्री से अनुरोध है कि वह इस कृषि-व्यापार कंसोर्टियम के सम्बन्ध में सभा को स्पष्ट रूप से बताएं।

मेरा तीसरा मुद्दा सरकार की बागवानी से सम्बन्धित संवर्धन परियोजनाओं के बारे में है। यह कहा गया है कि सरकार बागवानी को बढ़ावा देना चाहती है और यह कि निर्यात बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे । लेकिन यह खेद का विषय है कि बागवानी की जो फसलें अमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकती है, सरकार ने उनकी उपेक्षा की है । जैसे काजू की फसल है । यह 500 करोड़ रु० प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा अर्जित करती है । काजू की फसल के विकास के लिए कुल परिव्यय क्या है ? यह तो उस विदेशी-मुद्रा का एक प्रतिशत भी नहीं है जो यह अर्जित कर रहा है। काजू उद्योग

निर्यातोन्मुखी उद्योग हैं और कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश के अभी भी दक्षिण अफ्रीकी देशों से कच्ची गरी का आयात करना पड़ता है। फिर भी सरकार देश में काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर रही है। वर्ष 1990-91 में काजू की खेती के लिए केवल 47 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। 1991-92 में यह केवल एक करोड़ रुपए था। यह प्रसन्नता की बात है कि 1992-93 में काजू के विकास के लिए आवंटित राशि में वृद्धि की गई लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है। मुझे हैरानी होती है कि हमारे यहां कोई काजू विकास बोर्ड क्यों नहीं है। अनेक बोर्ड हैं—जैसे कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड, मसाला बोर्ड और ऐसे ही अन्य सगठित संस्थान हैं। मसालों और कॉफी से काजू की तुलना में आधी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है फिर भी उनके बोर्ड हैं। अतः सरकार को काजू के विकास तथा द्रुत उत्पादन के लिए काजू विकास बोर्ड गठित करना चाहिए।

महोदय, दूसरा उदाहरण नारियल का है। यह भी महत्वपूर्ण तिलहन है जिसकी वर्षों से उपेक्षा की जा रही है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि इस वर्ष नारियल-विकास के लिए प्रावधान में वृद्धि हुई है, यह प्रावधान 5.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर नौ करोड़ रुपए कर दिया गया है। तथापि नारियल विकास बोर्ड को विकास, संरक्षण और उत्पादकता-नियन्त्रण के लिए एक कारगर-यन्त्र बनाने हेतु मजबूत बनाने की आवश्यकता है। संकर-पौध जैसी पौधा-रोपण सामग्री पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं हैं। और अधिक बीज-फार्मों की स्थापना की जाए और ढाल-पौधों से जंगली जड़ें काटने तथा हटाने हेतु प्रोत्साहन की राशि 75/- रुपए प्रति वृक्ष से बढ़ाकर 200/- रुपए प्रति वृक्ष की जाए। फिर, नारियल और एक नारियल-उप-उत्पाद प्रसंस्करण-इकाई की भी स्थापना की जाए।

महोदय, मत्स्य-पालन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात मैं संबद्ध मंत्रालय के ध्यान में लाना चाहता हूं। यह एक समुद्रीय उत्पाद है तथा इससे विदेशी-मुद्रा के रूप में लगभग 1000 करोड़ रुपए की आय प्रतिवर्ष होती है, लेकिन फिर भी हमारी कुछ मत्स्य-पालन परियोजनाओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है।

5.00 अ० प०

अभी भी, जल-प्रदूषण की शिकायत है। हाल ही में केरल में 'अलसर महामारी' नामक एक बीमारी फैली थी, जिसने मत्स्य-पालन को प्रभावित किया था और जिसके परिणामस्वरूप हमारे सामुद्रिक-उत्पाद निर्यात पर भी अत्यधिक असर पड़ा था। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

हमारी खाद्य-प्रसंस्करण इकाइयों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है। बड़े दुर्भाग्य से, केवल मूल्य-ढांचे की वजह से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे उत्पादों की उतनी अधिक पर्याप्त मांग नहीं है। इनकी अभी कीमतें कारखाने में उत्पादन लागत के कारण नहीं है। ये तो मुख्यतः पैकिंग-सामान पर शुल्क के कारण है। जब तक सरकार पैकिंग-सामान पर शुल्क में कटौती लागू नहीं करती, हमारे उत्पादों के लिए पर्याप्त बाजार ढूढ़ना मुश्किल हो सकता है।

मैं खाद्य मंत्री के ध्यान में एक और बात लाना चाहूंगा। केरल में भारतीय खाद्य निगम चावल की आपूर्ति कर रहा है और शायद केवल केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां सांविधिक

राशनिंग प्रणाली है। दो दिन पहले, भारतीय खाद्य निगम ने अपने प्रबंधकों को यह हिदायतें जारी कर दी हैं कि वितरकों को चावल की आपूर्ति न करें, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के बीच कुछ विवाद है। एक सरकारी-नियन्त्रण की निगम वितरकों को चावल की आपूर्ति करने से मना करने के ऐसे मनमाने आदेश कैसे जारी कर सकता है? पिछले दो-तीन दिनों से राज्य में सस्ता चावल वितरण अस्त-व्यस्त हो गया है।

अतः, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जब वे चावल-वितरण जैसे एक संवेदनशील मामले पर विचार कर रहे हों, तो उन्हें और अधिक सावधान रहना चाहिए तथा उन्हें ऐसे आदेश जारी करते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए था।

मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय इस सभा को कृषि-विकास हेतु कृषि-व्यापार-संघ बनाने की इस बिल्कुल नवीनतम अवधारणा के बारे में जानकारी देंगे।

मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री सुबोध रस्त (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि, खाद्य, ग्रामीण-विकास, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

मैं मंत्री महोदय, श्री बलराम जाखड़ को बधाई देता हूं कि वह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वप्नों को ध्यान में रखते हैं जो हमेशा यह महसूस करते थे और कहते थे कि भारत की प्रगति ग्रामीण-भारत की प्रगति में ही निहित है।

हमें ग्रामीण-भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। हमें उनके सपनों को साकार करना है। 80 प्रतिशत से अधिक लोग ग्रामीण-भारत में रहते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों से लेकर आर्य-सभ्यता तक जो आकर गंगा और जमुना के किनारों तथा दक्षिण-भारत के चोल राजवंश में आकर बसे थे, उन सभी के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि ही था।

इसलिए, भारत की आजादी के पश्चात् एक नये प्रजातंत्र का अविर्भाव हुआ था और हमारे वे सभी बड़े-बड़े नेता चाहे वे विपक्ष में हों अथवा सत्ताधारी दल में, इस सभा में आए और उन्होंने इस भव्य-सभा को सुशोभित किया, उन्होंने भी यह महसूस किया था कि कृषि ही भारतीय लोगों के जीविकोपार्जन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

मैं विपक्षी-दल के नेताओं और विपक्ष के महान नेताओं के योगदान को नहीं नकार रहा हूं जिन्होंने इस सभा को शोभायमान किया तथा भारत के कल्याण हेतु अपना योगदान दिया है, लेकिन यदि मैं पण्डित जवाहर लाल नेहरू के प्रति अपनी कृतज्ञता की भावनाएं व्यक्त नहीं करता, तो मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा। यदि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, तो मैं पण्डित जवाहर लाल नेहरू को भारतीय लोकतंत्र को पिता के नाम से पुकारूंगा। उनके साथ योग्य साथी थे और उन्हीं योग्य मित्रों तथा विपक्ष के निष्ठावान साथियों के साथ मिलकर उन्होंने एक आधुनिक, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया तथा भारत को सुन्दर एवं आत्म-सम्मान रखने वाला राष्ट्र बनाने का स्वप्न संजोया था। एक सच्चे गांधीवादी की तरह, उन्होंने अपना आन्दोलन शुरू किया और उन्होंने ग्रामीण-भारत के हितों के बारे में सोचा। उन्हें पता था कि भारत की भूमि को किसकी आवश्यकता है। पहले अकाल पड़ते थे। उन्होंने कहा था कि भारत को पानी

की आवश्यकता है। अतः, उन्होंने नदियों से लाभ उठाने के कार्यक्रम आरम्भ किए थे। वह जानते थे कि हमें बिजली की आवश्यकता है और इसीलिए उन्होंने विद्युत केन्द्रों की स्थापना कराई। इस तरीके से हमने भारत के निर्माण का कार्य हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान् नेताओं की सहायता से आरम्भ किया था। हमने एक आत्म-निर्भर भारत के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया था जिसके सुफल अब हमें प्राप्त हो रहे हैं। इस सम्मानीय सभा में हम ग्रामीण-भारत की प्रगति पर चर्चा कर रहे हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू के पश्चात् श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान नामक एक आन्दोलन शुरू किया था। इस आंदोलन ने भी जोर पकड़ा था। हमने अपने देश के लोगों के लिए अधिक खाद्यान्न उत्पादन का कार्य शुरू किया था। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हरित क्रांति का कार्य पूरा किया। हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी यह महसूस करते थे कि हमारे पूरे प्रयासों के बावजूद, ग्रामीण-गरीब अभी भी उपेक्षित हैं, गांवों की स्त्रियों और बच्चों को उनकी आवश्यकता की अनिवार्य वस्तुओं के वितरण की उचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए, वह महसूस करते थे कि उनको न केवल अच्छे खाद्य-पदार्थ देने की जरूरत है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक उत्थान की भी जरूरत है। अतः, ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा, उत्तम रहन-सहन, शिक्षा और स्वयं-रोजगार तथा स्थानीय काम-धन्धों के सृजन पर अधिक जोर दिया गया, ताकि ग्रामीण लोग शहरों की ओर न दौड़ें।

महोदय, कृषि के बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत के किसानों ने वक्त पड़ने पर हमेशा मदद की है। यदि हरित क्रान्ति सफल हुई है, तो यह हमारे देश के किसानों के खून-पसीने की मेहनत के कारण सफल हुई है। इसी प्रकार, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारे मछुआरों का सम्बन्ध है, यदि कृषक मिट्टी से खाद्यान्न उगाते हैं, तो मछुआरों को समुद्र में दूर तक जाना पड़ता है और उसकी तरंगों एवं प्रबल प्रवाह से लड़ना पड़ता है। तभी वे हमारे लिए समुद्र से भोजन लाते हैं। वे शक्तिशाली सामुद्रिक प्रवाह से भी लड़ते हैं और इस तरह से वे हमारे लिए काफी मात्रा में भोजन लाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, हम उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए तो प्रोत्साहन देते हैं परन्तु उन्हें अधिक अर्जन हेतु ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देते। एक किसान को खेती के लिए अच्छे बीजों, अनुकूल मौसम, उर्वरकों, कीट-नाशक दवाओं, पानी, बिजली, ट्रैक्टरों, डीजल, बैलों, मजदूरों एवं उसके अपने कठिन-परिश्रम तथा कर्ज की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से एक मछुआरे को भी अच्छी कश्ती, अच्छे जालों, डीजल, अच्छे मौसम, अनुकूल समुद्र तथा उचित स्थानों की आवश्यकता होती है। इन सभी चीजों पर पैसा भी लगता है और उसे परिश्रम के साथ-साथ जीवन का अत्यधिक जोखिम उठाना पड़ता है। लेकिन उसके परिश्रम और उपज के लिए जो कीमत निर्धारित की गई है, वह इसमें लगे परिश्रम एवं पैसे से काफी कम होती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक किसान अथवा एक मछुआरे को भी अपने परिवार का पालन करना होता है, बच्चों को शिक्षित करना होता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है और यह देखना होता है कि वे अपने त्यौहार भी मनाएं, उनके पास पहनने के लिए उचित कपड़े हों और उसे यह भी देखना होता है कि वह अपने बच्चों का विवाह सम्मान एवं शानोशौकत से कर सके। उसे यह सभी बातें अपने खेत की उपज अथवा समुद्र से मछली पकड़ कर की गई पैदावार से ही पूर्ण करनी होती है। आजकल, अनिवार्य जीवनोपयोगी वस्तुएं अत्यन्त महंगी होती जा रही हैं, सरकार की तरफ से यह उचित होगा कि किसानों और मछुआरों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य प्रदान करे।

[हिन्दी]

जाखड़ साहब को शेरो-शायरी का बहुत शौक है तो मैं उनको एक शेर सुनाना चाहता हूं, अल्लामा इकबाल का :

"उठो मेरी दुनियां के गरीबों को जगा दो,
काखो उमरा के दरो-दीवार हिला दो,
जिस खेत से दहकां को मयस्सर न हो रोजी,
उस खेत के हर खोश-ए-गंदुम को जला दो।"

[अनुवाद]

हमारे किसान गांवों में कठिन परिश्रम करते हैं। मैं बड़े किसानों की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा विश्वास है कि वे अपने बच्चों को पूरा उचित एवं पौष्टिक आहार प्रदान नहीं कर सकते। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे मंत्री महोदय स्वयं कृषक होने के नाते, अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। मैं जानता हूं कि उनके पास अनेक कार्यक्रम हैं और वह छोटे से छोटे किसान का भी अवश्य ही ध्यान रखेंगे।

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में मैं समझता हूं कि कागज पर तो यह सब कुछ बड़ा आकर्षक लगता है। लेकिन अति-निचले स्तर पर, जोश ढीला हो जाता है। अतः सरकार के सदस्यों, राजनैतिज्ञों अथवा अफसरशाहों, दुकानदारों, जिनके पास विभिन्न जीवन योग्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लाइसेंस हैं, की ओर से एक सामाजिक और नैतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। उन सभी की यह प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि जो भी खाद्य-पदार्थ गरीब से गरीब व्यक्ति के पास पहुंचता है, जो खाद्य-पदार्थ गांवों में पहुंचता है, वह शुद्ध, उत्तम गुणवत्ता का और पौष्टिक हो। इसमें यदि कोई हेरा-फेरी करता है, तो उसे कठोर दण्ड दिया जाए।

लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी उन्हें उचित दर की दुकानों से मिल रहा है, वह उत्तम है। दुर्भाग्य से हमारे देश के लोगों में इस सम्बन्ध में विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है।

ग्रामीण विकास के संबंध में देश की क्या प्रगति है ? क्या इसे हम प्रगति कहेंगे कि यदि हम अधिक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा दें अथवा यदि हम बांध बना दें अथवा बिजली घर बना दें अथवा देश में अधिक जम्बो जेट ले आयें अथवा अधिक आर्थिक और व्यावसायिक स्वतन्त्रता प्रदान कर दें ? नहीं, महोदय। यह सब भौतिक लाभ है, भौतिक प्रगति है। लेकिन जो सबसे जरूरी प्रगति है वह है मानव की प्रगति, हमारी जनता, हमारे महान् देश की जनता की प्रगति। हमारे देश के लोग नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से प्रगतिशील होने चाहियें। यह तभी हो सकता है जबकि हम ग्रामीण भारत के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों, निर्धन लोगों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को ऊपर उठायें। यह राष्ट्र के प्रति हमारी नैतिक वचनबद्धता होनी चाहिए—न ही यह भौतिक होनी चाहिए और न ही यह यह सरकारी वचनबद्धता होनी चाहिए। हमें उन्हें समानता के बारे में महसूस करवाना है। हमें उन्हें यह महसूस करवाना है कि वे हमारा ही एक अंग है। हमें बंधुत्व की भावना उत्पन्न

करनी है। उन्हें यह महसूस नहीं होना चाहिए कि सरकार, राजनीतिज्ञ तथा अधिकारी तन्त्र उन्हें दान दे रहे हैं। दुर्भाग्य से अब तक वह यही महसूस कर रहे हैं कि वे सरकार की दया पर जी रहे हैं उनकी इस भावना को समाप्त करना है। यह तभी समाप्त की जा सकती है जबकि हम सब इस संबंध में पूर्ण रूप से वचनबद्ध हों। हमारे प्रिय नेता श्री राजीव गांधी ने ग्रामीण भारत का दर्द समझा था। मुझे याद है कि एक बार लाल किले पर दिए अपने भाषण में उन्होंने कहा था, "जब हम अपने देश की निर्धन जनता को एक रुपए की सहायता देते हैं तो निर्धन व्यक्ति को उसमें से केवल 30 नये पैसे ही मिलते हैं। वह सत्तर पैसे कहां जाते हैं, यह मालूम नहीं चलता। यह तभी होता है क्योंकि इस संबंध में पीछे से जानकारी प्राप्त नहीं होती है।"

श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत को ऊपर उठाने के लिए अनेक कार्यक्रम आरम्भ किए गए। श्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान उन कार्यक्रमों पर कार्यवाही की गई तथा एक सच्चे व समर्पित कांग्रेसी, हमारे प्रधान मन्त्री श्री नरसिम्हा राव यह देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि यह कार्यक्रम बहुत शीघ्र कार्यान्वित किए जाएं ताकि गांवों की जनता को इनका लाभ मिल सके।

मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने एक सही व्यक्ति, श्री बलराम जाखड़ का चयन किया है जो कि स्वयं गांवों से संबंध रखते हैं। मुझे विश्वास है कि इन सब कार्यक्रमों, जिनका भारत सरकार ने निर्णय लिया है, को पूरा करने में वह एक यंत्र साबित होंगे।

ग्रामीण विकास की दिशा में, हमारे पास समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, स्वच्छता प्रणाली पंचायती-राज, इन्दिरा आवास योजना, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण, ग्रामीण भारत में महिला तथा बाल विकास इत्यादि जैसे कार्यक्रम हैं। यदि हम पूरी निष्ठा से इन सब कार्यक्रमों को लागू करें तो ये हमारे देश के भाग्य को बदल देंगे। इन कार्यक्रमों में ग्रामीण भारत से सम्बन्धित प्रत्येक समस्या शामिल है और इसमें गांवों में रहने वाली जनता का पूरा ध्यान रखा गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लिखित रूप में बहुत अच्छे हैं। वे कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम कार्यान्वित भी किए जा रहे हैं। लेकिन हमें पीछे से कोई जानकारी नहीं मिलती है, हमारी कोई एजेंसी नहीं है जो कि हमें बता सके कि क्या सहायता सही जनता तक पहुंच रही है या नहीं। अत: यह बहुत आवश्यक है कि जो कुछ भी कार्यक्रम हमारे पास लिखित रूप में हैं उन्हें हमें लागू करना चाहिए। यह कार्यक्रम भविष्य में भारत के आधुनिक विकास के लिए हैं। हमने स्वच्छता पर विचार किया है, हमने सुरक्षित पीने के पानी पर विचार किया है, हमने इन्दिरा आवास योजना पर विचार किया है जिसमें हम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को मकान देते हैं। यह सब कार्यक्रम एक महान दूरदर्शिता तथा विचारधारा के साथ बनाए गए हैं। लेकिन हम यह नहीं जानते कि क्या यह सब कार्यक्रम उसी निष्ठा से कार्यान्वित किए जा रहे हैं अथवा नहीं। समाचार पत्र यह लिख रहे हैं कि ये कार्यक्रम सही तरीके से कार्यान्वित नहीं किए जा रहे हैं। हमें पीछे से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। हमें सूचना केवल समाचार-पत्रों द्वारा ही मिलती है। इसे कार्यान्वित करने में जनता की ओर से इच्छाशक्ति तथा समर्पण की कमी है। मेरा निवेदन यह है कि इन कार्यक्रमों पर निगरानी रखने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए जो कि यह देखे कि ये कार्यक्रम सही तरीके से कार्यान्वित किए गए हैं अथवा नहीं तथा धनराशि का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है।

दूसरे, कार्यक्रमों के लिए आवंटित धनराशि में से कितना धन इन कार्यक्रमों को लागू करने वाले लोगों के वेतन तथा यात्रा पर खर्च किया जाता है ? उसे कैसे नियन्त्रित किया जा सकता है ? पीछे से उपयुक्त सूचना मिलनी चाहिए। ग्रामीण विकास भारत की प्रगति के लिए अनिवार्य है। अतः मानव संसाधन विकास से सम्बन्धित सभी मंत्रालयों को परस्पर एकीकृत समन्वय रखना चाहिए अर्थात् जल संसाधन, कल्याण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, खेलकूद, ऊर्जा तथा पर्यावरण और वनों के मामले में। जहां तक कि भारत के ग्रामीण विकास का संबंध है, ये सब मंत्रालय आपस में एक दूसरे से अन्तः सम्बन्धित हैं। जब हम ग्रामीण भारत को ऊपर उठाने की बात पर विचार करते हैं तो उसमें इन्हें समान रूप से शामिल होना चाहिए। हमें स्थानीय संगीत, कुम्हारी, नाच, थियेटर आदि को भी बढ़ावा देना चाहिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन पर आपको विचार करना चाहिए।

मैं यह सुझाव देता हूं कि जो गैर-सरकारी संगठन तथा सामाजिक संगठन ग्रामीण भारत के लिए महान कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा उनकी सहायता भी की चाहिए तथा उन लोगों को कुछ वित्तीय सहायता भी दी जानी चाहिए।

अन्त में, मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि ऐसा कुछ नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि मानव के शब्दकोष में असम्भव जैसा कोई शब्द नहीं है। मैं एक उर्दू दोहे के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा :

[हिन्दी]

"वह कौन-सा मुश्किल काम है, जो पूरा हो नहीं सकता।
कोशिश करे इन्सान, तो क्या हो नहीं सकता ॥"

अध्यक्ष महोदय : अब श्रीमती दिल कुमारी भंडारी अपना भाषण देंगी। आप कृपया अपने भाषण को 5 मिनट तक सीमित रखें।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : कृपया मुझे दस मिनट दिए जाएं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अन्य अनेक सदस्य हैं जो कि बोलना चाहते हैं।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : महोदय, जब से यह सत्र आरम्भ हुआ है, मैंने नहीं बोला है। इसलिए मुझे कृपया दस मिनट दिए जाएं।

महोदय, मैं विभिन्न मंत्रालयों, जिन पर आज चर्चा की जा रही है, की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं। मैं आज कृषि राज्य मन्त्री द्वारा पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए गंभीर रूप से चिंता व्यक्त करने से बेहद दुःखी थी। देश के पर्वतीय क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जो कि एक सत्य है—एक ऐतिहासिक सत्य है। इस पर ध्यान न दिए जाने की सीधी वजह है 'गोरखालैंड' की मांग, उत्तराखंड की मांग, हिमाचल के लिए मांग, झारखंड की मांग और अब काश्मीर में समस्याएं।

आज, चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए, कृषि राज्य मन्त्री ने इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन के संबंध में गंभीर रूप से चिंता व्यक्त की है। इन पिछड़े पर्वतीय राज्यों तथा मैदानी क्षेत्रो के बीच क्षेत्रीय असमानताएं इस तथ्य से बिल्कुल स्पष्ट हैं कि सरकार स्वयं इस बारे में अवगत है। जबकि, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन देर से कार्य करना कभी न करने से बेहतर होता है। अनेक माननीय सदस्यों

ने पहले ही सरकार की उपलब्धियों तथा देश की जनता द्वारा झेली जा रही इन मन्त्रालयों से सम्बन्धित समस्याओं का उल्लेख किया है। अतः मैं अधिकतर पहाड़ी लोगों, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में रह रहे हैं, की समस्याओं का उल्लेख करूंगी।

सिक्किम जैसे पहाड़ी राज्य के लिए ग्रामीण विकास किसी भी विकास नीति का मूल प्रश्न है। सिक्किम, जहां 90 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, को अभी भी आर्थिक प्रगति के स्तर को प्राप्त करना है जो पर्याप्त रूप से ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठा सकता है। यह पिछले दशक में राज्य सरकार द्वारा की गई भारी कोशिशों के बावजूद है।

पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के कार्य को पहले आधारभूत आवश्यकताओं और फिर मूल आवश्यकताओं को पूरा करने से आरम्भ करना चाहिए जिन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अन्तिम उद्देश्य विकास की प्रमाणित प्रणाली का निर्माण करना होना चाहिए जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले आय तथा रोजगार का सृजन करती है। हम सिक्किम में इस विकास नीति को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक गांव में पीने का पानी उपलब्ध करवाने की समस्या का एक बहुत बड़ा कार्य है। सिक्किम सरकार अपने अल्प संसाधनों के साथ भविष्य में सभी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। यह सच है कि केन्द्र राज्य की मदद कर रहा है। लेकिन सहायता पर्याप्त नहीं है और इतने महत्व की समस्या के अनुरूप नहीं है।

भारी वर्षा अपने साथ निरन्तर भूमि कटाव, भू-स्खलन जैसी विभिन्न अनुपातों में प्राकृतिक आपदाएं लाती है तथा यह हमारे लिए नियमित घटनाएं। उससे हुआ नुकसान इतना अधिक और व्यापक होता है कि राज्य सरकार को प्रदान की गई धनराशि, यहां तक कि पुनः स्थापन के कार्य के लिए भी बिल्कुल अपर्याप्त होती है।

इसी कारण क्षतिग्रस्त हो चुके कुछ भागों को सामान्य रूप में लाने के लिए पर्याप्त मदद की आवश्यकता है। मैं चाहती हूं कि केन्द्र उन पुनर्निर्माण कार्यों के लिए एक अलग कोष की व्यवस्था करे और उनकी रोकथाम के लिए कुछ कारगर उपाय उठाए।

सिक्किम के सरकारी क्षेत्र में रोजगार-निर्माण के बहुत ही सीमित अवसर हैं। हमने अनुभव किया है कि हम ग्रामीण लोगों को रोजगारोन्मुखी तब तक नहीं बना पायेंगे जब तक कि उनकी कुशलता को निखारने के लिए हम व्यावसायिक संस्थाओं की स्थापना न कर लें। मेरा विचार है कि लघु और कुटीर उद्योगों का उपयोग बहुत ही कम हो पाया है जबकि उनमें अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार को धन, तकनीक और संस्थाओं के साथ उदारतापूर्वक आगे आना चाहिए।

मैं विश्वास दिलाती हूं कि राज्य में केन्द्र सरकार के इस प्रकार के आर्थिक हस्तक्षेप के लिए बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण मौजूद है। आधारभूत ढांचा ग्रामीण विकास रणनीति की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पहाड़ी इलाकों में पूर्व में की गई उनकी उपेक्षा और उनके भौगोलिक विविधता के कारण ये उद्योग वहां की ग्रामीण विकास का मूल आधार है। सिक्किम की व्यथा भी इससे अलग नहीं है। केन्द्र के किसी सार्थक और ठोस पहल के अभाव में वहां की ग्रामीण संरचना निरन्तर कमजोर और अपूर्ण होती चली गई है। इससे सामरिक महत्व के राज्यों में सामाजिक-आर्थिक असन्तुलन बढ़ा है। मेरा अनुरोध है कि मूलभूत संरचना के इस महत्वपूर्ण

उपक्षेत्र के ऊपर इसके बहु-आयामी विकास के संदर्भ में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

बहुत लोगों को यह पता नहीं होगा कि कृषि के संदर्भ में सिक्किम में सिर्फ 14 प्रतिशत भूमि ही कृषि योग्य है। राज्य की 90 प्रतिशत जनसंख्या का अस्तित्व मात्र इतनी ही भूमि पर ही निर्भर है। वहां की भूमि पर बहुत ज्यादा दबाव है। इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि भूमि के निरन्तर कटाव और भारी भू-स्खलनों के कारण कृषि योग्य भूमि तेजी से कम होती जा रही है। गहन खेती, उर्वरकों का अधिक उपयोग, उन्नत बीज और आधुनिक प्रणाली वहां की कृषि-अभियान का व्यापक विकल्प है। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने का एक मात्र रास्ता यही है।

यहां मैं पिछले दस वर्षों के आंकड़े का उल्लेख करना चाहूंगी। वर्ष 1982-83 में खाद्यान्न उत्पादन 62.9 हजार टन था, 1989-90 में बढ़कर 116.3 हजार टन हो चुका है जो कि लगभग दुगुना है। फिर भी मैं विचलित हूं क्योंकि चावल और गेहूं की उत्पादन में वृद्धि उससे भी ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे निश्चित रूप से पता चलता है कि कृषि के सम्बन्ध में अधिकाधिक अनुसंधानों और प्रयोगशालाओं की जरूरत है। विस्तृत खेती की भी आखिर अपनी सीमाएं होती हैं। इसलिए कृषि-क्षेत्र में विविधता लाना जरूरी है। राज्य अपने अपर्याप्त संसाधन के कारण बड़े पैमाने पर इस कार्य का विकास करने या इसे शुरू करने की स्थिति में नहीं है, हालांकि उसने मत्स्य-पालन, फूलों की खेती और बागवानी का कार्य शुरू करवाया है। इसलिए कृषि क्षेत्र में विविधता लाने की योजना पूरी करने के लिए कृषि मन्त्राय को राज्य की सहायता करने की खातिर आगे आने की आवश्यकता है।

1983-84 में सिक्किम में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का वायदा किया गया था। लेकिन उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उसके लिये स्वीकृति प्रदान करे। मुझे आशा है कि हमारे कृषि मंत्री जो कि स्वयं ही एक कृषक हैं, ऐसे पिछड़े इलाके में एक कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता से भलीभांति अवगत होंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि कृषि राज्य मन्त्री ने स्वयं ही कहा है सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी इलाके बहुत ही पिछड़े हुए हैं और मैं आशा करती हूं कि वह इस दिशा में कुछ न कुछ सकारात्मक कार्य जरूर करेंगे।

महोदय, कमजोर तकनीक, अपर्याप्त निवेश और भौगोलिक बाधाओं के सिक्किम में खेती किसी भी प्राकृतिक आपदा से उबरने में अक्षम है। आज की खाद्यान्न उत्पादन का स्तर राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है। वहां चावल, गेहूं जैसे खाद्यान्नों और चीनी, मिट्टी तेल आदि जैसे अन्य आवश्यक सामग्रियों का भारी मात्रा में दूसरे राज्यों से मांगना पड़ता है। इसके साथ ही वहां तेजी से बढ़ती हुई आबादी और पर्यटकों के आगमन के साथ ही हो रही जनसंख्या वृद्धि के कारण सिक्किम के लिए निर्धारित कोटा वहां की मांग की तुलना में तेजी से घट रहा है। मेरा अनुरोध है कि वहां का कोटा अधिक तर्कसंगत और वैज्ञानिक आधार पर बढ़ाया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय राज-मार्ग 31-ए जो सिक्किम को दूसरे राज्यों से जोड़ने का एकमात्र यातायात पथ है, पर बरसात के दिनों में होने वाली भूस्खलन दूसरा पहलू है जिस पर ध्यान देने का आवश्यकता है। इसके कारण कई दिनों तक सभी चीजों का आना-जाना पूर्ण रूप से ठप्प हो

जाता है जिसके फलस्वरूप आवश्यक चीजों और दूसरे उपभोक्ता सामग्रियों के दामों मे काफी वृद्धि हो जाती है। अतः इस स्थिति से निपटने के लिए वहां खाद्यान्न-गोदामों, शीत भंडारण गृहों और भण्डागारों की आवश्यकता है जिससे संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए खराब हो जाने वाली और नहीं खराब होने वाली दोनों ही प्रकार के सामग्रियों का भंडारण किया जा सके। खाद्यान्न मंत्रालय को इस समस्या पर ध्यान देने और सिक्किम को इस प्रकार की मूलभूत संरचना स्थापित करने में सहायता करने की आवश्यकता है।

मैं एक और चीज के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा, वह है सिक्किम में दूसरे राज्यो से भोजन-सामग्री और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं को लाने में होने वाली ढुलाई खर्च के बारे मे। ढुलाई खर्च में वृद्धि से राज्य में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। सिक्किम के लोगों को देश के दूसरे भाग के लोगों की तुलना में आवश्यक वस्तुओं और अन्य चीजों के लिए कहीं ज्यादा मूल्य देना पड़ता है जिसका अर्थ यह हुआ कि वहां की मुद्रास्फीति दर देश के दूसरे भागों से बहुत ज्यादा है। इस परिप्रेक्ष्य में, सार्वजनिक वितरण-प्रणाली की सिक्किम के संदर्भ में अहम भूमिका होगी। इसे सफल बनाने हेतु सामानों की आपूर्ति पर्याप्त रूप में और नियमित रूप से होनी चाहिए।

दूसरे दूरस्थ गांवों में भी उचित-दर की दुकानें ऐसे स्थानों पर खोली जानी चाहिए जहां लोगों का पहुंचना सुगम हो। लोगों को सामान की आपूर्ति हो सके और वे इससे लाभान्वित हो सकें, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बरती जानी चाहिए। इसलिए संपूर्ण व्यवस्था को रेखांकित करना होगा जिसके लिए पर्याप्त तंत्र और अधिक धनराशि की जरूरत पड़ेगी। मुझे आशा है कि खाद्यान्न और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय देश में पहाड़ी राज्यों के कठिनाइयों से अवगत होगी। इसलिए मैं पूर्ण आश्वस्त हूं कि इस मंत्रालय के लोग इन कठिनाइयों की समीक्षा करते हुए पिछड़े पहाड़ी राज्यों या इलाकों में सहायता प्रदान करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इस प्रकार रेखांकित करेंगे जिससे वहां के गरीब लोग उचित दर की दुकानों द्वारा मुहैया कराए जाने वाली सुविधा का लाभ उठा सकें।

महोदय, मुझे बोलने के लिए जो समय आपने दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री अमल दत्त बोलेंगे।

श्री अमल दत्त, आपकी पार्टी के लिए निर्धारित समय समाप्त हो चुका है, इसलिए आप संक्षिप्त में अपना भाषण देंगे।

श्री अमल दत्त : मुझे दुःख है कि समय खत्म हो चुका है। इस सम्बन्ध में क्या मैं यह कह सकता हूं कि चार मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर बहस के लिए निर्धारित समय-सीमा कम है?

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय कार्य सलाहकार समिति ने लिया था जिसको सदन ने स्वीकृति दे दी थी।

श्री अमल दत्त : हो सकता है, लेकिन कम से कम अगली बार इस पर विचार होना चाहिए। मैं इस बार कुछ नहीं कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। लेकिन आप कम समय में ही अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने में सक्षम हैं।

श्री अमल दत्त : ये चारों मंत्रालय भारत के गांवों में रहने वाले 75 प्रतिशत लोगों से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि हम चाहते हैं कि आप कार्य-सूची में उल्लेखित विषयों से परे मुद्दे पर बात न कर सकें ।

श्री अमल दत्त : मेरा विनम्र निवेदन है कि पिछले दो-तीन सत्रों के दौरान सिर्फ एक या दो अवसरों पर ही इन विषयों पर सदन में बहस हो सकी है । अत: आगे से कम से 15-20 घंटे का समय निर्धारित होना चाहिए, जब इन मंत्रालयों पर एक साथ चर्चा हो ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं । अब मुद्दे पर आइए ।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : कृषि मन्त्रालय बहुत ही बड़ा मंत्रालय है । इस देश में स्वाभाविक रूप से कृषि के अन्तर्गत बहुत-सी चीजें हैं । भारत परंपरागत रूप से एक कृषि प्रधान देश है । अभी हाल ही में हमने उद्योग की तरफ रुख किया है । हमने इतने उत्साह से उद्योग की तरफ रुख किया है कि हमने अपनी मूलभूत क्षमता को परिवर्तित करने की कोशिश की है । मेरा मूलभूत क्षमता से तात्पर्य है, देश की कृषि पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति । यह सब हमने उस समय किया है जबकि सारे विश्व में कृषि से होने वाले लाभों में कल्पना से अधिक वृद्धि हुई हैं । 1950 में जब औद्योगिक नीति बनाई गई थी और कृषि को पृष्ठभूमि में डाल दिया गया था और पुन: खाद्य संकट की वजह से जो कि 60 के दशक मे हमने झेला है, कृषि को फिर से महत्व दिया गया, अत: इसे छोड़कर कृषि की इस देश में हमेशा अवहेलना की गयी है ।

मैंने हमेशा महसूस किया है कि जो लोग इस देश का शासन संभालते हैं, चाहे वे राजनीतिज्ञ हों या नौकरशाह हों, उन्हें हाल ही में हुई प्रगति का महत्व पूरी तरह से समझ नहीं आया, है यह वह प्रगति है जो विश्व में 1950 से जीव विज्ञान में हुई है और इससे जैव प्रौद्योगिकी का उद्भव हुआ है तथा इसके महत्व को न केवल इस देश में बल्कि सारे विश्व में भी नहीं समझा गया है । इसमें बहुत व्यापक क्षमता विद्यमान है । लेकिन हमने मूलत: जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया है । इसके बावजूद जीव विज्ञान के विकास के साथ ही पादप और बीज उत्पादन में कुछ सुधार हुआ है तथा कृषि में उपयोग की जाने वाली प्रणालियों में भी सुधार हुआ है । ये सब हम अपने देश में उपयोग करने में असमर्थ रहे है ।

हमारी कोई उचित कृषि नीति भी नहीं है । हमारी कोई उचित आर्थिक नीति भी नहीं है । बजट भाषण में मैंने कहा था कि यह देश कृषि पर समुचित जोर नहीं दे रहा है । दुर्भाग्य से उसी समय वित्त मंत्री मुझसे इस बात पर सहमत हो गए कि यह एक सही मूल्यांकन था । लेकिन इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया गया । मुझे विश्वास है कि हमारे कृषि मन्त्री और अन्य सभी मंत्रियों के सहयोग से जो कि विभिन्न विभागों के प्रमुख हैं तथा जिन पर यह चर्चा चल रही है, शीघ्र ही नीति संबंधी परिवर्तन करेंगे । मैं यह इसलिए कह रहा हू क्योंकि खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार आज भारत के लिए दुगुना खाद्यान्न उत्पादित करना संभव है लेकिन भारत उर्वरक की कम मात्रा का उत्पादन कर रहा है ।

हमारे इस देश के जल संसाधनों का दोहन करने के लिए कुछ नहीं किया है । हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है । वास्तव में जल संसाधनों का दोहन बहुत आवश्यक है । वस्तुत: हमने पानी का भंडारण करने और इसका वर्षों तक उपयोग करने सम्बन्धी आवश्यक विस्तृत यांत्रिक कार्य

नहीं किया है। हमने इसे ऐसे ही चलने दिया है और इसे ऊपरी मिट्टी के साथ बह कर ले जाने देते हैं जो कि जल्दी ही खत्म हो रही है। एक समुचित कृषि नीति की भी आवश्यकता है क्योंकि हमारे यहां संसाधनों की कमी है। संसाधनों की जो भी कमी हो लेकिन एक उचित आबंटन जरूरी है और यह तो नीति में निर्णय किया जाना चाहिए कि उचित आबंटन क्या होगा।

यह निर्णय तो हमे लेना है कि हमें खाद्यान्न का उत्पादन करना है, व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करना है या हमे यह सब एक साथ करना है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते है। अतः कहां जोर देना है और कितने समय तक? और जब हम जोर दें तो हमें अपने संसाधनों को अधिक फैलाना नहीं चाहिए। इस सभा में हम यह सुन रहे हैं और अन्य क्षेत्रों से भी हम जानते हैं कि सरकार ने अपने अनुसंधान-संसाधन काफी क्षेत्र में फैला दिए हैं। और अधिकांशतः जो अनुसंधान किया जाता है वह प्रयोगशाला में रहता है और खेतों में नहीं पहुंचता है। अनुसंधान और विस्तार कार्य में समन्वय नहीं है। खेत संबंधी सेवाओं का भी प्रयोगशाला से तालमेल नहीं है। प्रयोगशालाओं के मुताबिक हमें लोगों तक इसे (अनुसंधान) पहुंचाने के आदेश नहीं है। इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा काफी लम्बे समय से चला आ रहा है कि अनुसंधान पर पैसा खर्च किया जा रहा है और इसका फल लोगों को नहीं मिल रहा है। यह सब इतने व्यापक क्षेत्र में किया जाता है कि हम संसाधनों का एक क्षेत्र में केन्द्रीकरण किए जाने से हासिल लाभ से वंचित हैं। उदाहरण के तौर पर खाद्यान्नों के मामले में हम अभी तक अधिक उपज देने वाली किस्मों की बात करते हैं। लेकिन हमने संकरित किस्मों की तरफ ध्यान नहीं दिया है जिससे चीन ने 70 के दशक में अपनी फसल पैदावार दुगुनी कर ली थी। संकरण के फलस्वरूप चीन अपना खाद्यान्न उत्पादन कुछ वर्षों में ही दुगुना कर सका। मैं समझता हूं कि मेरे इन आंकड़ों को कृषि मंत्री प्रमाणित करेंगे। राज्यवार गेहूं का अधिकतम उत्पादन 20 क्विंटल प्रति हैक्टेयर है और चावल का 27 क्विंटल प्रति हैक्टेयर है जबकि चीन में यह गेहूं के मामले में 37 क्विंटल और चावल के लिए 55 क्विंटल है। कुछ मामलों में यह लगभग दुगुना ही है। गेहूं के मामले में यह दुगुने से थोड़ा कम है। यह सब प्रौद्योगिकी के विकास की वजह से संभव हो पाया है। निःसंदेह वे भारत से ज्यादा उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम अपने संसाधनों को एक जगह केंद्रीकृत करने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह एक बात है।

दूसरे, हमारे यहां ज्यादा अच्छी जलवायु है जबकि चीन में चार से पांच महीने तक सर्दी का मौसम होता है। इस सर्दी के मौसम में वे कुछ भी नहीं उगा सकते हैं। जबकि व्यावहारिक रूप से कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर हम भारत के सभी भागों में फसल उगा सकते हैं। हम एक वर्ष में तीन से चार फसलें उगा सकते हैं। अब मैं कृषि मंत्रालय से कुछ जानकारी हासिल करना चाहूंगा। यद्यपि कृषि को तो एक खुली किताब होना चाहिये फिर भी हमें उस मंत्रालय से यह आवश्यक जानकारी नहीं मिलती है कि कितनी भूमि पर अधिक उपज देने वाली किस्में उगाई जा रही हैं और अधिक उपज देने वाली किस्मों के संदर्भ में उस संबद्ध भूमि पर कृषि उत्पादन की क्या मात्रा है। राज्यवार, प्रखंडवार, जिलावार उत्पादन कितना है? हमें यह सुनिश्चित करने के लिए आंकड़े मिलने चाहिए कि क्या इसमें सुधार के लिए कोई गुंजाइश है या नहीं। ये सब वे जरूरी जानकारियां हैं जिनके बिना कृषि क्षेत्र में की गयी उपलब्धियों की बारीकी से जांच नहीं हो सकती है। 1970 के दशक में खाद्य संकट का सामना करने के बाद ही कृषि को महत्व दिया जाने लगा। इससे पहले हमने देखा है कि हमारी प्रवृत्ति हमेशा से ही कृषि के संदर्भ में खाद्यान्नों पर ही

ध्यान देने की रही है। हमने फल, सब्जियां और अन्य बागवानी के उत्पादों पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया जबकि सभी कृषि उत्पादों से तुलनात्मक रूप में इनमें सबसे अधिक विश्व व्यापार चलता है। मन्त्री महोदय को यह जानना चाहिए कि विश्व के कतिपय अविकसित या विकासशील देश जैसे तुर्की, थाईलैंड और इंडोनेशिया ने हाल ही में बागवानी उत्पादन को अपनाया है और थोड़े ही समय में उन्होंने काफी अच्छी प्रगति की है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार निर्यात संबंधी अपना प्रदर्शन सुधारने के मामले में अच्छी सफलता हासिल कर सकती है। यदि हम कृषि के कतिपय पहलुओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करें जैसे कि विभिन्न बागवानी उत्पाद और मत्स्य पालन उत्पाद तथ्य इसी तरह की चीजें। भारत में इन चीजों के लिए बहुत गुंजाइश है। वस्तुतः मुझे और किसी ने नहीं बल्कि स्वयं पश्चिम बंगाल के मत्स्य पालन मन्त्री ने बताया था कि हम इतनी अधिक खारे पानी में होने वाली झींगा मछली का उत्पादन कर सकते हैं कि इससे सारे विश्व का पोषण किया जा सकता है। संभवतः भारत में उत्पादित झींगियों को विश्व आज चल रही कीमत पर नहीं खरीद पाएगा और इन झींगियों की कीमत कई मिलियन डालर बैठेगी। इन क्षेत्रों में अधिकतम प्रयास किए जाने चाहिए। हमें ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए जहां हम कम से कम समय में ज्यादा फायदा कर सकें और जहां मध्यवर्ती और दीर्घकालिक फायदे हासिल हो सकें। इसलिए हमारी अल्पकालिक मध्यवर्ती और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में एक कृषि नीति होनी चाहिए। हमारे यहां ये नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि संबद्ध मंत्रालय थोड़े ही समय में इस प्रकार की नीति बनाने का भार वहन करेगा।

अब जब मैं सूक्ष्म से अतिसूक्ष्म स्तर पर आता हूं तो मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वहां की कृषि जलवायु परिस्थितियां किस चीज के लिए सबसे अधिक ठीक है। वे यह नहीं जानते हैं कि विभिन्न खंडों या विभिन्न खंडों के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न फसलों का क्या क्रम होना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक खेत से दूसरे खेत की मिट्टी में काफी भिन्नता होती है, ऐसा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन कोई न कोई इंतजाम होना चाहिए। यदि ऐसा इंतजाम है तो लोगों को इस आदर्श या अच्छे फसल क्रम के बारे में बताया जा सकता है कि ये उसकी फसलें हैं और ये मिट्टी है तथा कतिपय बदलाव या भिन्नता लाने से वह इस फसल को उगा सकते हैं। लेकिन किसानों को यह नहीं बताया जाता है विस्तार सेवाएं भी इस कार्य के लिए सुसज्जित नहीं हैं। वस्तुतः हमारी विस्तार सेवाओं को बागवानी और कृषि के क्षेत्रों के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी नहीं है। मुझे यह कहते हुए दुख है कि किसी भी राज्य सरकार को यह जानकारी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है—प्रयोगशालाओं और विस्तार सेवाओं के मध्य कोई भी तालमेल नहीं है। आज श्री लेंका बहस में भाग ले रहे थे। पान के पत्ते के बारे में उनसे कतिपय प्रश्न किए गए। उन्होंने उत्तर दिया कि इस प्रश्न को कल्याणी विश्वविद्यालय से पूछा जाना चाहिए जो पान के पत्ते पर कुछ कार्य कर रही है। पश्चिम बंगाल में यह एकमात्र विश्वविद्यालय है और हम नहीं जानते हैं कि वे इस कार्य को कर रहे हैं। यद्यपि हम पान के पत्ते के बारे में काफी अधिक चिंतित हैं लेकिन उत्पादक इसके सम्बन्ध में नहीं जानते है। उनके नेता इसके बारे मे नहीं जानते हैं और व्यापारी भी नहीं जानते हैं। इस बात की जानकारी नही है कि कतिपय धनराशि दी गई। इस बात का भी पता नहीं है कि उस धन से क्या उपलब्धियां हुईं। अतः मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यहां जानकारी की कमी है। हमें इस जानकारी की कमी से कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। हम

वास्तव में अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो कुछ भी मूल्यांकन कर पाए हैं, वह बहुत कम है क्योंकि वास्तव में यहां न कोई नीति है और न ही कोई समन्वय है। जो भी हम कर रहे हैं वह हम अव्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं और अपने संसाधनों को बहुत थोड़ी मात्रा में इधर-उधर फैला रहे हैं। जिससे हमें वह सब हासिल नहीं हो रहा है जो कि एक जगह ध्यान केन्द्रित करने से हासिल हो सकता है।

यदि आप मिल कर प्रयास करेंगे तो आप अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। यह मिलकर काम करने का प्रभाव है। लेकिन यह देख कर मुझे अफसोस है कि हम अलग-अलग रह कर प्रयास करते हैं और अपेक्षित परिणाम भी हासिल नहीं कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मंत्रालय यह महसूस करेगा कि इसमें कई खामियां हैं और इन्हें दूर करने के लिए प्रयास करेगा।

इस मुद्दे पर सदन के कार्यनिष्पादन पर फिर से आते हुए मुझे यह कहना है कि कृषि के सम्बन्ध में एक प्रवर समिति है, लेकिन यह समिति कार्य नहीं कर रही है। विश्व के कई देशों में इस प्रकार की समितियां हैं जो कि काफी लाभप्रद रही हैं विशेषतया ब्रिटिश संसद ने अपनी संसदीय कृषि समिति की सेवाओं से अच्छे परिणाम हासिल किए हैं, हमें भी यही तरीके अपनाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अच्छे भाषण के लिए धन्यवाद।

***श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** (कोयम्बटूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि ग्रामीण विकास तथा खाद्य मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है।

जहां तक कृषि ऋण का सम्बन्ध है, मैं आपका ध्यान किसानों की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहूंगा जिसके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज लगने के कारण उन पर कई गुणा भार बढ़ गया है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में एक किसान ने पचास हजार रुपए का ऋण लिया था लेकिन चालीस हजार रुपए का भुगतान करने के बाद भी उस पर ऋण का भार एक लाख रुपए व उससे भी अधिक हो गया है। एक अन्य उदाहरण है जिसमें एक किसान को पचास हजार के ऋण के बदले एक लाख सत्तर हजार रुपए का भुगतान करना पड़ा। जबकि व्यापारी वर्ग तथा उद्योगपति वर्ग किसी न किसी रूप में कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर लेते हैं। यहां तक कि यदि वे बैंक को ऋण वापिस नहीं करते तो उनके ऋण की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। वे किसी ना किसी तरीके से ऋण माफ करवा लेते हैं। लेकिन किसान की दशा निरंतर दयनीय बनी रहती है। यदि वे भुगतान नहीं करते तो उनकी कृषि भूमि अधिग्रहित कर ली जाती है। जहां तक तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले का सम्बन्ध है वहां किसानों को भू-जल पर निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें 300 फुट से 400 फुट तक गहरा कुआं खोदना पड़ता है। उन्हें पानी निकालने व खेतों को सींचने के लिए पम्प सेट लगवाने पड़ते हैं। कपास और धान दोनों की खेती केवल इस तरीके से की जाती है। अतः मैं कृषि मंत्री से कोयम्बटूर जिले के ऐसे किसानों के बारे में विचार करने का अनुरोध करता हूं जिनको आदानों के लिए इतना व्यय करना पड़ता है और मैं माननीय मंत्री से ऐसे मेहनती किसानों के कृषि ऋणों को माफ करने का अनुरोध करता हूं।

1967 के बाद से तमिलनाडु में सिंचाई सुविधाओं में सुधार नहीं हुआ है। स्वर्गीय कामराज

* तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

के शासन के बाद से कोई बांध नहीं बनाया गया है। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है और हम इसके मूक दर्शक मात्र हैं। 1967 के बाद से कोई सिंचाई योजना नहीं बनाई गई है। महान नेता श्री कामराज की मृत्यु के बाद से बहुत-सी व्यवहार्य सिंचाई योजनाओं पर कार्य नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों जैसे पंडियार और पुनमपुझा के बहाव को बदलने का प्रस्ताव था जो कि केरल तथा तमिलनाडु दोनों राज्यों के लिए उपयोगी था। इन नदियों के बहाव को अरब सागर की ओर मे रोककर इनके बहाव को दोनों राज्यों के खेतिहर समुदायों के लाभ के लिए बदला जा सकता था। अब केन्द्र सरकार को लम्बे अर्से से लम्बित पड़ी इस योजना को शुरू करना चाहिए। तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों की सरकारें इसका खर्च आपस में बांट सकती हैं और योजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। केन्द्र को इस सिंचाई योजना के रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करना चाहिए जिससे कीमती जल की भी बचत होगी। मैं केन्द्र सरकार से इस लम्बे अर्से से लम्बित पड़ी इस सिंचाई परियोजना पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। इससे दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों में रह रहे किसानों को राहत मिलेगी।

जहां तक कावेरी नदी का सवाल है इस जटिल समस्या से निपटने के लिए अन्य कई मुद्दे हैं। बहुत वर्ष पहले तमिल के लाखों किसान कर्नाटक में चले गए थे और उन्होंने उस भूमि को उपजाऊ बनाने में काफी योगदान दिया था। लेकिन हाल ही में, उनमें से हजारों लोग बेघर हो गए और अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। उनको दो करोड़ और सत्तर लाख रुपए के लगभग राहत दी गई है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने तटवर्ती राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। प्रभावित किसानों को दी गई राहत तथा उनको दिया गया मुआवजा अपर्याप्त और निराशाजनक है। मैं केन्द्र सरकार से दुःखी तथा विस्थापित किसानों को और अधिक मुआवजा देने का अनुरोध करता हूं।

पशुपालन का हवाला देते हुए मुझे कांगेयम नस्ल जो अपने गठित शरीर और मेहनत के लिए एक प्रसिद्ध नस्ल है, के बारे में बताना है। कांगेयम क्षेत्र में पलायाकोटा में एक बहुत बड़ा डेरी फार्म है जो उस नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि डेरी फार्म को बन्द करने का प्रस्ताव है। वहां पर लगभग दो हजार पशु हैं जो किसी खरीददार को बेचे जा सकते हैं। मैं सरकार से इसे खरीदने तथा कांगेयम नस्ल की गाय तथा बैलों को संरक्षित करने का अनुरोध करता हूं। जहां तक दुग्ध सहकारिताओं का सवाल है इस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए कि वास्तविक पशुपालक तथा ग्वाले इस प्रकार की सहकारी समितियों के सदस्य बनें। दूसरे व्यवसाय के लोगों को ऐसी समितियों का सदस्य बनाना जैसी कुछ अनियमितताएं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सरकार के ध्यान में यह बात इसलिए लाना चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि वास्तविक किसान और पशुपालक ही ऐसी दुग्ध समितियों के सदस्य बनें। सरकार को किसानों के हित के लिए भविष्य निधि योजना बनानी चाहिए जिससे कानूनी रूप से मान्य न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित हो सके।

अन्त में, मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए सरकार का ध्यान कोयम्बटूर जिले में पीने के पानी की समस्या की ओर दिलाना चाहूंगा। मैं तीसरी बार इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैंने पहले भी कई बार इस मुद्दे को उठाया है। अब मैं इसे ग्रामीण विकास मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। अभी भी इस बात की आवश्यकता है कि कोयम्बटूर जिले के लोगों

को पीने का पानी मुहैया कराने की बुनियादी सुविधाओं की ओर आप ध्यान दें। कृपया जल्दी से जल्दी इस समस्या की ओर ध्यान दीजिए। धन्यवाद के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन के अन्दर महंगाई को कम करने का नारा देकर इस देश के साथ जहां विश्वासघात किया वहीं किसानों के साथ भी धोखा देने का काम किया है। मैं आपकी आज्ञा से सदन में जो अनुदानों की मांगें चल रही हैं, उनके बारे में दो-तीन बातें विशेष रूप से सुधार के तौर पर कहना चाहता हूं।

कांग्रेस के सोचने और काम करने के तरीके में बहुत फर्क है। कांग्रेस की जो तरीका था जिसके माध्यम से वे किसानों को उनकी पैदावार का मूल्य देना चाहते थे, उसमें अब फर्क पड़ गया है। मुख्य तौर पर मैं यह मानकर चलता हूं कि इस देश में किसानों के लिए अगर कोई सरकार बनी, तो वह 1977 की मोरारजी देसाई की सरकार थी। उस सरकार ने देश के अन्दर जो गरीब किसान थे, जो जमीन से अपना जीवनयापन करते थे, उनके लिए बहुत योजनाएं बनायीं। हमारा कृषि प्रधान देश है इसलिए उस सरकार ने इतने कदम उठाए जिसके कारण हमारा देश इतना अनाज पैदा कर सका जिससे आज हम अपने देश के लोगों के खाने के लिए ही अन्न पैदा नहीं कर रहे हैं बल्कि निर्यात भी कर रहे है।

मोरारजी देसाई की सरकार के समय यूरिया की एक बोरी 51 रुपए में मिलती थी और आज आप यूरिया खाद 175 रुपए में दिलवाने का काम शुरू कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की जो सरकार थी, जो 1977 की सरकार थी, अगर उसी भावना से आप देखते तो कम से कम किसानों के भले की बात तो आप सोच सकते थे। उसके बाद किसानों के भले की बात सोचने वाली जनता दल की सरकार आई जिसने देश के बजट का 50 प्रतिशत भाग किसानों और ग्रामों के उद्धार के लिए खर्च करने की बात कही। जनता दल की ही सरकार ने किसानों के कृषि ऋण दस हजार रुपए तक के माफ किए जिसको इसी सदन के हमारे साथी ने आलोचना की भावना से देखा और उसकी यहां मुखालिफत की, विरोध किया।

हमारे कई साथियों ने इस ऋण माफी का बड़ा विरोध किया और कहा कि जनता दल सरकार ने किसानों के ऋण माफ करके देश को कंगाली की हालत में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन मैं उन मित्रों से कहना चाहता हूं और विशेष रूप से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या आप यह नहीं सोचते कि इस देश के जितने भी बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, जिन्होंने सरकारी ऋण लिए हैं और उनके ऋण आपने माफ कर दिए, ऐसा आपने क्यों किया ? जनता दल सरकार ने तो सिर्फ 10 हजार रुपए के गरीब किसानों के ही ऋण माफ किए है और उसका भी रोना आप यहां रो रहे हैं और इस प्रकार से पिछली सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और आपने जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों के बड़े-बड़े ऋण माफ कर दिए उनके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस प्रकार से तो आपने अपने द्वारा दिए गए बड़े-बड़े ऋणों को भुलाए जाने की पहल कर दी है। मेरे जैसा आदमी यह मानकर चलता है कि अभी तक कोई कृषि नीति बनी ही नहीं है। श्री भानु प्रताप सिंह ने जो कृषि नीति तैयार की थी, यदि उसका ध्यान करें तो वह रिपोर्ट कागजों में पड़ी हुई है। उसे भी देखें। आज हालात क्या हैं, आज परिस्थिति एक एक बदली हुई है। किसान खेत में जो गेहूं पैदा करता है उसका दाम उसकी लागत खर्च को जोड़कर तय नहीं कर रहे हैं : किसान जो गन्ना पैदा करता है

उसका दाम सरकार तय करती है, किसान तय नहीं करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 35 लाख हेक्टेयर भूमि में गन्ना बोया गया जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में 16 लाख हैक्टेयर है। 1991-92 में गन्ने के उत्पादन का लक्ष्य 23 करोड़ टन का रखा गया। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत गन्ना जो खेतों में खड़ा रह जाएगा उसे पेरने के लिए गन्ने मूल्य में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। हालत यह होगी कि किसान को मजबूर होकर गन्ना जलाने का काम करना पड़ेगा। किसान 50 प्रतिशत गन्ना जला देगा। आप किसानों के हमदर्द हैं, हम चाहते हैं कि जब तक गन्ने की पिराई न हो जाए आप सही व्यवस्था करें ताकि वह सूखने न पाए।

अध्यक्ष महोदय : आपका समय बहुत कम है। आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री हरि केवल प्रसाद : मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गन्ने का सामान्य मूल्य होना चाहिए। गन्ना समितियों के कमीशन में 5 प्रतिशत की कटौती की जा रही है उसे रुकवाने का काम करें।

आपने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार ने छः उर्वरक कारखानों को स्थापित करने का प्रस्ताव किया है और हमारे गोरखपुर के पूर्वांचल का खाद का कारखाना बन्द है। एक तरफ तो छः कारखाने खोलने का प्रस्ताव है और दूसरी तरफ कारखाने बन्द हैं। कम से कम बन्द हुए कारखानों को चलवाने की व्यवस्था करवाने का काम करें।

कृषि को उद्योग घोषित किया जाए और खेत में काम आने वाले संसाधनों जैसे खाद, पानी, बीज, सस्ते दाम पर बेचे जाएं। फसल बीमा योजना को कड़ाई के साथ लागू किया जाए। किसानों को कम ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध करवाया जाए व 50 प्रतिशत हिस्सा गांव को देने की व्यवस्था की जाए। लागत के आधार पर, कृषि मूल्यों के जो दाम हैं, किसान जो पैदा करता है उसके हिसाब से दाम तय करने का काम किया जाए।

इंदिरा आवास के तहत जो मकान बन रहे हैं, जो भी बजट जाता है, तीसरे नम्बर का ईंट इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे साल पानी नहीं रोक सकता है, एक झटके में टूटकर गिर जाता है। आप पता लगा लें जहां भी ऐसे मकान हैं उनका यही हाल है। ऐसी व्यवस्था करायें कि यह ठीक हो। 10 लाख कुंआ योजना आपने चलायी। इसके तहत जितने लोगों ने पैसा लिया, अधिकारियों और बड़े ठेकेदारों ने मिल करके उसको खा लेने का काम किया है। आप इसकी जांच करायें।

अब मैं भूमि सुधार का सवाल उठाना चाहता हूं। पूरे देश में जहां हजारों गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग बस हुये है, उस जगह की सारी जमीन बड़े लोगों के नाम से दर्ज है। वे बड़े लोग उनसे बेगारी करवाते हैं। जब वे बेगारी करने से मना करते हैं तो उनकी पिटाई की जाती है। मामला न्यायालय तक में चला जाता है। हम चाहेंगे कि ऐसे मामलों को आप देखने की कृपा करें।

जितने भी बड़े-बड़े मठ वाले है, बड़े भूपति है, मंत्रिपरिषद में मंत्री हैं, उनसे जमीन लेकर भूमिहीनों और गरीबों में बंटवाने की व्यवस्था करायें। इससे गरीब लोगों और भूमिहीन लोगों को लोगों को जमीन मिल सकेगी और बेरोजगार हैं, उनको बेरोजगार मिलेगा।

कुछ दिन पहले मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी का एक बयान अखबार में पढ़ा। अगर

कृषि मंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है तो इसी समय उन्हें सदन में घोषणा करनी चाहिए भूमि सुधार अधिनियम के तहत सम्पूर्ण देश में जितने लोगों के पास अधिक जमीन है, उनको गरीबों में बांटने का अभियान चलाया जायेगा। इससे किसानों को बहुत हित होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं।

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि, ग्रामीण विकास और भांडारण पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय की डिमाण्ड्स का समर्थन करता हूं। इसके पहले कि मेरा समय चला जाये, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सबेरे प्रश्न काल में जिसका जिक्र आपने भी किया था कि जो सूखा महाराष्ट्र में पड़ा है, वह बहुत ही भयंकर है। उस प्रश्न में यह कहा गया कि महाराष्ट्र में 58.16 लाख एकड़ में सूखा पड़ा है और महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को 791.41 करोड़ रुपये का प्रपोजल भेजा है। उस प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि हम गुजरात और मध्य प्रदेश में कमेटी भेजेंगे लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक को अतिरिक्त सहायता देने की आवश्यकता नहीं है। जब महाराष्ट्र के गांवों में आज पीने का पानी नहीं है और बड़े पैमाने में वहां सूखा है तो उसका हमें यह लिखित उत्तर मिलता है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के अन्दर हम कोई भी मदद नहीं करना चाहते हैं। हम केन्द्र सरकार से यह अपील और रिक्वेस्ट करते हैं कि महाराष्ट्र के अन्दर भी गरीब लोग रहते हैं वहां गांव हैं, खेड़े हैं, दलित लोग हैं, आदिवासी लोग रहते हैं और इन सबको सूखे का सामना करना पड़ता है। इतना जरूर है कि वहां नागपुर और बम्बई जैसे बड़े-बड़े शहर हैं।

केन्द्र सरकार और खास तौर पर हमारे नरसिंह राव का महाराष्ट्र से अच्छा सम्बन्ध है। हमारे जाखड़ साहब भी वहां आये थे। महाराष्ट्र के बारे में उन्हें सब कुछ मालूम है। आज वहां बहुत बड़े पैमाने पर सूखा पड़ा है। आप वहां एक कमेटी भेजिए। अगर आप कमेटी वहां नहीं भेजेंगे तो वहां के लोगों क्या समझेंगे ? जो जायज मांग महाराष्ट्र सरकार की है, वह आपको पूरी

6.00 म० प०

करनी चाहिए। क्योंकि, केन्द्र सरकार के सामने सभी स्टेट्स बराबरी के हैं, ऐसा मैं मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र के अन्दर मैं तो पाइण्ट्स ही लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। महाराष्ट्र के अन्दर कपास खरीद की योजना हम चलाते हैं, बहुत साल से यह योजना चल रही है। हम केन्द्र सरकार को कहते हैं, हमें 10 साल के लिए आप मदद दीजिए, लेकिन यह बात भी महाराष्ट्र के अन्दर चल रही है कि कपास खरीद की जो योजना है, यह हम खत्म कर देंगे, क्योंकि, दूसरे राज्यों में यह योजना नहीं है। महाराष्ट्र एक अच्छा स्टेट है, कोआपरेटिव सैक्टर में वहां अच्छा काम किया है आज हजारों किसानों को उसका अच्छा लाभ होता है और जब घाटा होता है तो वह सरकार की तिजोरी में होता है और किसानों को उनकी कपास का अच्छा दाम मिलता है। हम तो हमेशा कहते हैं कि कपास के लिए हमें निर्यात करने की आप अनुमति दीजिए, हमें सूत मिलें बनाने दीजिए। वहां पर सूत हो, कपड़ा हो तो कपास का दाम हमको ज्यादा मिल सकता है लेकिन हमने देखा है कि बड़े-बड़े लोग आज यह कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अन्दर कपास खरीद योजना बन्द होनी चाहिए। किसानों का करोड़ों रुपया आज महाराष्ट्र सरकार के पास है। यह योजना किसान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। हम चाहते हैं, महाराष्ट्र के सब किसान लोग चाहते हैं कि इस योजना के लिए केन्द्र सरकार

को मदद करनी चाहिए और यह योजना और दूसरे स्टेट्स में लागू करना चाहिए ताकि किसानों की हम मदद कर सकें। योजना बन्द होने की जो बात चल रही है। यह बात बराबर नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं।

जिस इलाके से मैं आता हूं, वहां सन्तरा बहुत होता है, वहां कोसीकारी होता है। यह केन्द्र सरकार की योजना है और स्टेट गवर्नमेंट उस पर अमल बजावन करती है लेकिन आज जो सन्तरे की अच्छी···हो गया ?

अध्यक्ष महोदय : टाइम हो गया।

श्री दत्ता मेघे : मैं तो पहली बार बोल रहा हूं, मुझे पूरे सैशन के अन्दर पहली बार बोलने का मौका दिया और मैं पाइण्ट्स ही बता रहा हूं, पूरा भाषण तो मैं नहीं कर रहा हूं। दूसरों ने 15 मिनट का भाषण किया था, वह मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन आज महाराष्ट्र की जो बात है, जिस क्षेत्र से हम आते हैं, उसकी बात करने के लिए हमको लोग यहां भेजते हैं। अगर यह बात हम नहीं करेंगे तो हम यहां काहे को आये हैं, हम तो महाराष्ट्र में अच्छे थे। हम यहां आये हैं तो महाराष्ट्र की जो भी बात होती है, जिसका असर उस इलाके में होता है···

अध्यक्ष महोदय : यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बजट नहीं है।

श्री दत्ता मेघे : नहीं है, हमें मालूम है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि कपास की योजना के लिए केन्द्र सरकार की वहां मदद मांग रहे हैं। केन्द्र सरकार नहीं देती है, केन्द्र सरकार उसको बन्द करना चाहती है। यह महाराष्ट्र की एक अच्छी योजना है, उसको आप चलाइये। सन्तरे के बारे में लोग जो हमारे यहां हैं, उनकी भी आप मदद कर सकते है। हमारे यहां अनुसंधान केन्द्र है, उसको आप मदद कर सकते है।

आज जो ग्रामीण विभाग है, उसमें जो बातें महाराष्ट्र सरकार मे हैं, केन्द्र सरकार की मदद से होने जा रही हैं, वहां मदद करना आपका काम है, ऐसा मैं मानता हूं। हमें यह मालूम हुआ है, राशनकार्ड के बारे में दिल्ली के सम्बन्ध में मैंने कहा था, बम्बई भी आर्थिक राजधानी है, बम्बई बहुत बड़ा शहर है और उसमें हम जो कोटा देते हैं, वहां तो कोई अनाज होता नहीं है, सारे देश से वहां अनाज जाता है तो वहां हमको जो सिविल सप्लाइज का कोटा मिलता है, वह बहुत ही कम मिलता है। दिल्ली में उससे डबल मिलता है, बम्बई में कम मिलता है तो दिल्ली और बम्बई जैसे कम से कम जो शहर हैं, उनमें आप बराबर का कोटा दीजिए। वहां के लोग, मजदूर, जो लोग काम काज करते हैं, मेहनत करते हैं, उन लोगों को आज हम बराबर अनाज नहीं देते है और मार्केट प्राइसेज उनको पुरता नहीं है तो इसलिए आपका जो कोटा है, दिल्ली में आप जिस तरीके से कोटा देते हैं, उस तरह से ही बम्बई में भी दे दीजिए। बम्बई बड़ा शहर है और बड़े शहर की बात होती है तो आप दिल्ली और बम्बई को एक सरीखा देने का काम कीजिए।

एक ही बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि जो विकास होता है वह समतल होना चाहिए। बहुत साल से हमारी यह मांग रही है कि आप विकास बोर्ड बनाइये। अभी हमारे मुख्य मंत्री जी आयेंगे, कल पन्त प्रधान जी से बात कर लेंगे, हमने पन्त प्रधान से बात की है, उन्होंने हम सब लोगों से कहा कि आप मेरे पास प्रपोजल लाइये, हम 24 घण्टे के अन्दर आपको विकास बोर्ड दे देंगे। लेकिन इतनी देर हुई विकास बोर्ड आने से यह होगा कि हमें जो पैसा मिलेगा, वह हम गांवों में, रास्ते मे, सिंचाई में खर्च कर सकते हैं। विकास बोर्ड की मांग विदर्भ विकास बोर्ड,

मराठवाड़ा, कोंकण और महाराष्ट्र के जो बोर्ड हैं, वह हमें मिल जाते हैं तो हमें जो पैसा मिलेगा, उस पैसे को लागत करके हम वहां का विकास कर सकते हैं, यह मांग भी हमारे मंत्री महोदय जी हम इसलिए करेंगे ताकि हमारे वहां पैसा मिले। यह भी केन्द्र सरकार के पास है, महाराष्ट्र सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार के पास हमने प्रपोजल भेज दिया लेकिन वह कहां अटका हुआ है, हमें मालूम नहीं। हमारे यहां राजीव गांधी जी आखिरी दिनों में आये थे तो नागपुर में उन्होंने भाषण दिया तो कहा कि हम सरकार में आने के बाद विकास बोर्ड की बात करेंगे, यह खुले आम हुई थी इसलिए हम राजीव गांधी द्वारा लोगों को दिए पूरे वचन को निभाना चाहते हैं इसलिए विकास बोर्ड की जो मांग है, इसके ऊपर भी आप गौर करिये ताकि हमें पैसा मिले और पैसा मिलने के बाद हम हमारा पिछड़ा जो राज्य है, उसमें मदद कर सकें।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे भी कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने का आदेश दिया। हमारे विद्वान सदस्यों ने बहुत सारी बातें कही हैं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें है, जो शायद कही नहीं गई हैं, मैं उनको सदन के सामने रखना चाहता हूं। महोदय, मैं शुरू से स्पष्ट बोलने वाला हूं और यह एक आदत सी बन गई है···

अध्यक्ष महोदय : नगीना जी, इन सारी चर्चाओं के लिए समय नहीं है।

श्री राम नगीना मिश्र : आप जरा सुन लीजिए। कहा जाता है कि उपवास और भुखमरी हो रही है। मुझे याद आता है, 42 साल पहले, साठ साल के ऊपर के कोई व्यक्ति यह बताएं कि इस देश में उस वक्त क्या दो वक्त का भोजन मिलता था और आज लोगों को भोजन मिलता है। उस समय 36 करोड़ की आबादी थी और आज आबादी बढ़ कर 84 करोड़ की हो गई है और भोजन सबको मिलता है। यह हमारे कृषि वैज्ञानिकों की देन है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं। आज देश की जनता को खाना मिल रहा है और हम अपने पैरों पर खड़े हैं। हां, यह बात सत्य है, जैसा कि अभी हमारे मित्र ने कहा, अन्य देशों में जो उपज हो रही है, उसके मुकाबले हमारे देश में उपज कम है, और उन्होंने चाइना का उदाहरण दिया। मैं यह निवेदन करूंगा, वैज्ञानिकों को भी बाहर के देशों से जानकारी प्राप्त करके, जैसी कि हमारी आबादी 36 करोड़ से बढ़ कर 84 करोड़ हो गई है और देश की जनता को खाना दे रहे हैं तथा जिस प्रकार आबादी बढ़ रही है, यदि देश में उपज नहीं बढ़ेगी, तो परेशानी होगी। इसलिए इसमें और तरक्की करनी चाहिए।

आज सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की जमीन की सीलिंग कायम हुई है। आजादी के बाद कायम हुई है, कांग्रेस के समय में हुई है, यह बहुत अच्छी बात है। मैं बताना चाहता हूं, आज भी जो बड़े-बड़े ताल्लुकेदार हैं, उनके पास उतनी ही खेती है, जितनी पहले थी। कागज में तो बंट गई है और नाती, पोते, कुत्ते-बिल्ली के नाम में उनके पास खेत हैं। यह सौभाग्य की बात है, देश के जो कृषि मंत्री हैं, उनको कृषि पंडित की उपाधि मिली हुई है। किसानों को गर्व है, हमारा जो वकील है वह कृषि का विशेषज्ञ है और कृषि का पण्डित है। इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इसका निरीक्षण करा लें। मुझे खेद है, मैं गांव का रहने वाला हूं और इस मामले में गांव में जो सबसे बड़ा आफिसर होता है, वह लेखपाल होता है। जो वह लिख दे, वही माना जाता है। नाना प्रकार के नामों से सारे खेत बड़े लोगों के नामों से कर दिए हैं। मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं, अगर उसने लिख दिया, तो जो ताल्लुकेदार हैं, वह यहां सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहा है

और खेत पर कब्जा किए हुए हैं। इसलिए कानून में संशोधन होना चाहिए। मुकदमे बीस-बीस सालों से चल रहे हैं, आप ऐसा कानून बना दीजिए कि उनको अदालत में जाने का मौका ही न मिले और उनसे खेत निकाल कर गरीबों में बांट दिया जाए। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने ट्रस्ट बना दिया है और ट्रस्ट बनाकर अपने घर के सारे सदस्यों को उसका सदस्य बना दिया है। उसका उपभोग भी कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपको इसकी जांच करानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : टैनेंसी लॉ और लैंड सीलिंग स्टेट लैजिसलेचर्स करते हैं। आपने अपनी बात कह दी है, अब आप दूसरी बात पर आइए।

श्री राम नगीना मिश्र : सैंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है।

अध्यक्ष महोदय : स्टेट गवर्नमेंट करती है।

श्री राम नगीना मिश्र : यह बात सही है कि काफी हद तक हमारी खेती प्रकृति के भरोसे निर्भर करती है। मैं तो ऐसे इलाके से आया हूं, जहां कोई भी ऐसा साल गया हो, जहां सूखा भी न पड़े और बाढ़ भी न आए। मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं, अगर देश को तरक्की करनी है तो वहां पर सिंचाई के साधन जरूर उपलब्ध कराए जाएं। जहां पर बाढ़ें आ रही हैं, उनको रोकने का प्रबन्ध होना चाहिए। आप गांवों में देख लीजिए, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, जहां वाटर लोगिंग होती है। हजारों हजार एकड़ भूमि में पानी जमा हो जाता है और खड़ी फसल सड़ जाती है। उस पानी के निकासी का स्रोत होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का भाग्य अन्धकार में पड़ा हुआ है। आप सुन कर आश्चर्य कीजिएगा, अभी मन्त्री जी ने बताया, हमारे हालात क्या हैं एक-दो रुपए नहीं बाकी हैं, अरबों रुपया सरकार टैक्सों के रूप में लेती है। मैं समझता हूं कि कई अरबों रु० हैं और शायद ही कोई फैक्ट्री हो जहां से दो-तीन करोड़ रु० सरकार को टैक्सों के रूप में न मिलता हो, चीनी विकास निगम से न मिलता हो और हमारी हालत क्या है करोड़ों किसानों के गन्ने का दाम मिल मालिकों के जिम्मे बकाया है। शादी का समय है और किसान अपने गन्ने की पर्चियों को पच्चीस-तीस रु० इंटरस्ट पर बनिया, महाजन के यहां रख देता है, सरकारी वसूली भी है और अगर वह नहीं दे पाता है तो कुर्की होती है, वारंट निकलता है और फिर गिरफ्तार हो करके वे हवालात में जाते हैं, तो आज यह सब क्या हो रहा है ?

आप गेहूं पर सबसिडी दे रहे हैं, गेहूं खरीदते हैं तो तुरन्त दाम देते हैं और दाल खरीदते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं तो तुरंत दाम देते हैं, केवल यह एक अभागा किसान है जो गन्ना भी बोए और दर-दर की ठोकर भी खाए और कुर्की, वारंट हो। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक समय था कि यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी निर्देश हुआ था, अगर आप इसमें से कुछ नहीं कर सकते हैं, असहाय हैं तो किसानों के गन्ने का जो अरबों रुपया बकाया है, आप बैंकों के द्वारा किसानों को लोन देते हैं अभी 12 अरब रु० बैंकों का कर्जा जो किसानों पर था वह माफ हुआ था। मैं दया की भीख नहीं मांगता हूं, मैं तो गन्ना किसानों की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन करता हूं कि जितनी हमारी गन्ने की पर्चियां हैं, मिल मालिकों के जिम्मे जितना बकाया है वह हमारी जो पर्चियां हैं वह बैंक में जमा करा दी जाएं और उतना रुपया हमें दे दिया जाए ताकि हम अपना काम चला पाएं क्योंकि यह पर्ची तो हमारी गारंटी है न और जैसे-जैसे मिल भुगतान करे वैसे-वैसे बैंकों का भुगतान होता जाए इससे बढ़ करके सहूलियत नहीं हो सकती है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि 105 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में हैं, अधिकांश चीनी आठ सौ से बाइस सौ टन की है, करोड़ों की घाटे में जा रही हैं, सबसे डाउन रिकवरी है। अभी सरकारी बयान है कि उत्तर प्रदेश में जितना गन्ना है उसमें से केवल 30 परसेंट गन्ना मिलों को जाता है बाकी गन्ना कोल्हू, क्शर में जाता है। मिल पर 45 रु० दाम मिलता है, कोल्हू में 28, 29, 30 रु० का मिलता है, अन्तर इतना है कि 28, 30 रु० जो देता है वह पेमेंट करता है और 45 रु० गन्ने का दाम जो मिल पर मिलता है वह पेमेंट नहीं होता है बकाया रह जाता है और गन्ना काफी है। तो मैं एक निवेदन करूंगा और इसलिए करूंगा कि आप संयोग से हमारे वकील हो गए हैं कृषि विभाग के परिश्रम से जो अन्न पैदा होता है और गन्ना भी पैदा होता है, जो आपका पैदा किया हुआ गन्ना है तो मैं आपको वकील बनाना चाहता हूं, तो क्या आप गन्ना किसानों के वकील हैं ? आप सरकार से वकालत करके गन्ने का समुचित प्रबन्ध करा दीजिए, क्योंकि जो छोटी-छोटी फैक्ट्रियां जर्जर हैं, जिनकी रिकवरी डाउन जा रही है, जो आठ सौ, बाइस सौ टन की हैं उनको पच्चीस सौ टन की बनवा दीजिए और साथ ही मैं समझता हूं कि गन्ने की महानता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस के लिए मांग किया है, पच्चास सौ लाइसेंस के लिए एप्लीकेशंस हैं लेकिन आज तक लाइसेंस नहीं मिला। चीनी विकास निधि में अरबों रुपया पड़ा हुआ है। इसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ चीनी मिलों की केपेसिटी बढ़ाने की इजाजत दी, जैसे देवरिया में दो साल हो गए लक्ष्मीगंज, बेतालपुर और भटनी में राशि बढ़ाने के लिए कहा गया लेकिन पैसा नहीं है इसलिए नहीं बढ़ रहा है। उसी तरह से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप अपने स्तर पर नहीं चला सकते हैं तो निजी क्षेत्रों में दे दीजिए। हमें मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में तमाम एप्लीकेशंस पड़ी हैं। देवरिया में 14 चीनी मिलें हैं और वे 14 चीनी मिलें कैसी हैं, कोई आठ सौ, नौ सौ और कोई बारह सौ टन की है तो वहां पर समूचे प्रदेश में जरूरत है लेकिन देवरिया में सबसे अधिक जरूरत है तीन-चार चीनी मिलों की और लाइसेंस की एप्लीकेशंस निजी क्षेत्र वालों ने दी हैं।

मैं चाहता हूं कि गन्ने की समय से पिराई हो जाए। दक्षिण भारत की और उत्तर भारत की परिस्थितियों में अन्तर है। दक्षिण भारत की जलवायु ऐसी है कि वहां हमेशा गन्ना कायम रह सकता है, लेकिन इधर मई के बाद गन्ना सूखने लगता है और रिकवरी 4 परसेंट आ जाती है, इसलिए 6 महीने से ज्यादा फैक्ट्री नहीं चल सकती, दक्षिण भारत में 9 महीने तक चल सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि करोड़ों किसान जो गन्ने पर निर्भर करते हैं, उनकी ओर ध्यान दीजिए और उनका कल्याण करिए।

मान्यवर, हमारा तराई का इलाका है और अभी मंत्री जी ने भी बयान दिया, वहां के पानी में आयोडीन नहीं है, जिसकी कमी की वजह से घेघा, फीलपांव और मलेरिया आदि रोग होते हैं, लोग गड्ढों का पानी पीते हैं। मेरा निवेदन है कि वहां के निवासियों के लिए शुद्ध ट्यूबवैल का जल उपलब्ध कराया जाए, ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। इसी तरह से नेपाल के बार्डर का नारायणी का इलाका है, वहां पर सड़कों का अभाव है। गन्ना पैदा होगा, बाकी फसल पैदा होगी, लेकिन जब तक सड़क नहीं होगी, तब तक वह एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ले जाया जा सकेगा। नदियों पर पुल नहीं हैं, जिसकी वजह से नावों से गन्ना और अन्य सामान लाना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सड़कों और नदियों पर पुलों का निर्माण करवाया जाए।

इसी तरह से गांवों में जो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, वे भी गिने-चुने लोगों को दी जाती हैं। उनका सामान कुछ अफसर खा जाते हैं, कुछ दुकानदार खा जाते हैं, 1/3 ही वितरित हो पाता है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि करोड़ों लोग, नवयुवक जो बेरोजगार हैं, उनको ये दुकानें उपलब्ध कराई जाएं। इससे बेरोजगारी भी दूर होगी और वितरण व्यवस्था में भी सुधार होगा, बिचौलियों को बीच में से हटा दीजिए।

इसी तरह से गेहूं खरीद की बात आई। वस्तुस्थिति यह है कि सरकारी खरीद भी बिचौलियों के माध्यम से होती है। किसान जब सीधे गेहूं लेकर जाता है, तो उसकी गेहूं झरने पर रखवाकर छनवाई जाती है और उसमें कमियां निकाली जाती हैं, लेकिन वही गेहूं जब वह बिचौलिए के माध्यम से केन्द्र पर लाता है तो बिना किसी जांच के उसको रख लिया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि खासतौर पर इस तरह की ताकीद दी जाए कि किसान को खरीद के मामले में तंग न किया जाए, ताकि बिचौलियों को बीच में से हटाया जा सके।

इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी बातों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

[अनुवाद]

*कुमारी क्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़)। अध्यक्ष महोदय, मैं उड़िया भाषा में बोलना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने उड़िया में बोलने के लिए नोटिस दिया है ?

*कुमारी क्रिडा तोपनो : जी हां महोदय, भाषांतरकार बूथ में हैं तथा उसे बता दिया गया है कि मैं उड़िया में बोलने की इच्छुक हूं।

अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से सम्बधित अनुदान मांगों का मैं समर्थन करती हूं क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है इसलिए मैं इन मंत्रालयों से सम्बन्धित कुछ समस्याओं को सरकार की जानकारी में लाना चाहती हूं जिनका सामना उड़ीसा राज्य में करना पड़ रहा है। महोदय, तटीय जिलों के अतिरिक्त उड़ीसा राज्य में और कहीं सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसलिए अन्य जिलों में भूमि जोतने के लिए किसानों को अधिकतर वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। इन जिलों में सिंचाई परियोजनाएं भी आरम्भ नहीं की गई हैं। इसलिए उनको जल प्राप्ति का और कोई साधन उपलब्ध नहीं है। अगर राज्य के शुष्क क्षेत्रों में कुएं खोदने के लिए उचित प्रबन्ध किए जाएं तो वे कृषि का विकास कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर लिफ्ट सिंचाई के तरीके से भी सिंचाई की जा सकती है। भूमि जोतने के लिए जल के अभाव के कारण पैदा हुई कठिनाइयों को सामने रखते हुए केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार को उन स्थानों पर लिफ्ट सिंचाई को प्राथमिकता देने का परामर्श देना चाहिए, जहां पर ऐसा करना संभव है। संसाधनों की कमी इसमें बाधा नहीं बननी चाहिए। इसके लिए केन्द्रीय सरकार को पर्याप्त राशि का प्रावधान करना चाहिए। इसके साथ-साथ शुष्क भूमि पर खेती को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो शुष्क क्षेत्रों के किसान नई-नई किस्म की फसलें पैदा कर सकते है। इस सम्बन्ध में महोदय मैं यह

*मूल रूप से उड़िया भाषा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

बताना चाहती हूं कि मेरे जिला सुन्दरगढ़ में शुष्क भूमि पर खेती वर्ष 1988-89 में आरम्भ की गई। किसानों को अच्छी किस्म की खाद तथा प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाए गए। इसीलिए वे अच्छी फसलें प्राप्त करने में सफल हुए। यहां तक कि उन्होंने बंजर भूमि से भी अच्छी फसल प्राप्त की है। गरीब लोग, विशेष तथा छोटे तथा सीमांत किसान शुष्क भूमि की खेती से अधिकतम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना को अब इन जिलों में उचित रूप से क्रियान्ति नहीं किया जा रहा है। उड़ीसा में वर्तमान सरकार छोटे तथा सीमांत किसानों को अच्छी किस्म के बीज तथा खाद उपलब्ध करवाने की ओर पूरा ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए किसान शुष्क भूमि की खेती में अधिक रुचि नहीं दिखा रहे हैं। महोदय, यह एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इसलिए राज्य सरकार को इस योजना को सुन्दरगढ़ तथा उड़ीसा के अन्य शुष्क जिलों में जोरदार ढंग से क्रियान्वित करने का परामर्श दिया जाना चाहिए। शुष्क भूमि की खेती आरम्भ करने के लिए किसानों को पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए।

महोदय, केवल कृषि द्वारा अपनी जीविका कमाना किसानों के लिए संभव नहीं क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में सारा वर्ष फसल उगाने की सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं। साल में कई महीने वे बेकार रहते हैं। जब उनके पास काम नहीं होगा तो अपने परिवार का खर्च कैसे चला पाएंगे? साम्भाव्य रोजगार के अवसर पैदा करने तथा इसके साथ-साथ उनकी आय शक्ति बढ़ाने के लिए उनके लिए किसी न किसी प्रकार का काम-धंधा उपलब्ध करवाना होगा। इस सम्बन्ध में मैं डेरी विकास पर जोर देना चाहूंगी। उड़ीसा में डेरी विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। अगर ग्रामीण लोगों को अच्छी किस्म की गायें तथा भैंसे खरीदने के लिए ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कुछ सहायता मिल जाये तो वे दूध तथा दुग्ध उत्पादों का उत्पादन करके वह अपनी आमदनी को बढ़ा कर अपनी आजीविका कमा सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से देश के विभिन्न भागों में डेरी के विकास की ओर उचित ध्यान देने का निवेदन करती हूं। उन जिलों में जहां कि किसानों को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं, वहां डेरी से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महोदय, इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तटीय जिलों में मत्स्य पालन के विकास की काफी संभावनाएं हैं। इस राज्य में मत्स्य उत्पादन की क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठाया गया है। तटीय क्षेत्रों में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां सारा साल काम उपलब्ध नहीं होता। इसलिए ग्रामीणों को मत्स्य पालन में सहायता दी जानी चाहिए। यह बड़े खेद की बात है कि उड़ीसा में बड़ी विदेशी कंपनियों को मछली पकड़ने के ठेके दिए जाते हैं विशेषतया झींगा मछली के उत्पादन के क्षेत्र में। मैं केंद्रीय सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह राज्य सरकार को परम्परागत रूप से मछली पकड़ने के धंधे से जुड़े लोगों तथा स्थानीय नवयुवकों को मछली उत्पादन का धंधा आरम्भ करने में सहायता देने के लिए निर्देश जारी करें। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय बेरोजगारी की समस्या भी काफी हद तक हल हो जायेगी इसलिए सरकार को राज्य में मछली पालन के लिए क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए तथा मछली पालन क्षमता का पूरा लाभ उठाना चाहिए ताकि तटीय क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके।

महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण विकास पर भी बल देना चाहूंगी। हमारे यहां राउरकेला में इस्पात संयंत्र तथा राजगंगपुर में सीमेंट संयंत्र कार्य कर रहे हैं। इन क्षेत्रों के लोगों

को कुछ रोजगार मिला हुआ है। मेरे जिले के अन्य क्षेत्रों में अनेक समस्याएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों के पास इसके अतिरिक्त आजीवन कमाने का सारा वर्ष और कोई साधन नहीं है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का उचित रूप से कार्यान्वयन नहीं किया जाता है। इसलिए उनको काम नहीं मिलता। इसलिए सरकार को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर नजर रखनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभ उन्हीं लोगों को पहुंचे जिनके लिए वास्तव में यह योजनाएं केन्द्र द्वारा प्रायोजित की गई हैं। यह बड़े खेद की बात है कि प्रत्येक गांव मे सड़कें नहीं हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां कि स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय तथा पीने के पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इन गांवों में कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है क्योंकि वहां पर यातायात के लिए उपयुक्त कोई सड़कें नहीं हैं। इसलिए प्रत्येक गांव को सड़क द्वारा जोड़ा जाना चाहिए। कुछ ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं जो कि जंगलों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं। इन सभी पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ने वाले गांवों को जोड़ने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए। दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। महोदय, गांवों में स्थित सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों तथा स्कूलों की इमारतों का रख-रखाव धन के अभाव के कारण अच्छी प्रकार नहीं होता है। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि मेरे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली सरकार इमारतों के रख-रखाव के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाई जाए। पिछड़ा हुआ जिला होने के कारण सरकार को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत इसके लिए पर्याप्त धन का प्रावधान करना चाहिए। मैं आशा करती हूं कि ग्रामीण विकास मंत्री मेरे सुझाव को क्रियान्वित करने की ओर ध्यान देंगे।

महोदय, मैं अपने जिले में व्याप्त पेय जल समस्या की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। पेय जल प्रत्येक गांव में उपलब्ध नहीं है। कुछ गांवों में हमारे पास ट्यूबवैल हैं। महोदय, वे ट्यूबवैल बेकार हो गए हैं। उनकी तुरन्त मरम्मत की जानी चाहिए अन्यथा लोगों के सामने आने वाली समस्याएं और जटिल हो जाएंगी। महोदय, इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। अगर इन गांवों में पेयजल उपलब्ध न करवाया गया तो समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। आने वाली ग्रीष्म ऋतु से पहले ऐसे गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने को सुनिश्चित करने को उच्चतर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अन्त में मैं कुछ शब्द खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के सम्बन्ध में कहना चाहूंगी। उड़ीसा को पर्याप्त मात्रा में गेहूं तथा चावल उपलब्ध नहीं करवाया गया है। गरीब लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उचित दर की दुकानों से राशन नहीं मिल रहा है। इसके अतिरिक्त वितरण प्रणाली में भी अनेक अनियमितताएं हैं। इसलिए मैं नागरिक आपूर्ति मंत्री से निवेदन करती हूं कि वे इन अनियमितताओं को दूर करें तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तुरन्त सुधार लाएंगे।

अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। इसके साथ ही मैं हार्दिक रूप से इन अनुदान सम्बन्धी मांगों का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय सदस्यों ने,

जिनकी संख्या 42 है. इस चर्चा में भाग लिया। मैं इनका आभारी हूं। विचारों की अभिव्यक्ति हुई, उद्‌गार निकले। सबके दिल में किसान के लिए दर्द का भाव था। होना भी चाहिए। इससे बढ़कर कोई और जरूरी बात आज हमारे लिए नहीं हो सकती। कुछ साथियों ने कहा कि 70-80 प्रतिशत पर निर्भर करते हैं। मेरी ऐसी मान्यता है कि शत-प्रतिशत ही इस पर आधारित है। संत कबीर ने कहा है— "ना कुछ देखा नेम धर्म में, ना कुछ देखा पोथी में, कहे कबीर, सुनो भई साधो, जो कुछ देखा मरोठी में"। रोटी का मसला सबसे बड़ा है। पंजाबी में एक कहावत है—"टिड्ढ नी रोटियां, तो सारी गल्लां खोटियां"। अगर रोटी नहीं है पेट में तो सब कुछ नकारा हो जाता है और कोई बात नहीं बनती है। जो आधार रोटी का है, वह कृषि की उत्पत्ति है। अगर उत्पादन हुआ हो तो हो, नहीं तो नहीं। कुछ साथी कह रहे हैं कि उत्पादन कम हुआ और अनाज का मिलना कम हो गया, ऐसी बात नहीं है कि कृषि नीति नहीं थी और आज भी कोई नीति नहीं है। हम बगैर नीति के गाड़ी चलाए जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो किसान को शाबाशी नहीं देते। उसको यह नहीं कहते कि आपने सारे भारत का भार अपने कंधों पर उठा रखा है। कहां 34 करोड़ थे और आज 86 करोड़ से ऊपर हो गए है। तकरीबन मामला ठीक चल रहा है। कहां पचास मिलियन था और कहां आज 176 मिलियन पर पहुचे है। लेकिन, अभी और आवश्यकता है, इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और कृषि उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। दूसरी ओर जो उत्पादन बढ़ता जा रहा है तो उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फिर यह कहेंगे कि भोजन कम हो गया है क्योंकि आए बरस दो करोड़ बढ़ जाते हैं। उसका क्या इलाज करोगे। उसके लिए सोचना पड़ेगा। जमीन तो नहीं बढ़ रही है। भूमि तो उतनी ही रहेगी, एक्सपेंड नहीं हो सकती।

ध्यान करना पड़ेगा कि क्या करना है। सभी ने मेरे से पूछा कि कृषि नीति क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। शुरू से एक सिलसिला चला आया और उसके अनुसार उत्पत्ति हुई। दोनों हाथों से ताली बजती है संसार में और एक हाथ से ताली नहीं बजती है। दूसरी तरफ हमारा अनुसंधान है और हमारे वैज्ञानिक हैं। अगर इसका आपस में तालमेल नहीं होता और सरकार प्रोत्साहन नहीं करती तो काम नहीं होता, तरक्की और हो सकती है। हमारी चेष्टा भी इस तरह लगी रहेगी। जिसके ऊपर गर्व है तो और गर्व होना चाहिए। भानु प्रताप कमेटी की बात आई और दूसरी बात भी आई कि हमने बना भी दिया था और आपने पूरा लागू नहीं किया। बात तो तब आ गई थी और कैबीनेट में आ गई थी लेकिन उस वक्त नहीं लगा सके, शायद कुछ सोच था। सोचे बगैर बात करते तो वह ठीक नहीं होता। जो पिछले महीने बीते है तो मैंने सारे प्रदेशों से पुछवा लिया और तकरीबन सभी से जवाब आ गया है। मैंने तीन बार किसानों से अलग-अलग प्रान्तों से विचार-विमर्श कर लिया है। अभी वेंकटेश्वर जी कुछ कह रहे थे, वे पहले एग्री-कल्चर साइंटिस्ट थे, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कोई भी प्रैक्टिकल हो जिसका कार्यान्वयन हो सके और वे सुझाव दे सकें तो मुझे मान्य होगा। उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। यह आपस में सबके मिलकर करने की बात है। इसमें पार्टी का भी कोई सवाल नहीं है, क्योंकि अगर खेती बढ़ती है तो सभी पार्टीज फले-फूलेंगी, सबका स्वास्थ्य कायम रहेगा। इसलिए राष्ट्रीय भावना से काम करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने सभी से सुझाव मांगे हैं। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं कुछ निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं, अगला जो सत्र होगा उसमें मैं लाजिमी तौर पर आपके सामने उसको रखना चाहूंगा जिससे वह बात सार्थक हो, काम भी बने, आगे बढ़ने की

भावना पनपे, पद्धति भी हो और नीतियां भी हों। उसमें आप लोगों के सुझाव लेकर, मुझे आशा है, इसमें बेहतरी आएगी।

सभी माननीय सदस्यों का यह कहना है, बाहर भी सभी भाई कहते हैं कि किसान को उत्पादन का मूल्य मिलना चाहिए। उत्पादन का मूल्य लाभकारी मिलना चाहिए। लाभकारी देने में हम असमर्थ हैं, ऐसा कहा जाता है। मुझे पिछले दिनों दुःख हुआ। आपने देखा होगा 6 तारीख को एक प्रदर्शन हुआ उसमें गेहूं जलाया गया, कुछ और भी किया गया था। मुझे इससे पीड़ा हुई अन्तर्रात्मा चीत्कार करती है कि ऐसा क्यों है, क्या हम दूसरे हैं, क्या हमारे मन में भावनाएं नहीं हैं किसानों के लिए। जो आप कहते हैं कि किसान को पैसा दो तो क्या मैं यह चाहूंगा कि पैसा न दो। चूंकि मुझे दुनिया में और कोई काम नहीं आया, मैंने कोई व्यापार नहीं किया है, सिर्फ खेती की है, अपने हाथों से की है। यहां माननीय सदस्य बैठे हैं वे मुझसे पूछ रहे थे कि आपके पास जमीन कितनी है, बांटी है या नहीं बांटी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सबसे पहला आदमी था जिसने घर बुलाकर अपने लोगों को मालिक बनाया, आप चलो मैं आपको दिखाऊंगा मैंने बंजर भूमि को हरा-भरा बनाया है। जहां रेतीला रेगिस्तान था वहां हरियाली लाकर उसको सुन्दर बाग बनाया है। मुझे किसान से प्यार है, प्रकृति से प्यार है। मैं बूटों को अपने बच्चों जैसा प्यार देता हूं और करता हूं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसान के दिल को कोई ठेस पहुंचे और उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिले। लेकिन उसके साथ-साथ यह भी देखना है कि क्या सिर्फ हम अपने लिए हैं, क्या देश के लिए नहीं हैं। किसानों ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, बिना मांगे दिया है। ब्लैक हमने नहीं की, जमाखोरी हमने नहीं की, मुनाफाखोरी हमने नहीं की है। लेकिन उसके साथ-साथ अगर आप कहेंगे कि अनाप-शनाप भाव बढ़ा दो, पांच सौ का भाव कर दो, यह भी कहा गया कि बाहर से गेहूं को मंगा रहे हैं इतना भाव मत दो। वह आया या नहीं, यह अलग बात है। फूड मिनिस्ट्री ने बताया कि सोच रहे हैं, अभी तक नहीं आया। लेकिन एक आदमी रात को बीमार हो जाता है उसकी आवश्यकता है खास कैपसूल की, मिलती नहीं है, 15 रुपए में किसी के पास है, चाहे 5 की हो हो, लेकिन आप खरीदेंगे नहीं, दूसरे दिन खरीदेंगे। आपने यह कहा कि सौ दिन में दाम नीचे नहीं किए, हमने कहा था। लेकिन क्या उस तरीके से कर सकते हैं, हमें समावेश करना पड़ेगा, हमें चीजों को संतुलित करना पड़ेगा। किसान की चिन्ता करनी है तो सोचना पड़ेगा। किसान को जिन्दा रखना है तो साथ-साथ गरीब आदमियों को भी जिन्दा रखना है। इसलिए मैंने पच्चीस रुपए बोनस के रूप में देने की घोषणा की, सोच-समझ कर की कि किसान भी जिन्दा रहे, वे भी जिन्दा रहें। ऐसे ही बात नहीं करनी चाहिए कि प्राइस बढ़नी चाहिए। उसका एक तरीका है। आपने पूछा है कि किस तरीके से हम कीमत मुकर्रर करते हैं, ऐसा नहीं है कि अनाप-शनाप पूछा और कर दिया, हिसाब नहीं लगाया, आंकड़े नहीं समझे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि···

[अनुवाद]

"यह सिफारिशें प्रस्तुत करते हुए सी० ए० सी० पी० उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों को सामने रखते हुए अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप एक सन्तुलित तथा समन्वित मूल्य ढांचे पर विचार करती है।" इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा गया है :

1. उत्पादन लागत

2. आदानों के मूल्यों मे परिवर्तन
3. आदान-उत्पादन मूल्यों में समानता
4. बाजार में कीमतों का सम्मान
5. अन्तर्फसल मूल्य समानता
6. औद्योगिक लागत ढांचे पर प्रभाव
7. साधारण मूल्यों पर प्रभाव
8. जीवन-यापन की लागत पर प्रभाव
9. अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य स्थिति
10. दी गई तथा प्राप्त हुई कीमतों में समानता।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसमें उत्पादन लागत के साथ-साथ किसानों को प्रोत्साहन के रूप में उचित लाभ भी मिले ताकि वे उन्नत तकनीक अपना सकें तथा निवेश कर सकें।

खेती/उत्पादन लागत में सभी प्रकार की अदा की गई लागतों, जैसे कि भाड़े पर लिए गए मजदूर, बैल/मशीनों द्वारा किया गया श्रम (भाड़े का तथा स्वामित्व वाला दोनों) पट्टे पर ली गई भूमि का किराया, नकद तथा वस्तुओं के रूप में उपस्करों पर किया गया खर्च, जैसे कि बीज, उर्वरक, खाद, कीटनाशक, सिंचाई शुल्क, पंप सैट चलाने के लिए डीजल तथा बिजली की लागत, इत्यादि को शामिल किया जाता है। उत्पादन लागत के अतिरिक्त इसमें परिवार द्वारा दिए गए श्रम को भी सम्मिलित किया जाता है। कृषि उपकरणों तथा इमारतों के अवमूल्यन को भी लागत में शामिल किया जाता है। इस प्रकार उत्पादन लागत में अदा की गई लागत के साथ-साथ स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियों, भूमि तथा परिवार के श्रम को भी सम्मिलित किया जाता है जिसके लिए किसान को नकद पैसा खर्च नहीं करना पड़ता।

[हिन्दी]

वह भी लिया जाता है और फिर इसके अलावा सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम उसको जबरदस्ती खरीदना चाहते हैं। हम उसमें जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं। हम उसको एक ऐसे संकट से बचाने की योजना पर काम करते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि एक मौका आये जब सीजन में फसल की बाढ़ आए और उसके भाव गिरकर नीचे चला जाए, उस वक्त कौन खरीदेगा? आज तो बिक रहा है। पिछले दिनों में देखा। 5-7 साल पहले जब फसल आती थी और पूरे बाजार में माल आता था तो रेत के भाव बिकता था लेकिन स्पोर्ट प्राईस इसलिए दी कि भाव नीचे न जाए और इस प्राईस से किसान को फायदा पहुंचे और उसका घर पूरा हो। कम से कम उसको घर से न देना पड़े, इसलिए यह सब करना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि सारी फसलों का नुकसान हुआ। मुझे खुशी होती यदि कोई आकर कहता। अब नागपुर, नासिक में प्याज का नुकसान हुआ है। पिछले दिनों लहसुन की बात कर रहे थे। ठीक बात है। एक बार तीन हजार रुपए बिका और एक साल पांच सौ रुपए बिका। तो इन सारी बातों का संतुलन करना पड़ेगा

और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे दिलोदिमाग में एक बात जिसको मैं आपके सहयोग से लगाना चाहता हूं। किसान को सुनियोजित योजना देना चाहता हूं कि कौन-से इलाके में किसनी फसल आप बोओगे जिसकी मार्किट की फैसिलिटी हमारे पास है। आप ज्यादा बोओगे तो भाव कम हो जाएगा। किसान तो दोनों तरफ से मरता है। ज्यादा पैदा कर दे तो भाव कम हो जाता है, कम करे तो वैसे कमी हो जाती है। तो इसलिए वह दोनों तरफ से मरता है।

अध्यक्ष जी, अभी मिश्रा जी गन्ने की बात कर रहे थे। गन्ना कितना बोओगे ? हम गन्ना फायदे के लिए बोते हैं और ज्यादा हो जाता है तो जलाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी संतुलित खेती करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि कितना गन्ना या कितनी चीनी या कितना गुड़ या कितनी शक्कर चाहिए ? कितना आलू चाहिए या और कितनी चीजें चाहिए तो उस हिसाब से हमको करना पड़ेगा। ये सब बातें किसानों को बतानी पड़ेंगी कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, कितना किस वक्त करना चाहिए। इसलिए हम काम करना चाहते हैं। मुझे तकलीफ होती है जब कोई यह कहे कि हम किसानों को भाव नहीं देना चाहते हैं। नहीं। अगर किसान को मारेंगे तो हम कहां से जिन्दा रहेंगे ? हम अपने पैर नहीं काट सकते हैं। इसके बगैर हम चल नहीं सकते हैं। यह बात दिमाग में नहीं आ सकती कि किसान के खिलाफ कोई काम करना चाहता है। हम तो वह उंगली काट देना चाहते हैं जो उनके खिलाफ काम करे।

अध्यक्ष महोदय, एक बात कही गई कि कृषि को इंडस्ट्री का दर्जा दो। बड़ी ही दिल को लगने वाली बात है। यह तो सोचने की बात है। कैसे सोचना है, क्या फायदा है उसमें किसान को ? कितने प्रश्न हैं आपके सामने ? यह एक प्रश्नसूचक है। किसानों को फायदा कराना चाहते हैं या अहित कराना चाहते हैं या नहीं ? मैं उद्योग को सहूलियत पहुंचाता हूं लेकिन मेरी सहूयियत उनके ऊपर नहीं छोड़ना चाहता हूं। क्या मैं उसी ब्याज से पैदा देना चाहता हूं जो आज मुझे 11 प्रतिशत पर उपलब्ध है ? क्या बिजली का रेट वही देना चाहता हूं जो उद्योग को देना पड़ता है ? क्या मैं उसी तरह का काम करना चाहता हूं जो इस तरह का है ही नहीं। मैं उसको अच्छा लाभकारी चीज दिखाना चाहता हूं। अंधाधुन्ध तरीके से खेती हो, ऐसा न हो क्योंकि जिस तन लागे, सो ही तन जाने। जिसको पता है, खेती में कितना पसीना बहाया है, तपा है। मैं तो सीधी-सी बात कहना चाहता हूं कि कर लेते हैं। कल नीतीश भाई ने जो कहा, उनकी बात से बड़ी वेदना पहुंची। सीजर की बात सुनी होगी कि सीजर को मारने के लिए कैसियस और सब लोगों की चंडाल चौकड़ी इकट्ठा हुई। उन्होंने ब्रूट्स को साथ मिला लिया। जब ब्रूट्स ने उसको तलवार मारी तो उसने एक बात कही थी कि—'ऐट टू ब्रूट, ऐट सीजर फॉल।' किसान का बेटा मुझसे कहे कि तू सूट पहन कर बैठा है और किसान का बेटा मुझे यह कहे कि तू ऐसा करता है। अरे ! तू तो खुश है मेरे साथी कि एक किसान का बेटा पहन सकता है, दिखा सकता है। राजा तो नहीं मानेगा राजा ने तो हमें नीचे दबाकर रखा है। राजा तो मान सकता है हम तरखान की टोपी भी पहन सकते हैं, अचकन नहीं पहन सकते हैं। हम भी दिखा सकते हैं कि हम पराशूट से पैदा नहीं हुए हैं, हम किसान के बेटे हैं। हममें भी जोश है, हममें भी चाह है और मैं इस किसान का नक्शा बदलना चाहता हूं। मैं उसके दिल और दिमाग पर एक रोशनी डालना चाहता हूं कि तू किसी से कम नहीं है। हम कंधे से कंधा मिला कर चलना चाहते हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम किसी से नीचे नहीं हैं, किसी से कम नहीं हैं। हम सेकेंड दर्जे की नफासात बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। हमारे दिल दिमाग में एक बात रहती है कि हम भारतवासी हैं, सबके सब बराबर

हैं, ये राजा-महाराजा पुरानी बात होगी। आज का राजा मैं हूं, पैदा करके देता हूं। हाथ से कमाई करके खाता हूं इसलिए यह जो एट टू बूट वाली बात कही है, बुरा नहीं मानना।

आपने कृषि की बात की। ब्याज की दर की बात की। मेरे दिल-दिमाग में एक बात थी, लेकिन अभी तक मेरी वित्त मंत्री के बात नहीं हो पाई है। शायद वह मेरी भाषा नहीं समझ रहे हैं या मैं उनकी भाषा को नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि मैं किसान हूं, इसलिए वह मेरी बात नहीं समझते हैं, लेकिन किसी दिन समझाऊंगा कि कृषि का जो आधारभूत भाग है, जो ब्याज की दर है, उसमें किसी तरीके से कटौती की जाए। यह जो दूसरी तरह की बातें हैं, उनकी बातें फिर बाद में करूंगा, लेकिन अभी तक ब्याज की दर जितनी भी है, वह कम है 11.5 प्रतिशत 17,000 तक है, 25,000 तक 13 प्रतिशत है, उसके ऊपर और ज्यादा है। यह ठीक है लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके बीच की दर कम हो जाए और उसके लिए मैं आपसे भी प्रेरणा चाहूंगा कि आप मेरी सहायता करें।

इसके पश्चात खाद्यान्न के उत्पादन की बात जो हम करते हैं, इसके लिए आपको पता है अभी आपने चीन का जिक्र किया। चीन मैं गया हूं। मेरे ख्याल में आपकी कृपा से कोई देश ऐसा नहीं बचा जहां आपने मुझे नहीं भेजा हो और मैंने वहां भी स्टडी की, जाकर अध्ययन करने की चेष्टा की है कि क्या कर रहा हूं और क्या कर सकता हूं और यहां से क्या लिया जा सकता है और वही आकर यहां किया। अगर मैं बाहर नहीं जाता तो मेरा दृष्टिकोण भी उतना सीमित रहता और मैं जो कर पाया हूं, वह नहीं कर पाता, और जो सोच सकता हूं, वह नहीं सोच सकता क्योंकि जब तक आदमी बिहंगम दृष्टिकोण नहीं रखता तो वह कमजोर हो जाता है। मैं यह चाहता था और बताने की बात यह है कि हमारे पास 30 प्रतिशत सिंचाई है। आपने काम किया है। हमने आए साल प्रगति की है, लेकिन आज जिस तरह से सिंचाई चल रही है उसके लिए तरीके से व्यवस्था नहीं हो, तब तक खेती का काम पक्का नहीं हो सकता। खेती का मूल आधार सिंचाई है। इस बार आपने देखा होगा कि जब फसल हुई और बहुत सुन्दर खरीफ की फसल हुई थी अगस्त के आखिर में और सितम्बर के शुरू की बरसात नहीं हुई थी, तब मुझे 5-6 मिलियन टन का नुकसान हुआ। लेकिन अगर हम पक्का कर सकते, उसके लिए ही मैं चाहता था खाद्यान्न के उत्पादन के लिए हमें इर्रीगेशन मिनिस्ट्री से और अन्य मंत्रालयों से इसमें और पैसा लिया जाए। मैंने प्लानिंग कमीशन से और पैसा मांगा है और मुझे उम्मीद है कि मैं ले लूंगा। जो कुछ आवंटन अब किया गया है जिसके लिए आप सब लोगों ने कहा है कि कम है, मैं मानता हूं और इसीलिए मैं दो बार प्लानिंग कमीशन के साथ मीटिंग कर चुका हूं। मैंने कहा—देखिए, मुझे पता है आपके पास पैसा कम है। कमी क्या है यह आप जानते हैं, लेकिन कमी होने के बावजूद आप कहीं से निकालो। इधर पैसा लगाओ। अगर इधर पैसा नहीं लाएंगे तो कल आप कहेंगे कि दो करोड़ की जो सालाना उत्पत्ति मेरे भाईयों ने की है, मैं कैसे निभाऊंगा। उसके लिए मैं उत्तम तरीके की सिंचाई करना चाहता हूं थोड़े पानी से ज्यादा फायदा देना चाहता हूं। हम फ्लड, इर्रीगेशन करते हैं, सारा कुछ करते हैं। वह इतना काम नहीं रहा है। लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं और उसके लिए किसी ने कहा था कि इस्राइल जाओ, फलानी जगह जाओ। मैं तो पहले भी कह चुका हूं और अब भी यह कहता हूं कि—

'उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि किसी से भी हो,
परो अपावन ठौर में, कंचन तजै न कांय।'

मैं तो कहीं से भी उत्तम विद्या लेने के लिए तैयार हूं, कहीं से भी कोई अच्छा सुझाव मिले, उसे लेने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि हर तरीके से, जैसे भी संभव हो, नए तरीके का प्रकरण शुरू किया जाए। खेती के मामले में, सिंचाई मिलने से सारा नक्शा ही बदल जाएगा, मैं उसे लेने के लिए तैयार हू और आज हम उसी के लिए कर रहे हैं।

मैं चाहूंगा कि आइंदा, नए तरीके से, हमारा जो डैवलपमेंट का काम है, हमारे हाईडल प्रोजैक्ट्स के साथ-साथ, जो डैमिंग है, उसमें भी जो इरीगेशन है, जैसे नर्मदा सागर में आपके यहां हो रहा है। मैं आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं, वाजपेयी जी, कि 20 प्रतिशत खेती आज गुजरात में सिंचाई से होती है और नर्मदा परियोजना के अकेले आने से, वह 100% बढ़ जायेगी, यानी 40 प्रतिशत हो जाएगी। सारा नक्शा ही बदल जाएगा लेकिन उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। किसानों को सिखाना पड़ेगा।

इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की है, उसमें हमने सिखाया नहीं है। मैं उसकी कमियां जानता हूं और शुरू से कह रहा हूं कि पानी दे देने से, एक बार, काम नहीं चलेगा, उसको इस्तेमाल करना दूसरी बात है। उसके लिए हमें एक्सटेंशन सर्विसेज की जरूरत है, उसके लिए कमांड एरिया डैवलप करने की ज्यादा जरूरत है। यदि पानी लगाकर दे दें ज्यादा तो उससे सैलेनिटी भी हो सकती है, हो सकता है ज्यादा पानी से काम खराब हो जाए, उल्टा काम भी हो सकता है। इसलिए उसके लिए अनुसंधान हमें करना पड़ेगा और इसीलिए मैंने अपने अनुसंधान-कर्ताओं को कह रखा है, उनको लगा रखा है इसके लिए कि आओ, आगे बढ़ो। इन लैबोरेटरीज में बंद करके हमने नहीं रखना है, मैं तुमको शो-पीस बनाकर रखना नहीं चाहता। तुम मुझे दिखा दो, इससे ही मुझे संतुष्टि नहीं होगी, मैं आपको बाहर भेजना चाहता हूं—लगाओ कच्छा और चलो, आओ खेत के अन्दर—कच्छा देकर मैं काम कराना चाहता हूं और इस तरीके से मैं काम करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वे जाएं।

इसीलिए सिंचाई के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि हमें और पैसा चाहिए। सिंचाई की हमें और योजनाएं बनानी होंगी। हम जो काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप कहते हैं—वाटर शेड प्रोग्राम, उसके लिए, जिस तरह से भी, जितना अधिक पैसा आ सके और उसको या तो स्टोर नीचे कर लो या रोक कर, इस तरीके से, सारे भारत वर्ष में, मेरे पास स्कीम है, जो मैं लागू करना चाहता हूं। उस स्कीम में पूरी तरह से लिखा है कि हर क्षेत्र में जाकर काम हो सके।

आप बात कर रहे थे, मैं बिहार की बात करना चाहता हूं। अब बिहार में उत्पादन कैसे होगा जब तक असंतुलन खत्म नहीं होगा या रीजनल इम्बैलेंस खत्म नहीं होगा, तो कैसे करेंगे। मुझे मान है इस बात का, मैं कहना चाहता हूं कि अगर बिहार, पंजाब के मुकाबले में खड़ा हो जाये तो पंजाब और बिहार दोनों मिलकर तो शायद बंगलादेश को भी खुराक दे सकते हैं। इतनी खुराक पैदा कर सकते हैं, पूरे भारतवर्ष के लिए तो क्या, औरों को भी खुराक दे सकते हैं। सब कुछ है हमारे पास। सिर्फ एक कमी है दिल की, लगन की। एक हमारे पास कोई आदमी था, उसको लगा दिया। वहां पता नहीं क्यों आप करते नहीं—जरा तगड़े हो जाओ, जरा हौसला करो, बैठाओ उनको, सब लोगों को। पार्टीशन करके काम करो तो बढ़िया काम, एकदम से बढ़िया काम चालू हो सकता है।

इसी विषय में कहना चाहता हूं कि हमें असंतुलन खत्म करना है और असंतुलन के साथ-

साथ, मैं नई किस्म की बाबत आपको बताना चाहता हूं जिसके पेपर्स मैंने निकलवाए हैं, खेती के मसले मे, अभी हमारा अनुसंधान नया यह आया है, जिसे मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक नए किस्म के खेती के लिए बीज आए हैं, जिनसे 30 से 40 प्रतिशत सूखी खेती में उत्पादन ज्यादा होगा। वह है—

[अनुवाद]

एक नई तथा अधिक सक्षम फसल प्रणाली का विकास जिससे 30 प्रतिशत तक कम पानी से उत्पादन में किसी कमी के बगैर लगातार उत्पादन किया जा सकता है।

[हिन्दी]

मैं हार्टिकल्चर की बात कर रहा हूं, नये बीज निकल रहे है।

[अनुवाद]

"अत्यधिक तेजी से बढ़ने तथा जल्दी पकने वाली चावल की ऐसी किस्मों का विकास जिनमें सभी प्रकार के मौसम को झेलने की काफी क्षमता है।... तिलहनों आदि के उत्पादन में प्रयोग में आने वाले बीजों के उत्पादन में वृद्धि।"

[हिन्दी]

सीड के बगैर काम नहीं हो सकता, उत्पादन में हमें एक खास विषय को ध्यान में रखना पड़ता है। हमें सीड्स के बारे में और काम करना है। सीड्स के लिए, मैं चाहता हूं कि स्टेट सीड फार्म कार्पोरेशन और मैट्रो सीड्स कार्पोरेशन, इन दोनों को मिलाने की मेरी योजना है। उसके पश्चात् पूरे तरीके से, वहां सिर्फ अच्छे बीजों का उत्पादन हो और सारे के लिए हम करें। यही नहीं, इसके अलावा भी, दूसरे जो हमारे प्राइवेट किसान है, हम उन्हें भी दिखाना चाहते हैं कि उनके प्रयोग से आमदनी कितनी हो सकती है, कितना भला कर सकते हैं लेकिन मुझे ऐसे भले आदमियों की आवश्यकता है जो बीज के मामले में ईमानदारी से काम कर सकें क्योंकि बीज अगर गलत दिया गया तो सत्यानाश हो जाएगा। बीज यदि गलत चला जायेगा तो सारी फसल तबाह होती है। यह सबसे प्रियोरिटी सैक्टर है और हमारा सीड उसी हिसाब से रहेगा।

इसके अलावा जो हमने अनुसंधान किया है, आपके लिए, वह है —

[अनुवाद]

"विभिन्न फसलों की अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों/संकरों को जिनमें 192 अनाजों में, 74 तिलहनों में, 21 दालों में, 30 वाणिज्यिक फसलों में 16 चारा फसलें हैं, को जारी/ढूंढ़ा गया... चावल की किस्मों का विकास, उत्पादन में वृद्धि एल० आर० ए० 1566 नाम की नई कॉटन की किस्मों का विकास।"

[हिन्दी]

यह भी हमने किया है और आम भी नया पैदा किया है। नयी चीज पैदा की है, बहुत सुन्दर है और उसमें बहुत सुन्दर प्लांट्स पैदा किए हैं। टैंडरमैंट, कोकोनट हाईब्रीड पैदा की है। जहां कैश्यू एक दरख्त से एक या आधा किलो होता था वहां आज हम एक दरख्त से 8 किलो ले रहे हैं।

यह सारा हम करना चाहते हैं। जो बाहर से हम मंगवाया करते थे, उसकी भी छुट्टी कर दी और हम अपने यहां पैदा कर रहे हैं, जो हमारे यहां अच्छी फसल दे सकता है, तो इस तरह से हम करना चाहते हैं। हम पुत्तूर में एक सेमीनार में उद्घाटन करने गए थे। वहां हमने एक रिसर्च सेंटर खोला है, वह बहुत सुंदर बना है और उन्होंने वहां नयी वैरायटीज निकालकर देना शुरू किया है जिससे किसानों का रंग बदल जाएगा, उनके चेहरे पर एक नयी आभा आ जाएगी। इस तरीके से हम काम करना चाहते हैं। उसके साथ-साथ नयी-नयी हाई वैरायटीज सब्जी की पैदा की हैं। एक-एक सीड अगर अच्छा हो, तो 300 क्विंटल टमाटर एक एकड़ में होता है और आप चलकर देखिए, जो छोटे किसान हैं वे क्या करते है, उस तरीके से करते हैं।

[अनुवाद]

मत्स्य फार्मों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई तकनीक का विकास।

[हिन्दी]

वे बहुत कर रहे हैं और अभी मेरे माननीय सदस्य अमल दत्ता जी चले गए, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं अभी वेस्ट बंगाल में 100 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू करके आया हूं ब्रैकिश वाटर में प्रोन फिश का।

ब्रैकिश वाटर में प्रौच फिश का एक एकड़ में जो उत्पादन होता है, मद्रास में देखकर आया हूं अपने रिसर्च सेंटर में 2 से 4 टन पैदा होता है और एक टन ढाई लाख का, एक हैक्टेयर में 10 लाख, वह भी मैंने छोड़ दिया। मैंने सेंटर में एक लकीर खींच दी, मैंने कहा 5 लाख से एक दफा में संतुष्ट हो जाऊंगा, बाद में मेरी भूख बढ़ जाएगी, वह मैं करना चाहता हूं सी-प्रॉडक्ट में। हैचरीज साथ में हों, फीड बनाने की मशीनें साथ में हों। यह सारा काम करने के पश्चात् मैं यह करना चाहता हूं।

हमारे एक साथी, श्री एस० सी० पटनायक ने कहा था कि हमारे उड़ीसा में कुछ नहीं हुआ। ब्रैकिश वाटर में जनाब 7 हजार 8 सौ हैक्टेयर में लैंड एण्ड प्रोन फार्मिन्ग शुरू करवाई है और यह वहीं नहीं है, काफी स्टेट्स में हम इसको चला रहे हैं और देशव्यापी करना चाहते हैं। हमने 7.8 लाख से बढ़ा करके 38 लाख तक फिश का प्रोडक्शन ले गए हैं और मेरा अंदाजा है और योजना है कि इसे 90 लाख टन पर ले जाएं, तब जाकर बात बनती है। अभी थोड़ा-सा प्रांगण है, फिर आगे और लेंगे।

छोटे किसानों के लिए मैं 50 प्रतिशत रिजर्व रखना चाहता हूं और 50 प्रतिशत दूसरों को छोड़ना चाहता हूं ताकि उनका नुकसान न हो। अभी मैंने वैस्ट बंगाल गवर्नमैंट से प्रार्थना की थी कि आप एक कानून बनाइए, जो सिर्फ वहां नहीं है और गुजरात में नहीं है। फिशरीज की जो हमारी सीमा है, उसके लिए कानून नहीं बनाया है। पोचर्स आ जाते हैं। आपने जो छोटे मछुआरे हैं उनके फायदे और हित को ध्यान में रखते हुए, उसकी हमें रक्षा करनी है। इसलिए आप यह कानून बनाइए।

[अनुवाद]

चावल, गेहूं, दालों, तिलहन के अधिक उत्पादन वाली किस्में जिनका उत्पादन पड़ोसी

राज्यों से दो-तीन गुना अधिक है, उनके विभिन्न कृषि मौसम क्षेत्रों में 4000 प्रदर्शन किए गए।

[हिंदी]

यह हमने किया है। दिखाओ आप, विश्वास हो जाता है। सीइंग इज बिलीविंग। तो हमारे जो पंजाब में खेती का विकास हुआ, वह इसलिए हुआ कि हरेक गांव में, हर जगह डिमांस्ट्रेशन ब्लॉक बना है। आपने अपना दिखाया, जसवंत जी ने देखा, और मैंने देखा आडवाणी जी को, तो पता लग गया कि हां, यह कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। यह हमारी स्थिति है। इसलिए मैं यह दिखाना चाहता हूं कि किसान यह कर सकता है और किसान को जब प्रोत्साहन मिलेगा तो, वह आगे बढ़ सकता है।

[अनुवाद]

वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में हमने 20,000 किसान परिवारों को भूमि से भूमि कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनाकर 40 प्रतिशत उत्पादकता में वृद्धि करके दिखाई है।

[हिंदी]

रेन फैड 40 परसेन्ट हम प्रोडक्टिविटी इन्क्रीज करना चाहते है।

[अनुवाद]

कृषि विज्ञान केन्द्रों में 9516 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 207446 प्रशिक्षुओं तथा 1445 प्रशिक्षुकों को लाभ हुआ। 26500 अनुसूचित जाति तथा जनजाति के किसान परिवारों की वार्षिक आय 1,000 रुपए से बढ़कर 3,000 रुपए हो गई। देश के 180 जिलों में 183 कृषि विज्ञान केन्द्र खोले गए। यह कार्य वहां पहले ही आरम्भ हो गया था।

[हिन्दी]

मेरा विचार बहुत कुछ करने का है लेकिन अभी तक सिर्फ इतना है कि जितना कपड़ा है उसके हिसाब से कोट या अंगरखी बनाऊंगा, फिर आगे बढ़ाऊंगा। आईन्दा पांच साल में हर जगह पहुंच जाना चाहते है। मैं सिर्फ विज्ञान केन्द्र नाम ही लिखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि हर तरह से किसान के साथ मिलकर काम करें और एक नया दृष्टिकोण पैदा करें। मेरा इस तरह का उत्पादन करने का विचार है। सिर्फ यही नहीं, इसमें हॉर्टीकल्चर भी आएगा। मैं हॉर्टीकल्चर में जो करना चाहता हू वह एक नया दृष्टिकोण है। मैं वैल्यू ऐडेड प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं। आज सिर्फ थोड़ा है, आपने देखा होगा दशमलव 5 प्रतिशत है। सारे भारतवर्ष में फलों, सब्जियों का जो प्रोडक्शन है, उसका डिब्बा बन्द होता है, प्रोसेसिंग होती है। यह कुछ भी नहीं है। इसके लिए इनफास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए मैंने प्लानिंग कमीशन से एक हजार करोड़ मांगा है, देखें देते कितना है। पिछले साल सिर्फ 16 करोड़ मिला था। मेरी लड़ाई निरन्तर जारी है, मैंने न कहना सीखा नहीं है, मैंने हारना नहीं सीखा है, न-न कहते भी हां करवाकर छोड़ूंगा।

उसमें क्या रखूंगा।

[अनुवाद]

पैकिंग, मानकीकरण, प्रेषण, विपणन, प्रसंस्करण, भण्डारण, ढुलाई, रेलवे द्वारा ढुलाई, ट्रकों, हवाई मार्गों, समुद्री जहाजों द्वारा ढुलाई तथा ताजा फलों को निर्यातोन्मुख करना।

[हिन्दी]

सबसे पहले करवाया और आज मुझे फक्र है यह कहते हुए कि आज कम से कम 14 से लेकर 20 कंटेनर्स इंग्लैंड में अंगूर रोज जा रहा है। मैं इस अंगूर को ऐसा करना चाहता हूं कि संसार में कोई इस अंगूर का मुकाबला नहीं कर सकता। राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कर्नाटक के लोगों ने पैदा किया है। इसके साथ वहां का बेर देखें तो सेब को मात करता है। अनार, चीकू, ये सारी फसलें हैं, इनको सिर्फ प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

लोग कहते हैं कि हमें फौरेन एक्सचेंज चाहिए। फौरेन एक्सचेंज तो हमारी धरती में गढ़ा हुआ है, किसान के हाथ में जमा हुआ है, इसका नक्शा बदल दें। वैसे कहते हैं कि किसान जो काम करता है और उसकी मूर्त बढ़िया बनकर देर में निकलती है। जैसे एक बूढ़ा बूटा लगा रहा था, किसी ने पूछा कि तू क्या कर रहा है। वह कहने लगा आम लगा रहा हूं। उसने कहा कि आम लगाएगा तो खाएगा कौन, तू तो थोड़े दिनों का है। कहने लगा कि मेरे पोते खाएंगे, बेटे खाएंगे। इसमें यह बात है। मैं ऐसा कर दूंगा जिससे आप प्रसन्न हो जाएंगे। 40 हजार करोड़ का निर्यात सिर्फ यहां का है और 100 प्रतिशत आपका है। कौन-सा वर्ल्ड बैंक, कौन सा आई० एम० एफ०। सारा आई० एम० एफ० आपकी जेब में रहेगा, किसान बनाएगा और किसान के घर में जाएगा। सीधी-सी बात है।

मैं आशावादी हूं। आशा जीवन है और जीवन आशा है। आशा पर आधारित जो आदमी नहीं है वह उदासीन हो जाता है।

मैं सहकारिता की बात करना चाहता हूं। कोपरेटिव की बात करना चाहता हूं। बड़ा अच्छा कोपरेटिव है, हमारे महाराष्ट्र में बड़ी अच्छी मिलें चलती हैं। गुजरात में कोपरेटिव का अच्छा काम है, बहुत सुन्दर है, हमने काम भी किया है। लेकिन कोपरेटिव के बीच में एक दखल है, एक कांटा रिड़कता है मेरे दिल में क्योंकि जहां भी देखता हूं गवर्नमेंट नाम की चीज उसमें अपना पंजा डाल देती है। किसी आई० ए० एस० अफसर को, किसी और अफसर को वहां का मैनेजिंग डायरैक्टर बना देती है जो एक डेढ़ साल बैठता है और छुट्टी करके चला जाता है। हेराफेरी, मनमानी करता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं। मैं इसको निकाल दूंगा। मैं चाहता हूं कि वहां के लोग काम करें और उनको तीन साल में जवाब देना पड़े जैसे आपको, हमको लोगों को जवाब देना पड़ता है। जो काम करे, भागे, वह जीते, ऐसे लोगों के लिए मैं नया कानून लाना चाहता हूं।

हम शीघ्र ही सहकारिता के लिए नया कानून प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमने राज्य सरकारों को भी सहकारिता के लिए सुझाव दिए हैं। सस्पैंड कर देंगे। हमारी पार्टी नहीं आयी तो सस्पैंड कर दें। यह क्या तरीका है, क्या यह प्रजातंत्र है ?

[अनुवाद]

यह तानाशाही है। यह लोकतंत्र की अवहेलना है।

[हिन्दी]

इसको हमें दूर करना है।

आपने खाद के बारे में पूछा। आपकी कृपा से सब ठीक रहा और ठीक रहेगा। नई कमेटी मैंने बनायी थी, जो निर्धारण कर रही है कितनी मिलें उनको बनाती हैं, कितना खर्चा आता है, कितना नहीं होना चाहिए? माननीय सदस्यों ने यह भी पूछा कि पिछले साल इस पर 405 करोड़ रुपए रखा था, इस साल नहीं रखा है, लेकिन वह विचाराधीन है, उसके ऊपर हम विचार बाद में करेंगे कोई खास चिन्ता की बात नहीं है। मैं उनका घर जरूर पूरा कर दूंगा। बाबा दरवाजे से न आयें लेकिन पिछली खिड़की से जाकर ले आयेंगे। मैं करूंगा जरूर जिससे उनका घर भरा रहे और बिल्कुल गड़बड़ न हो लेकिन कठिनाई पैसों की है। इसके लिए मैंने सरकार से कहा है। कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी कुछ एक्साइज ड्यूटी घटायी है। हमारी सहकारिता ने अच्छे कारपोरेशन्स को कहा है कि वह इसका उत्पादन करें और ठीक ढंग से करें जिससे उन्हें सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जा सके। वह मनमानी बहुत करते हैं। किसान का पैसा बढ़ता है तो इनफ्लेशन का डर बैठ जाता है। इस पर कहा जाता है कि 25 रुपये बढ़ गये तो इनफ्लेशन बढ़ गया। क्या किसान से ही इनफ्लेशन बढ़ता है। कार, चीनी, स्पिरिट और रेजन के पैसे बढ़ा दिये जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता है। किसान का 25 रुपये बढ़ा दिया तो उसको मार लो, एक गरीब पहले से ही मरा पड़ा है, उसको और मारने का काम ये करते हैं। खेती का काम और किसी ने क्या कभी किया है? खून पसीने की कमाई वह करता है। वह दिन रात काम करता है। कुछ लोग कह रहे थे कि कृषि पर इनकम टैक्स लगा दो, लेकिन एक साल मेरे पास आ जाओ, एक साल नहीं तो दो रात के लिए ही आ जाओ। आडवाणी जी, जनवरी के महीने में जब जीरो डिग्री टैम्परेचर होता है तो रात को 12 बजे पानी लगाने चले जाओ, तो सुबह निमोनिया से बच कर घर आ जाओ तो मैं मान जाऊं। जेठ के महीने में पतलून पहन कर चले जाओ। उस समय फसल की कटाई होती है और अब भी 15 अप्रैल के बाद कटाई शुरू हो जायेगी। एक हफ्ता या 15 दिन कटाई खेत में करो तो पसीना पैंट से नीचे आ जायेगा। ऐसे में आटे-दाल का भाव सब मालूम हो जायेगी। मैंने भी यह कहा था कि उसको कृषि मंत्री नहीं होना चाहिए, उसको कृषि विभाग का सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए जिसने खेत में काम न किया हो। सबको अपना-अपना काम आसान लगता है। मैं भी इस बात से कायल हूं कि हमारा पैसा कृषि में कम होता गया। मेरी जो ग्रस्ट है···

[अनुवाद]

मैं कृषि में सरकारी तथा निजी दोनों तरफ से अधिक निवेश पर जोर देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अगर हम पैसा नहीं लगा करके दे सके तो उत्पत्ति कैसे होगी? पैसा कम होता चला जा रहा है। हमें पैसा चाहिए और इसके लिए सदन को मैं कहना चाहता हूं कि हम सबकी एक राय इसमें होनी चाहिए कि कृषि के क्षेत्र में, उसके अनुसंधान के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जब तक एक पैसा नहीं होता, तब तक न डेवलपमेंट का कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट बन सकता है, न फैक्ट्रियां लग सकती हैं। मैं कृषि पर आधारित उद्योग लगाना चाहता हूं और उसे गांव में लगाना चाहता हूं। हमें

इसमें भी आपकी मदद की जरूरत है । मनमोहन सिंह जी ने एग्री बिजनस कनसौटिम बनाने की जो बात की है, उसको मैं वाया कश्मीर तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं उसे वहां ले जाना चाहता हूं जहां उसका निशाना है। मुझे सिर्फ एक चीज नजर आती है और अर्जुन की तरह चिड़िया की एक आंख नजर आती है, दूसरी नहीं नजर आती है। मेरी इस तरफ नजर है कि किसान आगे बढ़े और उसके साथ देश आगे बढ़े। किसानी के बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता है।

चीन की बात किसी माननीय सदस्य ने कही लेकिन क्या आपने देखा कि वह गिनती प्रोडेक्शन की करते हैं। हम वह नहीं करते हैं। हम सिर्फ खाद्यान्न की करते हैं। वह आलू, चारा और सब्जी आदि की करते हैं। तब जाकर उनका इतना बैठता है। मैंने ये सब देखा है और स्टडी किया है। हमसे ज्यादा अच्छा वह नहीं कर सकते हैं। मैंने करके देखा है और मैं अब भी करके दिखा दूंगा। हम इसमें एक जान फूंक देंगे और पिछड़े राज्यों को ऊपर उठा देंगे। अगर इसके लिए मुझे हाथ-पैर भी जोड़ना पड़े तो वह जोड़ करके उनको कहूंगा कि अब काम करो। 631 किलोवाट पर हैड एनर्जी पंजाब में खर्च होती है और 106 किलोवाट बिहार और उड़ीसा में खर्च होती है इस तरह से काम कैसे चलेगा, कैसे प्रोग्रैस होगी ? यह प्रोग्रैस करने का तरीका नहीं है।

हमारे साथी कह रहे थे कि सड़कें नहीं हैं। सड़कें तब होंगी जब जेब मे पैसा होगा, जब सरकार काम की होगी। आप पंजाब और हरियाणा में चले जायें, एक-एक गांव में तीन-तीन सड़कें बिछी हुई हैं। मैंने बनवाई हैं, हमने हाथ से बनाई हैं। हमने मिट्टी डाली, सरकार ने सड़कें बनाई हैं। श्रम से काम किया है और नजारा आता है। जिस गांव में कभी पानी नहीं था, वहां आज कोई गांव ऐसा नहीं है, जिसमें बिजली नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, जिसमें पीने का पानी टोंटी से नहीं मिलता हो, कोई ऐसा गांव नहीं है, जिसमें सड़क नहीं है. कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें बिजली नहीं हो, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल नहीं हो। मैं कहता हूं कि नक्शा बदला जा सकता है। आज वहां टेलीफोन केन्द्र लगे हुए हैं, एक्सचेंजेज लगे हुए हैं, सारे, तो क्यों नहीं बदल सकते हैं। इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। असल में एक उत्साह होना चाहिए और अभशक्ति होनी चाहिए, आदमी में काम करने की। यह चीज हुई है।

टैक्नोलोजी ट्रांसफर की बात आ गई तो मैं विकास के लिए चाहता हूं, एक्सटेंशन सर्विसेज सबसे ज्यादा जरूरी है। एक्सटेंशन सर्विसेज के लिए मैं सब कुछ करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि कि वह गांव तक चली जाए, एक लड़ी बन जाए। यह तो ग्राम सेवक लगा रखे हैं, फलाने लगा रखे हैं, इनका गांव वालों के साथ तालमेल नहीं। अब सारे कह देते हैं, गांव में काम नहीं हो रहा, यह नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं, कभी आपने अपने आपसे सवाल पूछा कि हमारा कुछ उत्तरदायित्व है कि नहीं। कहने लगे, खाद नहीं मिलता, वह ब्लैक में चला जाता है, गांव में ब्लैक करता है तो गांव वाले क्या सो गए ? क्या हमारे भारतीय जनता पार्टी का, जनता दल का, कांग्रेस का, कम्युनिस्ट पार्टी का कोई आदमी वहां नहीं है ? क्या हमारे सारे वर्कर्स निराधार हैं ? क्या उनके दिल में कोई देश के प्रति आस्था नहीं है, क्या देश प्रेम नहीं है और ईमानदारी की कोई झलक नजर नहीं आती ? हमें उसको करना चाहिए।

[अनुवाद]

इस सम्बन्ध में हमें कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए ।

[हिन्दी]

प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं, नैचुरल कैलेमिटीज की बात करते हैं, यह बिग्स ऑफ नेचर है और हमें इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, मैं देख आया हूं, मैं तो खुद गया था, कर्नाटक गया, आन्ध्रा गया, पाण्डिचेरी गया, सारी जगह गया । अभी मेघे साहब चले गए, नागपुर वाले मुझे कह रहे थे कि गए नहीं। मैं तो रोज जाता रहता हूं महाराष्ट्र, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे जाने में कोई एतराज नहीं है लेकिन इसके लिए हमें नीति बदलनी पड़ेगी। मैं खुद हैरान होता हूं कि हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है, कहते हैं "घर में नहीं दाने, अम्मां चली भुनाने" हमारे पास कुछ है नहीं, लेने देने को, हम शक्लें दिखाकर आ जाएं तो हम बहुत बड़े दानी आदमी हो गए। आकर आपका निरीक्षण करके चले गए।

[अनुवाद]

यह मुझे बहुत बुरा लगता है। इससे मुझे प्रसन्नता नहीं होती बल्कि दुख होता है।

[हिन्दी]

पहले तो किया करते थे, सैण्टर दिया करते थे, जिससे स्टेट में हो गया वहां दे दिया। अब स्टेट ने यही सोचा कि यह क्या धन्ना सेठ बने बैठे हैं, सारा माल हमारी जेब में होना चाहिए। यह चलती है तो उसको चलाने की बात की तो अब उल्टा पड़ गया, तो इसलिए इसमें नई बात करनी पड़ेगी।

[अनुवाद]

हमें इस पर पुन: विचार करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

कि कैसे करना है। क्योंकि, यह आपत्ति पूछकर तो आती नहीं और जिन जिनको दे देते हैं, वह कहीं और खर्च कर लेते हैं, बचाकर नहीं रखते हैं कि यह कोष है, इसके लिएबचाकर रखो।

एक बात सबसे और जरूरी रह गई, वह है बीमे की। प्रधान मन्त्री जी ने भी बीमे की घोषणा की। मैंने इसमें कहा, बीमा बनाएंगे, हर एक फसल का बनाने की चेष्टा करेंगे और उसके लिए मैंने आप सबसे हाथ जोड़कर विनती की थी कि मुझे सुझाव चाहिए। मैंने बहुत मीटिंग की हैं, बीमा योजना के लिए सब साथियों को बुलाया, आपको बुलाया, किसानों को बुलाया, विशेषज्ञों को बुलाया, आफिसर्स को बुलाया, जनरल इन्श्योरेंस कारपोरेशन वालों को बुलाया, सबको बुलाया लेकिन मुझे आज तक कोई आदमी सार्थक पॉलिसी देने में कामयाब नहीं हुआ। देखिए साहब, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं साइक्लोन आ जाता है, कहीं झंझड़ आ जाता है, कहीं बीज खराब हो जाता है, कहीं बीमारी पड़ जाती है, कितना कौन-सी फसल देती है, गन्ना कितना है, रूई कितनी है, आलू का कितना है, सेब का कितना है, सारा कितना है, इन सारी बातों का कैसे निराकरण करोगे। एक ज्यादा फसल देने वाली है, वही फसल की आज गुजरात में जो खेती होती है, और महाराष्ट्र में, कॉटन की, वह सूखे में होती है। इस दफा सूखे की छुट्टी हो गई, वहां दो क्विंटल भी नहीं होता, हमारे यहां इस दफा 11-11 क्विंटल हुआ

है, वारे-न्यारे हो रहे थे। पिछली दफा भाव नहीं मिले थे, कह रहे थे कि भाव की बात करते हो, जब भाव मिलता है तो शाबाशी तो दे दिया करो। 1500 रुपए क्विंटल के भाव पर भी शाबाशी नहीं देंगे, नर्मा बिकवा दिया, फिर नर्मा आगे चलाएंगे। कम से कम किसी आदमी को हौसले की थापी दे देते हैं, बच्चा घर पर पढ़कर, इम्तहान में पास होकर आया है तो घर वाले उसको कम से कम एक पैंसिल ही दे दें, बेटे को शाबाशी, तो कुछ तो शाबाशी दे दिया करो। उस हिसाब से बात बनती है, उससे उस आदमी का काम करने का हौसला बनता है, हौसला बढ़ता है। मैं सोचता हूं कि यह सारा काम इस तरह से नही होगा, ठीक ढंग से सोचने के पश्चात् होगा और उसकी पॉलिसी बनाने के लिए मैंने एक पायलेट प्रोजेक्ट के हिसाब से एक-एक डिस्ट्रिक्ट में बनाने की चेष्टा की है कि एक तजुर्बा कर लूं। जो अब नई पॉलिसी हमने जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी को बोला है कि वह बनाकर लाएं, क्योंकि, सारे विचारों का हमने समावेश करके उनकी झोली में डाल दिया था कि यह लो पॉलिसी की बात, आप इसको बनाकर लाओ, कैसे कामयाब करोगे। कितना उसमें आपका प्रीमियम होगा, कौन-कौन सी बात के लिए होगी, कौन-सी फसल के लिए कितना होगा, यह इतने सारे प्रकरण हैं जिनका कि मैं अंदाज ही किस तरह से करूंगा, नहीं कर सकता। तो सब सोच-विचार करके मेरे दिल में है कि हम एक तजुर्बा तो करके देखें। जो हमने कहा है, सही बात है, सारे लोग यह कहेंगे·· एक फैक्ट्री में हो गया, तो उसको पैसा मिल गया और दूसरी जगह नही है। एक गांव में ओलावृष्टि हो गई, उसकी छुट्टी हो गई और दूसरा उसके पास वाला बच गया। यहां पर इस पर जबाव दिया गया था कि सारे गांव में नहीं पड़ा, हम नहीं देते हैं। मैंने एक प्रश्न पूछा था, जब मैं अध्यक्ष की जगह पर बैठा था और भजन लाल जी यहां से जवाब दे रहे थे, मैंने एक प्रश्न वहीं से बैठे-बैठे कर दिया, जो कि मुझे नही करना चाहिए था, लेकिन मैं कर बैठा—मैंने कहा कि जब तक सारे इन्डस्ट्रीयल एरिया में आग नहीं लगेगी, तब तक नहीं दोगे। सारे इलाके में आग लगेगी, तब ही दोगे। एक क्षेत्र में हुआ, तो नहीं दोगे। ये सारी बातें मेरे दिमाग में है, लेकिन उसका निराकरण मैं कैसे करूं। मैं अपनी असमर्थता भी आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। मैं कोई चीज छिपाकर नहीं रखना चाहता हूं। परदे के पीछे से जेब में डालकर नहीं रखना चाहता हूं, मैं आपको बता कर करना चाहता हूं। सारा कुछ करना चाहता हूं और इतना करना चाहता हूं।

अभी हमारे हिल स्टेट्स की बात कह रहे थे, सुलतान जी हमारे सलतान-ए-आजम। ·· (व्यवधान) ··· वहां एक नई चीज पैदा करके प्लान्ट मैटीरियल देना चाहता हूं, जो हमने टिशू कल्चर से पैदा किया है और बाहर से दवारफ वैरायटी जला करके, जहां दो टन पैदा होता है, वहां हम बीस टन और पच्चीस टन पैदा करना चाहते हैं। मैं देखकर आया हूं, हो सकता है, तो हम क्यों न करें, करना चाहिए। हमारा किसान तो ऐसा है कि आप उसका एक दफा दिखा दो, वह करेगा। हमारे लुधियाने में तो आप जैट और वायुदूत दिखा दो, तीसरे दिन उसका साकर खड़ा कर देंगे। बात ही कुछ नहीं है। एक तरीके से तरक्की करने का हमने बिल्कुल मन बनाया हुआ है, तरक्की करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने सुना। कोई और बात होगी, तो आपके सामने फिर पेश हो जाऊंगा। बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे। आप जरा हिम्मत करिए कि मुझे पैसा और मिल जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 10 अप्रैल, शुक्रवार 11 म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

7.12 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 10 अप्रैल, 1992/21 चैत्र, 1914 (शक) के ग्यारह म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-53